खण्ड-364, अंक-10
गुरूवार, 11 फाल्गुन, शक संवत् 1905
(1 मार्च, 1984 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 364 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1984

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	1433–1336
प्रश्नोत्तर	1437–1503
बाहर सिंह सिरनेट इन्टर कालेज इन्दूपुर की छात्राओं का परीक्षा केन्द्र दूर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	1503
जनपद गोण्डा के विकास खंड श्रीदत्तगंज के प्रमुख द्वारा खण्ड विकास अधिकारी के साथ किये गये अभद्र व्यवहार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1504
बिक्री कर कार्यालय एवं न्यायालय, गोरखपुर के अधिवक्ताओं के आन्दोलन के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सुचना	1504
थाना रामनगर जनपद बाराबंकी की पुलिस द्वारा फर्जी मुकदमा दायर किये जाने से लोगों में उत्पन्न भय के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	1504–1505
पर्वतीय क्षेत्रों में बोर्ड के परीक्षा केन्द्रों के बदलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1505
महानन्द मैठाणी सेवानिवृत्त अध्यापक की पेंशन स्वीकृति की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1505
बुलन्दशहर जनपद में आये दिन हो रहे अपराधों से उत्पन्न आतंक के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1506
बसों के बढ़े हुए किराये को घटाने के संबंध में सत्रकाल के दौरान नीति संबंधी घोषणा सदन के बाहर किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ..	1506–1510
कृषि अभियंत्रण डिप्लोमा धारकों के अनशन के सबंध में संसदीय कार्य मंत्री के आश्वासन के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	1510-1512
संसदीय कार्य मंत्री द्वारा नलकूपों के कनेक्शन न काटे जाने संबंधी आश्वासन की पूर्ति न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	1512–1513
अखिल भारतीय किसान सभा के अधिवेशन के संबंध में दिये गये निदेश के अनुसार शासन द्वारा कार्यवाही न किये जाने के विषय मे औचित्य का प्रश्न ..	1513–1517
निगमों के वार्षिक प्रतिवेदन विलम्ब से सदन के पटल पर रखे जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	1517–1522
मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लि0, मुरादाबाद की प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वार्षिक रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखी गयी)	1522
वाराणसी मण्डल विकास निगम लि0, वाराणसी की षष्ठम वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण, 1981–82 (सदन के पटल पर रखा गया)	1522
गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0 का तीसरा वार्षिक लेखा जोखा, 1978–79 (सदन के पटल पर रखा गया)	1522

विषय

	पृष्ठ–संख्या
वित्त (बिक्री–कर) अनुभाग–2 की विज्ञप्तियां (सदन के पटल पर रखी गयीं)	1522–1523
उत्तर प्रदेश जिला परिषद (सदस्यों का अनुमेलन) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1983 (सदन के पटल पर रखी गयी)	1523
उपाय लिमिटेड, लखनऊ (उ0प्र0 राज्य उपक्रम) की वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण वर्ष 1977–78 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	1523
लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन, 1980 (सदन के पटल पर रखा गया)	1523
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (पन्द्रहवां संशोधन) नियमावली, 1983 (सदन के पटल पर रखी गयी)	1523
सहकारी बैंक केन्द्रीयित सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1983 (सदन के पटल पर रखी गयी)	1523
उत्तर प्रदेश विनियोग (1983–84 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1984 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	1524
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1984 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	1524
श्री योगेन्द्र सिंह थानाध्यक्ष, बरगदवा, गोरखपुर के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	1524–25
श्री सान्याल, अध्यक्ष, विद्युत परिषद् के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	1525–1526
कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	1526–1535
वित्तीय वर्ष 1984–85 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी) ..	1535–1546
सदन की समितियों के लिये चुनाव कार्यक्रम की सूचना	1546
वित्तीय वर्ष 1984–85 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी) ..	1546–1556
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	1556
प्रदेश के युवा छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	1557–1563
नत्थियां	1564–1571

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 1 मार्च, 1984

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्मसिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य–333

अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अकबाल हुसैन, श्री	गोंडा
अजहर इमाम, श्री	मिर्जापुर
अजीजुर्रहमान, श्री	बिजनौर
अजीत कुमार सिंह, श्री	कानपुर
अजीत सिंह सेठी, श्री	मेरठ
अनवार मुहम्मद खां, श्री	फर्रुखाबाद
अबुल कलाम, श्री	आजमगढ़
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह)	फतेहपुर
अमर सिंह, श्री	सहारनपुर
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री	बरेली
अम्बिका सिंह, श्री	बस्ती
अम्मार रिजवी, श्री	सीतापुर
अलमेलु अम्माल, कुमारी	बस्ती
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री	बरेली
आजाद कुमार कर्दम, श्री	आगरा
इन्द्रजीत, श्री	फतेहपुर
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू)	बहराइच
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री	इलाहाबाद
उदयवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री	गोंडा
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी	एटा
ऊदल, श्री	वाराणसी
ए0 सी0 ग्राइस, श्री	नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री	आगरा
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री	ललितपुर
कन्हैया लाल, श्री	मथुरा
कन्हैयालाल महेन्द्रू, श्री	लखनऊ
कमला दरियावादी, श्रीमती	कानपुर
कमला देवी, श्रीमती	हरदोई
कमला प्रसाद सिंह, श्री	जौनपुर
कमला साहनी, श्रीमती	बस्ती
कल्यान सिंह सोलंकी, श्री	बरेली
कल्लू राम रत्नाकर, श्री	मिर्जापुर
किरनपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
किशोरी शुक्ला, श्रीमती	गोरखपुर
कुंवर सिंह नेगी, श्री	चमोली
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)	हरदोई
कुबेर भण्डारी, श्री	देवरिया
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री	रायबरेली
कृष्णदत्त (उर्फ बलराज), श्री	फतेहपुर
कृष्ण मगन सिंह, श्री	बाराबंकी
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर	आगरा
केदार नाथ सिंह, श्री	गोरखपुर
केशरी प्रसाद, श्री	जौनपुर
केशोराम, श्री	बदायूं
कैलाश चन्द्र यादव (एडवोकेट), श्री	एटा
कैलाश टण्डन, श्री	वाराणसी
कैलाश प्रसाद, श्री	गोरखपुर
खरपत, श्री	वाराणसी
खान गुफरान जाहिदी, श्री	फतेहपुर
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री	मुरादाबाद
खुर्शेद अहमद, श्री	बहराइच
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री	टिहरी गढ़वाल
खैरुल बशर, श्री	आजमगढ़
खवाजा हलीम, श्री	अलीगढ़
गंगा सागर शंखवार, श्री	कानपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री	इटावा
गजेन्द्र सिंह, श्री	बाराबंकी
गया सिंह, श्री	उन्नाव
गुलाब मेहरा, श्री	आगरा
गुलाम नबी, श्री	आगरा
गेंदा देवी, श्रीमती	बस्ती
गोपीनाथ वर्मा, श्री	फैजाबाद
गोरे लाल शाक्य, श्री	इटावा
गोवर्धन तिवारी, श्री	अल्मोड़ा
गौरी देवी, श्रीमती	गोरखपुर
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	इटावा
गौरी शंकर भैय्या, श्री	बलिया
चन्दन सिंह, श्री	मथुरा

चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो०	बांदा
चन्द्र बली ब्रह्मचारी, श्री	आजमगढ़
चन्द्र भान सिंह, श्री	बांदा
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री	पौड़ी गढ़वाल
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री	लखनऊ
चेतराम गंगवार, श्री	बरेली
छेदा लाल चौधरी, श्री	खीरी
छेदी लाल, श्री	गोंडा
जंग बहादुर, श्री	जौनपुर
जगदीश नारायन, श्री	फतेहपुर
जगदीश प्रसाद, श्री	इलाहाबाद
जगदीश सिंह, श्री	शाहजहांपुर
जगदीश सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
जटा शंकर सिंह, श्री	बहराइच
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर
जफर अली नकवी, श्री	खीरी
जयदीप सिंह बरार, श्री	बरेली
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री	अल्मोड़ा
जावेद अली, श्री	मथुरा
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
जितेन्द्र शाह, श्री	जालौन
जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती' श्री	फैजाबाद
जैराज गौतम, श्री	सुल्तानपुर
तपेश्वर, श्री	आजमगढ़
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री	खीरी
तेजबहादुर सिंह, श्री	जौनपुर
दयाल कृष्ण, श्री	मथुरा
दलजीत सिंह, श्री	रामपुर
दामोदर शर्मा, श्री	मेरठ
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	बस्ती
दीनानाथ, श्री	बस्ती
दीपककुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
दीप नारायण वन महन्थ, श्री	गोंडा
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री	आजमगढ़
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
देवी प्रसाद, श्री	बहराइच
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री	कानपुर
द्वारिका नाथ धवन, श्री	देहरादून
धनीराम वर्मा, श्री	इटावा
धनेश्वरी देवी, श्रीमती	वाराणसी
धरमपाल, श्री	बहराइच
धर्मपाल सिंह, डा०	अलीगढ़
धर्मवीर सिंह, श्री	मेरठ
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री	मुजफ्फरनगर

धर्म सिंह, श्री	बुलन्दशहर
ध्रुव प्रसाद राय, श्री	देवरिया
नत्थू लाल, श्री	हरदोई
नन्द किशोर सिंह, श्री	देवरिया
नन्द राम, श्री	बरेली
नरेन्द्र सिंह, श्री	मेरठ
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री	पौड़ी गढ़वाल
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री	पिथौरागढ़
नियाज हसन खां, श्री	प्रतापगढ़
नौनिहाल सिंह चौधरी	इलाहाबाद
पंचानन राय, श्री	आजमगढ़
पन्ने लाल, श्री	गोरखपुर
परमाई लाल, श्री	हरदोई
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री	बस्ती
परागी लाल चौधरी, श्री	सीतापुर
पहलवान, श्री	जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती	बाराबंकी
पुष्पा चौहान, श्रीमती	अलीगढ़
पूरन चन्द्र, श्री	अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री	हमीरपुर
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री	प्रतापगढ़
प्रभू नारायण सिंह, श्री	जौनपुर
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रेमवती, श्रीमती	बदायूं
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती	लखनऊ
फखरे आलम, श्री	बदायूं
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री	गोरखपुर
बंशीधर, श्री	रामपुर
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बच्चा पाठक, श्री	बलिया
बनवारी राम, श्री	वाराणसी
बब्बन सिंह, श्री	बलिया
बलबीर सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी
बाबू राम, श्री	पीलीभीत
बाबू लाल, श्री	गोंडा
बाबू लाल, श्री	हमीरपुर
बाबू सिंह, श्री	अलीगढ़
बिहारी लाल, श्री	नैनीताल
बिहारी लाल दोहरे, श्री	फर्रुखाबाद
बृज किशोर मिश्र, डाक्टर	देवरिया
बेनी बाई, श्रीमती	झांसी
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री	इलाहाबाद
भगवती सिंह विशारद, श्री	उन्नाव
भगवानदीन कुशवाहा, श्री	कानपुर

भागीरथ, श्री	झांसी
भीखा लाल, श्री	उन्नाव
भूधर नारायण मिश्र, श्री	फतेहपुर
भूप सिंह केन, श्री	गाजियाबाद
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री	गोरखपुर
भोला पाण्डेय, श्री	बलिया
मण्डलेवर सिंह, श्री	आगरा
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
मन्जूर अहमद, श्री	मेरठ
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज)	गोंडा
महावीर सिंह, श्री	सहारनपुर
महारानी दोहरे, श्रीमती	इटावा
महेश उपाध्याय, श्री	आगरा
महेश चन्द्र, श्री	मेरठ
महेश प्रसाद, श्री	देवरिया
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री	वाराणसी
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
माधव प्रसाद, श्री	फैजाबाद
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री	एटा
मान बहादुर, श्री	गोंडा
मित्रसेन, श्री	फैजाबाद
मीर मजहर अली, श्री	बदायूं
मुख्तार अनीस, श्री	सीतापुर
मुरलीधर मुनीम, श्री	गोंडा
मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मेंहदी असगर, श्री	मुजफ्फरनगर
मोती लाल देहलवी, श्री	कानपुर
मोहन लाल, श्री	हमीरपुर
मोहन सिंह, श्री	देवरिया
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री	बदायूं
मोहम्मद उमर, डाक्टर	गोंडा
मोहम्मद नबी, श्री	बस्ती
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री	लखनऊ
मोहम्मद सफी उर्रहमान अंसारी, श्री	वाराणसी
यदुनाथ सिंह, श्री	मिर्जापुर
यमुना प्रसाद, श्री	बाराबंकी
यशपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर	सहारनपुर
योगेश चन्द्र, श्री	फर्रुखाबाद
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री	वाराणसी
रघुबीर सिंह यादव, श्री	गोंडा
रणजीत सिंह जूदेव, श्री	मैनपुरी
रमाकान्त मिश्रा, श्री	झांसी
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री	इलाहाबाद
रवीन्द्र, श्री	आजमगढ़
राज किशोर राव, श्री	बहराइच
राज कुमार राय, श्री	आजमगढ़
राजपति देवी, श्रीमती	सुलतानपुर
राज पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
राज मंगल पाँडेय, श्री	देवरिया
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री	झांसी
राजेन्द्र कुमार गुप्त,श्री	सीतापुर
राजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
राजेन्द्र सिंह, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
राधेश्याम पटेल, श्री	इलाहाबाद
राधेश्याम वर्मा, श्री	फर्रुखाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री	बस्ती
राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री	हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री	हरदोई
राम करन, श्री	वाराणसी
राम कुंवर सिंह, श्री	आजमगढ़
राम कुमार भार्गव, श्री	सीतापुर
राम कृष्ण उपाध्याय, डा0	जौनपुर
राम गोविन्द, श्री	बलिया
राम चन्द्र, श्री	वाराणसी
राम चरण सिंह, श्री	मिर्जापुर
रामजी राम, श्री	फैजाबाद
रामधनी, श्री	गाजीपुर
राम नारायण पाठक, श्री	कानपुर
राम नारायण सिंह, श्री (एडवोकेट)	गाजीपुर
राम पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
राम प्यारे पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
राम प्रसाद, श्री	मुजफ्फरनगर
राम प्रसाद, श्री	जालौन
राम भजन लाल, श्री	खीरी
राम लाल, श्री	सीतापुर
राम शिरोमणि, श्री	जौनपुर
राम समुझावन, श्री	जौनपुर
राम सागर, श्री	बाराबंकी
राम सिंह, श्री	सहारनपुर
राम सिंह, श्री	सुल्तानपुर
राम सिंह खन्ना, श्री	बरेली
रामस्वरूप निम, श्री	सहारनपुर
रामस्वरूप वर्मा, श्री	कानपुर
राम हर्ष मिश्र, श्री	बहराइच
राम हर्ष राय, श्री	गाजीपुर
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री	बरेली

रामेश्वर प्रसाद, श्री	बाँदा
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री	बाराबंकी
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रियासत हुसैन, श्री	मुरादाबाद
रुद्र प्रताप सिंह, श्री	देवरिया
रूल्हा सिंह, श्री	सहारनपुर
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)	इलाहाबाद
लटूरी सिंह, श्री	एटा
लल्लू सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
लाल प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
लालसा, श्री	आजमगढ़
लोकपति, श्री	मिर्जापुर
लोकमणि शर्मा, श्री	मथुरा
विजय कुमार, श्री	लखनऊ
विजय पाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
विजय शंकर सिंह, श्री	गाजीपुर
विजय सिंह, श्री	मिर्जापुर
विजय सिंह राना, श्री	आगरा
विद्यासागर नौटियाल, श्री	टिहरी गढ़वाल
विनोद कुमार तिवारी, डा०	पीलीभीत
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विलायती राम कत्याल, श्री	कानपुर
विशन लाल, श्री	बिजनौर
विश्वनाथ, श्री	देवरिया
विश्राम दास, श्री	इलाहाबाद
विष्णु दयाल वर्मा, श्री	मैनपुरी
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री	सीतापुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर	गाजियाबाद
वृद्धि नारायण सिंह, श्री	वाराणसी
शंकर सिंह, श्री	जालौन
शम्भूनाथ, श्री	आजमगढ़
शरीयतुल्ला, श्री	मुरादाबाद
शिरोमणि, श्री	बाँदा
शिव दर्शन, श्री	रायबरेली
शिव नरेश, श्री	बाँदा
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री	नैनीताल
शिवपाल सिंह, श्री	उन्नाव
शिव मंगल सिंह, श्री	मैनपुरी
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर	पौड़ी गढ़वाल
शौनाथ सिंह, श्री	बिजनौर
श्याम नारायण तिवारी, श्री	गोरखपुर
श्याम लाल बाजपेयी, श्री	बाराबंकी
श्याम सिंह, श्री	बिजनौर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रीकृष्ण गोयल, श्री	बदायूं
श्रीनाथ सिंह, श्री	वाराणसी
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
सच्चिदानन्द, श्री	उन्नाव
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री	इलाहाबाद
सत्यपाल सिंह, श्री	शाहजहाँपुर
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री	नैनीताल
सन्त बख्श रावत, श्री	लखनऊ
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री	प्रतापगढ़
सरदार सिंह, श्री	मथुरा
साहब सिंह, श्री	गाजीपुर
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री	शाहजहाँपुर
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
सुन्दर सिंह, श्री	बहराइच
सुमन लता, श्रीमती	कानपुर
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी)	गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री	बस्ती
सुरेन्द्र सिंह, श्री	गाजीपुर
सुल्तान सिंह, श्री	मुरादाबाद
सूबेदार सिंह, श्री	मैनपुरी
सोमाँश प्रकाश, श्री	मुजफ्फरनगर
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती	लखनऊ
स्वामी नेमपाल, श्री	बुलन्दशहर
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री	हमीरपुर
हंसराज सिंह वर्मा, श्री	एटा
हर गोविन्द वर्मा, श्री	सीतापुर
हरदेव, श्री	बलिया
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री	बाँदा
हरिद्वार पाण्डेय, श्री	गोरखपुर
हरि प्रसाद कुरील, श्री	उन्नाव
हरिवंश सहाय, श्री	देवरिया
हरि सिंह, श्री	बुलन्दशहर
हरीकिशन श्रीवास्तव, श्री	कानपुर
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री	मुरादाबाद
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

नोट—पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास राज्य मन्त्री श्री राम सजीवन सिंह तथा नगर विकास एवं आवास राज्य मंत्री श्री अरुण कुमार सिंह भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

वृहस्पतिवार, 1 मार्च, 1984 ई0

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

इलाहाबाद जिले की शहरी भूमि हदबन्दी विभाग की गायब की गयी कथित पत्रावलियां

***1—श्री कुंवर सिंह नेगी—**

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद जिले की शहरी भूमि हदबन्दी विभाग की तीन सौ से अधिक फाइलें गायब होने का मामला दिसम्बर, 1983 में प्रकाश में आया है? यदि हां, तो इसमें क्या कार्यवाही की गई है?

नगर विकास एवं आवास राज्य मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)—

दिसम्बर, 1983 में कतिपय समाचार पत्रों में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ था कि इलाहाबाद जिले की शहरी भूमि हदबन्दी विभाग की तीन सौ से अधिक पत्रावलियां गायब हैं। इस सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमारोपण, इलाहाबाद से जानकारी करने पर विदित हुआ है कि यह समाचार निराधार है और उनके कार्यालय की कोई पत्रावली गायब नहीं है।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि इलाहाबाद जिले में जो प्रभावशाली लोग हैं, उन्होंने सीलिंग की जमीन काफी मात्रा में हड़प ली है, उसके सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं हो पाया है। इसके बारे में जनवरी, 1984 में इलाहाबाद में जनता पार्टी के कार्यकर्त्ताओं ने एक ज्ञापन सरकार को दिया था, उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं। आप दूसरा सवाल कर लें।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मैं जानना चाहता हूं कि इलाहाबाद में सीलिंग की जमीन अनधिकृत रूप से हड़पने के बारे में वहां के कुछ लोगों का ज्ञापन आपको प्राप्त हुआ है और उसके बाद अखबार में यह दिया गया कि उससे संबंधित फाइलें गायब हो गई हैं, क्या यह सही है?

(माइक एवं टेबुल पर रखे दोनों स्पीकर्स खराब होने के कारण कुछ भी स्पष्ट नहीं सुनाई पड़ा)

श्री अध्यक्ष—

आप माइक पर बोलें।

श्री अरुण कुमार सिंह—

जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, कोई फाइल गायब नहीं हुई है।

श्री मीखा लाल—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में कोई भूमि हदबन्दी से अतिरिक्त घोषित की गई? यदि हां, तो वह कितनी भूमि है?

श्री अरुण कुमार सिंह—

इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

मान्यवर, अभी एक मामला यह सामने आया था कि लखनऊ नगर महापालिका की इस सम्बन्ध में 8 फाइलें गायब हो गई थीं। हमने नियम 300 की सूचना भी इसके बारे में दी। बाराबंकी

में 200 फाइलें गायब हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि सन् 1980 से लेकर आज 1 मार्च, 1984 तक भूमि सीमा आरोपण विभाग के अन्तर्गत जो फाइलें गायब हुई हैं, उसके उदाहरण प्रदेश के अन्दर और किन-किन विभागों में मिले हैं? भविष्य में अधिकारी कोई इस तरह का काम न करें, उसके लिये आपने क्या कार्यवाही की है?

श्री अध्यक्ष--
मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री पंचानन राय--
मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भूमि हदबन्दी विभाग की फाइलों के गायब होने के संबंध में खबर किन अखबारों में छपी और किस अधिकारी ने उसकी जांच की?

श्री अरुण कुमार सिंह--
एक तो "दैनिक हिन्दुस्तान" और दूसरा "दैनिक जागरण" में छपी थी, जिसकी जांच निदेशक, नगर भूमि सीमा रोपण, इलाहाबाद से कराई गयी और कोई फाइल गायब नहीं पायी गयी।

श्री इलास लाल वाजपेयी--
मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि 800 से ऊपर लखनऊ में फाइलें गायब हैं, तीन सौ फाइलें इलाहाबाद में गायब हैं और दो सौ बनारस में गायब हैं, तो इस तरह से फाइलें गायब हो रही हैं, तो क्या सरकार ने कोई ऐसा विशेष दस्ता बनाया है जिससे प्रभावी जांच हो सके, तो क्या वह कोई ऐसा उदाहरण पेश करेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही हो सके या कोई कार्यवाही अब तक की गयी?

श्री अरुण कुमार सिंह--
आवश्यकता होगी तो कार्यवाही की जायेगी।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--
माननीय मंत्री जी ने कहा कि कोई फाइल गायब नहीं हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि दिसम्बर, 83 तक इलाहाबाद में कितनी फाइलें अनिस्तारित पड़ी हैं?

श्री अरुण कुमार सिंह--
इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री रियासत हुसैन--
यह अर्बन सीलिंग के संबंध में लगातार फाइलें गायब हो रही हैं, भले ही तीन सौ न हों उससे कम हों, तो क्या इस चीज को रोकने के लिये कोई स्पेशल दस्ता बनाने पर विचार करेंगे?

श्री अरुण कुमार सिंह--
विभागीय जांच के बाद कोई जरूरत पड़ेगी प्रभावी तो कदम उठाया जायेगा।

श्री कैलाश टण्डन--
मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शासन ने इन शहरों में सीलिंग के संबंध में अधिवक्ता नियुक्त कर रखे हैं क्या उन्होंने शासन को लिखकर दिया है कि फाइलें उपलब्ध नहीं हैं?

श्री अरुण कुमार सिंह--
ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

जिला अस्पताल मथुरा में दवाइयों के स्टोर में अग्निकाण्ड

**2---श्री सरदार सिंह एवं श्री रामस्वरूप निम---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 23 जनवरी, 1984 को जिला अस्पताल, मथुरा के दवाइयों के स्टोर में भयंकर अग्निकाण्ड हुआ था, जिसमें लाखों रुपये की दवाई जल गयी तथा इमारत को भी नुकसान हुआ था ? यदि हां, तो आग लगने के क्या कारण हैं ? कितनी-कितनी धनराशि की दवाइयां नष्ट हो गयीं तथा इसके लिए कौन-कौन लोग जिम्मेदार हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री हरि सिंह)---

दिनांक 23-1-84 को प्रातः करीब 10-30 बजे जिला अस्पताल, मथुरा के दवाइयों के स्टोर में आकस्मिक अग्निकांड हुआ था जिसमें दवायें व इमारत को क्षति पहुंची। दवाओं के स्टोर में मरम्मत कार्य चल रहा था। बिजली के अभाव में पेट्रोमैक्स का प्रयोग किया गया था। स्टोर में रखी गई ईथर की पेटियां अचानक लुढ़कने के कारण उसमें रखी हुई ईथर की बोतल पेट्रोमैक्स के पास गिर कर फट गयी जिससे आग लग गयी। समस्त स्टाक बुकें विवेचन अधिकारी द्वारा दिनांक 23-1-84 को कब्जे में ले ली गयी हैं। अतः हुई क्षति का सही मूल्य बताना संभव नहीं है। इस अग्नि प्रकरण की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है और जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही उत्तरदायित्व ठहराया जा सकेगा। औषधि भण्डार में हुए अग्निकांड की प्रारम्भिक जांच मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मथुरा द्वारा की गयी तथा लापरवाही बरतने के कारण औषधि भण्डार के इन्चार्ज, फार्मासिस्ट एवं वार्डब्वाय के स्थानान्तरण कर दिये गये हैं।

श्री सरदार सिंह---

मान्यवर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब अस्पताल में जेनरेटर था और बिजली नहीं थी, तो स्टोर रूम में पेट्रोमैक्स क्यों जलाया गया ? दूसरी बात कुछ दिन पहले स्टोर रूम में क्या दवाईयों की चोरी हो गयी थी, जबकि आडिट टीम वहां गयी हुई थी ?

श्री हरि सिंह---

मान्यवर, जेनरेटर के रहते हुये भी पेट्रोमैक्स इस्तेमाल किया जाता है। उसकी चूंकि आवश्यकता थी, इसलिये वह इस्तेमाल किया गया।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि क्या वहां कोई जेनरेटर था कि नहीं ?

श्री हरि सिंह---

मान्यवर, इसकी जानकारी नहीं है।

श्री सरदार सिंह---

मान्यवर, वहां जेनरेटर था। वहां एक सप्ताह पहले चोरी हो गयी थी, वहां आडिट टीम गयी थी, इसलिये आग जानबूझ कर लगायी गयी, जिससे दवाइयां जल गयीं, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वहां चूंकि दवाइयों का अभाव है और जो दवाइयां दी जा रही हैं, वह खराब या इक्सपायरी डेट की हैं, इसलिये क्या अविलम्ब वहां अच्छी दवाइयां पहुंचाने की कृपा करेंगे ?

श्री हरि सिंह---

मान्यवर, वहां खराब दवाइयां नहीं दी जा रही हैं, बल्कि वहां दवाइयों की पूर्ति की जा रही है और दवाइयों का कोई अभाव नहीं है एवं अच्छी दवाइयां वहां दी जा रही हैं।

श्री चन्दन सिंह---

अध्यक्ष महोदय, मेरी निश्चित जानकारी है कि अस्पताल में 8 दिन पहले चोरी हो गयी थी, जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज की गयी। इससे एक साल पहले अस्पताल में चोरी हुई और उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मान्यवर, यह चोरी बड़े नाटकीय ढंग से की गयी, चूंकि एक महीने

की फार्मेसिस्टों की हड़ताल के समय स्टोर में ताला बन्द करके छत पर दवाइयां पहुंचायी गयीं और फिर उनकी चोरी की गयी, लेकिन आज तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं की गयी और उसके बाद नाटकीय ढंग से आग लगायी गयी और चोरी की रिपोर्ट लिखाई गयी। वहां आडिट करने के लिये आडिट पार्टी गयी थी, जो प्राइवेट वार्ड में ठहरी थी और जब वह आडिट करने जा रहे थे, तो उससे पहले बड़े नाटकीय ढंग से आग लगा दी गयी, चूंकि रेकार्ड भस्म कर दिये जायं। इसलिये क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उसमें कौन-कौन दोषी पाये गये और उनको क्या दंड दिया गया?

दूसरे आग से दवाईयों की कितने रुपये की क्षति हुयी है और इसकी क्या मंत्री जी न्यायिक जांच या सी0 आई0 डी0 से जांच करायेंगे?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)---

मान्यवर, मा0 सदस्य ने जो बात कही, वह उनके अपने विचार से हो सकती है, जिससे मैं सहमत हूं, लेकिन यह अवश्य है कि जिस स्टोर रूम में ईथर रखा था, उसमें पेट्रोमेक्स का प्रयोग करना गलत है और इसे प्रयोग करने वालों को सजा दी गयी, उनका स्थानान्तरण कर दिया गया।

(व्यवधान) और जांच हो रही है जांच हो जाने के बाद ..... (व्यवधान) या तो आप बोल लें या मैं बोलूं। तो जांच होने के बाद यदि कोई दोषी पाया गया, तो उसके खिलाफ और कार्यवाही होगी। इतना अवश्य है कि वहां पर पेट्रोमैक्स क्यों लाया गया, इस पर माननीय सदस्य ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, तो इसे भी सामने रख कर इसके संबंध में भी जांच की जायगी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, अंशतः उन्होंने आरोप को स्वीकार कर लिया है और जब स्वीकार कर लिया है, तो फिर सारे मामले में सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच कराने में उन्हें क्या कठिनाई है? चूंकि यह विभागीय मामला है और न्याय की दृष्टि से यह उचित है कि निष्पक्ष जांच करायी जाए, तो क्या मंत्री जी इस मामले की सी0 आई0 डी0 से जांच करायेंगे?

श्री लोकपति---

श्रीमन्, क्षमा करेंगे, सी0 आई0 डी0 को जांच देने से विधान सभा की समाप्ति है, फिर बीच में रिपोर्ट आने वाली नहीं है। बहुत ही आवश्यक होगा तो हम कर देंगे।

श्री सरदार सिंह---

मंत्री जी ने कर्मचारियों के स्थानान्तरण की बात कही है, परन्तु यह कोई सजा नहीं है वहां पर ईथर की बोतल खुली पाई गई, इससे ऐसा मालूम पड़ता है कि इसमें उच्चाधिकारियों का हाथ है, तो क्या मंत्री जी उच्चाधिकारियों का भी तुरन्त स्थानान्तरण करने की कृपा करेंगे, क्योंकि वह जांच को प्रभावित करेंगे और लोकल पुलिस ही उसकी जांच कर रही है? और इसकी जांच सी0 आई0 डी0 से या न्यायिक जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री लोकपति---

श्रीमन्, मैं शासन के उच्चाधिकारियों से उसकी जांच करा लूंगा।

श्री हुकुम सिंह---

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले की कोई प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आपको मिली है और क्या उसमें किसी अधिकारी को दोषी ठहराया गया है? यदि हां, तो वह अधिकारी कौन है?

श्री लोकपति---

जांच रिपोर्ट पहले आई है, उसमें यह है कि उसका रिपेयर हो रहा था, चिकित्सालय के जिस कक्ष में दवाएं भी रखी थीं, वहीं ईथर भी रखा हुआ था। उस कक्ष में पेट्रोमैक्स का प्रयोग हुआ। यही संदेहात्मक है कि जिस कमरे में ईथर रखा था, उसमें पेट्रोमैक्स जलाया गया, इसकी उच्चस्तरीय जांच शासन द्वारा होगी।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1--श्री कुंवर सिंह नेगी--

[दिनांक 23-2-1984 को तारांकित प्रश्न संख्या 6 द्वारा उत्तरित]

*2--श्री सरदार सिंह--

[दिनांक 21-2-84 को तारांकित प्रश्न संख्या 2 द्वारा उत्तरित]

[दिनांक 1 मार्च, 1984 ई0 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित]

बस्ती जिले के टाउन एरिया बढ़नी एवं शोहरतगढ़ में मिट्टी की तेल की दुकानें

*2--श्रीमती कमला साहनी--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के बढ़नी शोहरतगढ़ में, नेपाल सीमा के 4 कि0 मी0 के अन्तर पर मिट्टी का तेल, चीनी और राशन की कितनी दुकानें कार्य कर रही हैं? क्या यह सही है कि दुकानें 4 कि0 मी0 के अन्तर पर न होकर सभी सीमा के 1/2 कि0 मी0 के अन्दर स्थित हैं? यदि हां, तो शासनादेश का उल्लंघन करवाने के लिये कौन उत्तरदायी है, और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री (श्री जैराज गौतम)--

बस्ती जनपद की टाउन एरिया बढ़नी में छः उचित दर की दुकानें व 13 मिट्टी तेल की दुकानें तथा शोहरतगढ़ टाउन एरिया में 1 उचित दर की दुकान व 9 मिट्टी तेल की दुकानें कार्यरत हैं। बढ़नी टाउन एरिया नेपाल सीमा से 1/2 कि0 मी0 तथा शोहरतगढ़ लगभग 15 कि0 मी0 की दूरी पर स्थित है।

ऐसा कोई शासनादेश नहीं है कि उपरोक्त परिधि में उचित दर तथा मिट्टी तेल की दुकानें न खोली जाय। अतएव किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती कमला साहनी--

जो जवाब मिला है, उस पर मुझे एतराज है, क्योंकि बढ़नी टाउन एरिया आधा किलोमीटर पर नहीं है, भारत और नैपाल की सीमा के बीच जो नो-मैंस-लैण्ड है, उस पर है, मुश्किल से 50 कदम की दूरी भी नहीं है, बिलकुल बार्डर से सटा हुआ है।

मैं यह जानना चाहती हूं कि जबकि वहां की आबादी इतनी नहीं है, तो इतनी ज्यादा दूकानें खोलने की वहां पर क्या आवश्यकता पड़ी?

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)--

जिलाधिकारियों द्वारा आवश्यकता के अनुसार ही खोली गयी हैं।

श्रीमती कमला साहनी--

क्या मंत्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे कि वहां टाउन एरिया की आबादी को ध्यान में रखते हुए, जो दूकानें खोली गयी हैं, उनकी संख्या ज्यादा है, इसकी जांच करवायेंगे?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जांच करवा ली जायगी।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय---

मान्यवर, बड़नी टाउन एरिया नेपाल बार्डर पर ही है और इन दूकानों से तमाम तेल मिट्टी का नेपाल जाता है और इसीलिये वहां पर इतनी अधिक दूकानें हैं यह मेरी निश्चित जानकारी है कि यह तेल ब्लैक में बिक कर नेपाल जाता है, क्या इसकी जानकारी सरकार को है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

इसकी जानकारी नहीं है।

अल्मोड़ा जिले की मानिला देवी एवं भवानी देवी ग्राम समूह पेयजल योजना

*3--श्री जसवन्त सिंह विष्ट---

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मानिला देवी ग्राम समूह पेयजल योजना तथा भवानी देवी ग्राम समूह पेयजल योजना, तहसील रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ होगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह---

मानिला देवी ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 75 ग्रामों की योजनायें बना ली गई हैं व इन ग्रामों पर कार्य आरम्भ कर दिया है। शेष ग्रामों की योजनाओं पर भी कार्य 1984-85 के मध्य में आरम्भ कर दिया जायेगा।

भवानी देवी ग्राम समूह पेयजल योजना का निर्माण कार्य भी वर्ष 1984-85 के मध्य से आरम्भ होने की आशा है।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट---

मैं यह जानना चाहता हूं कि मानिला देवी ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत जिन 75 ग्रामों को लिया गया है क्या वहां पर पेयजल लोगों को मिल रहा है?

(व्यवधान)

(कुछ सदस्यों द्वारा मंत्रियों से बात करने पर)

श्री अध्यक्ष---

अगर माननीय सदस्य माननीय मंत्री जी से बात करना चाहते हैं, तो वे उनके पास कृपया खड़े होकर बात न किया करें।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट---

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हुं कि जो उत्तर उन्होंने दिया है, उसमें कहा है कि 75 ग्रामों में योजनाएं बना ली गयी हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि कार्य आरम्भ किया गया है, तो किसको सत्य माना जाय, जो माननीय मंत्री जी ने बताया है कि 75 ग्रामों में पेयजल योजना बना ली हैं, तो क्या पेयजल योजना से पानी मिल रहा है?

श्री अरुण कुमार सिंह---

मान्यवर, इस योजना में लगभग 100 ग्रामों को लिया गया था, जिसके अन्तर्गत 75 ग्रामों की योजनाएं तेयार की गयी हैं। मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो इच्छा व्यक्त की है, तो इस योजना के पहले चरण में डिजाइन वगैरह में परिवर्तन आया, जिसके कारण पेयजल की दर 70 एल0पी0 सी0डी0 से घटाकर 40 एल0पी0सी0डी0 कर दी गयी है। पानी की जो उपलब्धता सीमा है, उस आधार पर कार्य हो रहा है।

श्री बिहारी लाल---

मैं जानना चाहता हूं, मंत्री जी ने बताया कि योजनाओं पर कार्य हो रहा है, तो कितनी योजनाओं पर कार्य चल रहा है और कितनी योजनाएं ऐसी हैं, जहां पर पानी उपलब्ध हो गया है? मेरी जानकारी है कि जो योजनाएं आप बना रहे हैं, वहां पानी उपलब्ध नहीं है। पानी नहीं आ रहा है।

श्री अरुण कुमार सिंह---

मान्यवर, जैसा मैंने निवेदन किया 75 ग्रामों की योजनायें बना ली गयी हैं। नयी डिजाइन के आधार पर इनका निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है ?

श्री बिहारी लाल---

माननीय मंत्री जी उत्तर सही नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठें।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट---

मान्यवर, कितनी पेयजल योजनाओं की बात आपने कही है, यह कौन सी योजनायें हैं, लिफ्ट योजनायें हैं या अन्य कोई योजनायें हैं। यह कब से लागू की गयी हैं और कब तक पूरी हो जायंगी ?

श्री अरुण कुमार सिंह---

मान्यवर, यह मैंने पहले ही निवेदन किया है कि मार्च 84-85 तक पूरी हो जायंगी। इनके तहत काम चल रहा है ?

चमोली जिले में जड़ी बूटियों का भण्डार एवं विचाराधीन फैक्टरी का निर्माण

*4---श्री कुंवर सिंह नेगी---

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में जड़ी बूटियों एवं वन औषधियों का अतुल भंडार है, परन्तु इन पर आधारित कोई फैक्ट्री नहीं है ? यदि हां, तो जनपद चमोली में सहकारिता विभाग द्वारा इस प्रकार की फैक्ट्री लगाने का विचार है ? यदि नहीं तो क्यों ?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री बच्चा पाठक)---

जी हां। गढ़वाल मंडल के चमोली सहित किसी उचित स्थान पर फैक्ट्री की स्थापना करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

श्री कुंवर सिंह नेगी---

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप, जो फैक्टरी लगाने जा रहे हैं, उसका परीक्षण करवाया होगा। माननीय मंत्री जी, बताने का कष्ट करेंगे कि किस अधिकारी द्वारा परीक्षण करवाया गया है ?

श्री बच्चा पाठक---

मान्यवर, वहां पर पर्वतीय भेषज सहकारी विकास एवं क्रय-विक्रय संघ है, जिसके माध्यम से वहां पर कार्य कराया जा रहा है।

(श्री राम औतार दीक्षित के अध्यक्ष आसन की ओर पीठ करके खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष---

माननीय दीक्षित जी, आप लोग नियमों का पालन करें। अध्यक्ष की तरफ पीठ करके न खड़े हों।

श्री मोहन सिंह ---

मान्यवर, यह आपको पीठ दिखा रहे हैं।

श्री कुंवर सिंह नेगी---

मान्यवर, जनपद चमोली में जड़ी-बुटियों एवं वन औषधियों का अतुल भंडार है, किन्तु वहां पर कोई फैक्ट्री नहीं है। क्या सरकार सहकारिता विभाग द्वारा चमोली जिले में, औषधि निर्माण की फैक्ट्री खोलवाने की कृपा करेगी ? मान्यवर, वहां पर औषधि निर्माण की फैक्ट्री खोलने में सरकार को क्या प्राब्लम है? मान्यवर, हमारे चमोली जिले में जनता की मांग है कि वहां पर एक दवा का कारखाना अवश्य खोला जाय। मान्यवर, चमोली जिले में दवा का कारखाना खोलने में शासन को क्या कठिनाई है ?

श्री बच्चा पाठक---

मान्यवर, जैसा मैंने कहा यह शासन के विचाराधीन है। जांच चल रही है. जांच में यदि चमोली शासन के विचार में उपयुक्त होगा, तो वहां खोला जायगा।

देवरिया जिले के संयुक्त चिकित्सालय की अवधि-समाप्त दवाओं के सम्बन्ध में शिकायत

*5---श्री नन्दकिशोर सिंह---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला संयुक्त चिकित्सालय, देवरिया में दिनांक 28-9-83 को परगनाधिकारी, देवरिया सदर में छापा डालकर एक लाख रुपए मूल्य की अवधि-समाप्त दवा वितरित करते हुए बरामद की? यदि हां, तो इसमें संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी?

श्री हरि सिंह---

जिला संयुक्त चिकित्सालय, देवरिया में अवधि-समाप्त दवाइयों के वितरण किये जाने विषयक प्राप्त शिकायत पर जिलाधिकारी के निर्देश पर परगनाधिकारी, सदर, देवरिया ने दिनांक 27-9-84 को शिकायतकर्त्ता की उपस्थिति मे अस्पताल के मुख्य स्टोर में ही रखी दवाइयों की जाँच की। जांच के दौरान केवल 1072-13 रुपये मूल्य की दवायें "अवधि-समाप्त" की अलग रखी पाई गयीं। इस कार्यवाही की जिम्मेदारी निर्धारित करने हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर पाये गये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री नन्द किशोर सिंह---

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नं0-1 शिकायतकर्त्ता ने जिलाधिकारी को क्या शिकायत किया? नं0-2 मुख्य स्टोर पर भी छापा डाला गया? क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि किसने यह रिपोर्ट दी कि 1,072 रु0 की अवधि-समाप्त की दवाइयां हैं?

श्री लोकपति---

श्रीमन्, शिकायतकर्त्ता ने क्या शिकायती पत्र भेजा, वह पत्र मेरे पास नहीं है। लेकिन उसका सारांश यह था कि समय-समाप्त वाली कुछ दवाइयों को वितरित किया जा रहा है। श्रीमन्, जिलाधिकारी ने इस पर संयुक्त चिकित्सालय के गोदाम को खोलवा कर जाच करवाया। सितम्बर 1983 में जांच हुई, मार्च, 1983 की कुछ दवाइयां थीं, जिनकी कीमत ढाई सौ रुपये थी, जून, 1979 की कुछ दवाइयां थीं, जिनकी कीमत सात-आठ सौ रुपये थी और 15 सितम्बर की कुछ दवाइयां थीं, जिनकी कीमत मात्र रु0 3.70 थी। ये दवाइयां स्टोर में थीं, क्यों पड़ी रहीं, मान्यवर, इसकी जांच करा रहे हैं।

श्री नन्द किशोर सिंह---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि किस अधिकारी द्वारा इसकी जांच करा रहे हैं और जांच का आदेश किस तारीख को दिया गया?

श्री हरि सिंह---

मान्यवर, ज्वाइंट डायरेक्टर, गोरखपुर इसकी जांच कर रहे हैं।

जिला अस्पताल, फैजाबाद के स्थानान्तरण की मांग

*6---श्री निर्मल खत्री (अनुपस्थित)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला अस्पताल, फैजाबाद में स्थान की कमी को देखते हुए उसे किसी दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस हेतु रिजर्व पुलिस लाइन की भूमि को लेने के लिये कार्यवाही की जा रही है?

श्री लोकपति--

जी नहीं। फिलहाल ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है ?

श्री फूल चन्द्र, जिला आपूर्ति अधिकारी, उन्नाव की अनुसूचित जाति के कोटे पर पदोन्नति

*7—श्री तपेश्वर —

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1983 के प्रथम गुरुवार (दिनाँक 1 सितम्बर, 1983) के अता0 प्र0 सं0 84, 85 एवं 86 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जाँच किस दिनाँक को पूरी हुई थी ? क्या परीक्षण उसी दिनाँक से चल रहा है ? यदि हाँ, तो इतनी लम्बी अवधि तक परीक्षण चलाने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि श्री फूलचन्द्र, जिलापूर्ति अधिकारी को प्रोन्नति 14 जुलाई, 1977 से अनुसूचित जाति के कोटे में देकर शासनादेशों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है ? यदि हाँ, तो इस गम्भीर मामले में कौन-कौन से लोग जिम्मेदार है ? क्या शासन उनके विरुद्ध शीघ्र कानूनी कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जैराज गौतम—

प्रश्नगत जाँच, जिस के आदेश दिनाँक 22–4–78 को दिये गये थे, के क्रम में जिलाधिकारी, देवरिया की रिपोर्ट दिनाँक 7–6–78 को प्राप्त हुई। इस रिपोर्ट में जिलाधिकारी ने सूचित किया कि श्री फूलचन्द्र जाति के गोंड़ हैं परन्तु चूंकि श्री फूलचन्द्र से छुआछूत का भेदभाव नहीं है, अतः इसको अनुसूचित जाति के अन्तर्गत नहीं माना जा सकता है। परीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी से पुनः स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया, जिस पर जिलाधिकारी ने दिनाँक 3–1–84 को सूचित किया कि श्री फूलचन्द्र "कहार" जाति के हैं, जो पिछड़ी जाति में आते हैं तथा पूर्वांचल में कहार, मल्लाह, धीवर, भुर्जी, भड़भूजा आदि जाति के लोग अपनी उपजाति गोंड़ बताते हैं। उक्त रिपोर्ट से यह भी ज्ञात होता है कि गोंड़ जाति को अनुसूचित जाति का लाभ मिलने का प्रश्न माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त श्री फूल चन्द्र ने भी एक रिट याचिका संख्या 1606/1978 माननीय उच्च न्यायालय में दायर की थी, जिसके द्वारा उन्होंने अपने आपको अनुसूचित जाति का मानने तथा सभी सुसंगत लाभ दिये जाने का दावा किया, जो अभी माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय में रिट विचाराधीन होने के कारण अभी मामले में अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका है।

श्री तपेश्वर—

प्रश्न यह है कि श्री फूल चन्द्र पिछड़ी जाति का है, जब यह सिद्ध हो गया कि वह हरिजन नहीं है, तो पदोन्नति क्यों दी गयी ? सन् 83 में यह उत्तर दिया गया था कि यदि यह सिद्ध हो जायेगा कि वह हरिजन नहीं है, तो बर्खास्त कर दिया जायेगा। जब यह सिद्ध हो गया कि वह हरिजन नहीं है, तो फिर रिवर्सन के बाद पदोन्नति क्यों दी गयी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जो प्रश्न इन्होंने किया वह मेरी समझ में नहीं आया।

श्री सन्त बख्श रावत—

क्या कोई स्थगन आदेश फूल चन्द्र ने लिया है ? यदि नहीं लिया है, तो उनको निलम्बित न करने का क्या कारण है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

प्रश्न सुनने में नहीं आया।

श्री अध्यक्ष—

जब माननीय सदस्य प्रश्न कर रहे हैं उस वक्त मंत्री जी आप आपस में बात क्यों करते हैं ?

श्री सतपाल राव--
मैंने यह जानना चाहा है कि क्या उसने कोई स्थगन आदेश प्राप्त किया है कृपया बतलाने ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--
उसको स्थगन आदेश कोर्ट से मिला हुआ है। रिवर्सन गलत हुआ है, इसको स्टे मिला है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--
अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि करोल जाति जो है वह पिछड़ी जाति में आती है वह अनुसूचित जाति नहीं है और जिलाधिकारी देवरिया द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र से यह सत्य हो गया है कि वह कहार जाति के हैं, अनुसूचित जाति के नहीं हैं।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--
मान्यवर, इस बात का प्रमाण पत्र कि वह हरिजन है या नहीं, जब तक हाई कोर्ट से नहीं मिल जाता तब तक कार्यवाही नहीं की जा सकती।

श्री अध्यक्ष--
मैं प्रश्न के उत्तर से असन्तुष्ट हूं इसलिये इसे मैं प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को निर्दिष्ट करता हूं।

*8--श्री राम आसरे वर्मा--
[दिनाँक 8-9-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 38 द्वारा उत्तरित]

*9--श्रीमती गौरी देवी--
[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

नगरपालिका रुद्रपर, जिला नैनीताल स्थित गांधी पार्क में दुकानों के निर्माण की योजना।

*10--श्री जयदीप सिंह बरार--
क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका रुद्रपुर जनपद नैनीताल में स्थित गाँधी पार्क में वाणिज्यिक दुकानें बनाने की योजना नगरपालिका प्रशासक के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो क्या नगरपालिका के मास्टर प्लान एवं भूमि उपयोग के प्रतिबन्धों के विपरीत हो रही इस कार्यवाही को तुरन्त निरस्त करके नियमों के विपरीत इस कार्यवाही को प्रारम्भ करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह--
जी हाँ।
दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।
प्रश्न नहीं उठता।

श्री जयदीप सिंह बरार--
मान्यवर, मंत्री जी ने कहीं अपने उत्तर में नहीं बताया कि दुकानों की नीलामी की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई या नहीं, क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि गाँधी पार्क को पार्क ही रहने दिया जायगा, वहाँ दुकानें बनाने की अनुमति नहीं दी जायेगी ?

श्री अरुण कुमार सिंह--
जी हाँ, कार्यवाही स्थगित कर दी गयी है और जो 18 दुकानों का नीलाम हुआ था और धनराशि एडवांस ली गयी थी, वह वापस कर दी गयी है।

श्री अध्यक्ष
रिपोर्टर्स की मेज के स्पीकर खराब हैं, उन्हें सुनायी नहीं दे रहा है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि दोषी अधिकारी कौन-कौन है। तत्कालीन परगनाधिकारी ने अनुमति दी थी, तो परगनाधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ? और क्या निकट भविष्य में कार्यवाही करने की घोषणा करेंगे ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

मान्यवर, दोषी अधिकारी तत्कालीन अधिशासी अधिकारी, श्री ओ0 पी0 श्रीवास्तव थे और दूसरे अधिकारी श्री रावत थे, इन दोनों अधिकारियों के विरुद्ध आदेश जारी कर दिये गये हैं।

श्री बिहारी लाल--

सुनाई नहीं पड़ा।

श्री अरुण कुमार सिंह--

कार्यवाही चल रही है।

श्री जयदीप सिंह वरार--

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता था कि क्या नीलामी की कार्यवाही स्थगित हो गयी है। माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि नीलामी पूर्णतया स्थगित करके पार्क ही बने रहने देना सुनिश्चित करेंगे ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

जी हाँ, पार्क ही रहेगा।

महिला संयुक्त चिकित्सालय, उन्नाव में डाक्टरों की लापरवाही से ग्राम कुरेमऊ की श्रीमती शिव प्यारी की मृत्यु

*11--श्री भीखा लाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री बमशंकर गुप्ता, निवासी ग्राम कुरेमऊ, पो0 रसूलाबाद, जिला उन्नाव का प्रार्थना-पत्र दि0 21-9-83 प्रश्नकर्त्ता के पत्र दि0 21-9-83 के साथ मुख्य मन्त्री को प्राप्त हुआ है जिसमें यह शिकायत की गयी है कि अधीक्षिका, महिला संयुक्त चिकित्सालय, उन्नाव डा0 श्रीमती आशा गुप्ता के उपेक्षापूर्ण रवैये से श्री शिव प्यारी, पत्नी श्री बमशंकर गुप्ता का देहान्त हो गया और इसी प्रकार की अन्य घटनायें भी इसके पूर्व हो चुकी थीं और इस मामले में सी0आई0डी0 द्वारा जाँच की गयी थी ? यदि हाँ, तो क्या जाँच कराई गयी और जांच का क्या परिणाम निकला ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरि सिंह--

जी हाँ, शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ। प्रश्नगत मामले में राज्य परिवार कल्याण अधिकारी द्वारा जाँच की गयी थी जिसके आधार पर दोषी पाए गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दंडित करने के आदेश निर्गत किए गये हैं ?

श्री भीखा लाल--

क्या माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कौन से वह अधिकारी एवं कर्मचारी हैं, जिनके विरुद्ध कार्यवाही के आदेश पारित किए गये हैं ?

श्री हरि सिंह--

मान्यवर, डा0 कामना तिवारी और डा0 निर्मी सूरी के विरुद्ध एडवर्स इन्ट्री हो गई है और श्रीमती विधावती श्रीवास्तव, स्वास्थ्य निरीक्षिका और श्रीमती राम जानकी (पार्ट टाइम दाई) को हटा दिया गया है।

श्री भीखा लाल---

उस महिला का एक्सरे किया गया। जिससे मालूम हुआ कि जो कापर-टी लगाई गई थी, वह अपने स्थान से हट गई थी। वहाँ की अधीक्षिका ने उसे निकालने के लिए उससे 500 रु0 रिश्वत माँगी, परन्तु उस महिला ने उन्हें रिश्वत नहीं दी, लिहाजा उसे निकालने का प्रयास नहीं किया गया। जब यह मामला सी0एम0ओ0 को रेफर किया गया, तो उन्होंने इसको कानपुर भिजवाया, जहाँ पर उसकी मौत हो गयी। क्या यह बात उनके जाँच अधिकारी के समक्ष आई थी ?

श्री लोकपति---

मान्यवर, इसकी जानकारी मुझे नहीं है कि उन्होंने 500 रु0 रिश्वत माँगी थी। यह सही है कि एक्सरे के बाद उनका दायित्व था कि जहं कापर-टी निकालतीं या ठीक करतीं, किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए वहां से स्थानान्तरित कर निलम्बित करने के आदेश दिए गये हैं।

श्री भीखा लाल---

डा0 श्रीमती आशा गुप्ता, जिनकी लापरवाही से यह मौत हुई, उन्हीं के कार्यकाल में 1982 में बाबू लाल कुरील, एडवोकेट की पत्नी का देहान्त हो गया। 1982 में श्री सत्रुहन जैसवाल, निवासी चकलौसी की पत्नी का देहान्त हो गया। 1981 में डी0एन0 वर्मा, कम्पाउन्डर की पत्नी का देहान्त हो गया और इसी 1981 में ही श्री समी अहमद भिश्ती की पत्नी का देहान्त हो गया। ये सब केसेज इसलिए हुए कि डा0 श्रीमती आशा गुप्ता को रिश्वत नहीं मिली थी। ऐसी हत्यारिणी अधीक्षिका को क्या माननीय मन्त्री जी वहाँ से ट्रांसफर कर देना ही उचित इलाज समझते हैं ?

श्री लोकपति---

मान्यवर, मैंने अनुरोध किया था उनको वहाँ से स्थानान्तरित कर निलम्बित करने के आदेश दे दिए गये हैं। साथ ही साथ उनके अन्य कृत्यों की भी जाँच की जा रही है।

कानपुर जिले की कंधी मोहाल में सीवर लाइन का पानी भरने से एक व्यक्ति की कथित मृत्यु

*12---श्री रवती रमण सिंह (अनुपस्थित)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कंधी मुहाल नगर कानपुर में पिछले वर्ष 82-83 की वर्षा में 4-4 फुट पानी भर जाने से मकान ढह जाने के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी थी, परन्तु अभी तक इस इलाके की सीवर लाइन का कार्य आरम्भ नहीं हुआ है ? क्या सरकार द्वारा इस दिशा में कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायत राज, तथा शहरी एवं नगर विकास मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव)---

कंधी मुहाल कानपुर में वर्ष 82-83 की वर्षा में पानी भर जाने के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की कोई सूचना कानपुर जल संस्थान को नहीं प्राप्त हुई।

कानपुर नगर विकास परियोजना के अन्तर्गत उक्त क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाने का प्रस्ताव है।

लखनऊ के इन्दिरानगर के विस्तार योजना में अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

*13---श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय---

क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा लखनऊ में इन्दिरा नगर विस्तार योजना में ग्राम इस्माइलगंज, पानीगाँव, मुंशीपुरवा आदि गाँवों की सैकड़ों एकड़ भूमि अधिग्रहीत करके कब्जा ले लिया गया है और पिछले 3-4 वर्षों से किसान अपनी भूमि पर खेती नहीं कर पा रहे हैं और उनको अभी तक भूमि का मुआवजा न मिलने के कारण उनमें भुखमरी की स्थिति पैदा हो गयी है ? यदि हां तो क्या सरकार सम्बन्धित गाँवों की जमीन का मुआवजा अविलम्ब देने की कृपा करेगी ?

श्री अरुण कुमार सिंह---

जी हाँ, भूमि अधिग्रहीत की गयी। ग्राम इस्माइलगंज व उसके मजरे पानीगाँव, मुंशीपुरवा के लगभग 228 व्यक्तियों में से 157 व्यक्तियों को अग्रिम प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है। ग्राम इस्माइलगंज का एवार्ड घोषित करके उनका पूरा भुगतान शीघ्र कर दिया जायगा।

श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय---

क्या माननीय मन्त्री जी को यह जानकारी है कि जो मुआवजा उनको दिया गया है, वह बहुत कम दिया जा रहा है ?

श्री अरुण कुमार सिंह---

मान्यवर, यह तो अग्रिम मुआवजा है। शेष मुआवजा बाद में दिया जायगा।

श्री मोहन सिंह---

मान्यवर, यह जो विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, उनके मुआवजे के वितरण में काफी धांधली होती है। किसानों से कमीशन लिया जाता है। माननीय मन्त्री जी से आश्वासन चाहता हूं किसानों की जो जमीन अधिग्रहित की जा रही है जो उसका मुआवजा दिया जा रहा है, यह किसानों को सही मिल सके और उसका उचित ढंग से वितरण हो सके, वह ग्राम प्रधान के समक्ष दिया जाय अर्थात् ग्राम प्रधान उस समय उपस्थित रहेगा, इसकी आप व्यवस्था करेंगे ?

श्री अरुण कुमार सिंह---

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा मान्यवर, हम लोगों का पूरा प्रयास रहता है कि जिनकी भूमि अधिग्रहीत की जाय, उसका उन लोगों को उचित मुआवजा मिल जाय। मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, अगर कहीं कोई घटना प्रकाश में लाई जायगी, तो उसको दूर किया जायगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, ऐसी जानकारी है कि कुछ लोगों को एडवांस भुगतान किया गया है, जिन्होंने उसके लिए रिश्वत दी थी। बाकी जिन्होंने रिश्वत नहीं दी, उन लोगों को भुगतान नहीं किया गया है, तो क्या इस बात की जाँच करायेंगे और क्या यह निश्चित करेंगे कि समस्त प्रभावित लोगों को पूरा भुगतान शीघ्र मिल सके ?

श्री अरुण कुमार सिंह---

मान्यवर, जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मान्यवर, इसकी बाबत प्रयास किया जा रहा है कि समस्त को मुआवजा शीघ्र मिल जाय और इसमें पूरी कार्यवाही की जा रही है।

गोरखपुर जिले के ग्राम सिरोहिया में गैस्ट्रोइन्टाइटिस में मृत्यु

*14---श्री केदार नाथ सिंह---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे क ग्राम सिहोरिया ब्लाक पिपराइच, जिला गोरखपुर में हैजे के प्रकोप में 6 (छः) व्यक्तियों की मृत्यु चिकित्सा सहायता के अभाव में सितम्बर, 83 के अन्तिम सप्ताह में हो गयी जिसकी जाँच करके मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर ने कोई रिपोर्ट दिनाँक 28-9-83 को निदेशक की सेवा में भेजी है ? यदि हाँ, तो इस लापरवाही के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं और क्या सरकार उनके विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिसिंह---

ग्राम सिहोरिया, ब्लाक पिपराइच, जिला गोरखपुर में गैस्ट्रोएन्टाइटस (हैजे से नहीं) से मृत्यु के बारे में मुख्य चिकत्साधिकारी, गोरखपुर द्वारा रिपोर्ट भेजी गयी थी ? समुचित प्रशासनिक कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपराइच, जिला गोरखपुर को निलम्बित किया गया है।

श्री केदार नाथ सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो मी0एम0 ओ0 ने 28-9-1983 को रिपोर्ट भेजी है, वह रिपोर्ट क्या है ? और दूसरे, सम्बन्धित डाक्टर को निलम्बित कब किया गया है ?

श्री हरि सिंह--

मान्यवर, सम्बन्धित डाक्टर को 3-2-1984 को निलम्बित किया गया है।

श्री केदार नाथ सिंह--

मान्यवर, मैंने यह भी जानना चाहा कि मी0एम0ओ0 की रिपोर्ट क्या है ?

श्री हरि सिंह--

मान्यवर, उनकी रिपोर्ट में मुख्य बातें इस प्रकार थीं कि जब पहले केस हुआ था और उसकी इत्तला उनको मिली थी, तो उन्हें गाँव में जाकर, वहाँ की स्थिति को देखना चाहिए था और हेड क्वार्टर में उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना देनी चाहिए थी कि यह रोग वहाँ शुरु हो गया है और जनता में त्राहि-त्राहि है। यह उन्होंने नहीं किया। इस चीज का उन्होंने खासतौर पर रिपोर्ट में उल्लेख किया है।

श्री केदार नाथ सिंह--

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया था कि हैजे के प्रकोप से 6 व्यक्तियों की मृत्यु चिकित्सा सहायता के अभाव में सितम्बर, 1983 में हो गयी ? उत्तर में मृत्यु का कारण अलग और बताया गया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि यह जो कारण बताया गया है कि यह किस रिपोर्ट के आधार पर कहा जा रहा है यह जो मी0एम0ओ0 की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हुई है, उसमें इसका उल्लेख है या बाद में इसकी बाबत कोई जाँच की गयी है उससे यह निष्कर्ष निकला कि हैजे के प्रकोप से मृत्यु नहीं हुई, अन्य कारण से हुई ?

श्री लोकपति--

मृत्यु गैस्ट्रोइन्टाइटिस से ही हुई हैं। उत्तर में भी इसका स्पष्ट उल्लेख है।

आजमगढ़ जिले की टाउन एरिया जौनपुर तथा अजमतगढ़ को स्वीकृत विशेष अनुदान

*15--श्री पंचानन राय--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में स्थित टाउन एरिया जौनपुर तथा अजमतगढ़ को विशेष अनुदान स्वीकृत किए जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनाँक 6-6-83 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

जी हाँ। पत्र में उल्लिखित धनराशि का विशेष सड़क अनुदान स्वीकृत किया जा चुका है।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि कितनी धन-राशि उपलब्ध की गयी है और इसकी किस तारीख को स्वीकृत हुई है ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

मान्यवर, इसकी स्वीकृति के बाबत 24 जनवरी, 1984 को शासन की तरफ से आदेश जारी हुआ है। इसमें 20-20 हजार की धनराशि स्वीकृत हुई है।

कानपुर में आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना का प्रस्ताव

*16--श्री भूधर नारायण मिश्र (अनुपस्थित)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर में आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना हेतु सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

वर्ष 1984-85 में कानपुर महानगर में एक 15 शैय्यायुक्त राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर, विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियन्ता श्री बी०एम० चेलानी के विरुद्ध शिकायती पत्र

*17--श्री मोहन सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर विकास प्राधिकरण में अधिशासी अभियन्ता के पद पर कार्यरत श्री बी0 एम0 चैलानी के विरुद्ध विकास प्राधिकरण, कानपुर के उपाध्यक्ष ने 3 ठेकेदारों को 7 लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान (इक्सेस पेमेन्ट) करने सम्बन्धी मामले में किसी समिति द्वारा जाँच कराकर उन्हें निलम्बित करने की संस्तुति मार्च/अप्रैल, 1983 में शासन को भेजी थी ? यदि हाँ, तो सम्पूर्ण विवरण क्या है और इस सम्बन्ध में उक्त अभियन्ता के विरुद्ध शासन ने अभी तक क्या कार्यवाही की ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

श्री बी0 एम0 चेलानी, अधिशासी अभियन्ता, कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विश्व बैंक द्वारा पोषित कानपुर नगर विकास परियोजना के ड्रेनेज कम्पोनेंन्ट के अन्तर्गत किए गये कार्य में 3 ठेकेदारों को कार्य से अधिक का भुगतान किए जाने की शिकायत उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण कानपुर ने अपने पत्र दिनाँक 12 अप्रैल, 1983 द्वारा शासन को भेजते हुए श्री चेलानी को अन्यत्र स्थानान्तरित किए जाने तथा उनके द्वारा की गयी अनियमितताओं की विधिवत् जाँच कराए जाने की संस्तुति की थी। विकास प्राधिकरण, कानपुर ने प्रश्नगत अनियमितताओं की प्रारम्भिक जाँच हेतु तीन अभियन्ताओं की एक समिति गठित की थी। उक्त समिति की रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है ।

श्री बी0एम0 चेलानी को कानपुर विकास प्राधिकरण से स्थानान्तरित कर गोरखपुर विकास प्राधिकरण में अधिशासी अभियन्ता के पद पर तैनात किए जाने हेतु आदेश निर्गत कर दिए गये हैं। उनके विरुद्ध उक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में विभागीय अनुशासनिक जाँच की कार्यवाही किए जाने हेतु शासन द्वारा निर्णय लिया जा चुका है ।

(देखिए नत्थी क' आगे पृष्ठ 1564-1565 पर)

श्री मोहन सिंह--

माननीय भारसाधक मन्त्री जी हमारे साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, जब मैं अध्यक्ष था, तो यह उपाध्यक्ष थे, इसलिए इनकी तेजस्विता से मैं परिचित हूं। पूरा उत्तर इन्होंने पढ़ लिया होता, तो सरकार की अकर्मण्यता को प्रकट करने वाला अपना उत्तर न देते। हमने कोई शिकायत नहीं की, उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण ने 9-2-83 को जाँच कमेटी बैठाई, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट की, उपाध्यक्ष ने 12 अप्रैल को ही चेलानी साहब को स्थानान्तरित करके उनके विरुद्ध आरोपों की छानबीन के लिए संस्तुति शासन को भेजी। अप्रैल में पत्र लिखने के बावजूद शासन ने आज से 10 दिन पूर्व तक श्री चेलानी को वहाँ से स्थानान्तरित नहीं किया, जिससे उनको अपनी घपलेबाजी को नियमित करने का मौका मिल सके मैं जानना चाहता हूं कि श्री चेलानी के स्थानान्तरण के आदेश शासन ने किन तारीखों में किए? आरोप सिद्ध होने के बाद कौन-कौन सी अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन है ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

मान्यवर, मैं सुन नहीं पाया ।

श्री मोहन सिंह--

मैं यह जानना चाहता हूं कि 12 अप्रैल को उक्त अधिकारी के विरुद्ध आरोपों में सत्यता पाते हुए उनके निलम्बन और स्थानान्तरण सम्बन्धी संस्तुति 12 अप्रैल को शासन को भेजी गयी, शासन ने कब उन्हें स्थानान्तरण के आदेश दिए ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

11-10-83 को दिए ।

श्री मोहन सिंह—

इसका अर्थ यह हुआ कि इतने समय में उन्होंने दुरुस्ती की कार्यवाही कर ली होगी। अब कृपया यह बताने का कष्ट करें कि कौन-कौन सी अनुशासनात्मक कार्यवाही उनके विरुद्ध विचाराधीन है और वह कब तक कर दी जायगी ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

विभागीय जाँच के आदेश 28-2-84 को हो गए थे ?

श्री मोहन सिंह—

मैं सिर्फ एक वाक्य में साफ आश्वासन चाहता हूं कि अपना उत्तर देने के कारण परसों जाँच समिति बैठा दी। उसके सामने जो टर्म्स आफ रेफरेंस जाँच के लिए दिए, उसमें कोई अवधि निर्धारित की होगी कि इतनी अवधि के भीतर अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए संस्तुति भेज देंगे ?

श्री अरुन कुमार सिंह

मान्यवर, जल्द ही कर देंगे। जून के अन्दर ही अन्दर कर देंगे।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या मा० मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस मामले में जो 17 लाख रु0 का एक्सेस पेमेन्ट हो गया है, तो यह एक प्रकार से रिश्वत ही हुआ, तो क्या माननीय मन्त्री जी रिश्वत के आरोप उक्त अभियन्ता के विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा किसी थाने में दर्ज कराए या नहीं ? यदि नहीं, तो क्या अब दर्ज कराने के आश्वासन देंगे ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

परीक्षण कराने के बाद इस सम्बन्ध में जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी निश्चित ही कराई जायगी।

श्री भीखा लाल—

मान्यवर, यह आज साउन्ड सिस्टम बहुत खराब है, जिसकी वजह से मैं देख रहा हूं कि कोई रिपोर्टर सदन की कार्यवाही सही रूप में नोट नहीं कर पा रहे हैं। मान्यवर, इसकी व्यवस्था सही करायें।

श्री अध्यक्ष—

अभी देख रहा हूं, लेकिन प्रश्नों का समय समाप्त होने दीजिए।

कानपुर के नर्सिंग महाविद्यालय के छात्रों को प्रदान की गई डिग्री

*18—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि नर्सिंग महाविद्यालय की स्थापना कानपुर में जब से की गयी है तब से आज तक कोई डिग्री किसी भी छात्रा को नहीं दी गयी ? यदि हां, तो डिग्री न देने का क्या कारण है ?

श्री हरि सिंह—

नर्सिंग महाविद्यालय से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को नियमानुसार कानपुर विश्वविद्यालय से डिग्री दी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, जब से इस नर्सिंग महाविद्यालय की स्थापना हुई है तब से ही किसी छात्रा को डिग्री नहीं दी गयी है। माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि उनको नियमानुसार कानपुर विश्वविद्यालय से डिग्री दी जाती है, तो क्या आप यह बताने का कष्ट करेंगे कि यहां जो छात्राएं उत्तीर्ण हुई हैं, उनको आप कब तक डिग्री दिलायेंगे ?

नोट:—तारांकित प्रश्न संख्या—18 श्री माता प्रसाद पान्डे की रुचि पर लिया गया है।

श्री लोकपति---

श्रीमन्, स्नातक होने के उपरान्त यह विद्यार्थियों को दायित्व है कि वह अपनी डिग्री प्राप्त करें।

श्री अध्यक्ष---

ध्वनि प्रसारण यन्त्र ठीक न होने के कारण हमारी रिपोर्ट्स ठीक से सुनाई न देने के कारण लिख नहीं पा रहे हैं इसलिए मैं 15 मिनट के लिए सदन की बैठक स्थगित करता हूं। पता चला है कि 15 मिनट में यह ठीक कर देंगे, तो उसके बाद हम फिर बैठेंगे।

(इस समय 12 बजकर 10 मिनट पर ध्वनि व्यवस्था ठीक न होने के कारण सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित हुई। 12 बजकर 25 मिनट पर मार्शल ने सदन की कार्यवाही 15 मिनट और स्थगित किए जाने की सूचना सदन को दी। तत्पश्चात् 12 बजकर 40 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

उत्तर प्रदेश जल संस्थान कर्मचारी महासंघ की मांगों पर श्रमायुक्त कानपुर द्वारा लिया गया पंच निर्णय

*19---श्री प्रियदर्शी जेतली (अनुपस्थित)---

क्या नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 1983 में जल संस्थान उ0 प्र0 महासंघ की किन्हीं मांगों पर उप श्रमायुक्त, कानपुर द्वारा कोई पंच-निर्णय दिया था? यदि हाँ, तो उक्त पंच-निर्णय क्या है और उस पर अब तक शासन ने क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त पंच-निर्णय में क्या पंच-निर्णायक ने एक यूनियन के साथ पक्षपातपूर्ण कार्य प्रबन्धकों का माना है? यदि हां, तो वह निर्णय क्या है?

श्री बलराम सिंह यादव---

अप्रैल, 1983 में उ0प्र0 जल संस्थान कर्मचारी महासंघ की किन्हीं मांगों पर उप श्रमायुक्त कानपुर द्वारा कोई पंच-निर्णय नहीं दिया गया था बल्कि कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद व लखनऊ जल संस्थान तथा झांसी, कुमायूं व गढ़वाल की क्षेत्रीय जल संस्थानों तथा उक्त महसंघ के बीच विवाद के 15 बिन्दु मध्यस्थता के लिए अतिरिक्त श्रमायुक्त, कानपुर को निर्दिष्ट किए गये थे जिन्होंने अपना निर्णय दि0 26 दिसम्बर, 1981 को दिया था।

पंच-निर्णय उ0प्र0 के गजट दिनांक 20 मार्च, 1982 के पृष्ठ 1175 से 1191 पर प्रकाशित हो चुका है इसमें अतिरिक्त श्रमायुक्त ने उक्त बिन्दुओं के विवाद के समाधान हेतु अपना निर्णय दिया है। पंच-निर्णय जल संस्थानों और उ0प्र0 जल संस्थान कर्मचारी महासंघ के बीच था और शासन को उसमें पक्ष नहीं बनाया गया था। अतः पंच-निर्णय के निर्णय पर सम्बन्धित पक्षों को स्वयं कार्यवाही करनी है, फिर भी जिन विषयों में शासन सम्बन्धित प्रतीत होती है उनके सम्बन्धमें शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पंच-निर्णायक की ऐसी किसी संस्तुति की जानकारी शासन को नहीं है।

जलनिगम विकास, प्राधिकरण शाखा, गाजियाबाद के अभियन्ताओं का निलम्बन

*20---श्री रियासत हुसैन---

क्या नगर विकास मन्त्री को ज्ञात है कि प्रथम जल निगम विकास प्राधिकरण शाखा, गाजियाबाद के 60-70 लाख के घोटाले के सम्बन्ध में अनेक अभियन्ताओं को 23-4-81 से 25-4-

81 तक निलम्बित किया गया था तथा इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के दिनांक 21-8-81 के आदेशानुसार किसी भी अभियन्ता को विकास प्राधिकरण गाजियाबाद में नहीं भेजा जाना था? क्या यह सही है कि उनकी तैनाती विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद में फिर कर दी गयी है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

प्रथम जल निगम विकास प्राधिकरण शाखा, गाजियाबाद में हुई अनियमितताओं के मामले में 4 अभियन्ताओं को अप्रैल, 81 के अन्तिम सप्ताह में निलम्बित किया गया था। गा0 इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेन्च) के आदेश दिनांक 21-8-81 में ऐसे कोई निर्देश नहीं थे कि किसी भी अभियन्ता को विकास प्राधिकरण में न भेजा जाय। जी हां, निलम्बित अभियन्ताओं में से एक अभियन्ता की तैनाती विकास प्राधिकरण में विभागीय जांच में काफी विलम्ब होने के कारण कर दी गयी थी। किन्तु उन्हें भी विकास प्राधिकरण से पैतृक विभाग में वापस करने के आदेश जारी कर दिए गये हैं।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि एक इंजीनियर के विरुद्ध डिपार्टमेंटल कार्यवाही में देरी हुई इसलिए उसे वापस कर दिया गया और बाकी जो तीन इंजीनियर बचे, उन्हें वापस क्यों नहीं किया गया और फिर उस इंजीनियर को डिपार्टमेंट इंक्वायरी होने के बाद भी आपको वापस लेना पड़ा, ऐसा क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह —

मान्यवर, जो माननीय सदस्य ने बात कही, वह हमारे उत्तर से स्पष्ट है और दूसरा प्रश्न जो माननीय सदस्य ने कहा है वह स्पष्ट नहीं है, कृपया फिर से दोहरा दें।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मेरा प्रश्न स्पष्ट है कि जब कि एक इंजीनियर के विरुद्ध डिपार्टमेंट कार्यवाही में हुई देरी के कारण उसे वापस कर दिया गया, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि बाकी जो तीन इंजीनियर थे उनको वापस क्यों नहीं किया गया, व्यवहार तो सबके साथ एक सा होना चाहिए था और बाकी तीन के बारे में आप क्या कर रहे हैं ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

मान्यवर, मैंने पहले ही अपने उत्तर में कहा था कि जाँच में विलम्ब होने के कारण उस इंजीनियर को विकास प्राधिकरण से पैतृक विभाग को वापस कर दिये जाने हेतु आदेश दे दिए गये हैं। अन्य के बारे में विचार हो रहा है।

अतारांकित प्रश्न

हरदोई जिले की साधन सहकारी समिति डमाराही के आंकिक, श्री रामावतार दीक्षित की सेवा समाप्ति एवं उनका वेतन

1—श्री राम आसरे वर्मा

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई को साधन सहकारी समिति डमरारी द्वारा दिनाँक 23-1-73 को सचिव, श्री रामावतार दीक्षित, ग्राम उमरारी की सेवा समाप्ति किये जाने का निर्णय लिया गया था ? यदि हाँ, तो क्या यह सही है कि श्री दीक्षित द्वारा उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील पर क्षेत्रीय सहायक निबन्धक, उपभोक्ता सहकारी समितियाँ, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सेवा समाप्ति के उक्त आदेश को दिनाँक 22-5-1980 को निरस्त कर दिया गया था ? यदि हां, तो मतदान कर लेने के बाद भी कार्य न करने देने का औचित्य क्या है ?

श्री बच्चा पाठक—

श्री रामावतार दीक्षित समिति के सचिव, के पद पर नियुक्त नहीं थे। वे समिति मे आकिक के पद पर नियुक्त थे और उनकी सेवायें समिति ने दिनाँक 1–2–73 को समाप्त कर दीं।

श्री दीक्षित की अपील पर क्षेत्रीय सहायक निबन्धक, उपभोक्ता सहकारी समितियाँ, लखनऊ ने अपने आदेश दिनाँक 22–5–80 द्वारा श्री दीक्षित की सेवा समाप्ति के आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें सचिव के पद पर बहाल किये जाने के आदेश दिये चूंकि श्री दीक्षित समिति मे सचिव के पद पर नियुक्त नहीं थे, अतः उन्हे सचिव के पर बहाल करने के आदेश का अनुपालन करना सम्भव नहीं था।

2—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या यह भी सही है कि उक्त श्री दीक्षित को दिनाँक जुलाई, 1973 से अब तक का वेतन भुगतान भी नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो क्यों और वेतन भुगतान कब तक करा दिया जायगा?

श्री बच्चा पाठक—

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश नगरपालिका एवं नगर महापालिका केन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों की ग्रेच्युटी एवं पेंशन नियमावली

3—श्री केदार नाथ सिह—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका एवं नगर महापालिका की केन्द्रीयित सेवा के रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन एवं ग्रेच्युटी की सुविधा दिए जाने सम्बन्धी गजट कब प्रकाशित हुआ है तथा वह कब से लागू होता है?

श्री बलराम सिह यादव—

उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयित सेवा, सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी एवं पेशन लाभ नियमावली, 1981 शासकीय गजट दिनाँक 5 सितम्बर, 1981 द्वारा प्रकाशित की गयी और प्रश्नगत नियमावली दिनाँक 5 सितम्बर, 1981 से ही प्रभावी है।

गोरखपूर नगरमहापालिका कर्मचारियों की ग्रेच्युटी एवं पेंशन

4—श्री केदारनाथ सिह—

गोरखपुर नगर महापालिका के किन किन कर्मचारियों को ग्रेच्युटी एवं पेंशन दिया जा रहा है?

श्री बलराम सिह यादव—

गोरखपुर नगरमहापालिका में पेंशन नियम अभी लागू नहीं है, जिससे महापालिका के किसी भी कर्मचारी को पेंशन अथवा ग्रेच्युटी नहीं मिलती है।

लखनऊ एवं अन्य महानगरों को बहुमंजिली इमारतों को फायर ब्रिग्रेड से सार्टिफिकेट दिये जाने की मांग

5—श्री जयदीप सिह बरार—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की राजधानी एवं महानगरों में बहुमंजिली इमारतों को नगर महापालिकाओं अथवा विकास प्राधिकरणों द्वारा कम्पलीशन सर्टिफिकेट देने और उनके अध्यासन (अक्यूपेशन) से पहले वहाँ के फायर ब्रिग्रेड से कोई सर्टिफिकेट लिया जाता है कि उन इमारतों में धुआँ और अग्निसूचक यन्त्र तथा अग्निशमन के लिए आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था कर दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिह यादव—

जी नहीं।

ऐसा प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

6—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—
[3रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 142 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

7—श्री निर्मल खत्री—
[5वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 195 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

महिला अस्पताल, भतरौजखान, जिला अल्मोड़ा में डाक्टर का रिक्त पद

8—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—
क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय चिकित्सालय, भतरौज खान, जनपद अल्मोड़ा में महिला चिकित्सक कब से नहीं है? महिला चिकित्सक के अभाव में पुरुष चिकित्सक नियुक्त करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति—
महिला अस्पताल, भतरौज खान, जनपद अल्मोड़ा में महिला डाक्टर फरवरी, 1983 से नहीं है। दिनाँक 28-11-83 को उक्त अस्पताल में महिला चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिये हैं।

पर्वतीय क्षेत्रों के ग्रामों में स्टैण्ड पोस्ट के निर्माण की मांग

9—श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—
क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में प्रत्येक 250 की जनसंख्या पर मात्र एक स्टैण्ड पोस्ट निर्मित करने का कोई क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है? यदि हाँ, तो पर्वतीय ग्रामों की भौगोलिक स्थिति और एक परिवार से दूसरे परिवार की दूरी को देखते हुए स्टैण्ड पोस्टों में वृद्धि करने पर विचार करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव—
सामान्य रूप से प्रत्येक 250 की जनसंख्या पर एक स्टैण्ड पोस्ट निर्मित करने का क्राइटेरिया निर्धारित है परन्तु पर्वतीय क्षेत्रों के ग्रामों की भौगोलिक स्थिति और एक परिवार से दूसरे परिवार की दूरी को देखते हुए जनसंख्या पर छूट दी गयी है। प्रत्येक राजस्व ग्राम को कम से कम एक स्टैण्ड पोस्ट एवं उनके प्रत्येक तोकों के लिये भी अलग से एक स्टैण्ड पोस्ट दिये जाने की नीति है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति के लिये भी अलग से स्टैण्ड पोस्ट दिये जाने के आदेश है। स्टैण्ट पोस्ट की सुविधा इस प्रकार दी जाती है कि यथा संभव किसी परिवार को 100 मीटर से अधिक, पानी प्राप्त करने के लिये चढ़ना या उतरना न पड़े।

जौन पुर जिले के जफराबाद कोल्ड स्टोरज का सढ़ा हुआ आलू

10—श्री प्रभूनारायण सिंह—
विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 2रे गुरुवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता0प्र0सं0 41 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार निकट भविष्य में सम्बन्धित किसानों को उनकी क्षतिपूर्ति करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सत्य है कि इस शीतगृह में वर्ष 1983 में भी किसानों का आलू समय से पूर्व ही निकाल दिया था? इस शीतगृह के अनियमितता का कौन दोषी है?

श्री बच्चा पाठक—
जी नहीं।

आलू भण्डारण सीजन वर्ष 1981 में जिन काश्तकारों का आलू शीतगृह में सड़ गया था, उसकी क्षति पूर्ति के लिए समिति प्रयत्नशील रही, किन्तु आर्थिक निर्बलता के कारण समिति इस स्थिति में नहीं हो पायी है कि सड़े हुए आलू की क्षतिपूर्ति पूर्णरूपेण की जा सके। इस के लिए समिति द्वारा क्षतिग्रस्त काश्तकारों को शीतगृह में पुनः आलू रखने पर किराये में छूट प्रदान करके आगामी वर्षों में क्षति पूर्ति कर दी जायेगी।

जुलाई, 1983 के अन्तिम सप्ताह में अचानक शीतगृह की दोनों मोटरें खराब हो गयी थीं। परिस्थितिवश एवं नियमानुसार काश्तकारों को अपने भण्डारित आलू को उठा लेने के लिये नोटिस दी गयी। इस बीच समिति मोटरों की खराबी ठीक करने में सतत् प्रयत्नशील रही। नोटिस की प्रतिक्रिया पर 18 किसानों ने अपने 378बोरे आलू की निकासी करायी। इसी बीच मोटर को ठीक कर पुनः चालू कर दिया गया। अतः इस कार्य से काश्तकारों को संतोष हुआ और इसके बाद काश्तकारों ने आलू को अपनी आवश्यकतानुसार ही शीतगृह से निकाला। इसमें अनियमितता होने का प्रश्न नहीं उठता। समय से पूर्व उक्त 378 बोरों की निकासी के लिए कोई दोषी नहीं है।

गोरखपुर के सहकारी समितियों के सचिवों के विरूद्ध भ्रष्टाचार एवं गबन संबंधी कथित कार्यवाही

11—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अप्रैल, 83 से जुलाई, 83 तक सहायक निबन्धक अधिकारी, सहकारी समितियाँ, गोरखपुर की संस्तुति पर जिला अधिकारी, गोरखपुर ने 40 (चालीस) सचिवों के विरुद्ध अनियमितता, भ्रष्टाचार व गबन दिखाकर सहकारी समितियों का ताला तोड़ कर उनका चार्ज दूसरे सचिवों को दिलाने का आदेश दिया है, परन्तु अब तक एक भी सचिव का चार्ज हस्तान्तरित नहीं हुआ है, जिससे वितरण कार्य ठप्प है? यदि हाँ, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक—

जी नहीं।

फैजाबाद जिले के अयोध्या मार्ग में कब्रिस्तान की भूमि का कथित अधिग्रहण

12—श्री निर्मल खत्री—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद में नव प्रस्तावित अयोध्या मार्ग भूमि विकास व गृहस्थान आवास विकास योजना में बड़ी कुआँ स्थित कब्रिस्तान की भूमि को भी सम्मिलित किया गया है? यदि हाँ, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री बलराम सिंह यादव—

फैजाबाद की अयोध्या मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना में इस समय बड़ी बुवा स्थित कब्रिस्तान की भूमि समाविष्ट नहीं है।

श्री हरिशंकर मगलानी उप निबन्धक मेरठ के विरुद्ध जांच की कार्यवाही

13—श्री छत्तर सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता की शिकायत पर दिनांक 28-5-82 को मुख्य मंत्री द्वारा श्री हरी शंकर मंगलानी, उप निबन्धक, मेरठ के विरुद्ध कोई जाँच के आदेश हुये थे? यदि हाँ, तो उस जाँच के परिणाम क्या रहे और उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बच्चा पाठक—

जी हाँ। जाँच की जा रही है।

झांसी नगर के कतिपय मोहल्लों की पेयजल योजना

14—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या झांसी नगर के मोहल्ला तालपुरा मिशन कम्पाउण्ड, नन्दनपुरा, आदर्शनगर, ध्यान चन्द्र कालोनी न्यूरायगंज में अभी तक पेयजल समस्या को हल करने के लिय पाईप लाईन नहीं बिछाई जा सकी है? यदि हाँ, तो कब तक उक्त मोहल्लों में पाईप लाइन बिछा दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव---

झांसी नगर के मोहल्ला मिशन कम्पाउन्ड, नन्दनपुरा, आदर्श नगर, ध्यान चन्द्र कालोनी, न्यू रायगंज में आँशिक रूप से पाइप लाईन पड़ी हुई है तथा मोहल्ला तालपुरा में अभी कोई पाईप लाइन नहीं विछायी गयी है।

झांसी शहर के लिये इन मोहल्लों में नयी पाईप लाइनें डालने का कार्य तभी सम्भव होगा जबकि झांसी शहर के पेयजल की आवश्यकता के सम्मुख जलस्रोत में बढ़ोतरी हो जाये।

15---श्री गोवर्धन तिवारी---

[3रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 143 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

अलीगढ़ के मलखान सिंह अस्पताल में श्रीमती माया देवी की मृत्यु एवं उनका पोस्टमार्टम

16---श्री बाबू सिंह---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनाँक 12-7-83 को श्रीमती माया देवी मरीजा पत्नी श्री हरी शंकर, निवासी निरंजनपुरी (नगला मसान) अलीगढ़ को मलखान सिंह अस्पताल, अलीगढ़ में उपचार हेतु अपने पर्चे नं0 148585 से प्राप्त एक केपसूल व कुछ गोलिया तथा सूघने की दवा खाने से हालत फौरन बिगड़ गयी और उसकी मृत्यु हो गयी? इसका क्या कारण था? डा0 बृजकिशोर ने जो दवायें दी थीं वह दवायें क्या थीं? जिसकी वजह से मरीजों की हालत बिगड़ी और उसकी मृत्यु हो गयी? इसको बताने की कृपा करेंगे?

श्री लोकपति---

दिनाँक 12-7-83 को प्रातः 8-00 बजे श्रीमती माया देवी, मरीजा पत्नी श्री हरीशंकर निवासी निरंजनपुरी, जिला अलीगढ़ को मलखान सिंह, अस्पताल अलीगढ़ में उपचार हेतु लाया गया था। डा0 बृजकिशोर ने उन्हें देखा तथा उनके ओ0पी0डी0 (बाह्य रोगी विभाग) पर्चे सं0 148585 पर निम्नलिखित औषधियाँ लिखीं---

(1) क्लोरोप्रोमाजाइन टैबलेट (25 एम0जी0) 1 गोली दिन में 2 बार
(2) डिप्सोलाइज टैबलेट (25 एम0जी0) 1 गोली दिन में 2 बार
(3) कैप्सूल बीकाजाइम सी फोर्ट 1 दिन में एक बार

मरीजा द्वारा उपरोक्त समस्त दवायें बाजार से खरीदी गयी थीं। उपरोक्त लिखी गयी दवाओं में कोई दवा सूघने की नहीं है। और न ही कोई ऐसी दवा हैं जिनकी वजह से मरीज की हालत बिगड़ी और उनकी मृत्यु हो गयी।

17---श्री बाबू सिंह---

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेंगी कि उक्त मरीजा की मृत्यु होने पर लाश घर वालों को सौप देने के 6 घंटे बाद में मृतका का पोस्टमार्टम कराया गया? यदि हाँ, तो इस पोस्टमार्टम की क्या रिपोर्ट थी? बताने की कृपा करेंगे?

श्री लोकपति---

मरीजा श्रीमती माया देवी की मृत्यु होने के बाद उनके संरक्षक बहुत ही आवेश में आगये और इस स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए तत्कालीन अधीक्षक डा0 ओम प्रकाश ने शव को उनके संरक्षकों को द दिया परन्तु चूंकि डा0 बृज किशोर को मरीजा द्वारा जहर खाने का संदेह था, अतः उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को भेज दी। पुलिस ने उक्त सूचना पर जिलाधिकारी, अलीगढ़ के आदेश प्राप्त कर मृतक का रात्रि 1-30 बजे शव विच्छेदन कराया। शव विच्छेदन में मृत्यु का कारण अज्ञात है। अतः उसका विसरा जाँच हेतु भेज दिया गया है।

जिला सहायक निबन्धक, श्री विश्वनाथ सिंह सोमवंशी, कानपुर के विरुद्ध शिकायती पत्र

18---श्री मोहन सिंह---

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर (देहात) जिला सहकारी निबंधक, श्री सोमबन्शी जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और इन्हीं आरोपों की वजह से इन का स्थानान्तरण मथुरा में 23 अप्रैल, 1983 को शासकीय आदेश द्वारा किया गया और

पुनः 18 मई, 1983 को उसे रोक दिया गया ? यदि हाँ, तो कानपुर के विधायक श्री गंगा सागर शंखवार ने 25-6-83 को निबंधक सहकारी समितियाँ, उ0 प्र0 को स्थानान्तरण निरस्त कराने के संबंध में धनसंचय करने संबंधी कोई शिकायती पत्र लिखा था ? यदि हाँ, तो इस संदर्भ में विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री बच्चा पाठक--

कानपुर देहात के जिला सहायक निबंधक श्री विश्वनाथ सिंह सोमवंशी, जिनके विरुद्ध कानपुर के विधायकों व अन्य लोगों द्वारा गंभीर आरोप लगाये गये है, का स्थानान्तरण निबंधक सहकारी समितियाँ, उ0प्र0, लखनऊ के आदेश दिनाँक 30-4-83 द्वारा मथुरा को किया गया था। तत्पश्चात निबंधक के आदेश दिनाँक 18-5-83 द्वारा उनका स्थानानतरण 30-6-83 तक रोक दिया गया था, किन्तु श्री गंगा सागर शंखवार का दिनाँक 25-6-83 का संदर्भगत कोई शिकायती पत्र निबंधक, सहकारी समितियाँ, उ0 प्र0, लखनऊ को प्राप्त नहीं हुआ है। अतः उस पर कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

बरेली जिले में चावल मिलों को धान कूटने पर दी गयी विशेष छूट

19--श्री मोहन सिंह--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनाँक 10 सितम्बर, 81 को आपके आदेश द्वारा तत्कालीन खाद्य सचिव ने केन्द्र सरकार को अपने स्थानान्तरण के अवसर पर पीलीभीत विलसड़ा मझोला और पूरनपुर (पीलीभीत जनपद) बहेड़ी नवाब गंज (बरेली जनपद) एवं विलासपुर (रामपुर जनपद) को जो सरकारी धान बरेली नगर की चावल मिलों को कूटने के लिए दिया गया था, पर रिकवरी में 2 प्रतिशत की विशेष छूट दी थी? क्या यह सही है कि केवल 63 प्रतिशत के आधार पर सरकारी चावल लिया गया जबकि उसी धान पर उपरोक्त स्थानों की चावल मिलों से 65 प्रतिशत रिकवरी के आधार पर सरकारी चावल लिया गया ? यदि हाँ, तो क्यों ? क्या प्रदेश सरकार रिकवरी में 2 प्रतिशत की उपरोक्त विशेष छूट पीलीभीत, विलसंडा, मझौरा, पूरनपुर बहेड़ी, नवाबगंज तथा विलासपुर (रामपुर) को ही धान पर उक्त स्थानों के स्थानीय चावल मिलों को भी देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

आदेश दिनाँक 10 सितम्बर, 1981 के द्वारा बरेली जिले की मिलों को विशेष परिस्थितियों में उस वर्ष बाहर का धान कूटने के लिये भी वही रिकवरी रखी गयी जो कि बरेली के धान के लिए निर्धारित थी। इस शासनादेश के अनुसार ही उनसे चावल की रिकवरी ली गयी।

यह छूट अन्य क्षेत्रों की चावल मिलों को दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि दिनाँक 10 सितम्बर, 1981 के आदेश पर पुनर्विचार कर निर्णय लिये जाने का प्रश्न इस समय शासन के विचाराधीन है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जसरा एवं शंकर गढ़, जिला इलाहाबाद में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति

20--श्री मोहन सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में प्रधानाचार्य के प्रशासकीय अधिकार में जसरा एवं शंकर गढ़ में नवनिर्मित उच्चोकृत अस्पतालों में प्रोफेसर आफ एस0 पी0 एम0 डा0 राज ने लगभग 14 चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अपने स्तर से ही नियुक्ति कर दी है ? यदि हाँ, तो क्या यह सही है कि उक्त नियुक्तियाँ करने का अधिकार उन्हें नहीं है ?

श्री लोकपति---

जी हाँ। मेडिकल कालेज, इलाहाबाद से सम्बद्ध उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जसरा एवं शंकरगढ़ में चतुर्थ श्रेणी के आठ पदों पर नियुक्तियाँ एस0पी0एम0 विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा की गयी हैं। उक्त श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार उन्हें नहीं था।

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ द्वारा पवन आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से दवाओं की खरीद

21—श्री मोहन सिंह तथा श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ में आयुर्वेदिक दवाओं का लोकल परचेज स्थानीय पवन आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से किया जा रहा है? यदि हाँ, तो कब से तथा प्रश्नगत आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से अब तक कितने मूल्य की दवाओं का लोकल परचेज किया गया है?

श्री लोकपति---

जी हाँ।

पवन आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से 31-10-83 तक क्रय की गई औषधियों के मूल्य का विवरण निम्नवत है---

वर्ष	मूल्य
1980-81	5,255.30
1981-82	7,224.33
1982-83	9,699.50
1983-84 (31-10-83 तक)	11,985.30
	34,164.43

आयुर्वेदिक निदेशालय, उ० प्र० लखनऊ के उप निदेशक के पद पर नियुक्ति

22—श्री मोहन सिंह तथा श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक निदेशालय, उ0 प्र0, लखनऊ में उप निदेशक आयुर्वेदिक (शिक्षा) के पद पर लम्बी अवधि से तदर्थ रूप से नियुक्ति चल रही है? यदि हाँ, तो कब से? इस मामले में लोक सेवा आयोग तथा कार्मिक विभाग से परामर्श लेकर नियमित नियुक्ति न किये जाने का क्या कारण है?

श्री लोकपति—

जी हाँ, दिनाँक 22-8-1980 से तदर्थ नियुक्ति चल रही है।

नियमित नियुक्ति करने की आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

सचिव, नेशनल कालेज आफ नेचुरोपैथी एवं रिसर्च यूनियन का पत्र

23---श्री मोहन सिंह---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल कालेज के नेचुरोपैथी एवं रिसर्च यूनियन के स्थायी सचिव के पत्र के साथ प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र दिनाँक 20 जुलाई, 83 को प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री लोकपति---

जी हाँ।

प्रश्नगत पत्र के साथ संलग्न स्थायी सचिव, नेशनल कालेज आफ नेचुरोपैथी एवं रिसर्च यूनियन के पत्र पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गई क्योंकि इसके पूर्व विचारोपरान्त निर्णय ले लिया गया था कि इस प्रणाली का प्रान्तीयकरण न किया जाय।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के निदेशक (प्राविधिक) वाहन पर व्यय की गयी पैट्रोल की धनराशि एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी

24—श्री मोहन सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप निदेशक, प्राविधिक द्वारा प्रयोग किये जाने वाले वाहनों पर वर्ष 82–83 में कुल कितनी धनराशि का भुगतान पेट्रोल तथा डीजल के लिये किया गया ? यह धनराशि कितने वाहनों के लिये व्यय की गयी और औसत प्रति वाहन क्या है तथा शासन द्वारा प्रति वाहन कितनी धनराशि स्वीकृत है ?

श्री लोकपति—

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के उप निदेशक (प्राविधिक) द्वारा केवल एक वाहन का प्रयोग किया जाता है जिस पर वर्ष 1982–83 में रु0 14,288.27 की धनराशि का पेट्रोल व्यय हुआ। इस वाहन के लिये वर्ष 1982–83 में कुल रु0 14,300 की धनराशि आवंटित की गयी थी।

25—श्री मोहन सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य निदेशालय के परिवहन अनुभाग में कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या शासनादेशों के विरुद्ध उपनिदेशक, प्राविधिक द्वारा दैनिक वेतन पर नियुक्तियाँ की गयी हैं ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के परिवहन अनुभाग में 22 दैनिक वेतन भोगी व्यक्ति आकस्मिक श्रमिक (कैजुअल लेबर) के रूप में कार्यरत हैं। इन दैनिक वेतन भोगी आकस्मिक श्रमिकों को स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के राज्य स्वास्थ्य परिवहन संगठन के बढ़े हुए कार्य को सुचारु-रूप से चलाने हेतु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से दैनिक पारिश्रमिक पर रखा गया है।

स्थानीय निदेशालय निकाय में कर्मचारियों एवं अधिकारियों की नियुक्ति एवं सेवा नियमावली

26—श्री मोहन सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 73–74 में स्थानीय निकाय निदेशालय बनने के उपरान्त से निदेशालय ने स्थानीय निकायों में कार्यरत किन-किन संवर्गों के कितने अधिकारियों का स्थायीकरण, वरिष्ठता निर्धारण, नियमितीकरण किया ? अधिशासी अधिकारियों, कर अधिकारियों, डाक्टरों तथा अभियन्ताओं के संवर्ग में कुल कितने-कितने अधिकारी कार्यरत हैं और इनकी सेवा नियमावली बना दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

स्थानीय निकाय निदेशालय बनने के उपरान्त निदेशालय ने निम्नलिखित संवर्गों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी, जिनकी संख्या उनके सामने अंकित कोष्ठक में दी गई है, की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची तैयार की है:—

पदनाम	संख्या
1—अधिशासी अधिकारी	42
2—कर अधीक्षक	43
3—जलकल अभियन्ता	25
4—लेखा परीक्षक	12
5—लेखाकार	33
6—मुख्य सफाई निरीक्षक	38
7—सफाई निरीक्षक	286
8—चिकित्सा अधिकारी, ग्रेड–1 (एलो0) . .	13
9—चिकित्साधिकारी ग्रेड–2 (एलो0)	27

पद नाम	संख्या
10--चिकित्साधिकारी ग्रेड-1 (होम्यो0)	1
11--वैद्य एवं हकीम ग्रेड-1	4
12--वैद्य एवं हकीम ग्रेड-2	4
13--सहायक पशु चिकित्सक ग्रेड-2	2
14--अवर अभियन्ता	152

स्थायीकरण के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है। उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयित सेवा में की गयी तदर्थ नियुक्तियों के विनियमितीकरण हेतु नियमावली का आलेख दिनांक 7-1-1983 के असाधारण गजट में आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किया जा चुका है। इसे अन्तिम रूप देने के पश्चात् तदर्थ नियुक्तियों के विनियमितीकरण हेतु कार्यवाही की जाएगी।

अधिशासी अधिकारियों, कर अधीक्षकों, डाक्टरों तथा अभियन्ताओं के संवर्ग में निम्नानुसार अधिकारी कार्यरत है--

पदनाम	संख्या
1---अधिशासी अधिकारी	205
2---कर अधीक्षक	132
3---डाक्टर	103
4---मुख्य अभियन्ता	8
5---अधिशासी अभियन्ता	34
6---सहायक अभियन्ता	145
7---अवर अभियन्ता	363

उपर्युक्त अधिकारियों की सेवा नियमावली (उत्तरप्रदेश पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1966) बनायी जा चुकी है।

लखनऊ, कुर्मी टोला मकबूलगंज में नजूल भूमि पर अनाधिकृत कब्जा

27--श्री मोहन सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भवन संख्या 86-93, कुर्मीटोला, मकबूलगंज, लखनऊ के समक्ष पड़ी नजूल भूमि पर अनधिकृत निर्माण कराने के संबंध में लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा दिनाँक 7-8-80 को श्री लोकनाथ सिंह, निवासी कुर्मी टोला, मकबूलगंज, लखनऊ को नोटिस दिया गया था और आयुक्त, लखनऊ मंडल, लखनऊ ने 1-6-1982 को लखनऊ विकास प्राधिकरण को नोटिस दिनाँक 7-8-80 को उचित एवं वैधानिक घोषित कर अनधिकृत निर्माण हटाने का आदेश लखनऊ प्राधिकरण को दिये थे? यदि हाँ, तो अवैध निर्माण हटाने के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हाँ।

आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के निर्माण के विरुद्ध पक्ष द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र शासन के विचाराधीन है।

28--श्री गोपीनाथ वर्मा--

[दिनाँक 23-2-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या 106 द्वारा उत्तरित]

प्रादेशिक चिकित्सा सेवा के चिकित्साधिकारियों की हड़ताल एवं उनकी मांग

29--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय चिकित्सा सेवा संघ उ0प्र0 के आवाहन पर माह मई, 1983 में प्रदेश के समस्त चिकित्सालयों के डाक्टरों द्वारा आम हड़ताल की गयी तथा हड़ताल के दौरान स्वास्थ्य मंत्री एवं उक्त संघ के महासचिव डा0 एच0 पी0 कुमार एवं संघ के अन्य पदाधिकारियों के बीच कोई समझौता हुआ है तथा संघ की तीन माँगे शासन ने स्वीकार की हैं ? यदि हाँ, तो वह तीनों माँगें क्या-क्या हैं और स्वीकार माँगें पूरी कर दी गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

प्रादेशिक चिकित्सा सेवा संघ के आवाहन पर मई, 1983 में प्रदेश के चिकित्साधिकारियों की आम हड़ताल के दौरान जिन तीन प्रमुख माँगों के संबंध में उक्त संघ के पदाधिकारियों की स्वास्थ्य मंत्री जी से वार्ता हुई, वह निम्नवत् हैं--

(1) प्राइवेट प्रैक्टिस पर पुनः प्रतिबन्ध लगाना तथा उसके लिए प्रैक्टिस बन्दी वेतन व भत्ता देना।

(2) 1 जनवरी, 1977 के बाद तदर्थ रूप से नियुक्त चिकित्साधिकारियों को विनियमित करना।

(3) जिला मलेरिया अधिकारी के पदों पर पी0 एम0 एस0 अधिकारियों को नियुक्त करना।

उक्त माँगों के संबंध में संघ को निम्नलिखित आश्वासन दिये गये--

(1) प्राइवेट प्रैक्टिस के संबंध में संघ के प्रत्यावेदन को तदर्थ गठित समिति के विचारार्थ भेजा जायेगा।

(2) विनियमितीकरण के संबंध में लोक सेवा आयोग को विषय संदर्भित कर के नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(3) जिला मलेरिया अधिकारी के 50 प्रतिशत पद पी0 एम0 एस0 अधिकारियों द्वारा भरने के औचित्य पर विचार किया जायेगा।

संघ की पहली माँग पूरी कर दी गई है। दूसरी माँग के संबंध में उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 में अपेक्षित संशोधन के लिये कार्यवाही विचाराधीन है। तीसरी माँग विचाराधीन है किन्तु अन्तिम निर्णय होने तक शासनादेश दिनाँक 12-11-82, जिसमें उक्त समस्त पदों को सहायक मलेरिया अधिकारियों से ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा भरे जाने की व्यवस्था की गयी थी, को स्थगित रखने के आदेश 2 जुलाई, 1983 को जारी कर दिये गये हैं।

मिर्जापुर जिले के अस्पतालों में औषधि भंडार में फार्मेसिस्टों की नियुक्ति

30--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या स्वाथ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मिर्जापुर में शासनादेश एवं निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा उ0प्र0 के आदेश के विरुद्ध औषधि भंडार का चार्ज फार्मेसिस्ट को न देकर लिपिक, लैब टैकनीशियन आदि प्रतिबन्धित कर्मचारियों को दिया गया है ? यदि हाँ, तो क्यों ? क्या उच्च अधिकारी द्वारा जाँच कराकर कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

जनपद मिर्जापुर के सभी औषधि भंडारों का चार्ज अब फार्मेसिस्टों को दे दिया गया है, अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

टी० बी० आइसोलेशन केन्द्र मिर्जापुर के लिये चीफ फार्मेसिस्ट के पद का प्रस्ताव

31--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या सरकार को जानकारी है कि शासनादेश संख्या 1069 (पाँच-7-2547/81) दिनाँक 4-3-83 के अन्तर्गत यह निर्णय लिया है कि 50 या इससे अधिक शैय्याओं वाले चिकित्सालयों में चीफ फार्मेसिस्ट के पद को सृजित किया जाय? यदि हाँ, तो जनपद मिर्जापुर का टी० बी० आइसोलेशन केन्द्र जो 50 अंतरण शैय्याओं का चिकित्सालय है, में चीफ फार्मेसिस्ट का पद सृजित न किये जाने का क्या कारण है?

श्री लोकपति--

जी हाँ। निदेशालय से प्रस्ताव के अभाव में टी० बी० आईसोलेशन केन्द्र, मिर्जापुर के लिये चीफ फार्मेसिस्ट का पद स्वीकृत नहीं हो पाया। अब प्रस्ताव माँग लिया गया है। इस पद को सृजित करने की कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न कर दी जायेगी।

चमोली एवं पौड़ी जिले में मलेरिया विभाग के लिये पम्प मेकेनिक के पद की मांग

32--श्री खैरुल बशर--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत जनपद चमोली, पौड़ी में जिला मलेरिया अधिकारी, सहायक मलेरिया अधिकारियों के साथ साथ अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति है और वी० एच० सी० छिड़काव के लिये पम्प भी है परन्तु पम्प मैकेनिक की पोस्ट नहीं है? यदि हाँ, तो क्या ऐसे स्थानों पर अन्य जिलों की भांति मैकेनिक रखकर पम्प ठीक कराये जाने की व्यवस्था करेंगे?

श्री लोकपति--

जी हाँ।

जी नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है।

सीतापुर जिले के बिसवाँ स्थित अस्पताल में डाक्टरों, कम्पाउन्डरों के रिक्त पद एवं एक्सरे भवन का निर्माण

33--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बिसवाँ, जिला सीतापुर, स्थित राजकीय पुरुष चिकित्सालय में डाक्टरों, नर्सों तथा कम्पाउण्डरों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनके विरुद्ध कितनों-कितनों की पोस्टिंग है?

श्री लोकपति--

राजकीय पुरुष चिकित्सालय बिसवाँ, जिला सीतापुर में स्वीकृत कार्यरत तथा रिक्त पदों की स्थिति निम्नवत है--

पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1--चिकित्साधिकारी	2	1	1
2--स्टाफ नर्स	1	--	1
3--कम्पाउन्डर	2	2	--

34--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बिसवाँ, सीतापुर स्थित जिला राजकीय पुरुष चिकित्सालय में एक्सरे भवन कब से बन रहा है? अब तक न बन पाने का क्या कारण है तथा कब तक बन जायेगा?

श्री लोकपति--

उपर्युक्त चिकित्सालय में एक्सरे भवन का निर्माण वर्ष 1973-74 में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रारम्भ किया गया था। निर्माण कार्य में कुछ त्रुटियाँ थीं जिनके कारण निर्माण कार्य रोक दिया गया था। त्रुटियों की जाँच सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किये जाने के कारण भवन पूर्ण न किया जा सका। अपूर्ण भवन के पुनरीक्षित आगणन तैयार हो गये हैं जिसकी औपचारिक स्वीकृति दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। स्वीकृति आदेश जारी होते ही निर्माण कार्य पुनः आरम्भ कर शीघ्र पूर्ण करवा दिया जायेगा।

बस्ती जिले के सहकारी निरीक्षक वर्ग दो का स्थायीकरण

35--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में कितने सहकारी निरीक्षक वर्ग (2) कार्यरत हैं? उनमें से ऐसे कितने निरीक्षक हैं जिनके पदों का स्थायीकरण (कन्फर्मेशन) 15 वर्षों की सेवा होने के बाद भी अब तक नहीं किया गया है? उसका कारण क्या है? कन्फर्मेशन कब तक पूर्ण होने की आशा है?

श्री बच्चा पाठक--

जनपद बस्ती में 30 सहकारी निरीक्षक वर्ग-2 सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) कार्यरत हैं।

4 निरीक्षक हैं।

उक्त निरीक्षकों में से 3 का मामला सहकारी सेवा नियमावली में संशोधन के लिए लोक सेवा आयोग भेजा गया है तथा एक निरीक्षक के विरुद्ध मामला उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण स्थायी नहीं किया जा सका है। उपरोक्त मामलों में सेवा नियमावली में संशोधन होने तथा न्यायालय में लम्बित वाद के निर्णय के पश्चात् ही कार्यवाही सम्भव होगी।

मिर्जापुर जिले के शक्तिनगर के अस्पताल का भवन

36--श्री ऊदल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थान शक्तिनगर जिला मिर्जापुर के राजकीय चिकित्सालय के पास भवन नहीं है? क्या यह सही है कि यहाँ लकड़ी का ढांचा बनाकर अस्पताल बनाया गया है? यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर इस बड़े परियोजना क्षेत्र में राजकीय अस्पताल की इमारत बनाने की व्यवस्था करेगी?

श्री लोकपति--

जनपद मिर्जापुर के शक्तिनगर स्थान पर राजकीय चिकित्सालय खोलने हेतु कोई भवन उपलब्ध न था। शक्ति नगर की समस्त भूमि भी परियोजना की है। अतः राजकीय चिकित्सालय खोलने हेतु एन0 टी0 पी0 सी0 शक्तिनगर के मैनेजर से अनुरोध किया गया। मैनेजर ने एक लकड़ी के भवन को राजकीय चिकित्सालय खोलने हेतु दे दिया तब से चिकित्सालय इसी भवन में चल रहा है।

चिकित्सालयों के भवन निर्माण की योजना अब जिला सेक्टर योजना के अन्तर्गत आ गई है अतः जिला नियोजन समिति ही जब प्रश्नगत चिकित्सालय के भवन निर्माण के लिये धन का आवंटन करेगी तभी चिकित्सालय भवन का निर्माण कराया जाना सम्भव हो सकेगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मिर्जापुर को यह आदेश दिये गये हैं कि वह जिलाधिकारी के माध्यम से जिला नियोजन समिति की बैठक बुलाकर इस कठिनाई का समाधान करे।

खान चन्द्र मार्केट, हल्द्वानी जिला नैनीताल का नजूल की भूमि पर निर्माण

37--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट---

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि खानचन्द्र मार्केट हल्द्वानी जनपद नैनीताल नजूल की भूमि पर बनी है और किरायेदारों के साथ गत डेढ़ वर्ष से उनका विवाद चल रहा है ? क्या यह सही है कि कामर्शियल ट्रेडर्स यूनियन हल्द्वानी (नैनीताल) द्वारा शासन से 1982 में खानचन्द्र मार्केट को नगरपालिका सम्पत्ति घोषित करने की मांग की थी ? यदि हाँ, तो क्या निर्णय लिया है और उस दिशा में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हाँ। खानचन्द्र मार्केट के मालिक तथा किरायेदारों के बीच मामला अब भी न्यायालय के विचाराधीन है। कामर्शियल ट्रेडर्स यूनियन हल्द्वानी ने वर्ष 1982 में खान चन्द्र मार्केट को नगरपालिका सम्पत्ति घोषित करने की माँग की थी, जिस पर शासन द्वारा आवश्यक विचार किया जा रहा है।

राजकीय चिकित्सालय चमोली, सराई खेत तथा राजकीय महिला चिकित्सालय देवालय, रानीखेत में चिकित्साधिकारियों के रिक्त पद

38--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय चिकित्सालय चमोली राजकीय चिकित्सालय सराईखेत, राजकीय महिला चिकित्सालय देवायल (सल्ट) तहसील रानीखेत में चिकित्सा अधिकारियों के स्थान रिक्त हैं ? यदि हाँ, तो कब से ? क्या सरकार तत्काल चिकित्सकों की नियुक्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

राजकीय चिकित्सालय चमोली में दिनाँक 7-3-1981 से, राजकीय चिकित्सालय, सराईखेत में दिनाँक 10-3-1981 से तथा राजकीय महिला चिकित्सालय देवालय (सल्ट) में दिनाँक 22--6-1983 से चिकित्सा अधिकारियों के पद रिक्त हैं। पर्वतीय क्षेत्र में चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने हेतु लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेज दिये गये हैं। आयोग से संस्तुतियाँ प्राप्त हो जाने पर रिक्त पदों पर नियुक्तियाँ कर दी जायेंगी।

39--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने कारण निरस्त।]

लखनऊ तालकटोरा स्थित मजार के निकट की भूमि पर अवैध कब्जा

40--श्री बलबीर सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद लखनऊ के ताल कटोरा मोहल्ले में स्थित विक्रम काटन मिल से एक फर्लांग की दूरी पर स्थित मजार के पास कुछ लोगों द्वारा मेन सड़क पर अवैध कब्जा करने के संबध में श्री रामेश्वरनाथ चौबे, विधायक का कोई पत्र माह नवम्बर, 1983 में सचिव, नगर विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो क्या उक्त अवैध कब्जा हटाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हाँ, अवैध कब्जा हटाने के लिए सम्बन्धित व्यक्तियों को नोटिस देकर नियमानुसार कार्यवाही उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा की जा रही है।

बदायूं जिले के केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार, लि० के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायती पत्र

41--श्री बलवीर सिंह तथा श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सर्वश्री अबरार अहमद, लहरी सिंह, रुद्र प्रताप सिंह, सुजान सिंह, बुन्देला, मोती लाल देहलवी, हरिवंश सहाय, विधायकगण द्वारा बदायूं केन्द्रीय

उपभोक्ता सहकारी भंडार लि0, बदायूं के संबंध में सहकारिता मंत्री तथा विशेष सचिव, सहकारिता को 9–9–83 को कोई पत्र दिया गया था ? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक––

जी हाँ, श्री रुद्रप्रताप सिंह तथा कुछ अन्य विधायकों को सचिव सहकारिता विभाग को संबोधित एक शिकायती पत्र दिनाँक 9–9–83 प्राप्त हुआ है ?

शिकायती पत्र की जाँच करायी गयी है। जाँच में दोषी पाये गये कर्मचारियों में से दो की सेवायें समाप्त कर दी गयी है तथा दो को निलम्बित कर दिया गया है।

पर्वतीय क्षेत्र की जड़ी बूटी विकास योजना

42––श्री जसवन्त सिंह बिष्ट––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पर्वतीय क्षेत्र में सहकारिता विभाग के अन्तर्गत वर्ष 1949 से चल रही जड़ी बूटी विकास योजना का समुचित प्रसार एवं विकास नहीं हुआ है ? यदि हाँ, तो सरकार योजना के सफल कार्यान्वयन को दृष्टि में रखते हुए पूर्ण रूपेण इसे वन विभाग को हस्तान्तरित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक––

सहकारिता विभाग के अन्तर्गत वर्ष 1949 से पर्वतीय क्षेत्र में चल रही जड़ी बूटी विकास योजना में हुई प्रगति सन्तोषप्रद है।

योजना को वन विभाग में हस्तान्तरित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता।

43––श्री जसवन्त सिंह बिष्ट––

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

44–45––श्री जसवन्त सिंह बिष्ट––

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

मलेरिया विभाग के वार्षिक व्यय का विवरण

46––श्री श्याम लाल बाजपेयी––

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत मलेरिया विभाग पर कितना वार्षिक व्यय होता है ? क्या शासन कृपा करते हुए यह बतायेगा कि कितना धन वेतन पर, कितना वाहनों तथा कितना धन दवाओं पर व्यय किया जाता है ? क्या शासन प्रदेश स्तर पर मलेरिया विभाग की दवाओं की खरीद के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ माननीय विधायकों को खरीद समिति में रखने पर विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन जिला स्तर पर मलेरिया विभाग की अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिये मा0 विधायकों एवं सम्भ्रांत नागरिकों को मिला कर जिला मलेरिया नियंत्रण परिषद् गठित करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति––

मलेरिया संगठन पर आवश्यकतानुसार प्रति वर्ष व्यय होता है। वर्ष 1982–83 में 11,59,48,562 रुपये का व्यय हुआ। वर्ष 1982–83 में 2,83,70,003 रुपये वेतन एवं भत्तों पर 6,43,853 रुपये वाहनो पर तथा 7,28,51,010 रुपये दवाओं पर आदि पर व्यय किये गये हैं।

जी नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

जी नहीं, वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है।

राजकीय अस्पताल, हल्द्वानी के डा० जे० पी सिंह एवं डाक्टर एस० सी० मिश्रा के स्थानान्तरण की मांग

47--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय चिकित्सालय हल्द्वानी, जिला नैनीताल के ई0 एन0 टी0 के डाक्टर सिंह तथा पैथालाजी के डाक्टर एस0 सी0 मिश्र का स्थानान्तरण सन् 1982 में यहाँ से अन्यत्र हो गया था और जाँच के बाद ये दोनों दोषी भी पाये गये थे तो किन विशेष कारणों से इनका स्थानान्तरण निरस्त किया गया है ?

श्री लोकपति--

राजकीय एलोपथिक चिकित्सालय, हल्द्वानी, जिला नैनीताल के चिकित्सा अधिकारी डा0 जे0 पी0 सिंह तथा डा0 एम0 सी0 मिश्रा के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। अतः जाँच का कोई प्रश्न नहीं उठता है। इनके स्थानान्तरण 1983 में गये किये गये थे परन्तु प्रशासनिक आधार पर बाद में स्थानान्तरण निरस्त कर दिये गये।

यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन के कर्मचारियों के स्थायीकरण की मांग

48--श्री किरनपाल सिंह--

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 ने अप्रैल, 1980 में टेक्निकल असिस्टेंट व कनिष्ठ लिपिक के 50-50 पदों का सृजन किया था और 14-15 मई, 1980 को अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेने के बाद 15 जुलाई, 1980 को उक्त पदों पर नियुक्तियाँ कर दी गयीं ? यदि हाँ, तो उक्त पदों पर कार्यरत टेक्निकल असिस्टेंट, असिस्टेन्ट व कनिष्ठ असिस्टेन्ट (लिपिकों) को अब तक नियमित न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री बच्चा पाठक--

जी हाँ।

निबंधक सहकारी समितियाँ, उत्तर प्रदेश के आदेश संख्या 2096-98, दिनाँक 20-2-81 द्वारा कनिष्ठ सहायक (लेखा) कम गोदाम कीपर तथा तकनीकी सहायक के 50-50 पदों का सृजन अस्थाई आधार पर किया गया था ?

यू0पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, लखनऊ के आदेश दिनाँक 24-7-80 के द्वारा 50 कनिष्ठ सहायकों एवं आदेश दिनाँक 25-7-80 के द्वारा 45 तकनीकी सहायकों की नियुक्तियाँ अस्थाई रूप से तदर्थ आधार पर की गयी थीं।

संघ को नियमितीकरण करने का अधिकार प्राप्त न होने के कारण इन्हें नियमित नहीं किया जा सका।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिकन्दराबाद के स्वास्थ्य सहायक श्री महाबीर सिंह के बीमे की धनराशि का भुगतान

49--श्री किरन पाल सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री महाबीर सिंह पुत्र दीप चन्द्र, स्वास्थ्य सहायक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तहसील सिकन्दराबाद की मृत्यु 4-5-82 को हो गई थी ? यदि हाँ, तो मृतक की बीमा राशि का 25 हजार रुपया मृतक की पत्नी को भुगतान कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मृतक की पत्नी को उक्त विभाग में नौकरी दे दी गई है ?

श्री लोकपति---

श्री महाबीर सिंह की मृत्यु 14-5-82 को हुई थी। उनकी सामूहिक बीमा की रुपये 25,732.65 पैसे की धनराशि का भुगतान मृतक की पत्नी श्रीमती बिजेन्द्रा देवी को चेक संख्या 471882 दिनाँक 26-9-83 के माध्यम से दिनाँक 31-10-83 को किया जा चुका है मृतक की पत्नी से विभाग में नौकरी हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

भवानी देवी ग्राम समूह पेयजल योजना रानीखेत का निर्माण

50--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील रानीखेत विकास खंड भिक्यासैन की भवानी देवी ग्राम समूह पेयजल योजना का निर्माण कब से आरम्भ हो रहा है? कब तक पूर्ण हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव--

भवानी देवी ग्राम समूह पेयजल योजना का निर्माण कार्य वर्ष 1984-85 के मध्य से आरम्भ होने की सम्भावना है। योजना का कार्य 30 माह में पूर्ण होने की आशा है।

गोण्डा जिले के करनैलगंज विकास खण्ड के अन्तर्गत पेयजल योजना की मांग

51--श्री उमेश्वर प्रताप सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिला परिषद् के करनैलगंज, विकास खण्ड की सन 1974 में पेयजल अभाव ग्रस्त क्षेत्र का सर्वेक्षण कराकर एक पेय जल योजना राज्य सरकार को स्वीकृत हेतु प्रेषित की थी? क्या सरकार उसे स्वीकृत करने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़ जिले के लालगंज स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की हेल्थ विजिटर श्रीमती सुशीला श्रीवास्तव के विरुद्ध शिकायती-पत्र

52--श्री पंचानन राय--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती सुशीला श्रीवास्तव, हैल्थ विजिटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लालगंज, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध कोई शिकायती पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनाँक 16-8-83 के साथ प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं, उनकी जाँच किस अधिकारी से करायी गयी है तथा जाँच के क्या परिणाम निकले?

श्री लोकपति--

सूचना एकत्र की जा रही है।

53--श्री राम आसरे वर्मा--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

मिर्जापुर जिले के फार्मेसिस्टों का स्थायीकरण

54--श्री राम आसरे वर्मा--

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 3रे गुरु के लिए निर्धारित प्रश्नकर्त्ता द्वारा पूछे गये अता0 प्र0सं0 55 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी मिर्जापुर द्वारा जनपद के 11 फार्मेसिस्टों के स्थायीकरण की कार्यवाही अभी तक पूर्ण नहीं की गयी है? यदि हाँ, तो शेष फार्मेसिस्टों का स्थायीकरण कब तक पूरा हो जायगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति--

मुख्य चिकित्सा अधिकारी मिर्जापुर द्वारा प्रश्नगत 11 फार्मेसिस्टों का स्थायीकरण दिनाँक 24-1-84 को किया जा चुका है? अतः शेष प्रश्न नहीं उठता है।

महिला चिकित्सालय, मिर्जापुर के फार्मेसिस्ट को आवास का आवंटन

55--श्री राम आसरे वर्मा--

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 4थे गुरु के लिए निर्धारित अता० प्र० सं० 135 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या संदर्भित आवास फार्मेसिस्ट को मिल गया है? यदि नहीं, तो आदेशों की अवहेलना करने वाली महिला डाक्टर के विरुद्ध अब तक क्या अनुशासनिक कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति--

सन्दर्भित आवास गृह खाली कराकर फार्मेसिस्ट को दिनाँक 24-1-84 को आवंटित कर दिया गया है। आवास खाली कराने के आदेशों के विरुद्ध न्यायालय से स्थगन मिल गया था इसलिये अनुशासनिक कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

जिला अस्पताल, मैनपुरी के वरिष्ठ लिपिक श्री इस्तयाक अली का निलम्बन

56--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य निदेशालय से वर्ष 1981-82, 82-83 एवं 83-84 में 31-7-83 तक जनपद मैनपुरी के किन-किन वरिष्ठ लिपिकों के स्थानान्तरण किये गये और किन कारणों से रोके गये?

श्री लोकपति--

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, उ० प्र०, लखनऊ स्तर से वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 में जनपद मैनपुरी के किसी भी वरिष्ठ लिपिक का स्थानान्तरण नहीं किया गया। वर्ष 1983-84 में 31 जुलाई, 1983 तक स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, उ० प्र० लखनऊ के आदेश दिनाँक 29 जून, 1983 द्वारा जिला चिकित्सालय, मैनपुरी के एक वरिष्ठ लिपिक श्री इस्तयाक अली को उनके अनुरोध पर जनपद फतेहगढ़ में स्थानान्तरित किया गया है।

मैनपुरी जिले के तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी, डा० बी० डी० दुबे का निलम्बन

57--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि भू० पू० मुख्य चिकित्साधिकारी, मैनपुरी डा० बी० डी० दुबे के विरुद्ध मैनपुरी की सेवा अवधि में अनियमितताये, भ्रष्टाचार एवं अनुशासनहीनता के आरोपों में उन्हें निलम्बित किया गया था? यदि हाँ, तो क्या यह भी सही है कि इनके दोष मुक्त हुये बिना ही जनपद आगरा के फिरोजाबाद में वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक के रूप में उन्हें नियुक्त कर दिया गया है? यदि हाँ, तो क्यों?

श्री लोकपति--

जी हाँ, डा० बी० डी० दुबे तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी, मैनपुरी के विरुद्ध मुख्यतः पद के दायित्वों का निर्वहन एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों का सफल कार्यान्वयन न करना, स्थानान्तरण आदेशों की अवहेलना करना तथा अनधिकृत रूप से कार्य से अनुपस्थित रहने के आरोप थे। उन्हें सेवा में बहाल कर वरिष्ठ अधीक्षक, एम० एन० एम० चिकित्सालय, फिरोजाबाद, आगरा में रिक्त पद पर तैनात इस शर्त पर कर दिया गया कि उपर्युक्त आरोपों के आधार पर उनके विरुद्ध चल रही अनुशासनिक कार्यवाही पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

लखनऊ की राजाजीपुरम कालोनी की भूमि पर कथित अनधिकृत कब्जा

58--श्री कृष्ण कुमार शुक्ल--

क्या सरकार बतायेगी कि क्या श्री पूरन चन्द्र, विधायक का कोई पत्र उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ की राजाजीपुरम कालोनी के भूखंड संख्या ए-102 से संबंधित भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने के संबंध में माह नवम्बर, 1983 में आवास आयुक्त उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो क्या उक्त अवैध कब्जा हटाया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव---

जी हाँ। स्थल निरीक्षण से ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत भूखंड पर कोई अवैध कब्जा नहीं है।

आजमगढ़ जिले की जिला पूर्ति अधिकारी के विरुद्ध शिकायती पत्र

59---**श्री रियासत हुसैन---**

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनाँक 23-8-83 को जिलापूर्ति अधिकारी, आजमगढ़ के विरुद्ध श्री अब्दुल कबीर अंसारी, मोहल्ला तकिया जनपद आजमगढ़ की भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

श्री अब्दुल कबीर अंसारी का पत्र दिनाँक 23-8-83 प्राप्त नहीं हुआ बल्कि श्री अब्दुल कबीर अंसारी का पत्र प्राप्त हुआ था और उनको लिखित पते पर साक्ष्य देने के लिये अपर जिलाधिकारी, आजमगढ़ द्वारा नोटिस भेजी गई जो इस रिपोर्ट के साथ वापस आई कि इस नाम का व्यक्ति मुहल्ला तकिया में नहीं रहता है जिसके कारण शिकायती पत्र पर कोई अग्रेतर जाँच कराया जाना संभव न हो सका।

लखनऊ जिले के बलरामपुर अस्पताल एवं डफरिन अस्पताल के डाक्टरों की प्रोन्नति

60---**श्री मित्रसेन---**

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि जनवरी, 83 में बलरामपुर, सिविल तथा लेडी डफरिन अस्पतालों के बहुत से डाक्टरों की पदोन्नति होने के बाद उन्हें शासन से आदेश दिया गया था कि वे अविलम्ब ऊंचे पदों पर कार्यभार संभाल लें, परन्तु उनमें से सभी ने शासकीय आदेश की उपेक्षा की और अब भी अपने पुराने पदों पर कार्य कर रहे हैं? यदि हाँ, तो उन डाक्टरों के नाम क्या हैं और उनकी किन किन पदों पर पदोन्नति हुई थी?

श्री लोकपति---

जनवरी, 1983 में नहीं प्रत्युत 31 दिसम्बर, 1982, 2 फरवरी 1983 तथा 8 फरवरी, 1983 को प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के कुल 28 स्पेशल ग्रेड (वेतनमान रु0 1840-2400) के अधिकारियों को संयुक्त निदेशक (वेतनमान रु0 2050-2500) के पद पर प्रोन्नति पर तैनाती के आदेश जारी किये गये थे। इनमें से 6 अधिकारियों को छोड़ कर शेष सभी ने प्रोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। जिन 6 अधिकारियों ने प्रोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया उनमें से 4 को उनकी सेवा निवृत्ति समीप होने के कारण उनकी प्रार्थना पर प्रोन्नति त्यागने की अनुमति प्रदान कर दी गयी तथा अन्य दो अधिकारियों डा0 आशा मिश्रा तथा डा0 अमृत कोहली, क्रमश. वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, महिला अस्पताल, लखनऊ तथा मेरठ को संयुक्त निदेशक के पद पर प्रोन्नति के लिए 5 वर्ष के लिए वारित (डिबार) कर दिया गया है। इसी पद पर एक अन्य अधिकारी डा0 आर0 के0 अग्रवाल, कन्सल्टेन्ट, बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ के प्रोन्नति पर तैनाती के आदेश 30 जून, 83 में जारी किये गये थे किन्तु इसी बीच डा0 अग्रवाल गम्भीर रूप से बीमार हो जाने के कारण अभी तक प्रोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं कर सके।

61---**श्री कुंवर सिंह नेगी---**

[3रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्य 1709 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गढ़वाल जिले के जल संस्थान को धनराशि का आवंटन

62---**श्री कुंवर सिंह नेगी---**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल जल संस्थान को वर्ष 80-81, 81-82, 82-83 में कितनी धनराशि आवंटित की गई है एवं यह धनराशि किन-किन मदों पर व्यय की गई है?

श्री बलराम सिंह यादव--

गढ़वाल जल संस्थान को वर्ष 1980-81, 1981-82 व 1982-83 में क्रमशः 67.20 लाख, 114.05 लाख व 60.00 लाख रुपये की धनराशियाँ आवंटित की गई। यह धनराशियाँ निम्नलिखित मदों पर व्यय की गई है--

(1) बाढ़ से क्षतिग्रस्त योजनाओं हेतु;
(2) सूखा कार्य के अन्तर्गत;
(3) यू0 एन0 डी0 पी0 ग्लोबल प्रोजेक्ट के अन्तर्गत;
(4) बाढ़ से क्षति ग्रस्त सीवरेज योजनाओं की मरम्मत हेतु;
(5) निष्क्रिय पेयजल योजनाओं की मरम्मत हेतु;
(6) अधिष्ठान व्यय;
(7) सामान्य मरम्मत एवं रख-रखाव;
(8) विद्युत एवं ऊर्जा;
(9) रसायन;
(10) कच्चे माल का क्रय तथा
(11) जलमाप, जलवाहिनी मशीन आदि का क्रय।

पर्वतीय क्षेत्र में डाक्टरों की नियुक्त एवं डाक्टरों के रिक्त पद

63--श्री कुंवर सिंह नेगी--

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के प्रथम सत्र के 4थे गुरु के अता0 प्र0 सं0 21 के उत्तर के संबंध में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग से पर्वतीय क्षेत्र के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु प्राप्त सूची में से जिन 340 डाक्टरों की नियुक्तियाँ की गई थीं, उनमें से कितनी ने नियुक्ति के स्थानों पर पद भार ग्रहण किया है? वर्तमान में कितनी रिक्तियाँ हैं और उनको पूर्ण करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री लोकपति--

लोक सेवा आयोग से प्राप्त सूची में अब तक 358 नियुक्तयाँ की गयी हैं। इनमें से उपलब्ध सूचना के अनुसार 226 डाक्टरों ने पद भार ग्रहण किया है। रिक्त पदों को भरने हेतु लोक सेवा आयोग को पुनः अधियाचन भेजे जा चुके हैं।

श्री प्रद्युमन सिंह भण्डारी, सहकारी निरीक्षक वर्ग दो की पेंशन, ग्रेच्युटी

64--श्री कुंवर सिंह नेगी--

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 5वें गुरू के लिए निर्धारित प्रश्नकर्त्ता द्वारा पूछे गये अता0 प्र0 सं0 77 के उत्तर के संबंध में क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री प्रद्युमन सिंह भंडारी, सेवा निवृत्ति, सहकारी निरीक्षक वर्ग-2, ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है, कब तक भुगतान करा दिया जायगा?

श्री बच्चा पाठक--

जी नहीं।

सेवा पुस्तिका अपूर्ण होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका।

सेवा पुस्तिका पूर्ण करा कर पेंशन, ग्रेच्युटी का भुगतान करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दे दिये गये हैं।

विजय नगर सहकारी गृह निर्माण समिति, मुरादाबाद में श्री मोहम्मद हनीफ की जमा धनराशि

65--श्री भीखा लाल--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहम्मद हनीफ निवासी असालतपुर, मुरादाबाद का प्रार्थना पत्र दिनांक 18-8-83 प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 18-8-83 के साथ सहायक आवास आयुक्त एवं निबंधक, आवास विकास परिषद, लखनऊ को प्राप्त हुआ है जिसमें यह

माँग की गई है कि उनके द्वारा प्लाट के लिये 3-10-81 को जमा किया गया 6 हजार रुपया अग्रिम प्लाट न मिलने की दिशा में वापस कर दिया जाय ? यदि हाँ, तो क्या उक्त धन वापस किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हाँ। श्री मोहम्मद हनीफ ने प्रश्नगत प्लाट आवंटन हेतु विजय नगर सहकारी गृह निर्माण समिति लि0, मुरादाबाद में कथित धनराशि जमा की थी ?

जाँचोपरान्त यह ज्ञात हुआ कि उक्त समिति के अभिलेख आय कर विभाग में जमा है। अत: धनराशि वापसी नहीं हुई है। इनकी जमा धनराशि की वापसी हेतु समिति को निर्देशित कर दिया गया है।

66--श्री सरदार सिंह--

[दिनाँक 8-9-83 को अताराँकित प्रश्न संख्या 196 द्वारा उत्तरित।]

67--श्री कुवर सिंह नेगी--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

68--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

प्रदेश के मेडिकल कालेजों के पुस्तकालयाध्यक्षों को नया वेतन न दिया जाना

69--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 शासन के अधीनस्थ मेडिकल कालेजों के पुस्तकालयाध्यक्षों को द्वितीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर अभी तक नया वेतन मान नहीं दिया गया है ? यदि हाँ, तो क्यों तथा कब तक देना प्रारम्भ कर दिया जायगा ?

श्री लोकपति--

जी हाँ। इसके लिये वाँछित सूचना माँगी गई है और उसके उपलब्ध होते ही इन्हें नया वेतनमान स्वीकृत करने की शीघ्र कारवाई की जायगी।

हरदोई जिले के जिला चिकित्सालय में सीनियर फिजिशियन के पद पर कथित नियुक्ति

70--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

प्रथम सत्र 83 क 2रे गुरु के लिए निर्धारित अता0प्र0 स0 62 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या अब पुन: नियुक्ति की जा रही है और ऐसे व्यक्ति को पुन: लाने का विचार है जो 9 वर्ष तक ही रहकर मात्र एक वर्ष के लिए बाहर स्थानान्तरित किये गये थे ?

श्री लोकपति--

जी नहीं, अभी ऐसा कोई विचार नहीं है।

हरदोई जिले के नगर बिलग्राम में राशन कार्डों का सत्यापन

71--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि बिलग्राम नगर जिला हरदोई में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राशन कार्डों के सत्यापन के समय वर्ष 1983 में भारी संख्या में फर्जी राशन कार्ड पाये गये ? यदि हाँ, तो कितने फर्जी राशन कार्ड पाये गये तथा इन फर्जी राशन कार्डों के विरुद्ध जो कोटेदार राशन प्राप्त कर बेचते रहे उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जनपद हरदोई में नगर बिलग्राम में वर्ष 1983 में राशन कार्डों का सत्यापन अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, बिलग्राम द्वारा कराया गया। जाँच के समय में जो राशन कार्ड प्रस्तुत किये गये, उनमें कोई राशन कार्ड फर्जी नहीं पाया गया। 829 राशन कार्ड जाँच के समय प्रस्तुत नहीं हो पाये, अतएव उनका सत्यापन करना संभव नहीं हो सका।

आजमगढ़ जिले की टाउन एरिया जीयनपुर के शुष्क शौचालयों को फ्लश शौचालयों में परिवर्तन करने सम्बन्धी कथित पत्र

72--श्री पंचानन राय---

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ में शुष्क शौचालयों को फ्लश शौचालयों में परिवर्तित किये जाने हेतु जिला अधिकारी, आजमगढ़ का पत्र दिनाँक 20-4-83 निदेशक स्थानीय निकाय, उ० प्र० को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो इसमें कितने धन की माँग की गयी है ? क्या इस संबंध में कितना धन स्वीकृत किया गया है ?

श्री बलराम सिंह यादव---

निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश शासन को सूचित किया है कि टाउन एरिया जीयनपुर में शुष्क शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित किये जाने हेतु वित्तीय सहायता की स्वीकृति के संबंध में जिलाधिकारी, आजमगढ़ का पत्र दिनाँक 20-4-83 उनके कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। अतः वित्तीय सहायता स्वीकार किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

बाराबंकी जिले के सुमेरगंज कस्बे को टाउन एरिया बनाने की मांग

73--श्री प्रदीप कुमार यादव---

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी की तहसील रामसनेही घाट के अन्तर्गत सुमेरगंज कस्बे को टाउन एरिया बनाये जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो उस पर अन्तिम निर्णय कब तक लेकर उसे टाउन एरिया घोषित कर दिया जायगा ?

श्री बलराम सिंह यादव---

जनपद बाराबंकी के सुमेरगंज कस्बे को टाउन एरिया बनाये जाने के प्रस्ताव को वाँछित अर्हताएं न रखने के कारण प्रशासन ने विचारोपरान्त अस्वीकार कर दिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिलापूर्ति कार्यालय, गोरखपुर द्वारा मकानों का आवंटन

74--श्रीमती गौरी देवी---

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि जिला आपूर्ति कार्यालय, गोरखपुर द्वारा 82-83 में शहरी किराया नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत कुल कितने मकानों का आवंटन किस आधार पर किया है ? क्या यह सच है कि मकानों के आवंटन में अनियमितता एवं गड़बड़ी की गयी है ? क्या मकान आवंटन की जाँच करायी जायगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

वर्ष 1982-83 (1-4-82 से 31-3-83) तक जिला गोरखपुर से गोरखपुर नगर में 28 आवासीय और 4 अनावासीय मकानों का आवंटन कया गया है। यह आवंटन उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार किया गया है।

मकानों के आवंटन में कोई अनियमितता या गड़बड़ी प्रकाश में नहीं आयी है। अतः मकानों के आवंटन के संबंध में कोई जाँच प्रस्तावित नहीं है।

प्रदेश में खाद्य पदार्थों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशालाएं खोलने की मांग

75--श्रीमती गौरी देवी---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मिलावटी वस्तुओं की जाँच के लिए प्रदेश में मात्र दो ही प्रयोगशालाएं हैं ? जिसकारण जाँच रिपोर्ट में विलम्ब होता है ? यदि हाँ, तो क्या प्रत्येक मण्डल में मिलावटी वस्तुओं की जाँच के लिए प्रयोगशालाएं खोलने पर विचार किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

खाद्य पदार्थों के विश्लेषण के लिये प्रदेश में इस समय दो प्रयोगशालाएं हैं। वर्तमान परिस्थितियों में यह व्यवस्था अपर्याप्त जरूर है परन्तु जाँच रिपोर्ट में विलम्ब न होने देने के भरसक प्रयत्न किय जाते हैं। संसाधनों की उपलब्धि के अनुपात में विश्लेषण प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है।

मोहल्ला कटरा चांद खां, पुराना शहर बरेली की सड़कों की मरम्मत की मांग

76--श्री रियासत हुसैन--

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि मो0 कटरा चाँद खां पुराना शहर बरेली में बरसात के समय दो दो फुट पानी भर जाता है और उस सड़क की मरम्मत के लिए वर्ष 80-81 में क्षेत्रीय निवासियों ने अनकों प्रार्थना दिये परन्तु अब तक उसकी मरम्मत नहीं करायी गयी? यदि हाँ, तो क्या उस सड़क की मरम्मत कराने के आदेश देने की कृपा करेंगे?

श्री बलराम सिंह यादव--

मोहल्ला कटरा चाँद खां, पुराना शहर, बरेली में बरसात में सड़क पर कुछ हिस्से में पानी भर जाता था। उस सड़क के लगभग 350 मीटर भाग का सुधार कार्य माह अगस्त, 1981 में पूर्ण करा दिया गया था। सीवर लाइन डाली जाने की योजना के कारण सड़क के केवल कुछ भाग की मरम्मत कार्य उस समय नहीं कराया गया था। सीवर लाइन डालने के बाद अब सड़क के उस भाग का भी मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है।

क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता (पूर्व), जल निगम इलाहाबाद के वर्कचार्ज कर्मचारियों के सम्बन्ध में पत्र

77--श्री भीखा लाल--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षत्रीय मुख्य अभियन्ता (पूर्व) जल निगम, इलाहाबाद के पत्रांक 1564/ई0-20 दिनक 2-4-73 में वर्कचार्ज कर्मचारिवों के संबंध में दियें गये निदशों के पालन हेतु क्षेत्र क विभिन्न खंडों में कौन-कौन सी कार्यवाहियाँ की गयी हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव--

क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता (पूर्व) उ0 प्र0 जल निगम, इलाहाबाद के पत्रक 1564/ई/20/102 दिनाँक 2-4-83 में वर्कचार्ज कर्मचारियोंके संबंध में 13 निर्देश दिये गये थे जिनमें से 12 के अनुपालन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। केवल परिचय पत्र कर्मचारियों को अभी नहीं निर्गत किये गये हैं, क्योंकि उसका प्रारूप तैयार किया जाना है।

होम्योपैथिक मेडिकल आफिसरों का चयन एवं नियुक्ति

78--श्री भीखालाल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, अगस्त, 82 में होम्योपैथी के मेडिकल अफसरों के चयन के लिये साक्षात्कार किया गया था और चयनित अभ्यर्थियों तथा प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थियों की दो सूचियाँ स्वीकार की गई थी? यदि हाँ, तो इन दोनों सूचियों में कितने कितने अभ्यर्थियों की नियुक्ति अब तक की जा चुकी है और शेष की नियुक्तियाँ कब तक कर दी जायगी? क्या मंत्री जी उन दोनों सूचियों को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री लोकपति--

जी हाँ।

154 चयनित अभ्यर्थियों की सूची घोषित की गयी। उक्त सभी चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है। प्रतीक्षा सूची घोषित नहीं की गई है। अतः शेष नियुक्त का प्रश्न नहीं उठता। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी हो चुके है और उन्होंने योगदान भी दे दिया है। इस लिये सूची को सदन की मेज पर रखने की आवश्यकता नहीं है।

उन्नाव जिले के सीनियर निरीक्षक बांट तथा माप के विरुद्ध शिकायती पत्र

79—श्री भीखा लाल तथा श्री रियासत हुसैन—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का एक पत्र दिनाँक 15-2-83 जो सीनियर निरीक्षक बाँट तथा माप उन्नाव के विरुद्ध भेजा गया था, उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो जाँचकर्त्ता ने शिकायत कर्त्ता से कोई पूछताछ की अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हाँ ।

जाँच कर्त्ता ने शिकायत कर्त्ता से पूछताछ की परन्तु वे कोई बयान/साक्ष्य देने के लिये तैयार नहीं हुये ।

गोण्डा जिले की तुलसीपुर नोटीफाइड एरिया को नगरपालिका बनाने के संबंध कथित संस्तुति और पेयजल की व्यवस्था हेतु नलकूप निर्माण की मांग

80—श्री भीखालाल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला अधिकारी, गोंडा तथा आयुक्त, फैजाबाद मंडल ने तुलसीपुर नोटीफाइड एरिया को नगरपालिका का दर्जा देने की संस्तुति शासन को वर्ष 1980 में की थी? यदि हाँ, तो शासन ने उस पर क्या निर्णय लिया है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

81—श्री भीखा लाल—

क्या नगर विकास मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि नोटीफाइड एरिया तुलसीपुर जिला गोंडा में पेय जल के अभाव को दूर करने के लिये शासन ने एक दूसरा नलकूप लगाने की स्वीकृति वर्ष 1979 में दी थी ? यदि हाँ, तो अब तक नलकूप न बनने का क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं ।

मिर्जापुर जिले के कतिपय ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था

82—श्री भीखा लाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सभा कुरहुल, गुरीहवाँ, रोडिया, भमाइच, भीगपुर, पटवध, गुरमुरा जिला मिर्जापुर में पेयजल का अभाव है ? यदि हाँ, तो क्या उक्त ग्राम सभाओं में हैन्ड पम्प लगाकर पेयजल की व्यवस्था करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो हैन्ड पम्प कब तक लगा दिये जायेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

पटवध ग्राम के अतिरिक्त कोई भी ग्राम 1972 में हुए सर्वेक्षण के अनुसार समस्याग्रस्त ग्रामों की सूची में नहीं है ? अतः शासन की वर्तमान नीति के अनुसार पटवध में दो हैन्ड पम्प लगाकर पेयजल व्यवस्था कर दी गई है तथा अन्य ग्रामों में कोई कार्य फिलहाल प्रस्तावित नहीं है ।

पौड़ी गढ़वाल जिले के स्थान श्रीनगर एवं चमोली जिले मुख्यालय गोपेश्वर में आवास विकास की योजनायें

83—श्री कुवर सिंह नेगी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थान श्रीनगर एवं जनपद चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में आवास विकास की योजनाएं प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो योजनायें कब तक शुरू हो जायेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हाँ। श्रीनगर जनपद पौड़ी गढ़वाल में आवास एवं विकास परिषद् को तीन योजनायें प्रस्तावित है जिन पर निर्माण कार्य लगभग 2 वर्ष पश्चात् प्रारम्भ होने की सम्भावना है।

जनपद चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में योजना चलाने हेतु स्थल चयन का मामला आवास एवं विकास परिषद् के विचाराधीन है।

मथुरा वृन्दाबन विकास प्राधिकरण की बैठक में लिया गया निर्णय

84—श्री सरदार सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनाँक 25 अक्टूबर, 83 को मथुरा वृन्दाबन विकास प्राधिकरण की बैठक आयुक्त आगरा मंडल, आगरा की अनुपस्थिति में हुई थी? यदि हाँ, तो इस बैठक में कौन-कौन से मुख्य-मुख्य निर्णय लिये गये? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्राधिकरण की इसके पूर्व की सभी बैठकें आयुक्त की अनुपस्थिति के कारण स्थगित की जाती रही हैं? यदि हाँ, तो 25–10–83 की बैठक को स्थगित न करने के क्या कारण थे?

श्री बलराम सिंह यादव—

(क) जी हाँ।

(ख) दिनाँक 25–10–1983 को हुई मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त में बैठक में लिये गये निर्णयों का उल्लेख है। बैठक के कार्यवृत्त की प्रतिलिपि माननीय प्रश्नकर्त्ता को अलग से दिनाँक 10–2–84 को रजिस्टर्ड डाक से भेज दी गई है।

(ग) इसके पूर्व प्राधिकरण की एक बैठक दिनाँक 24–3–1982, जिसमें मण्डलायुक्त उपस्थिति थे, कोरम के अभाव में स्थगित की गई। अन्य बैठकें दिनाँक 22–4–1977; 6–5–1978 तथा 21–12–78 मण्डलायुक्त की अनुपस्थिति के कारण स्थगित नहीं की गई थी बल्कि उनकी अध्यक्षता उपाध्यक्ष द्वारा की गई थी। दिनाँक 25–10–83 को हुई बैठक की भी अध्यक्षता उपाध्यक्ष ने की। शासनादेश दिनाँक 30–4–1982 के अनुसार अध्यक्ष की अनुपस्थिति में प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है।

सुल्तानपुर जिले की साधन सहकारी समिति, निवादा के गोदाम के निर्माण में बरती गयी अनियमितता

85—श्री मित्रसेन—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास खंड बल्दीय राय, जिला सुल्तानपुर के अन्तर्गत साधन सहकारी समिति निवादा का सहकारी गोदाम का श्री जगजीवन प्रसाद मिश्र पुत्र रामेश्वर मिश्र ग्राम बहुरावाँ सुलतानपुर ने अपनी ठेकेदारी में निर्माण कार्य वर्ष 1977–78 में करवाया था? क्या यह सही है कि वे उक्त समिति के सरपंच भी थे? यदि हाँ, तो उक्त गोदाम के निर्माण में कौन-कौन सी गंभीर अनियमिततायें की गई है? तथा गोदाम के जर्जर अवस्था में होने के क्या कारण हैं तथा निर्माण कार्य में की गई गंभीर अनियमितताओं के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बच्चा पाठक—

जी नहीं। ग्रामीण गोदाम का निर्माण समिति द्वारा स्वयं समिति के सरपंच एवं सचिव की देख रेख मे करवाया गया था।

यह सही है कि श्री जगजीवन प्रसाद मिश्र, उक्त समिति के सरपंच थे।

क्षेत्रीय अवर अभियन्ता के निरीक्षण के अनुसार निर्माण कार्य मानकों के अनुसार नहीं किया गया है तथा निर्माण सामग्री मानक के अनुसार नहीं प्रयोग की गयी है, जिससे गोदाम की दशा ठीक नहीं है। साथ ही गोदाम के निर्माण में स्वीकृत धन राशि से अधिक व्यय भी किया गया है।

तत्कालीन सचिव की सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं और निर्माण कार्य का मूल्यांकन तथा दायित्व निर्धारण किया जा रहा है।

सीतापुर जिले में जल निगम द्वारा निर्मित पानी की टंकी में लीकेज

86—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 जल निगम द्वारा सीतापुर में बनाई गई पानी की टंकी के निर्माण के बारे में प्रश्नकर्त्ता का कोई शिकायती पत्र मई, 83 के दूसरे पखवारे में उन्हें मिला, जिसकी प्राप्ति स्वीकृति नगर विकास अनु0-3 के अर्धशासकीय पत्र सं0 2983/9-3-83, 290-1-डब्लू0/83, दिनांक 7 जुलाई, 83 द्वारा प्राप्त हुई है। यदि हाँ, तो मुख्य शिकायतें क्या है तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हाँ।

उसमें मुख्य रूप से यह शिकायत की गयी थी कि टंकी पहली बार पानी भरने पर ही लीक हो गई और इस कारण वह अभी तक चालू नहीं हो सकी है। मामले की जाँच करायी गयी और प्राप्त सूचना के अनुसार यह ज्ञात हुआ कि टेस्टिंग के समय टंकी में लीकेज अवश्य पायी गयी थी किन्तु यह ठेकेदार द्वारा तत्काल ठीक कर दी गयी और अब उससे पेयजल वितरित किया जा रहा है।

लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल के छात्राओं के भोजन एवं चाय में की गयी कटौती

87—श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री सैफुल अमीर—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि बलरामपुर अस्पताल में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही छात्राओं को मैट्रन के द्वारा जो भोजन चाय की व्यवस्था चल रही थी उसमें कटौती कर ली गई है जिससे कि छात्राओं को भोजन व चाय से वंचित रहना पड़ रहा है? साथ ही उनके स्वास्थ्य व ड्यूटी पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों ? क्या इसकी जाँच किसी उच्च अधिकारी से कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

सीमित संसाधनों के कारण छात्राओं को भोजन चाय की व्यवस्था में आंशिक कटौती की गयी है। इस कटौती से छात्राओं के स्वास्थ्य एवं ड्यूटी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है और न इस आशय की कोई शिकायत ही प्राप्त हुई है।

जाँच उप निदेशक (उपचारिका सेवा) द्वारा की जा चुकी है।

उत्तर प्रदेश केन्द्रीयित सेवा के अवर अभियन्ताओं (सिविल), की ज्येष्ठता सूची और लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अवर अभियन्ताओं की ज्येष्ठता सूची

88—श्री मोहन सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 पालिका केन्द्रीयित सेवा में दिनाँक 9-7-66 के पूर्व नियुक्त किये गये अवर अभियन्ताओं सिविल की कोई ज्येष्ठता सूची बनाई गई है ? यदि हाँ, तो उक्त सूची में अंतिम स्थान पर किस व्यक्ति का नाम है तथा उनकी संख्या क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव---

जी हाँ। दिनाँक 9-7-66 के पूर्व नियुक्त अवर अभियन्ताओं सिविल की अनन्तिम काम चलाऊ कोटिक्रम सूची बनायी गयी है। उ0 प्र0 पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली के लागू होने के दिनाँक अर्थात् 9-7-1966 को अर्ह वेतनमान में कार्यरत अवर अभियन्ताओं की उक्त कामचलाऊ कोटिक्रम सूची में अन्तिम स्थान पर श्री कौशल नरेश सिंह का नाम है तथा उनका क्रमाँक 152 है।

89---श्री मोहन सिंह---

क्या नगर विकास मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि दिनाँक 9-7-66 के बाद लोक सेवा आयोग से चयनित अवर अभियन्ता सिविल की कोई सूची प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो किस दिनाँक को एवं उस सूची में क्रमबद्ध उनके क्या क्या नाम हैं? क्या इस क्रमबद्ध सूची को दिनाँक 9-7-1966 के पूर्व बनी ज्येष्ठता सूची से ज्येष्ठ माना गया है? यदि हाँ, तो क्यों? यदि कनिष्ठ माना गया है तो उनके क्रमबद्ध क्या-क्या नाम हैं?

श्री बलराम सिंह यादव---

जी हाँ। उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित अवर अभियन्ताओं (सिविल) की दो सूचियाँ प्राप्त हुई हैं। उक्त दोनों सूचियाँ क्रमशः दिनाँक 9-6-1978 तथा 7-11-1978 को प्राप्त हुई तथा उनमें चयनित अभ्यर्थियों के नाम क्रमबद्ध अंकित हैं। उक्त सूचियों की एक-एक प्रति सलग्न है। इन सूचियों में अंकित अवर अभियन्ताओं को 9-7-1966 को कार्यरत अवर अभियन्ताओं से कनिष्ठ माना गया है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1566-1569 पर)

हमीरपुर जिले में पूर्णकालीन एवं अंशकालीन दाईयों की नियुक्ति

90---श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन 82-83 में हमीरपुर जनपद में कितनी संख्या में पूर्णकालीन दाईयों की नियुक्ति की गई एवं उनकी नियुक्तियों में क्या प्रक्रिया अपनायी गयी एवं कितनी अंशकालीन दाइयों की नियुक्ति की गयी है? यह नियुक्तियाँ किस नियम के अन्तर्गत की गयीं?

श्री लोकपति---

सूचना एकत्र की जा रही है।

91--- प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा---

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

गोरखपुर, नगरमहापालिका द्वारा रीडस साहब धर्मशाला, गोलघर, एवं टाउन एरिया हाल में दुकानों का निर्माण एवं आवंटन

92---श्रीमती गौरी देवी---

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर नगर महापालिका द्वारा रीडस साहब धर्मशाला, गोलघर और टाउन हाल में बन रहीं दुकानों की प्रीमियम की धनराशि नवम्बर, 80 में ही जमा करा ली गई, परन्तु उनका निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है? यदि हाँ, तो विलम्ब का कारण क्या है? क्या यह सच है कि विगत नवम्बर, 80 से जुलाई, 83 तक जितनी दूकानों का निर्माण नगरपालिका व महापालिका, गोरखपुर द्वारा कराया गया उनके नकशे (भवन मानचित्र) विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा स्वीकृत नहीं कराए गए हैं? यदि हाँ, तो क्या कारण है और दुकानों का आवंटन कब तक कर दिया जायेगा?

श्री बलराम सिंह यादव---

केवल रीडस साहब धर्मशाला के पास बन रही दुकानों की प्रीमियम की प्रथम किश्त एवं गोलघर में बन रही दूकानों का प्रीमियम ही वर्ष 1980-81 में जमा कराया गया था।

गोलघर में दुकानों का निर्माण किया जा चुका है।

रीड्स साहब धर्मशाला के पास बन रही दुकानों का निर्माण ठेकेदार एवं नगर महापालिका के बीच विवाद उत्पन्न होने के कारण समय से नहीं हो सका। अब विवाद समाप्त हो गया है और निर्माण कार्य प्रगति पर है।

प्रशासक नगरपालिका/महापालिका, गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर के उपाध्यक्ष भी हैं। अतः उनकी स्वीकृति को ही विकास प्राधिकरण की स्वीकृति मान कर दुकानों का निर्माण कराया गया है।

गोलघर की दुकानों का आवंटन किया जा चुका है। रीड्स साहब धर्मशाला के पास बन रही दुकानों का आवंटन दुकान लेने के इच्छुक व्यक्तियों द्वारा आपत्ति उठाये जाने के कारण स्थगित है। इस बीच टाउन हाल के निकट नर्सेज हास्टल के सामने भी दुकानों का निर्माण हो चुका है। उनमें से 27 दुकानों का आवंटन कर दिया गया है। शेष 13 दुकानों का आवंटन प्रीमियम की पूरी धनराशि प्राप्त होने पर कर दिया जायेगा।

गोरखपुर नगरमहापारिका द्वारा नयी सड़कों एवं नालियों का निर्माण एवं तारकोल की खरीद

93---श्रीमती गौरी देवी---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 81-82 व 82-83 में गोरखपुर नगरमहापालिका द्वारा कुल कितनी कि0 मी0 नवीन सड़कों, नालियों का निर्माण हुआ और कितनी मरम्मत कराई गई? उपरोक्त सड़कों के निर्माण व मरम्मत कार्य में लगे तारकोल कहाँ-कहाँ से मंगाये गए और उसकी सम्पूर्ण धनराशियों का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो कितना?

श्री बलराम सिंह यादव---

गोरखपुर नगरमहापालिका द्वारा वर्ष 1981-82 में 0.95 कि0 मी0 सड़क तथा 3.32 कि0 मी0 नाली का निर्माण कराया गया तथा 7.59 कि0 मी0 सड़क एवं 13.10 कि0 मी0 नाली की मरम्मत करायी गई। वर्ष 1982-83 में 0.68 कि0 मी0 सड़क एवं 2.96 कि0 मी0 नाली का निर्माण कराया गया तथा 5.43 कि0 मी0 सड़क एवं 8.31 कि0 मी0 नाली की मरम्मत करायी गयी।

तारकोल का प्रबन्ध वर्ष 1981-82 में स्थानीय स्तर से किया गया, और वर्ष 1982-83 में मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन., बम्बई से तथा स्थानीय स्तर से किया गया। तारकोल के मूल्य के रूप में रु0 2,56,845.68 का भुगतान कर दिया गया है।

उ० प्र० राजकीय आयुर्वेदिक कालेज शिक्षक संघ का सम्मेलन एवं ज्ञापन

94---श्रीमती गौरी देवी---

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक शिक्षक संघ, उ0 प्र0 द्वारा 9 दिसम्बर, 82 को आयोजित सम्मेलन में स्वास्थ्य मंत्री श्री लोकपति त्रिपाठी को कतिपय माँगों के संबंध में ज्ञापन दिया गया था? यदि हाँ, तो ज्ञापन में उल्लिखित माँगे क्या थीं और अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री लोकपति---

दिनाँक 9-12-82 को आयोजित आयुर्वेदिक शिक्षक संघ के सम्मेलन में तत्कालीन स्वायत्त मंत्री श्री राम सिंह खन्ना जी को उक्त ज्ञापन दिया गया था। ज्ञापन की एक प्रतिलिपि† संलग्न है। इनकी माँगों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

---

†(छापी नहीं गयी।)

गोरखपुर जिले के गजपुर भीटी व मिर्जापुर में चिकित्सालय का भवन

95—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जनपद के गजपुर, भीटी उर्फ खीरिया व मिर्जापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भवन व आवास नहीं है और विगत तीन साल से वहाँ कोई चिकित्सा अधिकारी नहीं है ? यदि हाँ, तो क्या उपरोक्त तीनों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण शीघ्र कराया जायेगा तथा चिकित्सकों की नियुक्तियाँ कब तक कर दी जायेंगी ?

श्री लोकपति—

गजपुर, भीटी उर्फ खीरिया व मिर्जापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं बल्कि राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय हैं। यह चिकित्सालय किराये के भवनों में चल रहे हैं। इनमें डाक्टरों एवं कर्मचारियों के रहने के लिये आवास नहीं हैं। इनके भवन निर्माण के लिये जब जिला नियोजन समिति धन का आवंटन करेगी तभी निर्माण कराया जाना सम्भव हो सकेगा। गजपुर में चिकित्साधिकारी कार्यरत हैं। शेष दो चिकित्सालयों में डाक्टर की नियुक्ति शीघ्र कर दी जायेगी।

गोरखपुर जिले के कतिपय ग्रामों में अस्पतालों की स्थापना की मांग

96—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जनपद के जंगल बेलबार, बड़गो, छपिया महोपार कुस्मौल में एलोपैथिक चिकित्सालय, खाखोरठा, मलौली, हरैया, बाधागाड़ा, बड़गहन, बेलोपार में होम्योपैथिक तथा चबरिया बुजुर्ग, लहसड़ी और खानीपुर में आयुर्वेदिक चित्सिालय खोलने पर विचार कर रही है ? क्या यह सच है कि नवम्बर, 1980 से अब तक इस संबंध में 3 पत्र प्रश्नकर्त्ता द्वारा मंत्री जी को दिए गए परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई? यदि हाँ, तो क्यों तथा उपरोक्त स्थानों पर कब तक चिकित्सा सुविधा प्रदान कर दी जायेगी ?

श्री लोकपति—

प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना जिला योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत आती है। प्रश्न में उल्लिखित पत्र प्राप्त हुआ किन्तु उनम उल्लिखित स्थानों पर एलोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना का प्रस्ताव जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति से प्राप्त नहीं हुआ है। अतः उन स्थानों पर चिकित्सालय खोलने का प्रश्न नहीं उठता है।

पत्रों में उल्लिखित स्थानों पर चिकित्सालय खोलने के बारे में जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति से प्रस्ताव प्राप्त होने पर यथासम्भव विचार किया जायेगा।

गोरखपुर की यू० पी० उपभोक्ता सहकारी संघ, अलहलादपुर द्वारा वस्तुओं का वितरण एवं लाभ

97—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू0 पी0 उपभोक्ता सहकारी संघ, अलहलादपुर, गोरखपुर के माध्यम से किन-किन वस्तुओं का वितरण किया जाता है तथा इसमें विगत 3 सालों में संस्था को कुल कितना हानि या लाभ हुआ और इस संस्था में राज्य सरकार का कितना तथा अन्य संस्थानों का कितना धन लगा हुआ है ?

श्री बच्चा पाठक—

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लि0, लखनऊ की एक शाखा गोरखपुर में अलहलादपुर में है, जिसके माध्यम से नियंत्रित वस्त्रों, अनियंत्रित वस्त्र, हथकरघा वस्त्र, चावल, खाद्यान्न, दाल, दुग्ध चूर्ण, बेबीफूड, चाय, रेपसीड आयल, पाम आयल, वनस्पति घी, साबुन, अभ्यासपुस्तिकायें लेखन सामग्री, दियासलाई, एच0 एम0 टी0 तथा अन्य घड़ियाँ, बैट्री सेल, प्लास्टिक का सामान, बिजली का सामान, राज्यसात, वस्तुओं आदि का वितरण किया जाता है।

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लि0, लखनऊ की शाखा गोरखपुर ने विगत 3 सालों में लाभ पर कार्य किया, जिसका विवरण निम्न प्रकार है--

वर्ष		रु0
1980-81	.. +	.. 4,33,108.21
1981-82	.. +	.. 3,08,185.33
1982-83	.. +	.. 4,69,847.65

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लि0, लखनऊ की शाखाओं को अलग-अलग धन देने की शासन की नीति नहीं है। संघ में दिसम्बर, 1983 तक राज्य सरकार का 60.49 लाख रु0 अंशधन तथा 49.04 लाख रुपये ऋण के रूप में लगा है तथा सहकारी संस्थाओं का 85.53 लाख रु0 अंशधन के रूप में तथा उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक का 684.16 लाख रुपये का ऋण लगा है।

उक्त के अतिरिक्त संघ ने स्टेट बैंक आफ इंडिया से 50.00 लाख रुपये, यूनाइटेड कामर्शियल बैंक से 140.00 लाख रुपये तथा सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया से 9.56 लाख रु0 के बिल डिस्काउन्ट कराये हैं।

मेरठ जिले के कस्बा बड़ौत की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

98--श्री भीखालाल--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कस्बा बड़ौत, जिला मेरठ की नजूल भूमि पर नाजायज कब्जा किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्त्ता के दो पत्र दिनांक 26-4-83 तथा 22-8-83 उनको प्राप्त हुए हैं ? यदि हाँ, तो क्या उनकी जाँच करवाई गयी है ? यदि हाँ, तो परिणाम क्या निकला ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हाँ। मामला अभी विचाराधीन है।

जौनपुर जिले के ग्राम महिमापुर निवासी श्री बद्री लाल की दुर्घटना में मृत्यु एवं उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट

99--श्री ऊदल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बद्रीलाल पुत्र खुद्दीलाल गाँव महिमापुर, थाना जलालपुर, जिला जौनपुर, जो दिनाँक 29-9-83 को दुर्घटना में घायल होकर शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल, वाराणसी में भर्ती हुये थे और 30-9-83 को जिसकी मृत्यु हो गयी थी ? क्या यह सही है कि श्री बद्रीलाल के शव का पोस्टमार्टम 1-10-83 को हुआ है ? यदि हाँ, तो क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति--

जी हाँ।

बद्रीलाल पुत्र खुद्दीलाल, जिला जौनपुर दिनाँक 29-9-83 को दुर्घटना में घायल होकर शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल में भर्ती हुये थे और 30-9-83 को उनकी मृत्यु हो गई थी। बद्रीलाल के शव का पोस्ट मार्टम 1-10-83 को हुआ था। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट चूंकि अंग्रेजी में है, अतः सदस्य महोदय इसे मेरे कक्ष में देख सकते हैं।

100--श्री रेवती रमण सिंह--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

चमोली जिले के आयुर्वेदिक चिकित्सालय राउ-लेक, जिला चमोली के श्री श्याम सुन्दर वर्मा की अवशेष जी० पी० एफ० की धनराशि

101--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री श्याम सुन्दर वर्मा, सेवा निवृत्ति आयुर्वेदिक कम्पाउन्डर जो कि जुलाई 1973 में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय राँउ-लेक, जिला चमोली से सेवानिवृत्ति हुये थे की सामान्य भविष्य निधि के अवशेष धनराशि के भुगतान का मामला आयुर्वेदिक निदेशालय में लम्बित है ? यदि हाँ, तो भुगतान में विलम्ब का क्या कारण है? भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

श्री लोकपति--

सामान्य भविष्य निधि निर्वाह निधि के अवशेष धनराशि के भुगतान का मामला महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालय में लम्बित है।

महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से अधिकार पत्र के प्राप्त हो जाने पर ही भुगतान सम्भव होगा।

बाराबंकी जिले का ग्राम जाटा बरौली का डाक्टर विहीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

102--श्री श्याम लाल बजापेयी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद बाराबंकी के वि० खं० बंकी के अन्तर्गत ग्राम जाटा बरौली में लगभग 3 लाख की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनवाया गया है? यदि हाँ, तो सन् 81 से 14-11-83 तक इस केन्द्र पर कितने डाक्टर कम्पाउन्डर, चौकीदार नियुक्त किए गए ? स्वास्थ्य केन्द्र के रजिस्टर में औसतन कितने रोगी नित्य नाम दर्ज कराके औषधि एवं उपचार लाभ प्राप्त करते हैं ? क्या शासन को पता है कि जाटा बरौली स्वास्थ्य केन्द्र में कोई डाक्टर कम्पाउन्डर अथवा अन्य कर्मचारी जाते ही नहीं ? यदि हाँ, तो स्वास्थ्य विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री लोकपति--

सूचना एकत्र की जा रही है।

बांदा नगर मे पेयजल टंकी का निर्माण

103--प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या बाँदा नगर में पेयजल योजना के अन्तर्गत 25 लाख लीटर तथा 10 लाख लीटर के टैंकों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? ये टैंक कब तक बन जायेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

बाँदा नगर के पेयजल योजना के अन्तर्गत 25 लाख लीटर के क्षमता की टंकी का निर्माण कार्य चल रहा है। 10 लाख लीटर के क्षमता की टंकी के डिजाइन का परीक्षण किया जा रहा है।

दोनों टंकिया सितम्बर, 1984 तक बन जाने की सम्भावना है।

बांदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत पेयजल योजनान्तर्गत नलकूप का निर्माण

104--प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि 1 जून, 80 से लेकर अब तक बाँदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने के लिये क्या-क्या कार्य किये तथा इन पर कितना धन व्यय किया गया ?

श्री बलराम सिंह यादव--

1 जून, 1980 से अब तक बाँदा नगर में 4 नलकूप तथा 2 जलाशय निर्मित किये गये तथा 31 किलोमीटर पाइप लाईन बिछाकर चालू की गयी। विसण्डा नगर में एक नलकूप का छिद्रण किया गया।

ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप लाइन द्वारा 27 तथा हैण्डपम्प द्वारा 14 राजस्व ग्रामों में जल सम्पूर्ति की गयी।

उपर्युक्त कार्यों पर लगभग 175 लाख रुपया व्यय हुआ।

प्रदेश के स्वास्थ्य सहायकों की पदोन्नति

105--श्री हरिवंश सहाय---

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि निदेशक, स्वास्थ्य निदेशालय, उ0 प्र0 द्वारा शासनादेश संख्या एफ0 पी0--4292/16-3-एफ पी0-263-68, दिनाँक 6-12-78 का पालन करते हुए उ0 प्र0 के कुल स्वीकृत पदों का कितने प्रतिशत स्वास्थ्य सहायकों को निम्न वेतन मान से उच्च वेतन मान में प्रोन्नत किया गया तथा सरकार द्वारा कितने प्रतिशत प्रोन्नति की सीमा निर्धारित थी ?

श्री लोकपति--

सम्बन्धित नियुक्त प्राधिकारियों द्वारा कुल स्वीकृत पदों में से 36.15 प्रतिशत स्वास्थ्य सहायकों को निम्न वेतनमान से उच्च वेतनमान में प्रोन्नति कर लिया गया है। सरकार द्वारा 25 प्रतिशत प्रोन्नति की सीमा निर्धारित की गयी थी।

खीरी जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, निघासन के स्वास्थ्य सहायक श्री श्रीकान्त मिश्र के वेतन का भुगतान

106--श्री हरिवंश सहाय---

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री के0 सी0 मिश्र, विशेष कार्याधिकारी, मुख्य मंत्री सचिवालय, उ0 प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या एम0-3260/सी0 एम0-2/83-मुख्य मंत्री कार्यालय अनुभाग-2 लखनऊ, दिनाँक 1-5-83 जो कि श्री श्रीकान्त मिश्र, स्वास्थ्य सहायक, स्वास्थ्य केन्द्र निघासन, जनपद खीरी के जनवरी, 79 से अप्रैल, 80 तक के वेतन भुगतान के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति--

जी हाँ। प्रश्नगत स्वास्थ्य सहायक को दिनाँक 13-12-79 से 8-5-80 तक की अवधि का अवकाश दिनाँक 4-1-84 को स्वीकृत कर दिया गया है।

ललितपुर नगरपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार की कथित जांच

107--श्री मोहन सिंह---

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ललितपुर नगरपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार की जाँच कराई गई है ? यदि हाँ, तो उसमें कौन-कौन से तथ्य प्रकाश में आये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव---

नगरपालिका ललितपुर में भ्रष्टाचार के बारे में श्री राजेन्द्र कुमार के नाम से एक पत्र दिनाँक 18-12-82 प्राप्त हुआ था। उस पर जाँच करायी गयी परन्तु जाँच के दौरान शिकायतकर्त्ता ने बयान दिया कि शिकायत उनके द्वारा नहीं की गयी है। तथापि जाँच आख्या विचाराधीन है।

ललितपुर, नगरपालिका की गायब की गयी मिनिट बुक

108--श्री मोहन सिंह---

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि करोड़ों की सम्पत्ति हड़पने के लिए ललितपुर नगरपालिका की अंग्रेजी शासन काल की मिनिट बुक नं0 एक व तीन को गायब कर दिया गया है ? उसमें किन-किन लोगों का हाथ है तथा इस बारे में शासन ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

पालिका अभिलेखों के आधार पर अंग्रेजी शासनकाल की मिनिट बुक नं0 एक व तीन गायब है। प्रशासक के अनुसार इसमें पालिका के तत्कालीन कार्यालय अधीक्षक श्री श्रीराम मक्कड़ जो वर्तमान में नगरमहापालिका, कानपुर में लेखा कार चुंगी के पद पर कार्यरत हैं, का हाथ मालूम पड़ता है। उन्हें निर्देश दिये गये हैं कि इस मामले में प्राथमिकता के आधार पर जाँच करके दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जाय।

आजमगढ़ जिले के ग्राम दुबारी के मुसलमानों को ईद के अवसर पर चीनी का न मिलना

109--श्री राज कुमार राय--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता के संस्तुति पत्र दिनाँक 20-7-83 के साथ आजमगढ़ जिले के घोसी तहसील के दुबारी ग्राम के मुसलमानों का कोई शिकायती पत्र इस आशय का मिला था कि उन्हें 12-7-83 के ईद की चीनी नहीं आवंटित की गई? यदि हाँ, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई और कौन अधिकारी या कर्मचारी उत्तर-दायी पाया गया?

श्री बच्चा पाठक--

जी हाँ।

शिकायती पत्र की जाँच करायी गयी। वरिष्ठ हाट निरीक्षक, घोसी की अनुपस्थित के कारण वितरण हेतु चीनी नहीं मिली। वरिष्ठ हाट निरीक्षक का स्थानान्तरण जनपद से बाहर हो गया है। नये वरिष्ट हाट निरीक्षक के आने के बाद से आवंटन वितरण ठीक ढंग से चल रहा है।

आजमगढ़ जिले की साधन सहकारी समिति, मर्यादपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच

110--श्री राजकुमार राय--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्न कर्त्ता का संस्तुति पत्र दिनाँक 20-7-83 जो आजमगढ़ के जिलाधिकारी को फतेहपुर मरजाद ब्लाक के सहकारी सचिवों द्वारा दी गई शिकायती चिट्ठी की कार्बन कापी के साथ था, मिला था? यदि हाँ, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी तथा कौन-कौन से आरोप सही पाए गये?

श्री बच्चा पाठक--

जी हाँ।

शिकायती पत्र में यह कहा गया था कि साधन सहकारी समिति लि0, मर्यादपुर द्वारा रु0 15,040.00 का चेक 11-5-83 को वरिष्ठ हाट निरीक्षक, घोसी के कार्यालय में जमा किया गया, परन्तु उसके विरुद्ध चीनी की निकासी नहीं की गयी। शिकायत की जाँच उप संभागीय विपणन अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा सम्पादित की गई। जाँच रिपोर्ट के आधार पर सचिव एवं वरिष्ठ हाट निरीक्षक, घोसी के बीच हुआ विवाद संदेहात्मक पाया गया तथा अभिलेखों के आधार पर सचिव द्वारा 11-5-83 को चेक जमा करने की भी पुष्टि नहीं हुई। वरिष्ठ हाट निरीक्षक, घोसी का स्थानान्तरण बस्ती जनपद को हो गया है और नये वरिष्ठ हाट निरीक्षक के आने के बाद से कार्य समुचित ढंग से चल रहा है।

111--श्री किरन पाल सिंह--

[करण सं0 2 6 (1) के अन्तर्गत उत्तरित]

लखनऊ, शिवाजी मार्ग, श्रम संविदा सहकारी समिति लि0 में प्राप्त राशन की दुकान हेतु प्रार्थना-पत्र

112--श्री रियासत हुसैन--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिवाजी मार्ग सहकारी समिति लि0 लखनऊ जिसने राशन की दुकान के आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र 15 जुलाई, 82 को दिया था और जिस पर क्षेत्रीय राशनिंग अधिकारी, वजीरगंज ने 12-1-83 को तथा सहायक निबन्धक

लखनऊ ने 24-3-84 को अपनी संस्तुति दे दी थी, को राशन की दूकान एलाट कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

शिवाजी मार्ग सहकारी समिति लि0 लखनऊ की राशन की दुकान के आवंटन हेतु कोई प्रार्थना पत्र नहीं प्राप्त हुआ था बल्कि शिवाजी मार्ग श्रम संविदा सहकारी समिति लि0 की राशन दुकान के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था। उक्त समिति द्वारा 28-4-83 को आवेदन पत्र दुकान न लेने के सम्बन्ध में दिया गया। अतएव समिति को दुकान आवंटित नहीं की गयी।

113--श्री रियासत हुसैन---

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

गोण्डा जिले के तुलसीपुर के महिला अस्पताल के निर्माण की मांग

114--श्री रियासत हुसैन---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तुलसीपुर, जनपद गोण्डा में शासन द्वारा जो एक महिला अस्पताल खोला गया है उसके भवन का निर्माण कार्य शुरू हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति---

जी नहीं।

चिकित्सालयों के भवन निर्माण की योजना जिला सेक्टर योजना है। जब तक जिला नियोजन समिति इस कार्य के लिये धन का आवंटन नहीं करती है, भवन का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है।

मुरादाबाद जिले के ग्राम छावनी में अनधिकृत रूप से सड़क का निर्माण

115--श्री रियासत हुसैन---

क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि प्लाट नं0 314 ग्राम छावनी जनपद मुरादाबाद पर जिला जज मुरादाबाद द्वारा अनधिकृत रूप से सड़क बनाये जाने के संबंध में प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र दिनाँक 25-8-83 प्राप्त हुआ ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव---

जी हां। मामले में आवश्यक जाँच की जा रही है।

आजमगढ़ जिले के अजमतगढ़ विकास खण्ड की हरिजन बस्तियों में पेयजल की व्यवस्था

116--श्री पंचानन राय---

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत आजमगढ़ जिले के अजमतगढ़ ब्लाक में किन-किन हरिजन बस्तियों में पेयजल व्यवस्था वर्ष 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 में की गयी है तथा कौन-कौन से हरिजन बस्तियां ऐसी हैं जहाँ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

हरिजन बस्तियों में पेयजल व्यवस्था से संबंधित कार्य मुख्यतः जिला प्रशासन द्वारा कराया जाता है। उ0प्र0 जल निगम द्वारा जिन ग्रामों में पाइप या इण्डिया मार्क-11 हैन्ड पम्प द्वारा व्यवस्था कराई जाती है इसमें हरिजन बस्ती को भी लाभान्वित किया जाता है, पाइप योजनाओं में स्टैण्ड पोस्ट लगाकर तथा हैन्ड पम्प योजना में एक हैन्ड पम्प लगाकर अजमतगढ़ ब्लाक में वर्ष 80-81 में 16 ग्राम तथा 81-82 में 9 ग्रामों में पाइप द्वारा पेयजल व्यवस्था कराई गई तथा इनमें स्थित हरिजन बस्तियों को भी स्टैन्ड पोस्ट लगाकर लाभान्वित किया गया। वर्ष 82-83 में 2 ग्रामों में हैन्ड पम्प लगाकर पेयजल व्यवस्था की गई जिसमें प्रत्येक ग्राम में एक-एक हैन्ड पम्प हरिजन बस्ती में लगाया गया।

शासन की वर्तमान नीति के अनुसार पेयजल व्यवस्था वर्तमान में केवल 1972 की सूची में सम्मिलित समस्याग्रस्त ग्रामों में की जा रही है।

अजमतगढ़ ब्लाक में 10 समस्याग्रस्त ग्राम है। इस प्रकार शेष 8 ग्रामों की हरिजन बस्तियों में हैन्ड पम्प लगा कर पेयजल व्यवस्था मार्च, 84 तक कर दी जायेगी।

आजमगढ़ जिले के हरैया ब्लाक तथा अजमतगढ़ ब्लाक के अन्तर्गत पेयजल की व्यवस्था

117—श्री पंचानन राय—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के हरैया ब्लाक में कितने ग्रामों में पेयजल की समस्या 31 मार्च, 1980 तक थी? इनमें से कितने गाँवों में पेयजल की व्यवस्था 80–81, 81–82 तथा 82–33 में की गयी? 31 अक्तूबर, 1983 को कितने गाँव शेष रह गये थे और इनमें पीने के पानी की कब तक व्यवस्था कर दी जायेगी?

श्री बलराम सिंह यादव—

1972 के सर्वेक्षण के अनुसार आजमतगढ़ जिले के हरैया ब्लाक में दस ग्राम समस्याग्रस्त थे जिसमें 31–3–80 तक पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जा सकी।

वर्ष 1980–81, 81–82 तथा 82–83 में इनमें से किसी ग्राम में पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जा सकी।

31 अक्टूबर तक उपयुक्त सभी दस ग्राम शेष रह गये थे। जून, 84 तक इन सभी ग्रामों में इंडिया मार्क–11 हैन्ड पम्प लगाकर पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी।

118—श्री पंचानन राय–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के अजमतगढ़ वि0 खं0 में कितने ग्रामों में पेयजल की समस्या 31 मार्च, 80 तक थी? इनमें से कितने गावों में पेयजल की व्यवस्था 80–81, 81–82 तथा 82–83 में की गयी? 31 अक्तूबर, 83 को कितने गाँव शेष रह गये थे और इनमें पीने के पानी की कब तक व्यवस्था कर दी जायेगी?

श्री बलराम सिंह यादव—

1972 के सर्वेक्षण के अनुसार आजमगढ़ जनपद के अजमतगढ़ ब्लाक में दस ऐसे ग्राम थे समस्याग्रस्त जिनमें 31–3–80 तक पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा सकी।

वर्ष 80–81 में एक ग्राम को पाइप लाइन द्वारा पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई गई।
वर्ष 81–82 में किसी ग्राम को पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा सकी।

वर्ष 82–83 में दो ग्रामों में इंडिया मार्क–11 हैन्ड पम्प लगाकर पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई गयी।

अप्रैल, 83 से अक्टूबर, 83 तक तीन ग्रामों में इंडिया मार्क–11 हैन्ड पम्प लगाकर पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई गई।

अक्टूबर, 83 के बाद में 4 ग्राम शेष रह गये। मार्च, 84 तक इन सभी ग्रामों में इंडिया मार्क–11 हैन्ड पम्प लगाकर पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी।

नैनीताल, पटवाडांगर वैक्सीन इंस्टीट्यूट के लिपिक श्री केदार सिंह रौतेला के स्थानान्तरण की मांग

119—श्री नन्दकिशोर सिंह—

विधान सभा में दिनाँक 8–9–83 को उत्थापित अता0प्र0सं0 84–85 के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत शिकायती-पत्र की प्रतियाँ शासन व निदेशालय को कब प्राप्त हुयी हैं? उक्त अता0प्र0 84 में दिए गये आश्वासन के अनुसार क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि प्रश्नगत लिपिक को 14 वर्ष तक एक ही कार्यालय में कार्यरत रहने पर भी मई-जून, 83 के स्थानान्तरण सत्र में उनके अधिकारी द्वारा तबादले की संस्तुति न करन का क्या कारण था?

श्री लोकपति--

शिकायती-पत्रों की प्रतियाँ निदेशालय में दिनाँक 6 सितम्बर, 1983 को प्राप्त हुईं। इनकी जाँच करायी गयी कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। अतः श्री दीवान सिंह रौतेला के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता। जनहित में श्री रौतेला के स्थानान्तरण की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

120--श्री जीराज सिंह मौर्य--

[दिनाँक 23-2-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या 5 द्वारा उत्तरित।]

आजमगढ़ जिले के हरैया ब्लाक के हरिजन बस्तियों में पेयजल की व्यवस्था

121--श्री पंचानन राय--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत आजमगढ़ जनपद के हरैया ब्लाक में किन-किन हरिजन बस्तियों में पेयजल की व्यवस्था वर्ष 80-81, 81-82 तथा 82-83 में की गयी है तथा कौन-कौन सी हरिजन बस्तियाँ ऐसी हैं जहाँ पानी पीने की व्यवस्था नहीं है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

हरिजन बस्तियों में पेयजल व्यवस्था संबंधित कार्य मुख्यतः जिला प्रशासन द्वारा कराया जाता है। उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा जिन ग्रामों में पाइप या इंडिया मार्क-II हैण्ड पम्प द्वारा व्यवस्था करायी जाती है उसमें स्थित हरिजन बस्ती को भी लाभान्वित किया जाता है, पाइप योजनाओं में स्टैन्ड पोस्ट लगाकर तथा हैन्ड पम्प योजना में एक हैन्ड पम्प लगाकर हरैया ब्लाक में वर्ष 80-81, 81-82 तथा 82-83 में किसी भी ग्राम में पेयजल व्यवस्था नहीं करायी गयी।

शासन की वर्तमान नीति के अनुसार पेयजल व्यवस्था वर्तमान में केवल 1972 की सूची में सम्मिलित समस्याग्रस्त ग्रामों में की जा रही है हरैया ब्लाक के 10 सामान्य समस्याग्रस्त ग्रामों की हरिजन बस्तियों में हैन्ड पम्प लगाकर पेयजल व्यवस्था जून, 84 तक कर दी जायगी।

आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज ब्लाक के अन्तर्गत पेयजल की व्यवस्था

122--श्री पंचानन राय--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज ब्लाक में कितने ग्रामों में पेयजल की समस्या 31 मार्च, 80 तक थी ? इनमें से कितने गाँवों में पेयजल की व्यवस्था 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 में की गयी ? 31 अक्तूबर, 83 को कितने गाँव शेष रह गये हैं और इनमें से पीने के पानी की कब तक व्यवस्था कर दी जायगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

वर्ष 1972 के सर्वेक्षण के अनुसार आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज ब्लाक में दो ग्राम समस्याग्रस्त ग्रामों की सूची में थे। इनमें 31-3-80 तक पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। वर्ष 80-81, 81-82 तथा 82-83 में इनमें से किसी भी ग्राम में पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जा सकी।

अक्टूबर 83 तक उपरोक्त दोनों ग्राम शेष रह गये थे। मार्च, 84 तक इन दोनों ग्रामों में इंडिया मार्क-II हैण्ड पम्प लगाकर पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा दी जायगी

आगरा कमिश्नरी में लगाये गये नेत्र शिविर एवं मरीजों की आंख खराब होने की घटना

123--श्री जगदीश पांडे--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा कमिश्नरी में जो सरकार की इजाजत से आँखों के इलाज के लिये सन् 1981 से अब तक कैम्प लगाये गये, उनमें आपरेशन से कितने मरीजों की एक या दोनों आँखे खराब हो गयी है ? उनके लिये क्या सहायता दी गयी है ?

श्री लोकपति—

वर्ष 1981 से अब तक जनपद मथुरा, मैनपुरी, एटा व अलीगढ़ में सरकार की इजाजत से जो नेत्र शिविर लगाये गये उन शिविरों में आपरेशन के कारण किसी भी मरीज की एक या दोनों आँखें खत्म नहीं हुईं। अतः किसी सहायता का प्रश्न नहीं उठता है।

आगरा जनपद की कुछ संस्थाओं से सूचना अपेक्षित है।

श्रीमती प्रेमा देवी, ए० एन० एम०, वाराणसी के अवशेष वेतन का भुगतान

124—श्री ऊदल—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रेमा देवी, ए0 एन0 एम0 का वेतन 1-11-76 से 3-8-77 तक का बार-बार लिखने व माँगने पर भी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने आज तक नहीं किया? क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में प्रेमादेवी ने एक प्रार्थना पत्र श्रीमान् सी0 एम0 ओ0, वाराणसी को दिनाँक 17-8-81 को दिया था? यदि हाँ, तो वेतन क्यों नहीं दिया गया क्या उसकी जाँच की गयी?

श्री लोकपति—

श्रीमती प्रेमादेवी ए0 एन0 एस0 के दिनाँक 1 नवम्बर, 1976 से 28 फरवरी, 1977 तथा 1 अप्रैल, 1977 से 3 अगस्त, 1977 तक के वेतन का भुगतान किया जा चुका है। मार्च 1977 के अवकाश वेतन का शीघ्र भुगतान करने हेतु निर्देश दे दिया गया है।

श्री डी० के० डोवाल तत्कालीन, उप नगर अधिकारी, लखनऊ का स्थानान्तरण

125—श्री श्याम लाल बाजपेयी—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री डी0 के0 डोबाल, उप नगर अधिकारी, लखनऊ नगर महापालिका का तबादला जुलाई, 83 में प्रभारी अधिकारी खुर्जा नगरपालिका पद पर हुआ था? क्या यह सत्य है कि श्री डोबाल शासन के आदेश को उपेक्षा कर 'मेडिकल लीव' पर हैं? यदि हाँ, तो क्या शासन अपने आदेशों को कार्यान्वित कराने हेतु कोई प्रभावी कदम उठायेगा?

श्री बलराम सिंह यादव—

श्री डी0 के0 डोवाल, तत्कालीन उपनगर अधिकारी, नगर महापालिका, लखनऊ का तबादला शासन के आदेश दिनाँक 29-6-1983 द्वारा नगरपालिका, खुर्जा के प्रभारी अधिकारी के पद पर हुआ था। किन्तु श्री डोवाल वहाँ दिनाँक 4-2-1984 को कार्यभार ग्रहण करने पहुंचे थे। बीच की अवधि के लिए उन्होंने चिकित्सा प्रमाण-पत्रों के साथ अवकाश का प्रार्थना पत्र शासन को प्रेषित किया है। अब माननीय उच्च न्यायालय के एक निर्णय के फलस्वरूप शासनादेश दिनाँक 4-2-84 द्वारा श्री डोवाल को प्रभारी अधिकारी के पद से प्रत्यावर्तित कर दिया गया है और उन्हें विकास प्राधिकरण, लखनऊ में सहायक नगर अधिकारी के पद पर तैनात किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में शासनादेश दिनाँक 29-6-83 को कार्यान्वित कराये जाने के लिये किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

ललितपुर जिले के तालबेहट में उ० प्र० राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की शाखा खोलने की मांग

126—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तालबेहट, जनपद ललितपुर में भूमि विकास बैंक की शाखा खोलने का लाइसेन्स, 1980 में प्राप्त कर लिया गया है? यदि हाँ, तो जनपद का तहसील केन्द्र होने के कारण बैंक की शाखा प्रारम्भ करने हेतु शासन द्वारा क्या निर्णय लिया गया?

श्री बच्चा पाठक—

जी नहीं। उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की तालबेहट में शाखा खोलने की स्वीकृति राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से प्राप्त नहीं है।

बस्ती जिले की स्वास्थ्य निरीक्षिका, श्रीमती कुसुम लता श्रीवास्तव का स्थानान्तरण

127—श्री परमात्मा प्रसाद सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनाँक 28-1-83 जो बस्ती जनपद के एक स्वास्थ्य निरीक्षका के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? जिस पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने का आदेश सहायक निदेशक मातृ एवं शिशु कल्याण को हुआ था ? यदि हाँ, तो सहायक निदेशक मातृ शिशु कल्याण ने उस पर क्या कार्यवाही की ? क्या यह सही है कि सम्बन्धित कर्मचारी का स्थानान्तरण कर दिया गया है ? किन्तु स्थानान्तरण आदेश का अनुपालन न किये जाने का अब क्या कारण है और उसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

श्री लोकपति—

जी हाँ।

सहायक निदेशक, मातृ शिशु कल्याण द्वारा प्रशासनिक आधार पर प्रश्नगत स्वास्थ्य निरीक्षिका का स्थानान्तरण जनपद देवरिया कर दिया गया।

जी हाँ।

स्थानान्तरण आदेश तामील, नहीं हो पाया क्योंकि यह चिकित्सा अवकाश पर चली गयी। इस पर स्थानान्तरण आदेश संबंधित कर्मचारी के घर पर चस्पा कर उन्हें जनपद बस्ती से कार्यमुक्त कर दिया गया।

128—श्री परमात्मा प्रसाद सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बस्ती के पत्र सं0 एव0 वी0/83 अक्तूबर, 22, 1983 जो सम्बन्धित सहायक निदेशक, मातृ एवं शिशु कल्याण, उ0 प्र0 लखनऊ तथा एक स्वास्थ्य निरीक्षिका के सम्बन्ध में है, के मुख्य तथ्य क्या हैं ? इस स्वास्थ्य निरीक्षिका के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

प्रश्गगत पत्र में अवगत कराया गया है कि श्रीमती कुसुमलता श्रीवास्तव स्वास्थ्य निरीक्षिका ने अपने देवरिया के स्थानान्तरण आदेश लेने से इंकार कर दिया और चिकित्सा अवकाश पर चली गयीं।

प्रश्नगत स्वास्थ्य निरीक्षिका के निवास स्थान पर स्थानान्तरण आदेश चस्पा कर दिया गया तथा उसे जनपद बस्ती से कार्यमुक्त मान लिया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

झांसी जिले के डा० (मेजर) एस० एन० भटनागर की पेंशन

129—श्री नरेन्द्र सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 (मेजर) एस0 एन0भटनागर, डिप्टी सी0 एम0 ओ0 झांसी दिनाँक 30-9-1980 में रिटायर हो गये थे ? यदि हाँ, तो आज तक डा0 भटनागर को पेंशन कम दिये जाने के क्या कारण है और उन्हें पेंशन मिलनी कब से प्रारम्भ हो जायगी ?

श्री लोकपति—

जी हाँ। डा0 मेजर ;एस0 एन0 भटनागर के कार्यालय के लेखों की सम्प्रेक्षा आपत्तियों का निराकरण न हो पाने के कारण उनके पेंशन पेपर्स महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को समय पर नहीं भेजे जा सके थे। सम्प्रेक्षा आपत्तियों का निराकरण होने के उपरान्त अब उनके पेंशन पेपर्स एवं अदेयता प्रमाण पत्र आदि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के पत्र दिनाँक 23 जनवरी, 28 जनवरी तथा 15 फरवरी, 1984 द्वारा महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेज दिये गये हैं। डा0 भटनागर के वेतन निर्धारण में त्रुटि के फलस्वरूप उनकी पुनरीक्षित एल0 पी0 सी0 तथा तदनुसार अन्तिम 10 मास के वेतन का पुनरीक्षित विवरण महालेखाकार

को भेजा जाना है, जिसे शीघ्रातिशीघ्र भेजने के लिये निदेशक को निर्देश दे दिये गये हैं। महालेखाकार से प्राधिकार-पत्र प्राप्त होने पर डा0 भटनागर को पेंशन मिलनी प्रारम्भ हो जाएगी।

आजमगढ़ जिले की सहकारी संघ अनजान शहीद की भूमि एवं भवन

130—श्री पंचानन राय—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी संघ, अनजान शहीद आजमगढ़ के पास अपनी-अपनी निजी कितनी भूमि एवं भवन है तथा इसका प्रयोग किन-किन व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है ?

श्री बच्चा पाठक—

अभिलेखों के आधार पर सहकारी संघ अनजान शहीद, आजमगढ़ के पास अपनी कोई निजी भूमि नहीं है। परन्तु संघ द्वारा अपने संसाधनों से निर्मित भवनों का विवरण निम्नवत् है—

(1) पोखरे के उत्तरी भीटें पर निर्मित 6 कमरों का मुख्य भवन—इस भवन के पूर्वी भाग के दो कमरे श्रीमती राधिका सिंह, अध्यापिका मौलाना आजाद इण्टर कालेज के प्रयोग में है जिसका वह कोई किराया नहीं देती हैं और न उनको किराये पर देने हेतु संघ का कोई प्रस्ताव ही है। मध्य के दो कमरे संघ के बीज भण्डार के प्रयोग में है तथा शेष पश्चिमी दो कमरे राजकीय यूनानी चिकित्सालय, अनजान शहीद के डाक्टर के निवास के रूप में प्रयोग किये जा रहे हैं। यह कमरे अस्थायी रूप से अस्पताल खोलने हेतु इस शर्त पर दिये गये थे कि वे किराये के एवज में मरम्मत कार्य आदि स्वयं करायेंगे लेकिन इन पर इनका कोई स्वत्व न होगा।

(2) दक्षिणी भीटे पर बना संघ का भवन—श्री मिर्जा एहसानुल्लाह बेग, भूतपूर्व अध्यक्ष, सहकारी संघ, अनजान शहीद द्वारा जुलाई, 1961 से प्रयोग किया जा रहा है। इनसे किराया वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) आजमगढ़ दोहरीघाट मार्ग पर निर्मित संघ के दो कमरे—यह कमरे श्री नरायन साहू, पुत्र श्री बिल्लर साहू तथा श्री सुखनन्दन पुत्र श्री लोटन को संघ द्वारा किराये पर दिये गये हैं। इनके ऊपर कुछ किराया बाकी है जिसके वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर प्रदेश राज्य कल्याण ब्यूरो, लखनऊ के आशुलिपिक का नया वेतनमान

131—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो उ0प्र0, लखनऊ में वेतनमान 300-500 के स्वीकृति आशुलिपिक के पद का द्वितीय वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर नए वेतनमान का विभागीय पूरक शासनादेश जारी कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके जारी करने में विलम्ब का कारण क्या है तथा उक्त शासनादेश कब तक जारी कर दिया जायगा ?

श्री लोकपति—

जी हाँ। संबंधित शासनादेश दिनांक 1 नवम्बर, 1983 को जारी हुआ है।

जिला सहकारी बैंक फतेहगढ़ के अन्तर्गत अभियुक्त कर्मचारियों का निलम्बन

132—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

प्रथम सत्र 83 के 4थे गुरु के लिए निर्धारित प्रश्नकर्त्ता के अता0 प्र0 सं0-18 के उत्तर के सन्दर्भ में सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक लि0, फतेहगढ़ के अन्तर्गत धारा 409 के अनेक अभियुक्त कार्यरत हैं ? यदि हाँ, तो इसका कारण क्या है और इसके लिये दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक----

जिला सहकारी बैंक लि0, फतेहगढ़ के अन्तर्गत धारा 409 के तीन मामलों में 7 अभियुक्त कार्यरत है। एक मामले में इन कर्मचारियों में से सर्वश्री स्वराज्य प्रकाश शर्मा, रामनरेश यादव एवं शिशुपाल सिंह को बैंक द्वारा दिनाँक 26-2-83 को निलम्बित किया गया था। इन तीनों कर्मचारियों ने माननीय उच्च न्यायालय से निलम्बन के विरुद्ध दिनाँक 11-5-83 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। अन्य दो मामलों में बैंक द्वारा श्री स्वराज्य प्रकाश शर्मा, भूरे सिंह, अहिवरन सिंह कठेरिया, चन्द्रवीर सिंह एवं स्वामी दयाल कटियार को दिनाँक 18-11-83 को निलम्बित कर दिया गया है तथा बैंक प्रशासक को उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने के निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।

देवरिया जिले के विकास खंड दुदही में किसान सहकारी समितियों के द्वारा खाद का वितरण

133-श्री धुप प्रसाद राय---

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद देवरिया विकास खंड दुदही में किसान सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से 1981, 82, 83 में कितनी खाद किसानों को वितरित की गयी ? उसका अनुदान कितना था और वह रकम 27-8-83 तक कहीं समायोजित की गयी ?

श्री बच्चा पाठक---

विकास खण्ड दुदही, जनपद देवरिया में किसान सहकारी समितियों के माध्यम से 96 टन 205 किलोग्राम खाद वितरित की गयी। उस पर रु0 48081.14 का अनुदान अनुमन्य था। जिसमें से रु0 3644.15 का अनुदान प्राप्त हुआ जिसका समायोजन कर दिया गया है। शेष रु0 4436.99 का अनुदान प्राप्त नहीं हुआ। अतः उसके समायोजन का प्रश्न नहीं उठता।

सीतापुर नगर के महिला अस्पताल में पेयजल टंकी का निर्माण

134---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर नगर स्थित जनाना अस्पताल में पेयजल हेतु निर्माणाधीन पानी की टंकी कब से बनना प्रारम्भ हुई, अब तक बनकर उपयोग हेतु अस्पताल को न सौंप पाने का क्या कारण है ? उपयोग हेतु टंकी कब तक उपलब्ध हो जायगी ?

श्री लोकपति---

सीतापुर नगर स्थित जनाना अस्पताल में पेयजल हेतु पानी की टंकी वर्ष 1976-77 में बनना प्रारम्भ हुई। निर्माण कार्य की लागत बढ़ जाने के कारण निर्माण हेतु स्वीकृत धन-राशि से पानी की टंकी का कार्य पूरा न हो सका। इसी कारण उक्त टंकी अस्पताल को उपयोग हेतु नहीं सौंपी जा सकी। दिनांक 7-11-1983 को टंकी के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा कर न के लिये और धनराशि स्वीकृत की गई। अप्रैल, 1984 तक निर्माण कार्य पूरा होकर टंकी उपयोग हेतु उपलब्ध हो जाने की सम्भावना है।

सीतापुर जिला अस्पताल में जेनरेटर की स्थापना

145---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिला हास्पिटल के लिए हाल में ही जनरेटर सेट खरीदने हेतु जो स्वीकृति प्रदान की गयी है वह जनरेटर अब तक न खरीदने का क्या कारण है ? सेट कब तक खरीद लिया जायगा ?

श्री लोकपति---

जिला चिकित्सालय, सीतापुर हेतु स्वीकृत डीजल जनरेटर क्रय किये जाने की औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही हैं। इसकी आपूर्ति तथा स्थापना का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। कार्य के शीघ्र सम्पन्न हो जाने की आशा है।

लोकपति—

"इम्पैक्ट आफ इंडिया" कार्यक्रम विकलांगों के सहायतार्थ दिनांक 2–10–83 से दिनांक 7–10–1983 तक चलाया गया था ।

लाभान्वित होने वाले विकलांगों तथा मरीजों को संख्या निम्नलिखित है—

(अ)	टोटल हेल्थ केयर कैम्प मरीजों की संख्या	.. 4263
(ब)	आंखों के आपरेशन के मरीजों की संख्या	.. 230
(स)	विकलांगों आदि को उपकरण दिये गये	.. 134

यह असत्य है कि क्षेत्रीय विकलांगों को इस कार्यक्रम से कोई लाभ नहीं हुआ।

140—श्री रामजी राम—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

बहुउद्देश्यीय कार्यकर्त्ता योजना के कर्मचारियों का नया वेतनमान

141—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में बहुउद्देश्यीय कार्यकर्त्ता योजना में कार्यरत कर्मचारियों की द्वित्तीय उ0प्र0 वेतन आयोग द्वारा संस्तुति वेतनमान स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (म0 तथा पु0) को रु0 354–550 तथा स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (म0 तथा पु0) को रु0 470–735 दिये जाने के शासनादेश किये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त योजना प्रदेश में कब से लागू की गयी है तथा इन्हें उक्त वेतनमान किस तिथि से दिये जा रहे हैं ?

श्री लोकपति—

जी हां। बहुउद्देश्यीय कार्यकर्त्ता योजना प्रदेश में जुलाई, 1981 से लागू की गयी तथा इस योजना में समायोजित किये गये कर्मचारियों के वेतनमानों की स्वीकृति उनके मूल पदों पर वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर जुलाई, 1979 से प्रदान की गयी है।

गोरखपुर जिले के रामगढ़ ताल को पर्यटन केन्द्र बनाये जाने की योजना

142—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जनपद के रामगढ़ताल सुन्दरीकरण परियोजना का कार्य स्थगित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या कारण है ? यदि नहीं, तो अब तक परियोयोजना का कितना भाग पूरा करके कितना खर्च किया जा चुका है ? इस योजना को पूरा करने के लिए क्या सरकार शीघ्र कदम उठायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

गोरखपुर जनपद में रामगढ़ ताल क्षेत्र को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने की योजना स्थगित नहीं की गयी है। इस योजना के कार्यान्वियन हेतु आवास विभाग द्वारा गोरखपुर विकास प्राधिकरण को भूमि अध्याप्ति हेतु 25 लाख रुपया ऋण स्वीकृत किया गया है और उससे गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि अध्याप्ति करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। इस योजना में शासन के कई विभाग अर्थात् सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वन पर्यटन, उद्यान व मत्स्य विभाग, सहभागी है, किन्तु उक्त विभागों द्वारा सिंचाई मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 18–3–82 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयानुसार अपनी योजनाओं के लिये भूमि अध्याप्ति हेतु गोरखपुर विकास प्राधिकरण को अपेक्षित धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है। उक्त सभी विभागों द्वारा अपनी योजनाओं के लिये वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था स्वयं ही अपने विभाग के बजट में कराये जाने पर ही योजना कार्यान्वियन सुचारु रूप से सम्भव हो सकेगा।

मैनपुरी जिले के श्री एम० सी० चतुर्वेदी, मलेरिया निरीक्षक एवं श्री आर० सी० यादव प्राथमिक स्वास्थ्य कर्त्ता, के स्थानान्तरण की मांग

136--श्री राम आसरे वर्मा---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मैनपुरी ने डा० एस० सी० भल्ला, संयुक्त निदेशक (मलेरिया) तथा डा० एच० एम० एल० सक्सेना, के निदेशक (कार्मिक) को क्रमशः 27--5--83 एवं 16--6--83 को लिखे गये अर्द्ध शासकीय पत्रों में उद्दण्ड कर्मचारियों को स्थानान्तरित किये जाने का आग्रह किया गया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री लोकपति--

जी हां। मुख्य चिकित्सा अधिकारी मैनपुरी ने सर्व श्री एस० सी० चतुर्वेदी, मलेरिया निरीक्षक तथा आर० सी० यादव प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता को जनपद से स्थानान्तरित किये जाने का अनुरोध किया था।

उक्त दोनों कर्मचारियों के स्थानान्तरण मण्डलीय संयुक्त स्वास्थ्य निदेशक, आगरा द्वारा क्रमशः अलीगढ़ या आगरा कर दिया गया था किन्तु कतिपय प्रशासनिक कारणों से उक्त स्थानान्तरण को बाद में निरस्त कर दिया गया था?

तिलकधारी होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, जौनपुर के मेडिकल अफसरों का अवशेष वेतन

137---श्री प्रभु नारायण सिंह---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को ज्ञात है कि राजकीय तिलक धारी होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, जौनपुर में कार्यरत दो मेडिकल अफसरों को गत माह मार्च, 83 से वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो वेतन भुगतान न किए जाने का क्या कारण है और क्या इनकी सेवाएं नियमित करके इन्हें भी अन्य कर्मचारियों की भांति वेतन भुगतान किया जायेगा?

श्री लोकपति---

जी हां।

सृजित पदों से अधिक की नियुक्तियां होने के कारण नियुक्ति विवादित है। मामला नियमानुसार विचाराधीन है।

आगरा जिले के ग्राम कागोएल को टाउन एरिया घोषित किये जाने की मांग

138---श्री बदन सिंह ---

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा के तहसील आगरा के अन्तर्गत स्थित दस हजार आबादी वाले ग्राम कागोएल को टाउन एरिया क्षेत्र घोषित करना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो इस ग्राम को कब तक टाउन एरिया घोषित कर दिया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह---

टाउन एरिया सृजित करने हेतु निर्धारित मानक पूर्ण न होने के कारण प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा जिले के कस्बा अछनेरा में इम्पैक्ट आफ इंडिया कार्यक्रम का आयोजन एवं विकलांगों को दी गयी सहायता

139--श्री बदन सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा के कस्बा अछनेरा में इम्पैक्ट आफ इंडिया कार्यक्रम विकलांगों को सहायतार्थ दिनांक 2 अक्टूबर, 1983 से 5 अक्टूबर, 1983 तक चलाया गया था? यदि हां, तो कितने विकलांग इस कार्यक्रम से लाभान्वित हुए थे? क्या यह भी सत्य है कि क्षेत्रीय विकलांगों को इस कार्यक्रम से कोई लाभ नहीं पहुंचा है?

आगरा जिले की तहसील किरावली के अन्तर्गत स्वास्थ्य समस्याओं से संबंधित ज्ञापन

143—श्री बदन सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 5 अक्तूबर, 83 को आगरा सर्किट हाउस में जनपद आगरा की तहसील किरावली की स्वास्थ्य समस्याओं के सम्बन्ध में इम्पेक्ट इंडिया (अछनेरा) कार्यक्रम के समय कोई ज्ञापन दिया था? यदि हां, तो उस ज्ञापन की मुख्य मांगों में से कितनी मांगें पूरी करदी गयीं? और शेष मांगों को जो पूरा करने में शासन के सामने क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री लोकपति—

जी हां। ज्ञापन पर मुख्य चिकित्साधिकारी की आख्या प्राप्त की गयी है जो अभी प्रतीक्षित है।

हरदोई जिले के दहेलिया एवं सांडी में अस्पताल की स्थापना की योजना

144—श्री हरीशंकर—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में दहेलिया आयु0 चिकित्सालय, सांडी महिला चिकित्सालय के प्रस्ताव शासन को कब भेजे गये और उनकी स्वीकृति कब की गयी ?

श्री लोकपति—

देहलिया जनपद हरदोई में यूनानी चिकित्सालय खोलने का प्रस्ताव अक्तूबर, 1983 में प्राप्त हुआ था। दिनांक 7-2-84 के शासनादेश द्वारा खोलने की स्वीकृति दी जा चुकी है।

सांडी में महिला चिकित्सालय खोलने का प्रस्ताव निदेशक से दिनांक 14-9-83 को प्राप्त हुआ था। उक्त स्थान पर चिकित्सालय खोलने की कार्यवाही की जा रही है ?

हरदोई जिला परिषद् के अस्पतालों के प्रान्तीयकरण की मांग

145—श्री हरीशंकर —

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करगे कि जनपद हरदोई के 6 जिला परिषद् प्रा0 स्वा0 केन्द्रों के प्रान्तीयकरण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक प्रान्तीयकरण हो जायगा ?

श्री लोकपति—

जिला परिषद हरदोई द्वारा संचालित चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, एक पुरुष चिकित्सालय तथा एक महिला चिकित्सालय के प्रान्तीयकरण का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है किन्तु जिला परिषद द्वारा संचालित चिकित्सालयों का प्रान्तीयकरण किये जाने विषयक योजना के संबंध में नीति विषयक निर्णय शासन के विचाराधीन होने के कारण अभी उपर्युक्त प्रस्तावों पर अग्रेतर कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो सका है।

मिर्जापुर जिले के ग्राम सरिया काशीनाथ द्वारा सहकारी समिति, सोनपुर से लिया गया खाद हेतु ऋण

146—श्री राम चरण सिंह—

क्या सहकारिता राज्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक 14-11-83 को एक पत्र द्वारा श्री काशीनाथ पुत्र कुबेर, ग्राम सरिया, वि0 खंड राजगढ़ मिर्जापुर से क्षेत्रीय सहकारी समिति लि0 सोनपुर द्वारा नाजायज वसूली किये जाने के संबंध में शिकायत की है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बच्चा पाठक---

जी हां। इसकी जांच अपर जिला सहकारी अधिकारी, तहसील प्रभारी चुनार द्वारा की गयी। जांच से ज्ञात हुआ कि श्री काशी नाथ को दिनांक 24-12-80 को खाद के लिये रु0 600.54 पैसे का चेक नं0 017630 दिया गया था। श्री काशी नाथ ने उस चेक को सोनपुर क्षेत्रीय सहकारी समिति के खाद डिपो पर जमा करके उसके विरुद्ध मु0 600.54 पै0 की खाद (4 बोरी यूरिया तथा 2 बोरी एन0 पी0 के0) प्राप्त किया। खाद प्राप्ति के प्रमाण पत्र में श्री काशीनाथ ने चेक, चेक काउन्टर फाइल, चेक इशू रजिस्टर, खाद की पर्ची तथा खाद वितरण रजिस्टर में अपना निशानी अंगूठा लगाया। अभिलेखों के आधार पर उनका रु0 600.54 पैसा का ऋण पाना सही पाया गया। त्रुटिवश चेक नं0 017630 का इन्द्राज सदस्य के खाते तथा पास बुक में रु0 600.54 पै0 के स्थान पर रु0 236.31 पै0 अंकित हो गया था। उक्त त्रुटि की जानकारी होने पर अभिलेखों में सही इन्द्राज करके प्रविष्टियां ठीक कर दी गयीं और उसके बाद सदस्य को रु0 600.54 पै0 ऋण जमा करने का नोटिस दिया गया।

लखनऊ, नगरमहापालिका द्वारा निर्मित रिक्शा स्टैण्ड

147---श्री राम लाल वर्मा---

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 1ले गुरू के अता0 प्र0 सं0 79 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर महापालिका द्वारा रिक्शा चालकों के लिए नगर में कहां-कहां रिक्शा स्टैण्ड बनवाए गए हैं और उनमें से कितने छायादार व शौचालय युक्त हैं? यदि नहीं, तो क्यों तथा शेष कब तक छायायुक्त कर दिये जायेंगे? क्या यह सत्य है कि अमीनाबाद में छायादार स्टैण्ड को महापालिका द्वारा गिरा दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव---

लखनऊ नगर में रिक्शा चालक के लिये जिन स्थानों पर रिक्शा स्टैण्ड हैं उनकी सूची संलग्न है।

ये स्टैण्ड छायादार एवं शौचालय युक्त नहीं हैं क्योंकि ऐसे स्टैण्ड प्रायः चौराहों एवं गलियों के मुहानों के समीप होते हैं, जहां स्थानाभाव के कारण छायादार एवं शौचालय युक्त शेड बनवाया जाना संभव नहीं है।

यह सत्य नहीं है कि अमीनाबाद में रिक्शों के लिये छायादार स्टैण्ड थे। यह स्टैण्ड इक्का तांगे तथा कारों के लिये थे जहां कुछ रिक्शे भी प्रायः पार्क कर लिये जाते थे। इन स्टैण्डों को गिरा कर उक्त स्थल पर एक बड़ा पार्किंग स्थल उपलब्ध करा दिया गया है जहां पर कारें, इक्के, तांगे तथा रिक्शा आदि पार्क किये जा सकते हैं।

*(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1570-1571 पर)

लखनऊ नगरमहापालिका कर्मचारियों को बीमा योजना का लाभ दिये जाने की मांग

148---श्री राम लाल वर्मा---

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर महापालिका के कर्मचारियों को शासन के अन्य कर्मचारियों की भांति सेवाकल में मृत्यु होने पर 25 हजार रुपए के सामूहिक बीमा लाभ दिलाने पर विचार करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव---

मामला शासन के विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर जिले के जिला पूर्ति अधिकारी के विरुद्ध शिकायती पत्र

149---श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र---

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पूर्ति अधिकारी, गोरखपुर के विरुद्ध वर्ष 1982 से 83 के मध्य किन-किन सदस्यों के शिकायती पत्र मिले। क्या प्रश्नकर्त्ता ने भी इनके विरुद्ध उक्त अवधि में शिकायत की है? यदि हां, तो उन सभी शिकायतों पर जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आये और उन पर कौन सी कार्यवाही की गयी?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

प्रश्नगत अवधि में प्रश्नकर्त्ता के अतिरिक्त सर्वश्री सुनील शास्त्री, राजेन्द्र कुमार गुप्त एवं बलबीर सिंह के शिकायती पत्र मिले। सीमेन्ट से संबंधित शिकायतों पर खाद्य विभाग के पुलिस प्रकोष्ठ से जांच करायी जा रही है। अन्य शिकायतों की जांच में पुष्टि नहीं हुई है।

जालौन जिले के पत्र श्री देवी दयाल वर्मा का सीमेन्ट एवं मिट्टी के तेल के वितरण के संबंध में शिकायती पत्र और ब्लैक में बेची गयी सीमेन्ट की जांच एवं थाने में लिखायी गयी रिपोर्ट

150—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें दिनांक 6-7-82 को पत्र भेज कर जालौन के एक पत्रकार श्री देवीदयाल वर्मा ने सीमेंट और मिट्टी के तेल के दो मामलों का उल्लेख करते हुए भ्रष्टाचार और अपराधियों को जिला प्रशासन द्वारा बचाने की जो शिकायत की थी उस पर क्या कार्यवाही की गयी? क्या दोनों शिकायतों पर जांच के दौरान शिकायतकर्त्ता को अपने आरोप सिद्ध करने का अवसर मिला?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्री देवी दयाल वर्मा, पत्रकार जालौन का सीमेन्ट वितरण के संबंध में एक पत्र दिनांक 6-7-82 प्राप्त हुआ। इस शिकायत के संदर्भ में पुलिस सेल द्वारा पहले ही जांच कराई जा चुकी थी और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश भेजे गये थे। दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। शिकायतकर्त्ता को आरोप सिद्ध करने का अवसर दिये जाने की आवश्यकता नहीं रही।

151—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 16 अगस्त, 80 तथा 4-7-81 को जालौन के एक पत्रकार श्री देवीदयाल वर्मा ने खाद्य सचिव को पत्र भेजकर शिकायत की थी कि एक व्यक्ति ने सैकड़ों बोरी सीमेंट के परमिट अपने व दूसरे के नाम से स्वयं लिया और स्वयं उन परमिटों का सीमेंट दूकानदारों के यहां से लिया तथा सीमेंट को ब्लैक में बेचा? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां।

खाद्य तथा रसद विभाग के अधीन कार्यरत पुलिस सेल द्वारा जांच कराई गयी जिसके आधार पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी।

152—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य विभाग सचिवालय के संयुक्त सचिव (श्री नन्द राम जी) ने जिलाधिकारी, जालौन को पत्र संख्या 8234-उन्नीस-8-47 (10) (एम)/81, दिनांक 23 अक्तूबर, 81 भेज कर श्री देवी दयाल वर्मा के 18-6-81 के पत्र को संलग्न करते हुए उस पर जांच का आदेश भेजा था? यदि हां, तो जांच किसे को और उसके क्या परिणाम निकले?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां।

जिलाधिकारी, जालौन द्वारा जांच के दौरान शिकायतकर्त्ता के पत्र शासन को प्राप्त हुये थे जिस पर खाद्य तथा रसद विभाग के अधीन कार्यरत पुलिस सेल द्वारा जांच कराई गई। पुलिस सेल की जांच में श्री जीवन सहाय खन्ना के परमिट पर सीमेंट प्राप्त करने के दुरुपयोग करने के दोषी पाये गये। उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी।

जांच में दोषी बताये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में जल निगम द्वारा निर्मित नलकूपों के लिये जेनरेटर लगाये की जाने की मांग

153—श्री रेवतीरमण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां जल निगम द्वारा नलों द्वारा पानी देने की व्यवस्था है वहां पर या बिजली कमी के कारण सरकार जेनरेटर लगाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जेनरेटर लगाने की व्यवस्था उन योजना पर ही की जाती है जहां यह विद्युत संयोजन की अपेक्षा अधिक मितव्ययी होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जेनरेटर के रखरखाव की कठिनाइयों को देखते हुए विद्युत संयोजन को ही प्राथमिकता दी जाती है। विद्युत संयोजन में भी यह प्रयास किया जाता है कि यह यथा संभव एकजेम्पटेड फीडर से लिया जाय।

सहायक निदेशक, मातृ शिश कल्याण , लखनऊ द्वारा पौड़ी गढ़वाल के अभ्यर्थियों का ए० एन० एम० पद हेतु चयन

154—डा० शिवानन्द नौटियाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, 1983 से प्रारम्भ होने वाले हेल्थ सुपरवाइजर को 6 माह की ट्रेनिंग हेतु पौड़ी गढ़वाल से चयनित ए०एन० एम० का चयन सहायक निदेशक, मातृ शिशु कल्याण, लखनऊ द्वारा किस आधार पर किया गया और उसके ट्रेनिंग में जाने के 10 दिन बाद उसका प्रशिक्षण क्यों रद्द किया गया ?

श्री लोकपति—

अक्टूबर, 1983 से प्रारम्भ होने वाले हेल्थ सुपरवाइजर की 6 माह की ट्रेनिंग हेतु पौड़ी गढ़वाल से चयनित ए०एन०एम० का चयन सहायक निदेशक, मातृ शिशु कल्याण लखनऊ द्वारा सामान्य वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार किया गया था।

प्रश्नगत ए०एन०एम० के सेवा विवरण जो निदेशालय को उपलब्ध कराये गये उसमें विसंगति पाये जाने के कारण उनका नाम प्रशिक्षण सूची से हटा दिया गया।

आगरा जिले की किरावली तहसील में मिट्टी के तेल का आवंटन

155—श्री बदन सिंह—

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा की तहसील किरावली में मिट्टी के तेल का कोटा कितना निर्धारित है ? क्या यह सच है कि जनपद आगरा की अन्य तहसीलों के कोटे की अपेक्षा यह कोटा बहुत कम है ? यदि हाँ, तो क्यों?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जनपद आगरा की तहसील किरावली में मिट्टी तेल का कोटा 90 किलोमीटर प्रतिमाह निर्धारित है।

जनपद को आवंटित मासिक मिट्टी के तेल कोटे तथा विभिन्न तहसीलों के राशनकार्डों की संख्या के आधार पर तहसील किरावली का उक्त निर्धारित मिट्टी का तेल कोटा जनपद आगरा की अन्य तहसीलों की अपेक्षा कम प्रतीत नहीं होता।

प्रश्न के अन्तिम भाग के उत्तर का सवाल नहीं उठता।

हरदोई जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मल्लावां के प्रान्तीयकरण की मांग

156—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के मल्लावाँ स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का प्रान्तीयकरण किये जाने की दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लोकपति--

जिला परिषद द्वारा संचालित चिकित्सालयों का प्रान्तीयकरण किये जाने विषयक योजना के सम्बन्ध में नीति विषयक निर्णय शासन के विचाराधीन होने के कारण अभी प्रश्नगत प्रस्ताव पर कोई अग्रेतर कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो सका है।

आगरा की नगर महापालिका, फतेहपुर सीकरी के समक्ष नागरिकों का अनशन

157--श्री बदन सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री को जानकारी है कि जनपद आगरा की नगरपालिका फतेहपुर सीकरी के कार्यालय के समक्ष फतेहपुर सीकरी की जन समस्याओं को लेकर दिनाँक 25 अप्रैल, 81 को क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा अनशन व धरना दिया गया था? यदि हाँ, तो शासन द्वारा अनशनकारियों की माँगें अभी तक पूरी न करने का क्या कारण है?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हाँ।

कथित माँगों का यथासम्भव निराकरण किया जा चुका है।

आगरा के महिला चिकित्सालय की एक्सरे मशीन

158--श्री बदन सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि महिला चिकित्सालय आगरा की एक्सरे मशीन सन् 1979 से खराब पड़ी है? यदि हाँ, तो इस मशीन को अभी तक ठीक न कराने का क्या अभिप्राय है?

श्री लोकपति--

महिला चिकित्सालय, आगरा का एक्सरे मशीन माह सितम्बर, 1982 से खराब पड़ी है। मशीन के निर्माणकर्त्ता द्वारा बताया गया है कि मशीन काफी पुरानी होने के कारण मरम्मत कराने से भी संतोषजनक रुप से ठीक नहीं हो सकती है। अतः उसके ठीक कराने का प्रश्न नहीं उठता।

159--श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

[मंत्रि परिषद में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

राजकीय मेडिकल कालेजों के प्रधानाचार्यों से सम्बद्ध आशुलिपिकों का वेतनमान

160--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जब राजकीय मेडिकल कालेजों के प्रधानाचार्यों से सम्बद्ध आशुलिपिकों को वेतन आयोग द्वारा रु0 625-1360 का वेतन मान संस्तुत किया गया है तब उन्हें रु0 570-1100 का वेतनमान क्यों स्वीकृत किया गया है? क्या इस विषय में सम्बन्धित मेडिकल कालेजों के प्रधानाचार्यों से प्राप्त प्रत्यावेदनों पर कार्यवाही की गयी? यदि हाँ, तो रु0 625-1360 का वेतनमान क्यों नहीं स्वीकृत किया गया?

श्री लोकपति--

जी नहीं। इस संबंध में प्रधानाचार्यों से प्राप्त संस्तुतियों को विचारोपरान्त स्वीकार करने का औचित्य नहीं पाया गया।

आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ की सिस्टर ट्यूटर, श्रीमती एम0 जोशी के विरुद्ध शिकायती पत्र

161--श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनाँक 6-9-83 को प्रश्नकर्त्ता के अतिरिक्त अन्य विधायकों ने श्री सुभाष राय के प्रार्थना-पत्र को राजकीय आयुर्वेदिक कालेज टूरियागंज में कार्यरत सिस्टर ट्यूटर श्रीमती एम0 जोशी के विरुद्ध अनियमित भ्रष्ट कार्यों को इंगित करते हुए भेजा था? यदि हाँ, तो उक्त सम्बन्ध में विभाग ने क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति--

श्री सुभाष राय का दिनाँक 6-9-83 का नहीं वरन् दिनाँक 30-8-83 का शिकायती प्रार्थना पत्र आयुर्वेदिक निदेशालय में प्राप्त हुआ था।

दिनाँक 30-8-83 के शिकायती प्रार्थना-पत्र के प्राप्त होने के पहले ही श्रीमती एम0 जोशी, सिस्टर ट्यूटर राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ को उनके पैतृक विभाग, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय उत्तर प्रदेश वापस कर दिया गया था। लेकिन श्रीमती एम0 जोशी ने उक्त आदेश के विपरीत माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर करके स्थगन आदेश ले रखा है। उक्त स्थगन आदेश को निरस्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

आगरा जिले के ग्राम अमैदोपुरा को टाउन एरिया किरावली में सम्मिलित किये जाने की मांग

162--श्री वदन सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के ब्लाक अछनेरा के ग्राम अमैदोपुरा को टाउन एरिया किरावली (आगरा) में शामिल करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का दिनाँक 24 जून, 1983 को भेजा हुआ पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पत्र पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री बलराम सिंह यादव--

प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनाँक 24 जून, 1983 का नहीं वरन् दिनाँक 27 जुलाई, 1983 प्राप्त हुआ था।

प्रश्नगत ग्राम को संदर्भित टाउन एरिया में सम्मिलित करने का कार्य अंतिम चरण में है।

इलाहाबाद जिले की कतिपय योजनाओं के लिये भूमि का अधिग्रहण एवं विस्थापितों को दिया गया रोजगार

163--श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के करेली विकास योजना, ट्रांसपोर्ट नगर विकास योजना सुलेमसराय तथा महदौरी विकास योजना के अन्तर्गत जमीनें अधिग्रहीत किये जाने से कितने किसान बेरोजगार हो गये? विस्थापित किये गये उन किसानों में से कितनों को और किन-किन प्रकार के रोजगार दिये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव--

यह सूचना उपलब्ध नहीं है कि कितने किसान बेरोजगार हुए कुल चार विस्थापितों व्यक्तियों को दैनिक वेतन पर नियुक्ति दी गयी और आठ व्यक्तियों को रोजगार हेतु भूखंड आवंटित किये गये हैं।

इलाहाबाद जिले की भुसौली टोला स्थित पम्पिग सेट स्टेशन

164--श्रीबैजनाथ प्रसाद कुशवाहा--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के भुसौली टोला स्थित ड्रेनेज पम्पिग सेट स्टेशन का कब निर्माण किया गया था और उस पर कितनी धनराशि खर्च की गई थी? क्या पम्पिग सेट स्टेशन काम में नहीं आ रहा है? यदि हाँ, तो क्या उसका सुधार किया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव--

इलाहाबाद के भुसौली टोला स्थित पम्पिग सेट का निर्माण 1972 में रु0 4,40,000 की लागत से किया गया था। इस पम्पिग स्टेशन के आगे की पुरानी सीवर लाइन कहीं-कहीं जाम हो जाने के कारण यह पम्पिग स्टेशन वर्तमान में कार्य नहीं कर रहा है। जाम सीवर लाइन की सफाई तथा इससे आगे गऊघाट पम्पिग स्टेशन के पुनरुद्धार का प्रस्ताव है जिसके पश्चात उक्त पम्पिग सेट स्टेशन सुचारु रुप से कार्य करने लगेगा।

इलाहाबाद जिले में कतिपय योजनाओं के लिये भूमि का अधिग्रहण एवं दिया गया मुआवजा

165—श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में हो रहे करेली विकास योजना, ट्रांसपोर्ट नगर योजना, सैलमसराय तथा महदौरी विकास योजनाओं के अन्तर्गत किसानों से अग्रिहीत किये गये जमीनों का मुआवजा किन-किन दरों से दिया गया है और उन योजनाओं की जमीनें विकसित किये जाने के बाद किन-किन दरों पर विक्रय किया गया है ? क्या यह सही है कि उन किसानों को बहुत ही कम मुआवजा दिया गया है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

(क) करेली विकास योजना की भूमि का प्रतिकर 3 रु0 प्रति वर्ग गज स 8 रु0 प्रति वर्ग गज तक की दर से, ट्रांसपोर्ट नगर की भूमि का प्रतिकर 5625 रु0 0 प्रति बीघा से 20,338 रु0 98 पै0 प्रति बीघा तक की दर से तथा मेहदौरी विकास योजना की भूमि का प्रतिकर रु0 3.50 पै0 प्रति वर्ग गज की दर से दिया गया है। सुलेमसराय योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि का अभिनिर्णय अभी घोषित नहीं हुआ है।

(ख) विकसित भूमि का विक्रय निम्न दरों पर हुआ—

करेली योजना की भूमि का विक्रय 59 रु0 से लेकर 150 रु0 प्रति वर्ग मीटर की दर से, ट्रांसपोर्ट नगर योजना की भूमि का विक्रय रु0 2,25760 प्रति बीघा से लेकर रु0 2,72,000 प्रति बीघा की दर से तथा महदौरी की भूमि का विक्रय रु0 65 से लेकर 97 रु0 प्रति वर्ग मीटर की दर से किया गया है। सुलेमसराय की भूमि का विक्रय अभी नहीं हुआ है।

(ग) राजस्व विभाग द्वारा घोषित अवार्ड के अनुसार मुआवजा दिया गया है।

इलाहाबाद जिले के महात्मा गांधी मार्ग के सीवर लाइन पर व्यय की गयी धनराशि एवं दिये गये कनेक्शन

166—श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में महात्मा गाँधी मार्ग पर जो सीवर लाइन बिछाई गयी थी उस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गयी है और अब तक उससे कितने कनेक्शन हुए है ? क्या यह सही है कि अब तक बहुत ही कम कनेक्शन हुए हैं ? यदि हाँ, तो उसके कारण क्या हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

महात्मा गाँधी मार्ग, इलाहाबाद में सीवर लाइन वर्ष 1955–56 में डाली गयी थी जिस पर लगभग रु0 2,50,000 का व्यय हुआ था। वर्ष 80–81 में पत्रिका मार्ग व छितपुर मलिन बस्ती सुधार के अन्तर्गत ब्रांच सीवर लाइन बिछायी गयी जिस पर रु0 1,22,000 का व्यय हुआ।

इस क्षेत्र में बड़े बड़े भूखण्डों पर बंगले बने है जिनमें सेपटिक टैंक है अथवा सीवर संयोजन उपलब्ध है। गत दो वर्षो में केवल 5 नये कनेक्शन दिये गये हैं। इस क्षेत्र की भूमि की लीज का नवीनीकरण नहीं होने के कारण भवन निर्माण का कार्य रुका हुआ है जिससे कारण नये संयोजन भी नहीं हो रहे हैं।

इलाहाबाद नगर के मोहल्ला लूकर गंज, हिम्मत गंज भुसौली टोला आदि की खराब सीवर लाइनें

167—श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के मुहल्ला लूकरगंज हिम्मतगंज–भुसौली टोला, पुरुषोत्तम नगर–सुल्तानपुर, भावा मंडी, खुन्दाबाद की सीवर लाइन बिल्कुल बन्द पड़ी है और उसका सारा पानी ओवर फ्लो करके पूरा का पूरा वातावरण दूषित कर रहा है तथा संबंधित आरी कीसारी सड़कें भी खराब हो गई हैं ? यदि हाँ, तो यह व्यवस्था कब तक दुरुस्त कर दी जायगी

श्री बलराम सिंह यादव-

क्षेत्र की सीवर लाइनें जब कभी बन्द होती है तो उनकी यथाशीघ्र सफाई करवा दी जाती है इंगित क्षेत्र की सीवर व्यवस्था के और सुधार हेतु मुख्य पंपिंग स्टेशन के पुनरुद्धार का प्रस्ताव है किन्तु धनाभाव के कारण अभी कार्य कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

शाहजहांपुर जिले के तिलहर स्थित अस्पताल में स्टाफ, मशीनरी एवं दवाओं का अभाव

168-श्री सत्यपाल सिंह---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि जनपद शाहजहाँपुर नगर तिलहर के उच्चीकृत राजकीय चिकित्सालय में स्टाफ मशीनरी एवं दवाओं का अभाव है जिससे जनता को घोर कष्ट हो रहा है? यदि हां, तो इसकी सुचारु व्यवस्था कब तक कर दी जायगी?

श्री लोकपति---

उच्चतर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तिलहर, जिला शाहजहाँपुर में इस समय एकएक सर्जन एक चिकित्साधिकारी, दो स्टाफ नर्स, दो फार्मेसिस्ट तथा आठ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत है। कुछ विशेषज्ञ चिकित्सकों आदि के पद रिक्त हैं जिन पर नियुक्ति शीघ्र कर दी जायगी।

उक्त केन्द्र के लिये स्वीकृत सज्जा तथा अन्य उपकरण उपलब्ध करा दिये गये है तथा एक एक्सरे मशीन क्रय करने के आदेश भी दिनांक 16-2-1984 को दे दिये गये हैं। वर्ष 1983-84 में उक्त केन्द्र के लिये केन्द्रीय औषधि भंडार से आपूर्ति की गयी औषधियों के अलावा 11,600 रु0 की औषधियाँ और क्रय करने के आदेश मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा दिये जा चुके हैं।

इस प्रकार उपलब्ध संसाधनों तथा चिकित्सालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा स्थानीय जनता को चिकित्सा सुविधा सुचारु रुप से उपलब्ध करायी जा रही है।

खाद्य तथा रसद विभाग के वरिष्ठ निरीक्षकों की ज्येष्ठता सूची

169---श्री श्याम लाल वाजपेयी---

विधान सभा के द्वितीय सत्र 82 के 1ले गुरू के ता0 प्र0 सं0-3 के सन्दर्भ में क्या खाद्य मंत्री एवं रसद मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या वरिष्ठ निरीक्षकों की वरिष्ठता सूची बन गयी? यदि नहीं, तो क्यों? निकट भविष्य में कितने समय में सूची तैयार हो जायगी?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

जी नहीं।

आपूर्ति संगठन में कार्यरत वरिष्ठ निरीक्षकों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनाँक 23-10-82 को प्रसारित की जा चुकी है। सूची को अन्तिम रुप देने की कार्यवाही प्रगति में है। सूची को यथा शीघ्र अन्तिम रुप दे दिया जायेगा।

170---श्रीमती गौरी देवी---

[3रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 136 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

लखनऊ, उ० प्र० जल निगम के आशुलिपिकों की ज्येष्ठता सूची

171---श्री राधेश्याम वर्मा---

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद में उ0प्र0 जलनिगम में वर्तमान 8-12-83 को कितने स्टेनों (आशुलिपिक) कार्यरत हैं? क्या मन्त्री जी उनकी ज्येष्ठता सची (पिता के नाम पता सहित प्रथम नियुक्ति की तिथि तथा वर्तमान में किस अधिकारी के पास कब से तैनात है, का विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री बलराम सिंह यादव---

लखनऊ जनपद उत्तर प्रदेश जल निगम में दिनाँक 8-12-83 को 74 आशुलिपिक कार्यरत थे। वाँछित विवरण† संलग्न है।

---

†छापा नहीं गया।

खाद्य तथा रसद विभाग के सम्प्रेक्षकों/ज्येष्ठ सम्प्रेक्षकों के विनियमितीकरण की कार्यवाही

172—श्री रामस्वरुप वर्मा—

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री कृपया बतायेंगे कि (खाद्य सचिव, कार्यालय के ज्ञाप संख्या अरा0 5344/29–2 एम0 आर0–8/82, दिनाँक 5–11–82 के अनुसार ही) खाद्य तथा रसद लेखा संगठन के अन्तर्गत कार्यरत सम्प्रेक्षकों/ज्येष्ठ सम्प्रेक्षकों का विनियमतीकरण हुआ है? यदि नहीं तो क्यों?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी नहीं।

विभागीय लेखा संगठन में तदर्थ रुप से नियुक्त सम्प्रेक्षकों/ज्येष्ठ सम्प्रेक्षकों का विनियमतीकरण कतिपय कारणों से, जिनमें उक्त पदों के लिये सेवा नियमावली की संचारिका, सम्प्रेक्षकों व लेखाकार के सम्वर्गों के पदों का लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर निकाला जाना आदि है, और जो विचाराधीन थे, अवरुद्ध रहा। अब विनियमितीकरण की दिशा में कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है।

बाहर सिंह श्री नेत्र इन्टर कालेज इन्दुपुर की छात्राओं का परीक्षा केन्द्र दूर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

[समय 12 बजकर 40 मिनट]

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 301 के अन्तर्गत 15 सूचनायें प्राप्त हुई है। इनमें से 7 सूचनाओं को मैंने स्वीकार किया है। श्री नन्द किशोर सिंह, श्री मसरुर जाफरी, श्रीमती गौरीदेवी, श्री सन्तबख्श रावत, श्री जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री विद्यासागर नौटियाल तथा श्री किरनपाल सिंह की सूचनायें स्वीकृत हुई है। माननीय मोहन सिंह जी की सूचना नियम 56 में भी प्राप्त हुई है। माननीय नन्द राम की सूचना नियम 51 के अन्तर्गत भी प्राप्त हुई है तथा श्री जियाराम शुक्ल विकल साकेती की सूचना पर दिनाँक 16–3–84 को वक्तव्य है।

श्री नन्द किशोर सिंह—

मान्यवर, मैं एक अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि बाहर सिंह श्रीनेत इन्टर कालेज इन्दुपुर के इन्टर तथा हाई स्कूल के छात्रों का सेन्टर विद्यालय की तीन किलोमीटर की दूरी पर देव गाँव इन्टर कालेज में है। जबकि हाई स्कूल व इन्टर के छात्राओं का सेन्टर 20 किलोमीटर की दूरी पर सतासी इन्टर कालेज रुद्रपुर में है। अभिभावकों के सामने विकट समस्या पैदा हो गई है। यह अपने छात्राओं को किस प्रकार वहाँ रहने का इन्तजाम करें। पूरे जिले में यही स्थिति बनी है। छात्रों का सेन्टर 30–30 किलो मीटर की दूरी पर रखा गया है। मुख्य सड़कों पर जो सेन्टर थे वह तोड़ दिये गये है। इसकी जाँच होनी चाहिये।

अस्तु इस माननीय सदन व सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये श्री नेत इन्टर कालेज इन्दुपुर की छात्राओं का सेन्टर देवगांव इन्टर कालेज में करने की माँग करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, औचित्य के प्रश्न आ रहे है। मैंने परिवहन मंत्री को हिदायत दी थी कि वे आज यहाँ पर आयें। इसलिये आप उन्हें बुला लें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

ठीक है, मान्यवर।

जनपद गोंडा के विकास खण्ड श्री दत्तगंज के प्रमुख द्वारा खण्ड विकास अधिकारी के साथ किये गये अभद्र व्यवहार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मसरुर जाफरी--

मान्यवर, जनपद गोंडा के विकास खंड श्रीदत्तगंज के प्रमुख द्वारा गुन्डों का गिरोह लेकर तथा हथियारों से लैस होकर हरिजन विकास खंड अधिकारी को गाली दिया, रिवाल्वर ताना तथा अभद्र व्यवहार किया तथा जान से मार देने की धमकी दी। कारण यह था, कि प्रमुख ने पंचायत सचिवों से साँठ-गाँठ करके पुष्टाहार से सम्बन्धित धनराशि हड़प कर ली थी। प्रमुख के इस गलत कार्य पर जब विकास खण्ड अधिकारी ने आपत्ति की तो विकास खण्ड अधिकारी की जबान बन्द करने हेतु मौजूदा प्रमुख तथा उनके गुण्डों ने दिनाँक 14-2-84 को उक्त अभद्र कार्य किया। साथ ही प्रमुख तथा उनके गुण्डों ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामों में चल रहे खड़ंजा कार्यों की पत्रावली जबरदस्ती लेकर चले गए। प्रमुख के इस गलत कार्य से 20 सूत्रीय कार्यक्रम में अवरोध उत्पन्न हुआ, इसी प्रकार से विधान सभा क्षेत्र उतरौला के अन्य दो विकास खण्डों में उक्त घटना हो जाने की सम्भावना प्रतीत होती है।

इस लोक महत्व की सूचना को सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल गिरफ्तारी तथा आवश्यक कार्यवाही की माँग करता हूं।

बिक्रीकर कार्यालय एवं न्यायालय, गोरखपुर के अधिवक्ताओं के आन्दोलन के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती गौरी देवी--

मान्यवर, गोरखपुर में 22 फरवरी से समस्त अधिवक्तागण बिक्री कर कार्यालय एवं न्यायालय का बहिष्कार कर रहे हैं तथा आन्दोलन जारी रखे हैं। अधिवक्तागण सहायक आयुक्त, न्याय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने के लिये पूर्व की भांति दो सदस्यों की पीठ को एक सदस्यीय किये जाने, बिक्री कर अधिनियम धारा 10 बी का दुरुपयोग किये जाने, आयुक्त बिक्री कर, सहायक आयुक्त, न्याय व शासकीय तथा निर्धारण अधिकारियों द्वारा किये जाने वाली अनियमितताओं, भ्रष्टाचार एवं ग्यारह सूत्री आरोप पत्र जिसमें व्यापारियों एवं अधिवक्ताओं की समस्याओं के साथ अधिकारियों का सौतेलापन व्यवहार की जाँच आदि माँग है, को लेकर आन्दोलन कर रहे हैं। बिक्री कर कार्यालयों में काम काज ठप है। कर्मचारी भी उत्तेजित है। व्यापारियों में रोष है, स्थिति गंभीर है।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से मामले में हस्तक्षेप करने, भ्रष्टाचार की जाँच करने एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कदम उठाने की माँग करती हूं।

थाना राम नगर जनपद बाराबंकी की पुलिस द्वारा, फर्जी मुकदमा दायर किये जाने से लोगों में उत्पन्न भय के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सन्त बख्श रावत--

5 जनवरी, 84 को थाना रामनगर, जनपद बाराबंकी मु0 अ0 सं0 5/84 धारा 399/402 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत सात लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस के दलाल की बेगार न करने तथा उसके कहने के मुताबिक पुलिस को पैसा न दिये जाने के कारण उक्त मुकदमा लिखे जाने सम्बन्धी सूचना प्राप्त हुई है। जिसमें एक व्यक्ति को छोड़ कर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

थाना रामनगर जनपद बाराबंकी की पुलिस द्वारा फर्जी मुकदमा दायर किये जाने से लोगों में उत्पन्न भय के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

बाकी लोगों की अपराधिक सूचना नहीं है और लोगों को पुलिस ने घरों से पकड़ कर फर्जी मुकदमा दर्शाया है। नामजद व्यक्तियों में कुछ लोगों के यहाँ 82–83 की कार्यवाही करने का प्रयास किया किन्तु भय के कारण लोगों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। इस कथित घटना के कारण थाना मसौली जनपद बाराबंकी की जनता में भारी रोष, क्षोभ एवं असुरक्षा की भावना व्याप्त हो गयी है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन से गोपनीय जाँच कराकर जन असंतोष को समाप्त करने की माँग करता हूं।

पर्वतीय क्षेत्रों में बोर्ड के परीक्षा केन्द्रों के बदलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जसवन्त सिंह बिष्ट––

माननीय अध्यक्ष जी, हाई स्कूल तथा इण्टर के छात्रों के परीक्षा केन्द्र इस वर्ष बदल गये हैं। जिससे छात्र व उनके अभिभावकों को अत्यधिक परेशानी होगी, पर्वतीय क्षेत्र में जहां नये परीक्षा केन्द्र रखे गये हैं वहां उतने छात्रों के रहने या यातायात द्वारा पहुंचने की कोई व्यवस्था नहीं है।

इस सम्बन्ध में पर्वतीय क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री जी को कई ज्ञापन दिये गये हैं, मैंने भी इस सम्बन्ध में माननीय शिक्षा मंत्री जी से वार्ता की।

पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षा केन्द्रों को बदलने की जगह सरकार कोई दूसरा विकल्प कर सकती थी लेकिन शासन, छात्र व उसके अभिभावकों के हितों का ध्यान में न रख कर अपने निर्णयों में अड़ी है। इससे लाखों छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है।

मैं आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व को संज्ञान में लाकर शासन से मांग करता हूं कि शासन इस निर्णय को बदल कर दूसरा सार्थक विकल्प करे।

(माननीय परिवहन मंत्री के खड़े होकर बात करने पर।)

श्री अध्यक्ष––

माननीयय मंत्री जी नियमों का पालन करें।

महानन्द मैठाणी सेवानिवृत्ति अध्यापक की पेंशन स्वीकृति की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बिद्यासागर नौटियाल––

मान्यवर, टिहरी रियासत के अनेक कर्मचारी उत्तर प्रदेश में विलीनीकरण के पैंतीस वर्षों के बाद भी सेवाओं में उपलब्ध सुविधाओं से महालेखाकार की अकर्मण्यता के कारण वंचित हैं। अध्यापक महानन्द मैठाणी 1 जुलाई, 1967 को उत्तरकाशी में सेवानिवृत्ति हुये। रियासत-कालीन कर्मचारी सेवा नियमावली के अनुसार स्थायी माने जाते थे। सत्रह वर्ष बीत जाने पर भी श्री मैठाणी को पेंशन स्वीकृत होकर नहीं आई है। मेरे पत्रों तक का उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है।

श्रीमन्, के माध्यम से आदरणीय सदन के संज्ञान में महानन्द मैठाणी, मुन्ना देवल पड़मा टिहरी गढ़वाल का पेंशन प्रकरण लाते हुए सरकार से मांग करता हूं कि बहत्तर वर्षीय सेवा निवृत्त कर्मचारी को तत्काल पेंशन स्वीकृत की जाय तथा उसका भुगतान किया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बुलन्दशहर जनपद में आये दिन हो रहे अपराधों से उत्पन्न आतंक के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री किरनपाल सिंह—

अध्यक्ष महोदय, जनपद बुलन्दशहर के अन्दर विगत दो माह से अपराधों में भारी वृद्धि हो रही है। आये दिन लूट, राहजनी और हत्याओं के अलावा डाके पड़ रहे हैं। इस दौरान गांवों में ही नहीं बुलन्दशहर मुख्यालय पर भी डकैतियां हो चुकी हैं। एक डकैती में एक सिपाही की हत्या भी हो चुकी है तथा एक अन्य डकैती में डकैत एक पुलिस दीवान की राइफल छीन कर भाग गये। यही हाल जनपद के अन्य कस्बों में है? उक्त समय में लगभग 15–20 डकैती पड़ चुकी हैं। थानाध्यक्षों ने अपराध को कम करके दिखाना (मिनिमाइजेशन आफ क्राइम) शुरू कर दिया है। जनजीवन असुरक्षित हो चला है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।

बसों में बढ़े हुए किराये को घटाने के सम्बन्ध में सत्रकाल के दौरान नीति सम्बन्धी घोषणा सदन के बाहर किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, हमारे नियमों में और अध्यक्ष पद से भी व्यवस्थायें दी गयी हैं कि कोई भी नीति संबंधी और महत्वपूर्ण घोषणायें होंगी, यदि सदन चल रहा है तो पहले सदन में उसकी घोषणा होगी और उसके बाद बाहर घोषणायें होंगी। इसका कारण है कि जो घोषणा सदन में होगी उसके संबंध में हम स्पष्टीकरण करके वस्तुस्थिति से अवगत होंगे क्योंकि सरकार तथ्यों को छिपाकर बाहर कह सकती है। इसलिये अध्यक्ष ने समय-समय पर प्रतिबन्ध लगाया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 16 फरवरी और 24 फरवरी को परिवहन मंत्री ने सदन के बाहर यह घोषणा किया है और इस बात को स्वीकार करते हुए कि बसों का किराया पिछले अक्तूबर में जो 25 फीसदी बढ़ाया गया है वह ठीक नहीं है और वह बढ़ाने से आय घटी है इस लिये सरकार ने जो 25 फीसदी किराया बढ़ाया था उसका आधा घटाने को तैयार है। इस तरह के निर्देश सरकार ने निगम को दे दिया है लेकिन इस सदन में जबकि बात उठती रही कि किराया जो बढ़ा है वह पूरा वापस होना चाहिये, इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि निगम को निर्देश कर दिया है तो इसका क्या कारण है कि निगम ने शासन के नियमों का पालन नहीं किया? मान्यवर, जो सदन के बाहर घोषणा की गयी है उसके संबंध में उदाहरण और व्यवस्था दूंगा। मेरी दो आपत्ति हैं। एक तो आपत्ति यह है कि जिस विषय पर प्रश्न हो चुका होता है सदन में और वह विचाराधीन है, तो तब तक उस उत्तर के बारे में कोई घोषणा नहीं की जायेगी जब तक यहां घोषणा सदन में न कर दें। इस संबंध में मान्यवर, आप अपने पूर्व दृष्टांतों को देखें।

मान्यवर, जो आपकी रूलिंग है, उ0 प्र0 विधान सभा में अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संहत संकलन 1952 से 1967 तक उसके पृष्ठ संख्या 484 पर क्रम संख्या 14 पर व्यवस्था है—"प्रश्नों का उत्तर सदन में दिये जाने से पूर्व ही समाचार पत्रों में उनका प्रकाशन सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना है।" मान्यवर, मैंने प्रश्न पूछ रखा है कि क्या सरकार यह बढ़े हुये किराये को वापस लेने को तैयार है। उसका उत्तर नहीं आया है और मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि इस किराया वृद्धि के बाद आय में वृद्धि नहीं हुई। इसलिये एक तो यह पेंडिंग है।

मान्यवर, दूसरी बात आप देखें कि महत्वपूर्ण घोषणा सदन के बाहर नहीं की जायेगी। इस संबंध में 26 फरवरी, 1970 को इसी तरह का विशेषाधिकार का एक मामला यहां उठा था तो जो नियमावली है उसके तहत जो कार्यवाही मुद्रित होती है उसके खंड 280, पेज सं0 27

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर 26 फरवरी, 1970 को दी गयी व्यवस्था को देखें। अध्यक्ष महोदय ने कहा है—"वैसे मैं भी अभी देखूंगा लेकिन मुझे जहां तक याद है इसके विषय में मैंने यह तय किया था कि नीति संबंधी घोषणाएं हों और सदन बैठने वाला हो, तो वे सदन में करनी चाहिए।"

मान्यवर, इसी तरह का तीसरा मामला 17 सितम्बर, 1970 को यहां उठा था, श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य, जो मंत्री थे उन्होंने लायन्स क्लब में घोषणा कर दिया जिस पर अध्यक्ष ने कहा कि आप को यह घोषणा करना आउट आफ एटीकेट है, शिष्टाचार और व्यवहार के खिलाफ है। मान्यवर, इसी संदर्भ में एक और व्यवस्था की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और उदाहरण देना चाहता हूं। मान्यवर, आप उ0 प्र0 विधान सभा में अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन 1967 के पृष्ठ 530 पर नियम 105 को देखें जिसमें व्यवस्था दी गयी है कि—किसी वक्तव्य को सदन में देने से पूर्व ही समाचार पत्रों में प्रकाशित करा देना तो सदन का अवमान है जिसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं।

इस तरह मान्यवर, हमने दो बातें और आपत्तियां आपके सामने रखीं कि एक—महत्वपूर्ण फैसले नीति संबंधी हों तो वह केवल सदन में आना चाहिए और दूसरे सदन में आने से पूर्व ही प्रकाशित हो जाना जो कि शिष्टाचार के खिलाफ है और सदन का अवमान है। मान्यवर, तो निगम को सरकार ने निर्देशित किया और निर्णय सरकार ने ही लिया होगा, इस बात को समझ कर मैं आपत्ति कर रहा हूं अगर सदन में इसकी घोषणा होती तो हम यह पूछ सकते थे कि पूरा क्यों नहीं वापस होगा और तत्काल प्रभाव से यह क्यों नहीं वापस होगा ? उनकी बाहर की गई घोषणा से हम अपने इस अधिकार से वंचित हो गये हैं। आप कहेंगे कि आपकी जानकारी का आधार क्या है, तो इन्होंने 16 तारीख को पत्रकारों के साथ जो वार्ता की है, उसमें इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है। यूनिवार्ता के साथ उन्होंने साफ शब्दों में यह नीति विषयक घोषणा की है और जागरण में भी वह चीज छपी है। मैंने जागरण पत्र की प्रति जैसी की तैसी आपको संलग्न करके भेज दी है। समाचार पत्रों में मुद्रित हो जाने के कारण उसे संपूर्ण प्रदेश जान गया है।

श्रीमन्, आप हमारे अधिकारों के संरक्षक हैं, इसलिये औचित्य के प्रश्न के रूप में मैं इस चीज को आपके सामने आपके संज्ञान में ले आया हूं कि इस तरह से माननीय सदस्यों के अधिकारों का अतिक्रमण किया जा रहा है और पूरे सदन की उपेक्षा की जा रही है। इन शब्दों के साथ मैं अपने औचित्य के प्रश्न को जनहित में रख रहा हूं। मेरी मांग होगी कि 25 प्रतिशत बढ़ा किराया पूरे का पूरा तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाय। यदि निगम इनके निर्देश का पालन नहीं करता है तो इस संबंध में सुरक्षा के लिये मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा।

*श्री रियासत हुसैन—

जो विषय राजेन्द्र गुप्त जी ने उठाया है, उसी संबंध में मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रदेश का बजट प्रस्तुत हो गया है और उस बजट के अन्दर, चूंकि जो घोषणा परिवहन मंत्री जी ने की है, वह फाइनेंनशियल मंटर से सम्बन्धित है, वह चीज नहीं है। जब प्रदेश का बजट प्रस्तुत हो गया और उसमें इस चीज का कहीं रिफरेंस नहीं आया है कि बसों का जो बढ़ा हुआ किराया है उसमें से साढ़े 12 प्रतिशत हम कम करने जा रहे हैं। वह बजट में आना चाहिए था। तो अब प्रश्न यह है कि कैबिनेट ने जब बजट को पास कर दिया और उसके बाद वह सदन के पटल पर रखा गया, वित्त मन्त्री ने बजट पेश कर दिया तो फिर क्या इस सबके बाद कैबिनेट की कोई ऐसी मीटिंग हुई, जिसमें यह विचार किया गया कि प्रदेश के संसाधनों में यह कमी-बेशी की जाय ? उसके अनुसार क्या यह निर्णय हुआ कि ट्रांसपोर्ट के किराए में साढ़े 12 प्रतिशत की कमी कर दी जाय और फिर उसके अनुसार सारी चीज रिएस्टीमेट की जाय। मेरी तमाम जानकारी में ऐसा कोई मामला कैबिनट में नहीं आया और बजट में भी नहीं आया। तो मन्त्री जी ने सदन के चलते

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]
हुए सदन के बाहर इस बात की घोषणा करके इस सदन का अपमान किया है, और कैबिनट की मीटिंग और फैसले होते हैं उनका भी अपमान किया है और जो बजट प्रस्तुत हुआ है, उसमें जो मारेलिटी होनी चाहिए, उसको भी तोड़ा है। इसलिए यह बड़ा अहम मसला है। तो आप व्यवस्था दें कि क्या यह परिवहन मन्त्री जी ने उचित किया है ?

परिवहन मन्त्री (श्री गुलाब सेहरा)--
मेरे मित्र और विद्वान सदस्य गुप्त जी ने . . .

श्री अध्यक्ष--
पहले तो आप यह बताइए कि आप हंस क्यों रहे हैं ?

श्री गुलाब सेहरा--
मैं ईद में पैदा हुआ हूं, मुहर्रम में नहीं।

एक सदस्य--
देखिए फिर यह गलत बयानी कर रहे हैं।

श्री गुलाब सेहरा--
प्रश्न यह है कि किसी भी प्रकार की कोई ऐसी घोषणा न की जाय. . .
(व्यवधान)
मैंने केवल इतना कहा है कि सरकार इस पर गम्भीरता से विचार कर रही है। यह सब जगह लिखा हुआ है। मेरी समझ में नहीं आता है मैं इतने दिनों से इस माननीय सदन का सदस्य हूं. . . .
(व्यवधान)
श्रीमन, कोई नीति विषयक घोषणा पूर्णतया हो जाय कागजों में कम्पलीट हो जाय, तब वैसी कोई बात होती है। वैसी ही तो आपकी बात ठीक है। केवल इतना कहा गया है पत्रकारों के बीच में पत्रकारों ने जब मुझसे पूछा कि 25 प्रतिशत जो किराया बढ़ा है, क्या उसको खत्म करने का विचार है, तो मैंने कहा है कि कमी करने पर विचार हो रहा है। तो उसमें कोई घोषणा की हो, ऐसी चीज घोषणा जैसी कोई नहीं है। शासन विचार तो कर ही सकता है, पर नीति सम्बन्धी घोषणा नहीं हुई है।

श्री रियासत हुसैन--
क्या कैबिनेट में यह इश्यू विचाराधीन है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--
माननीय, पत्रिकाओं और जागरण पेपर का मैंने हवाला दिया है, जो बहुत ही जिम्मेदारी से खबरें छापते हैं। आप अखबार देखने का कष्ट करें। उसमें माननीय मन्त्री जी ने स्पष्ट कहा है कि हमने निगम को निर्देशित कर दिया है कि वह बढ़े हुए किराए को आधा कर दें। मन्त्रीगण अपना बयान तोड़-मरोड़ कर रोज यहाँ प्रस्तुत करते हैं। माननीय मन्त्री जी ने एक गलती तो बाहर की और दूसरी गलती उन्होंने यहाँ की कि तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया, इस पर आप माननीय, अपनी व्यवस्था दें।

*संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्बार रिजवी)--
अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी स्वयं यहां मौजूद हैं और उन्होंने अपनी बात स्पष्ट कर दिया है। आपकी पीठ ने ही यहां पर कई निर्णय हो चुके हैं और खं0 276-336 के पृष्ठ 103 पर भी आपका एक निर्णय है कि अखबार की खबरों के आधार पर कोई औचित्य का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। माननीय गुप्ता जी ने बार-बार अखबार का हवाला दिया है। अखबार में अगर कोई खबर छपी है तो उसके आधार पर यहाँ औचित्य का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। माननीय मन्त्री जी ने उसका खण्डन भी कर दिया है। जनहित के कई प्रश्न होते हैं और सरकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उन पर विचार करती रहती है। मेरा नम्र निवेदन है कि आप इस औचित्य के प्रश्न को कतई स्वीकार न करें। क्या आपका मतलब यह है कि जब विधान सभा चल रही हो तो सरकार कोई जनहित के प्रश्न पर विचार नहीं कर सकती है? जनहित के हर प्रश्न पर सरकार को विचार करने का हक है। इसलिए मान्यवर, इसे आप अस्वीकार करें। इसमें औचित्य का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

मैंने औचित्य के प्रश्न पर श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री रियासत हुसैन, माननीय परिवहन मन्त्री और माननीय संसदीय कार्य मन्त्री को बहुत गौर से सुना। श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने माननीय परिवहन मंत्री श्री गुलाब सेहरा द्वारा बस किराए की वृद्धि में 50 प्रतिशत की कटौती करने के सरकार के निर्णय की घोषणा सदन के बाहर किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का जो प्रश्न उठाना चाहा है, उसके बारे में माननीय मन्त्री जी ने जो कहा है उसे मैंने पूरे तरीके से सुना। माननीय सदस्य की सूचना का आधार दिनाँक 25 फरवरी, 1984 का "दैनिक जागरण' है, जिसकी एक प्रति उन्होंने संलग्न की है।

यह जो समाचार-पत्र है इसमें लिखा है, "रोडवेज किराए में भारी कटौती की सलाह प्रदेश के परिवहन मन्त्री गुलाब सेहरा ने 'यूनीवार्ता' को बताया कि सरकार को यह निर्णय गत वर्ष सितम्बर से बस किराए में 25 प्रतिशत की वृद्धि होने पर निगम की बसों पर चलने वाले यात्रियों की संख्या में प्रर्याप्त कमी होने के कारण लेना पड़ा है।" आगे लिखा है "श्री गुलाब सेहरा ने बताया कि बस किराया अगले महीने या उसके आसपास ही घटाया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि 1983-84 में निगम का घाटा 4.43 करोड़ रुपए का है। माननीय सदस्य की सूचना का आधार जो है, माननीय सदस्य ने 25 फरवरी, 84 के अखबार का हवाला दिया है। तो जब सदन चल रहा हो तब खासतौर से शासन के लोगों को इस बात की घोषणा सदन से बाहर नहीं करनी चाहिए। जब असेम्बली चल रही हो, सदन चल रहा हो तो इस तरह की नीतियों की घोषणा सदन में होनी चाहिए यह हमेशा से परम्परा रही है।

(मेजों की थपथपाहट)

इस सदन की अध्यक्ष पीठ से 28 अप्रैल, 1978 को यह निर्णय दिया जा चुका है कि अखबार की खबरों के बारे में कोई औचित्य का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। इसके अतिरिक्त यह भी विवादित है कि राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा बस किराए में वृद्धि या उसकी कमी का मामला सरकार की नीति से सम्बन्धित है या नहीं है, तो यह शासन देखे कि नीति से सम्बन्धित है या नहीं। सामान्यतः नीति सम्बन्धी घोषणाएं सदन के चलते हुए उसके भीतर ही, जैसा मैंने निवेदन किया था, शासन द्वारा की जानी चाहिए। उपर्युक्त परिस्थित में मैं इस मामले को औचित्य के प्रश्न के रूप में अस्वीकार करता हूं और इसकी आज्ञा नहीं देता हूं और जितनी बातों की तरफ मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है, भविष्य में खासतौर से आप उस पर विचार करते हुए इस तरह के नीति सम्बन्धी मामलों पर निर्णय लेते रहेंगे।

दूसरी बात यह है कि जैसा कि बजट का जिक्र किया गया है, रियासत हुसैन साहब ने जैसा कहा बजट आ गया है उसमें किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं है। तो उनकी पार्टी कब क्या निर्णय लेती है, कौन सी कटौती करनी है या बढ़ानी है, कौन सी छूट देनी है, बढ़ोत्तरी करनी है, या घटोत्तरी करनी है, जब अनुदान आता है या सामान्य चर्चा का जब जवाब दिया जाता है तो उस वक्त भी इस प्रकार की घोषणाएं हो सकती हैं। तो मैं इसे कोई औचित्य का प्रश्न नहीं मानता हूं और इसको अस्वीकार करता हूं और इसकी आज्ञा नहीं देता हूं।

श्री किरन पाल सिंह---

मान्यवर, औचित्य का प्रश्न है।

श्री खैरुल बशर--
अध्यक्ष महोदय, मेरा औचित्य का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—
आप लिखकर दीजिए ।

श्री किरन पाल सिंह—
मैंने लिख कर दिया है ।

श्री अध्यक्ष--
मैं नम्बर से ले रहा हूं। अभी आप बैठिए ।

कृषि अभियंत्रण डिप्लोमा धारकों के अनशन के सम्बन्ध में संसदीय कार्य मंत्री के आश्वासन के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—
श्रीमान अध्यक्ष जी, मैंने जो अपना औचित्य का प्रश्न उठाया है उस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि 22 तारीख को माननीय सदस्य श्री राम आसरे वर्मा द्वारा नियम 56 के अन्तर्गत सूचना दी गयी थी और जिसको श्रीमन, आपने स्वीकार करते हुए निर्णय दिया था। उन्होंने कहा था कि कृषि अभियन्त्रण डिप्लोमा धारक जो हैं अपनी उन माँगों को लेकर जिनको शासन द्वारा, अध्यादेश द्वारा, नियमों के अन्तर्गत उनका पाठयक्रम निश्चित कर दिया गया है। लेकिन अभी तक उसको कार्यवाही में नहीं लिया गया है। इसके परिणाम स्वरूप यह जो कृषि अभियन्ता डिप्लोमा धारक हैं, वे सचिवालय के सामने अनशन पर बैठे हुए हैं और अब वे श्रीमन्, आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। श्रीमन्, शासन के सभी मन्त्रियों की यह आदत है कि तोड़-मरोड़ करके जवाब देंगे और श्रीमन, जो इन्होंने नियम बनाए हैं उनकी ओर भी यह ध्यान नहीं देंगे और श्रीमन्, इन्होंने एक बयान दे दिया कि कृषि अभियन्ता डिप्लोमा धारक का जो पाठ्यक्रम है, श्रीमन्, जो पालीटेक्निक शिक्षा है, इससे उनको मान्यता ही प्राप्त नहीं है। यह श्रीमन्, उन्होंने गलत बयान दे दिया। श्रीमन्, मैंने इसकी प्रतिलिपि आपको दी है ।

श्रीमन, उत्तर प्रदेश सरकार प्राविधिक शिक्षा–2 अनुभाग के पत्र संख्या 663–ई0डी0/धा–19 (एम) ई0डी0/78, दिनाँक 7 फरवरी, 1978 के अनुसार राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश तथा भारत सरकार ने अपने अधीन सेवाओं पर नियुक्ति हेतु मान्यता प्रदान कर दी है जिसका कि कार्यालय ज्ञापन के अनुसार क्रमाँक 10 है। श्रीमन, मैंने आपके पास इसकी प्रतलिपि भेज दी है। श्रीमन, इसी के अन्तर्गत मार्च, 1979 में श्री हरिमोहन, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ने सभी विभागों को आदेश दिया है, अगर आप आज्ञा दें तो मैं इसको पढ़ दूं। श्रीमन, उत्तर प्रदेश शासन के अधीन जितने विभाग हैं, उनको यह निर्देश दिया है। शासन ने इनके पाठ्यक्रम को मान्यता दे दिया है। अतः श्रीमन् इसकी सेवायें जो हैं, समस्त पदों पर नियुक्ति हेतु शासनादेश तत्काल निर्गत करने की कृपा करें। मेरा कहना यह है कि माननीय मन्त्री जी के गलत बयानों से इस सदन के अन्दर आज परिणाम यह हो गया है कि इन डिप्लोमा धारकों ने सचिवालय के सामने आमरण अनशन कर दिया है। श्रीमन, तीन छात्र आज बेहोशी की हालत में हैं। अभी तक उनकी किसी भी प्रकार की इन्होंने चिन्ता नहीं की है। उनकी कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की है। उनके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है और मुझे ऐसा लगता है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सायंकाल 1 घंटे, 2 घंटे के अन्दर अगर कोई व्यवस्था नहीं की गयी तो, उनमें से किसी की मृत्यु हो सकती है। श्रीमन्, इसके पश्चात् भी डिप्लोमा धारकों के सम्बन्ध में शासन तत्काल कोई कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं है और माननीय मन्त्री जी ने यह गलत बयान दे दिया, इससे सारे प्रदेश के अन्दर आज डिप्लोमाधारकों के अन्दर उत्तेजना पैदा हो गई है। श्रीमन, माननीय मन्त्री जी ने सदन में गलत बयान देकर सदन की अवमानना की है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा जारी किए गए प्रक्रिया सम्बन्धी करण का षष्टम संस्करण का करण संख्या 218 देख लें।

श्री अध्यक्ष—

इसे हमको पहले देख लेने दीजिए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इसका परीक्षण हो चुका है। माननीय अग्निहोत्री जी ने जो तथ्य दे दिए हैं, मुझे वह नहीं कहना है। मान्यवर, कार्यवाही की मुद्रित कापी मेरे पास भी है और आपके पास भी है। मान्यवर, उसमें और माननीय मन्त्री जी के बयान में बिल्कुल विरोधाभास है। मैं केवल आपका ध्यान, यह अध्यक्ष द्वारा जारी किए गये प्रक्रिया सम्बन्धी करण के षष्टम संस्करण के नियम सं0 218 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, उसमें प्राविधान है कि यदि कोई सदस्य किसी मन्त्री या किसी सदस्य द्वारा दिए गये वक्तव्य में कोई त्रुटि या अशुद्धि की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहे तो उस विषय का निर्देश सदन में करने से पूर्व वे अध्यक्ष को पत्र लिखकर उस त्रुटि या अशुद्धि की ओर ध्यान आकर्षित करेंगे और सदन में विषय को उठाने के लिए उनकी अनुमति माँगेंगे। मैंने पत्र लिखकर आपका ध्यान आकर्षित कर दिया है। सदन में विषय उठाने की अनुमति माँग रहा हूं।

मान्यवर, जहाँ तक परीक्षण की बात है बात बहुत साफ है। मन्त्री जी का बयान आप के पास रखा है। विश्वासनीयता पर शंका करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपके सचिव द्वारा हस्ताक्षरित कार्यवाही की प्रतिलिपि को उद्धरित कर दिया। सरकार द्वारा जारी विज्ञप्तियों की प्रति आपके सामने रखी है, यह नियम रखा है आपके सामने। इसमें फैसला करने के लिए परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। विषय की अविलम्बनीयता यह है कि बच्चे भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उसमें से एक बच्चा रामकुमार है उसको जब यह जानकारी मिली की हम जिस चीज को लेकर अनशन कर रहे हैं, सरकार ने हमारी मूल बात से इंकार कर दिया, उसको हार्ट अटैक हो गया। किसी तरह से डाक्टरों ने उसको मरते-मरते बचाया। भगवान उसे दीर्घ आयु करें। मन्त्री जी का बयान समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ . . . . .

श्री अध्यक्ष—

आप नोटिस दे रहे हैं। मैंने नोटिस स्वीकार कर लिया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। आप तत्काल फैसला कर दें यह मेरी प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने गुप्ता जी की बातों को सुना। आपकी नोटिस हमको मिल गई है। आपने अपनी बात कह दी है। मैं परीक्षण करूंगा उसके बाद जो सम्बन्धित मन्त्री हैं, उनसे पूछूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

अभी पूछ लीजिए।

श्री अध्यक्ष—

अभी कैसे पूछ लूं।

*संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे भी कुछ कहना है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जो कार्यवाही है उसको आप जरूर देख लें। 27-1-84. . .

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---

आप उन्हीं को देखिए न।

श्री अम्मार रिजवी---

27-1-84 से हड़ताल चल रही है। राजेन्द्र अग्निहोत्री ने प्रश्न उठाया था। मैंने जो बात कही थी.....

श्री अध्यक्ष---

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बारे में मन्त्री जी आपसे पूछा जायगा। माननीय सदस्य ने कार्यवाही की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। मेरे लिए सम्भव नहीं हो सकता कि अभी देख लूं। मैं इसका परीक्षण करूंगा उसके बाद कोई बात कहना मुनासिब होगा।

जहाँ तक श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री द्वारा नियम 300 के अन्तर्गत अभिसूचित औचित्य का प्रश्न माननीय संसदीय कार्य मन्त्री द्वारा श्री राम आसरे वर्मा की नियम 56 के अन्तर्गत दी गयी एक सूचना के उत्तर में दिए गए बयान के गलत होने के विषय में है यद्यपि यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न के रूप में दी गयी है तथापि इसमें यह भी कहा गया है कि माननीय संसदीय कार्यमन्त्री का 28-2-84 का सन्दर्भित कथन "सदन की अवमानना भी है।" विशेषाधिकार की अवहेलना या अवमानना के प्रश्न को उठाने के लिए नियम 300 का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए नियम 64 में विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित है, फिर भी चूंकि माननीय श्री अग्निहोत्री ने सदन में की गयी कथित गलत बयानी की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, अतः इसके सम्बन्ध में माननीय संसदीय कार्य मन्त्री पूरी छान-बीन करके वस्तुस्थिति की जानकारी मुझे यथाशीघ्र भेजें। मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री---

मान्यवर, जो मर रहे हैं, हड़ताल पर बैठे हैं, सरकार को नोटिस दिया है। उनकी कोई व्यवस्था, इलाज आदि सरकार कराए और जो उचित माँग है जाकर मन्त्री जी स्वयं स्वीकार करें। इन्होंने गलत बयानी किया है।

मान्यवर, मैंने जो कहा उसका परिणाम क्या निकला?

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने सुन लिया है, परिणाम भी निकल जायगा।

संसदीय कार्य मंत्री द्वारा नलकूपों के कनेक्शन न काटे जाने सम्बन्धी आश्वासन की पूर्ति न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष---

श्री किरनपाल सिंह और श्री माता प्रसाद पाण्डेय से जो सम्बन्धित है इसमें कुछ कहना है?

श्री किरन पाल सिंह---

मान्यवर, 22 फरवरी को माननीय सदस्य ने काम रोको प्रस्ताव रखकर बुन्देलखण्ड के अन्दर नलकूपों के विद्युत कनेक्शन से सम्बन्धित एक सवाल उठाया था। उसका उत्तर देते हुए माननीय मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था कि सम्पूर्ण प्रदेश के अन्दर सिंचाई के काम आने वाली विद्युत नलकूपों का कनेक्शन नहीं काटा जायगा, नान-पेमेन्ट्स आदि की वजह से किसी भी किसान को प्रताड़ित नहीं किया जायगा। उसके बाद मान्यवर, खुद बुलन्दशहर के अन्दर मैंने मालूम किया वहाँ के ए0सी0 ने बताया कि चीफ इंजीनियर द्वारा आर्डर दिए गए हैं कि डिसकनेक्शन शुरू किया जाय।

मान्यवर, जो सदन में आश्वासन हुआ उसके विपरीत चीफ इंजीनियर के आदेश के अनुसार डिसकनेक्शन ड्राइव जोर-शोर से चल रहा है। इसी तरह की सूचना अन्य जनपदों में एकत्रित करने के बाद इस नतीजे पर पहुंच गया हूं कि समस्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से जहाँ

संसदीय कार्य मंत्री द्वारा नलकूपों के कनेक्शन न काटे जाने संबंधी आश्वासन की पूर्ति न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

गेहूं अत्यधिक रूप से पैदा होता है वहाँ विद्युत कनेक्शन कटाया जा रहा है। मान्यवर, अखबारों में छपी रिपोर्ट के अनुसार कहते हैं कि सिर्फ बुन्देलखण्ड का कनेक्शन न काटने का आश्वासन दिया था। एक खण्ड का डिसकनेक्शन नहीं होगा और आपने कहा है कि बहुत तादाद में नहीं होते हैं हमारे यहाँ किसानों के उत्पीड़न की कार्यवाही और उनके कनेक्शन काटने का कार्यक्रम बहुत ज़ोर-शोर से हो रहा है तो मान्यवर, हम इस पर व्यवस्था चाहते हैं।

(श्री शंकर सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, जो बात मैंने कही थी वह बुन्देलखण्ड के सिलसिले में कही थी। यह कठिनाई पश्चिम उत्तर प्रदेश में है...

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, बुन्देलखण्ड विशेष रूप से देख लें।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें।

श्री अम्मार रिजवी--

जो प्रश्न उठाए जाते हैं उनके बारे में साफ-साफ कहा जाता है वह बुन्देलखण्ड का प्रश्न था पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात आज आई है अगर वहाँ कठिनाई है तो मैं देखूंगा और उसको दूर किया जायगा।

श्री अध्यक्ष--

मैंने श्री किरनपाल सिंह और श्री माता प्रसाद पाण्डेय के औचित्य के प्रश्न की सूचना पर श्री किरनपाल सिंह को सुना। इन्होंने 22 फरवरी, 1984 को किसी नलकूप के डिसकनेक्शन और विद्युत अभाव में काटे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाना चाहा है। इस सम्बन्ध में मैंने माननीय संसदीय कार्य मन्त्री को भी सुना। सदन में दिए गए आश्वासन की पूर्ति का दायित्व सम्बन्धित मन्त्री का है इसके लिए सदन की आश्वासन समिति आवश्यक कार्यवाही करती है। इसलिए मैं इसे औचित्य प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं। जहाँ तक मेरी जानकारी है और जितना मैंने सुना है, जिन बातों की तरफ माननीय शंकर सिंह ने ध्यान आकर्षित किया है, मैं कार्यवाही को देख लूंगा अगर तमाम सूबे के बारे में आश्वासन दिया था तो उसे देख लिया जायगा। जितना आपका आया था वह बुन्देलखण्ड के बारे में आया था। फिर भी मैं उस बात को देख लूंगा और उसके बाद इस तरह की कोई चीज आती है तो पुनः विचार कर लूंगा। मैं इसको औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाने की आज्ञा नहीं देता।

अखिल भारतीय किसान सभा के अधिवेशन के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश के अनुसार शासन द्वारा कार्यवाही न किये जाने के विषय में औचित्य का प्रश्न

*श्री खैरुल बशर--

मान्यवर, मैंने 23-2-84 को सुल्तानपुर में अखिल भारतीय किसान सभा के अधिवेशन को विफल करने के प्रयासों के बारे में कार्य स्थगन का प्रश्न उठाया था। इस पर आपने स्पष्ट निर्देश दिए थे और माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने उसे स्वीकार किया था कि हर सम्भव सुविधाएं प्रदान की जायेंगी। मान्यवर, अभी तक, आज दो तारीख होने वाली है, 2-3-4 को अधिवेशन होने जा रहा है, लेकिन कोई सुविधा नहीं दी गयी है और मान्यवर, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री खैरुल बशर]
आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सुल्तानपुर में प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी एक चीनी मिल का उद्घाटन करने आ रही हैं। वह मिल चल रही है और उसको स्थापित करने के लिए वह सुल्तानपुर में 3 तारीख को आ रही हैं और मान्यवर, तमाम जगहों से चिट्ठियाँ आई हैं कि न जिला परिषद् का हाल खाली है, न सार्वजनिक निर्माण विभाग का बंगला खाली है, न हास्टल खाली हैं और न और कोई सुविधा है। हमारा सम्मेलन सुल्तानपुर में हो रहा है और सूचना आई है कि 15–20 किलोमीटर दूर एक आवास की व्यवस्था की जा रही है।

मान्यवर, यह इतनी गम्भीर बात है, पालिटिकल बात है। मैं समझता हूं कि तानाशाही पूरे प्रदेश में अपने दामन फैला रही है। माननीय संसदीय कार्य मन्त्री इस सदन को, पूरे प्रदेश को धोखा दे रहे हैं और गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारा अधिवेशन बहुत पहले से शुरू होने वाला था। श्रीमती इन्दिरा गाँधी का कार्यक्रम 12–2–84 को घोषित हुआ है, जबकि एक माह पहले से हमारा अधिवेशन होने जा रहा है और भारत के कोने-कोने से लोग आ रहे हैं, चल पड़े हैं, वह कहाँ जायेंगे? अगर स्थान नहीं दिया जाता है तो इस विधान सभा में अधिवेशन कहाँ करें? इसलिए इस गम्भीर प्रश्न की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं इस पर तुरन्त ऐक्शन लेने की जरूरत है। संसदीय कार्य मन्त्री सदन को गुमराह कर रहे हैं।

*श्री मोहन सिंह––
मान्यवर, श्री खैरुल बशर ने जो प्रश्न उपस्थित किया है, मैं उस पर बता देने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह दुख की बात है कि विपक्ष की सरकार के मंत्री और मुख्य मंत्री इस प्रदेश में आये, किसी मंत्री का प्रदेश में आना महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अफसोस है कि सरकार पक्ष और विपक्ष के आधार पर जो सामान्य शिष्टाचार है, उसका भी प्रयोग नहीं कर रही है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे भाई, जो सम्मेलन होने जा रहा है, उसमें जो लोग आ रहे हैं, उनके लिये ठीक से व्यवस्था नहीं की गयी है, अगर ठीक से व्यवस्था नहीं की गयी तो जो प्रधान मंत्री के लिये बना हुआ पण्डाल है उस पर जबरन कब्जा करेंगे। राजनीतिक दलों के बीच संघर्ष की स्थिति खड़ी न करें। जिस मिल का उद्घाटन करने आ रहीं हैं, वह पिछले वर्ष से कार्यरत है उसमें करोड़ों रुपये की चीनी बेची जा चुकी है और उद्घाटन अब होने जा रहा है। वे उद्घाटन के लिये नहीं बल्कि सी0 पी0 एम0 का जो सम्मेलन होने जा रहा है, उसको ध्वस्त करने आ रही हैं। बाहर से जो जन प्रतिनिधि आ रहे हैं, मुख्य मंत्री आ रहे हैं उनके रहने की व्यवस्था न हो सके, इसलिये आ रही हैं। मान्यवर, कार्य स्थगन के जरिये से.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—
इस मामले पर नियम 56 के अन्तर्गत काफी बहस हो चुकी है।

(व्यवधान)

श्री भीखा लाल––
मान्यवर, नियम 56 में बहस हो चुकी है, मैं सहमत हूं। लेकिन एक नयी परिस्थिति है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि प्रदेश के लिये राजनीतिक शिष्टाचार के नाते यह सही है कि इसमें दो प्रदेशों के मुख्य मंत्री आ रहे हैं, अतः उन्हें हर तरह की आवासीय व्यवस्था दी जायगी और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जायगी। यह घोषणा की गयी थी, किन्तु आज तक कुछ नहीं हुआ––कि माननीय श्री खैरुल बशर जी ने कहा कि 15–16 कि0 मी0 दूर रहने की व्यवस्था की गयी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, केवल समझदारी में फर्क की बात है। दो-तीन महीने पहले जब कलकत्ता में कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ था, वहाँ श्री ज्योतिर्मय बसु की सरकार ने जो व्यवस्था की थी, उसकी भी काँग्रेसी लोगों ने प्रशंसा की थी और यह कहा जा रहा था कि हर तरह से और सरकार की व्यवस्था वहाँ पर की गयी थी। आज हमारी सरकार को सोचना पड़ेगा, जहाँ एक मुख्य मंत्री किसानों के सम्मेलन में आ रहा है और उसकी यह सरकार व्यवस्था नहीं कर पा रही है। यह सरकार तो अपने को किसानों की हितैषी कहती है, किसानों की प्रगति की बात तो करते हैं, लेकिन जब आज किसान सम्मेलन हो रहा है, तो उसे विफल करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसाकि माननीय श्री मोहन सिंह जी ने कहा कि यदि इस प्रकार की परिस्थिति वहाँ पर की गयी तो प्रधान मंत्री जी के लिये जो व्यवस्था की गई है वहाँ पर, उस पर हम कब्जा करेंगे। यह एक अजीब बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय आप इन्हें (संसदीय कार्य मंत्री) समझा और इन्हें वे मद बुद्धि दें कि कम से कम राजनैतिक शिष्टाचार के मामले को तो ठीक प्रकार से निभावें।

*श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, यहाँ पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं। एक तरफ तो लखनऊ महोत्सव हुआ। लखनवी तहजीब और मेहमाननवाजी उत्तर प्रदेश में दुनिया में मशहूर है। वैसे तो विकास के मामले में यह बहुत बैकवर्ड है। प्लानिंग कमीशन ने तो अपनी रिपोर्ट में इसे कैटगारी बी का दर्जा दिया है। अब केवल यहाँ पर महमान नवाजी शेष रह गयी थी कि आने वाले मेहमान की आदर खातिर तो कर सकें और यही हमारा सरमाया था, परन्तु उसे भी आज ये लात मारने जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इन्हें निर्देशित कर दें कि कम से कम वह मेहमानन वाजी के शिष्टाचार को तो ठीक ढंग से निभायें उसे तो ठोकर न मारें।

*श्री फखरे आलम—

माननीय, अध्यक्ष महोदय, बड़े अफसोस की बात है कि जब से 1984 शुरू हुआ है, विपक्षी दलों के सम्मेलनों में, मीटिगों को रोकने का तथा उनमें गड़बड़ी करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि यही तरीका शुरू किया गया तो एक शेर का जबाव दूसरे शेर से ही सकता है। माननीय श्री खैरुल बशर जी ने जो बात कही है उसकी पूरी तरह ताईद करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। वैसे मैं खड़ा नहीं होता, किन्तु इस सम्मेलन में एक प्रदेश के मुख्य मंत्री आ रहे हैं और उसे विफल बनाने तथा नाकाम करने के लिये सरकार कोशिश कर रही है और वह भी उस जिले में कर रही है, जिस जिले के मुख्य मन्त्री रहने वाले हैं। हमारे मुख्य मन्त्री अपने जिले में जो सम्मेलन होने जा रहा है, उस सम्मेलन को खराब करने के लिये तथा उसे बरबाद करने के लिये एक साजिश कर रहे हैं, उसे बरबाद करने के लिये एक स्कीम तैयार की जा रही है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर इस सम्मेलन में किसी किस्म की रुकावट की गई है, जो मुख्य मंत्री आ रहे हैं तथा हजारों की संख्या में जो और लोग आ रहे हैं, उनके रहने के लिये व्यवस्था नहीं की गई तो क्या माननीय अध्यक्ष महोदय, आप माननीय मंत्री जी को निर्देशित करेंगे कि उनके रहने आदि के लिये वह व्यवस्था करेंगे और उनको पूरी सहूलियतें दें। यदि यही सिचुएशन रही तो प्रदेश में यह जो उथल पुथल की जा रही है, वह और खराब हो जायेगी।

मान्यवर, हमारी प्रधान मंत्री जी जिस चीनी मिल का उद्घाटन करने जा रही हैं, उसका 6 बार उद्घाटन किया जा चुका है और आज उसका सातवीं बार उद्घाटन प्रधान मंत्री जी द्वारा इसलिये किया जा रहा है कि ताकि चुनाव की तैयारियां की जा सकें। मान्यवर, यह सब चुनाव के लिए किया जा रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री फखरे आलम]

"है जुल्म तेरा आम मगर फिर भी सितमगर,
मखशूस यह अन्दाजे जफा मेरे लिए है।"

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, उनके शेर के सामने सभी बकरियाँ बेकार हो जाती हैं। कितनी सफाई से बातें कही जा रही थीं, मैं झूठ बात तो नहीं कहूंगा, परन्तु सत्य से परे जरूर कहूंगा। जो बातें आप के समक्ष और इस माननीय सदन के समक्ष कही जा रही थीं मान्यवर, यहाँ जो सदन में बात कही गयी थी, उसके बाद राज्य सरकार के पास जो भी सूचनायें आयीं उसमें एक सूचना यह थी कि वेस्ट बंगाल के रेवन्यू मिनिस्टर और लैण्ड रिफार्म एण्ड पंचायत डिपार्टमेन्ट के मंत्री श्री विनय कृष्ण चौधरी और दो अन्य राज्य मंत्री आ रहे हैं। इसमें दो केबिनेट स्तर के मंत्रियों की और बाकी अन्य राज्य मंत्रियों के आगमन की सूचना थी। किसी भी चीफ मिनिस्टर के आगमन की सूचना अभी तक नहीं मिली है। जो भी सूचना टेलेक्स या अन्य माध्यम से अभी तक मिली, उसकी व्यवस्था की बाबत यहाँ से टेलेक्स मैसेज इश्यू किये गये हैं—

इंटिमेशन रिसीव्ड दैट वैस्ट बंगाल रेवेन्यू मिनिस्टर एराइविंग सुल्तानपुर आन सेकिण्ड मार्च, 1984 एट 13.29 एच0 आर0 यस0 बाई 49 अप अमृतसर एक्सप्रेस फ्राम हावड़ा टू एटेन्ड आल इंडिया किसान सम्मेलन ऐट सुल्तानपुर।

यह सूचना वेस्ट बंगाल के माननीय राजस्व मंत्री के लिये भेजी गयी कि वेस्ट बगाल के माननीय राजस्व मंत्री मार्च माह की दूसरी तारीख को सुल्तानपुर पहुंच रहे हैं। हावडा से वे वहाँ 13.29 हावर्स पर 49 अप अमृतसर एक्सप्रेस द्वारा अखिल भारतीय किसान सम्मेलन में भाग लेने के लिये आ रहे हैं।

स्टे टिल 5 मार्च, 1984

वे 5 मार्च तक वहाँ ठहरेंगे।

5 मार्च डिप0 सुल्तानपुर ऐट 1517 एच0 आर0 यस बाई 50 डाउन अमृतसर एक्सप्रेस फार हावड़ा। और 5 मार्च को 15.17 हावर्स पर 50 डाउन एक्सप्रेस से सुलतानपुर से हावड़ा के लिये प्रस्थान करेंगे। उसके आगे है

विल बि ट्रिटेड एज स्टेट गेस्ट अन्डर यू0 पी0 स्टेट गेस्ट रूल्स। और जो यहाँ के राज्य अतिथि सम्बन्धी नियम हैं, उसके अनुसार वे राज्य अतिथि माने जायेंगे। उसके आगे है—

एन्स्यूर एरजमेन्टस आफ रिसप्शन सिक्यूरिटी स्टे एण्ड ट्रांसपोर्ट एज पर यू0 पी0 स्टेट गेस्ट रूल्स। उनके स्वागत की व्यवस्था की जाय और उनके लिये सुरक्षा, ठहरने एवं सवारी की व्यवस्था की जाय। यह वी0 आई0 पी0 मेसेज केश यहाँ से गया है। यही मेसेज श्री विनय कृष्ण चौधरी वहाँ के लैण्ड रिफार्म्स एण्ड पंचायत मिनिस्टर के लिये भी जारी किया गया और इसी तरह से अन्य राज्य मंत्रियों के आगमन की बाबत जो सूचना प्राप्त हुई, उस पर कार्यवाही की गयी। मान्यवर, अभी तक किसी भी चीफ मिनिस्टर के आगमन की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। तो, मान्यवर जो बातें यहाँ सदन में कही गयीं, और जैसे आपके निर्देश और आदेश थे, उनके अनुसार किया गया। मान्यवर, यह कहना कि माननीय प्रधान मंत्री जी की विजिट इस सम्मलन में कोई व्यवधान डलवाने के लिये की जा रही है, तो ऐसी बात न हम सोचते हैं और न ऐसा महसूस करते हैं। माननीय मोहन सिंह जी ने कहा, माननीय प्रधान मंत्री के लिये बनाये गये पडाल पर जबरन कब्जा करने की बात कही, तो मैं तो यही कहूंगा कि यह तो इनके दल की नीति है। यदि कहीं जबरन वोट से पब्लिक ओपिनियन नहीं मिलती, तो यहाँ लोग जबरन कब्जा कर लेते हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, इन्हीं के एक बड़े नेता ने कहा था कि बैलेट पेपर नहीं मिलते, तो बुलेट चलायेंगे तो मान्यवर, उस तरह से इनका भी कहना स्वाभाविक है। मान्यवर, मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जहां तक प्रजातांत्रिक प्रणाली का सवाल है या इस तरह के सम्मेलनों के आयोजनों का जहां तक सवाल है, जो सभाओं के सम्मेलन का सवाल है यदि वे ठीक तरह से होते हैं, कानूनी रूप से होते हैं, तो मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश की सरकार, कांग्रेस की सरकार, श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार मान्यवर, हर मुमकिन सहयोग उनको देगी मान्यवर, किसी तरह से विफल करने की कोशिश इसमें नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि जो आपके इसकी बाबत निर्देश थे, उनका लफ्ज व लफ्ज पालन किया गया है।

श्री खैरुल बशर—

मान्यवर, कहाँ उनके ठहरने आदि के लिये इन्तजाम किया गया है, वे यह तो बता दें?

श्री अध्यक्ष—

यह आप जिलाधिकारी से पूछें। यह इनकी जिम्मेदारी नहीं है।

मैंने संदर्भित मामले पर श्री खैरुल बशर और अन्य माननीय नेताओं को सुना और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को भी सुना। जो मामला है, और जो नियम 56 इत्यादि के बारे में बात हुई थी, वह मेरी जानकारी में है। सरकार ने पूरी तरीके प्रोटोकाल के अनुसार, जो नियम बने हुये हैं, जो दूसरे शासन से लोग आयेंगे, उनकी बाबत उन नियमों के अनुसार कार्यवाही की है उस वक्त यही आश्वासन दिया था और मैंने भी सरकार को इस पर निर्देश दिया था कि उसके अनुसार सरकार प्रोटोकाल नियम आदि के अन्तर्गत, जो सूचनायें प्राप्त हों, सरकार उधर ध्यान देकर कार्यवाही करे। सरकार को उस वक्त निर्देश दिया था।

जहाँ तक श्री खैरुल बशर ने दिनांक 23–2–84 को सुल्तानपुर में हो रहे अखिल भारतीय किसान सभा के अधिवेशन को असफल बनाने के प्रयास किये जाने के सम्बन्ध में अध्यक्ष पीठ से सरकार को दिये गये कथित निर्देश के अनुसार शासन द्वारा कार्यवाही न किये जाने के विषय में औचित्य का प्रश्न उठाना चाहा है। इस सम्बन्ध में मैंने माननीय सदस्य एवं माननीय मंत्री जी को सुना। सदन में दिये गये निर्देश या आश्वासन की पूर्ति का दायित्व सम्बन्धित मंत्री का है, और इसके लिये सदन की आश्वासन समिति आवश्यक कार्यवाही करती है।

इसके अतिरिक्त 23–2–83 की कार्यवाही को देखने से विदित होता है कि इस विषय में मैंने केवल शासन का ध्यान उचित कार्यवाही हेतु आकर्षित किया था और उनको निदेश भी दिया था। उन्होंने आश्वासन भी दिया था। इसलिये जो बाद में माननीय खैरुल बशर ने औचित्य का प्रश्न उठाया है, मैं उसको उठाने की अनुमति नहीं देता हूं और उसको अस्वीकार करता हूं।

निगमों के वार्षिक प्रतिवेदन बिलम्ब से सदन के पटल पर रखे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

[समय 1 बजकर 40 मिनट]

*श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, कृपया मद संख्या 3 का अवलोकन करें। इसमें 1977–78, 78–79 और 79–80 की वार्षिक रिपोर्टों को कम्पनीज ऐक्ट 1956 की धारा 619–ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखने की बात कही गयी है। सदन द्वारा इन तमाम निगमों को काम करने के लिये काफी धन दिया गया है। अपेक्षा यह की जाती है कि जो धन माननीय सदन द्वारा इनको दिया जाता है उसका रखरखाव और लेखा परीक्षा समय के अन्दर होगी और नियमानुसार वित्तीय वर्ष समाप्त होने के अगले वर्ष सदन के पटल पर उसका हिसाब आ जाना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हुकुम सिंह]
मैं जानना यह चाहता हूं कि 77–78 की रिपोर्ट आज सदन के पटल पर रखे जाने का क्या औचित्य है ? इसका अर्थ यह है कि जितने निगमों की स्थापना आपने की है वह आपके नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। यदि पालन नहीं कर रहे हैं तो धन देने का क्या औचित्य है। इसी प्रकार से सभी निगमों की स्थिति है।

श्री अध्यक्ष––
आप तो पी० ए० सी० के चेयरमैन हैं। इसमें और भी पब्लिक अण्डरटेकिंग है। आप तो सभी की जानकारी रखते होंगे।

श्री हुकुम सिंह––
मान्यवर, जानकारी तो है ही, जानकारी न होती तो मेरा भी हाल वही होता जो इनका है।

बिक्रीकर की संशोधित नियमावली आज रखी गयी है। ये संशोधन सितम्बर–अक्टूबर, 1983 में हो गये थे। उसमें भी प्राविधान है कि गजट होने के बाद अविलम्ब सदन के पटल पर रखी जायगी। जब 13 फरवरी से सदन चल रहा है, आज इन तमाम नियमों की संशोधित नियमावली को सदन के पटल पर रखने का क्या औचित्य है। आपके संज्ञान में इसलिये ला रहा हूं कि आप इन परम्पराओं को और जो नियम आप के द्वारा बने हुये है, निर्धारित है उसके लिये इनको निदेश दें। आज इन्होंने नियमों की और परम्पराओं की अवहेलना की है, आप इनको निदेश दें और प्रताड़ित भी करें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)––
नियम तो बतायें जिनका आपने हवाला दिया है ?

श्री हुकुम सिंह––
हाँ, हाँ, नियम भी बताऊंगा।

श्री अध्यक्ष––
आप दोनों को ही नियमों का पता नहीं है।
(हंसी)

श्री हुकुम सिंह––
बिक्रीकर ऐक्ट की धारा 3–क की उपधारा (2) में यह दिया हुआ है कि गजट होने के तुरन्त बाद सदन के पटल पर रखा जायगा। अगर उसको आपने पढ़ लिया होता तो आपत्ति करने की नौबत नहीं आती। दिन प्रतिदिन सरकार की आदत यह होती जा रही है कि परम्पराओं की अवहेलना करेंगे और नियमों को तोड़ेंगे। अगर आप प्रताड़ित नहीं करेंगे तो ये सुनने वाले नहीं हैं। यह औचित्य का प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––
मान्यवर, मैंने लिखित रूप में भी दिया था। माननीय हुकुम सिंह जी ने जो तर्क रखे हैं, उनको दोहराऊंगा नहीं। ये मद संख्या 3, 4 और 5 इसमें कम्पनीज का जो लेखा जोखा रखा जा रहा है यह कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619–ए की उपधारा (3) के अन्तर्गत रखा जा रहा है।

मान्यवर, इस संबंध में मैं कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619 (3) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि यह औचित्य का प्रश्न हम लोग क्यों उठाना चाहते हैं, इसलिये कि कम्पनीज ऐक्ट के अनुसार जितने भी लेखे-जोखे हैं उन्हें वर्ष पूरा होने पर 3 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करनी चाहिये थी, जो 77–78 से आज तक रक्खी नहीं गयी है, इसलिये अपने अधिकारों के तहत क्योंकि आप ही हमारे अधिकारों के रक्षक हैं, आपको भी इन्वाल्व करते हुए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कम्पनीज ऐक्ट की धारा 619 (3) में साफ तौर पर दिया गया है कि "व्हेयर दि सेन्ट्रल गवर्नमेंट इज नाट ए मेम्बर आफ ए गवर्नमेंट कम्पनी विच इज ए मेम्बर आफ दैट कम्पनी आर वेयर ओनली वन स्टेट गर्वमेंट इज ए मेम्बर आफ दि कम्पनी विद स्टेट गवर्नमेंट शैल काज एन ऐनुअल रिपोर्ट आन दि वर्किंग एण्ड एफेयर्स आफ दि कम्पनी टू बी"

"जहाँ पर किसी सरकारी कम्पनी की सेंट्रल गवर्नमेंट सदस्य नहीं है, वहाँ पर प्रत्येक राज्य सरकार जो उसकी सदस्य हो या केवल एक राज्य सरकार उसकी सदस्य हो वह राज्य सरकार उसके कार्यों के बारे में एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी"

अब मान्यवर सब सेक्शन (1) (ए) देखिए—

619 (1) (ए) "प्रिपेयर्ड विदिन थ्री मन्थस आफ इट्स एनुएल जनरल मीटिंग"

जिसमें कहा गया कि एनुअल जनरल की मीटिंग के तीन माह बाद यह अपनी रिपोर्ट कार्यों को तैयार करेंगे।

(बी) एज सून एज में बी आफटर सच प्रिपरेशन मेड विफोर बोथ हाउसेज आफ पार्लियामेंट टूगेदर विद कापी आफ दि आडिट रिपोर्ट ऐण्ड एनी कमेन्ट्स आपोन, आर सप्लीमेन्ट टू दि आडिट रिपोर्ट, मेड बाई दि कन्ट्रोलर ऐण्ड आडिटर जनरल आफ इंडिया।

"और जैसे ही यह रिपोर्ट तैयार हो जाती है, दोनों सदनों के पटल पर एक साथ रक्खी जाती है और जो भी आडिटर जनरल की रिपोर्ट होती है वह अन्य सहायक सामग्री जो भी होती है, उसको भी रक्खा जाता है।"

और मान्यवर, हमारे जो महालेखाकार हैं, उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने साफ-साफ यह कहा है कि आपके यहाँ के 226 लेखे ऐसे हैं जो पिछले 9 सालों से पेंडिंग पड़े हुये हैं। तो आज मान्यवर, इस प्रकार की स्थिति है। लेकिन मान्यवर, कम्पनीज ऐक्ट में यह दिया हुआ है कि इन निकायों के बारे में हम सदन में बहस नहीं कर सकते हैं न कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, बहस हम जब कर सकते हैं जब इनकी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत हो जाए, लेकिन यह रिपोर्ट कई सालों से प्रस्तुत नहीं हो रही है अगर यह रिपोर्ट समय से सदन में आ जाय तो हम संविधान के नियमों के तहत जो हमारे अधिकार है, उनके अनुसार कुछ बहस कर सकते हैं, लेकिन मान्यवर, यह जानबूझ कर इस प्रकार के काम करते हैं, इसलिये इस मौके पर आपसे निवेदन करता हूं कि आप इन्हें निर्देशित करें कि आडीटर जनरल की ऐनुअल मीटिंग के 6 माह बाद यहाँ पर इनकी रिपोर्ट आ जानी चाहिये क्योंकि हमें जो वित्तीय अधिकार प्राप्त है, इनकी इस देरी के कारण हमारे इन अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है साथ ही इसके साथ और भी बिन्दु हैं, यह मद 3, 4 और 5 की बात हो गयी और दूसरे नियम जो ले किये जा रहे हैं, नियमावली के नियम 176 को मान्यवर देखने की कृपा करें। विनियम नियम आदि का सदन के पटल पर रक्खा जाना मान्यवर, इसके तहत सरकार की ओर से जो हमारे विनियमन होते है जब हम अपनी बात को सरकार के समक्ष प्रतिनिहित करते है। वह इस सदन के पटल पर आनी है नियम 176 के तहत। अब बिक्री कर नियमावली में सबसे पहले आ रहा है उनकी धारा 3 (क) में दो शब्द प्रयोग किये गये एक "यथाशक्ति" दूसरा "अविलम्ब" यह विज्ञप्ति 2 अक्तूबर को ज़ारी हुई हैं, 12 सितम्बर की भी विज्ञप्ति इसमे जुड़ी हुई है परन्तु अभी तक इसकी विज्ञप्ति नहीं की गयी हैं और आज सदन के चलते हुए इतना समय हो गया और आज तक यह सदन के पटल पर नहीं रखी गयी, इसमें नियमों की ब्रीच हो रहा इस पर मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य, राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने कम्पनीज ऐक्ट के सब सेक्शन (1) को पढ़ा, वह इस समय मेरे पास नहीं है जिसे कि मैं देख सकूं लेकिन मुझे जहाँ तक याद है उन्होंने कहा "शैल वी प्रिपेयर्ड विद इन थ्री मन्थस" यानी जैसे ही यह तैयार हो, तीन महीने के बाद जैसे ही सदन बैठता है "ऐज सून ऐज पासिबिल" यानी कि जितनी जल्दी हो सके, यह मैं मानता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, मेरी प्रार्थना यह है कि यहाँ पर कोई डिबेट हो तो वह ठीक से होनी चाहिये। शब्द "यथाशक्ति" और "शीघ्र" मैंने बिक्री ऐक्ट के बारे मे कहा है। यदि उनके पास किताब नहीं है तो मैं उनको किताब भेज देता हूं, उसे वह देख लें लेकिन बहस सच्ची होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

ठीक हैं, आप उनको किताब भेज दीजिये।

श्री मोहन सिंह---

यह तो सभी निगमों की नियमावली में है।

श्री अम्मार रिजवी--

यह सदन 13 फरवरी से शुरू हुआ है, और आज 1 मार्च है, दिन ही कितने मिले हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने यह बिन्दु उठाया ही नहीं है। मैंने कम्पनीज ऐक्ट का हवाला देते हुए कहा है कि 1977 के बाद आज तक सन् 84 है इतने साल हो गये; मैंने विधान सभा के बैठने की बात तो कही ही नहीं है। मान्यवर, यह जो प्रश्न है, विधान सभा से संबंधित है, चाहे जो भी बात हो, सदन का जो संचालन हो रहा है उससे वह संबंधित रहेगा। जितनी शीघ्र वह हो सकी, रखी गयी इसमें कोई औचित्य का प्रश्न बनता नहीं है किसी भी तरह से।

*श्री मोहन सिंह---

मान्यवर, मैंने यहां पर विद्युत् परिषद् के बारे में प्रश्न उपस्थित किया था तो आपकी पीठ से निर्णय उसके संबंध में दिया गया था कि वर्ष पूरा होने के बाद 6 महीने के भीतर ज्यों ही सदन उपवेशन में होगा, उसे सदन में प्रस्तुत किया जायेगा। जब मैंने प्रश्न उपस्थित किया था तो आपने शासन को निर्देशित किया था कि 1978 की रिपोर्ट मण्डल विकास के निगमों को प्रस्तुत की जा रही है लेकिन यहां व्यवस्था का प्रश्न यह उपस्थित है कि वर्ष पूरा होने के 6 महीने के भीतर उनके लेखे-जोखे सदन के सामने प्रस्तुत किये जायेंगे। लेकिन यहां 8--8 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी निगम के लेखे-जोखे सदन के सामने नहीं प्रस्तुत किये जा सके और शासन केवल अपनी और उनकी अकर्मण्यता को छिपाने के लिये कि वह सदन के सामने न आने पावे उसे सदन में पेश नहीं कर रहा है जबकि 30 अरब रुपया शासन का इस पर व्यय किया जा चुका है। विद्युत परिषद् में ही 1 अरब रुपया का नुकसान हुआ है। तो मान्यवर, सबसे बड़ी अव्यवस्था यह है कि निगम बनने के बाद उसके कार्यकलापों की चर्चा हम कर नहीं सकते। उसके तहत में सदन को यह अधिकार है कि वह निगमों के ऊपर विचार करे यदि उसके ऊपर सदन अपना अंकुश नहीं रखेगा तो जो संचित निधि से पैसा हम उनको दे रहे हैं वे उसका दुरुपयोग करते जा रहे हैं और वह अपनी स्वायतत्ता का अर्थ लगाते हैं कि सदन का उन पर से नियंत्रण समाप्त हो गया है। माननीय मंत्री जी संभावनाओं पर अपना वक्तव्य दे रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आप मेरी प्रार्थना सुन लें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी तैयार नहीं है, क्योंकि यह मामला आज तत्काल ही उठाया गया है। 126 एकाउन्टस 9 वर्षों से आडिट नहीं हुए हैं। मान्यवर, आप आज इस विषय को यहीं पर रोक दें, ले न होने दें। अगले दिन हम ले हुआ मान लेंगे, इस पर आप डिबेट करवायें और हम अपने तर्क प्रस्तुत कर दे। आपकी ऐसी व्यवस्था हो जाए जिससे कि जनता की गाढ़ी कमाई का अरबों रुपया जो बरबाद हो रहा है, उस पर विधान मंडल का नियंत्रण जिस प्रकार से हो, यह अहम मसला है। यह बड़ा गम्भीर सवाल उत्पन्न हो गया है। हमारी नियमावली में यह व्यवस्था है, आपने सीमा लगा दिया है कि आटोनामस इन्सटीट्यूशन्स के बारे में कोई जानकारी नहीं कर सकते हैं। हमारे पास एक ही अधिकार है कि जब कोई रिपोर्ट ले हो, तो उस पर चर्चा कर लें। संसदीय कार्य मंत्री जी तैयार नहीं है, उनको आप समय दे दें। कि वह तैयार होकर आ जायें। एकाउन्टेट जनरल को भी सुन लें, सदन में नहीं बाहर सुन लें और फिर करोड़ों रुपये को बचाने के लिये चर्चा हो जाने दें।

*श्री रियासत हुसैन--

विषय जो सामने है, उसकी गम्भीरता को देखते हुए आप एडवोकेट जनरल को बुला लें और इस पर उनकी ओपीयनयन ले ली जाय, तो यह आगे के लिए रास्ता साफ हो जायेगा। यह ज्यादा अच्छा है कि आप एडवोकेट जनरल की ओपीनियन लेने तक इस विषय को स्थगित कर दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, हम बिलम्ब के लिये बहस नहीं करेंगे, लेकिन इसको आप रोक दें।

श्री चेतराम गंगवार---

यह तो आपकी ही सरकार के ही समय का है।

श्री अम्मार रिजवी---

जो एजेण्डा में चीज आ गयी, वह आपकी ही अनुमति से आती है। इसको सदन के पटल पर रखे जाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह चीज तो आप की ही सरकार के समय की है, उस समय के लोगों की भी जिम्मेदारी है। मान्यवर, इसको पटल पर रखे जाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। आप पूरी तरह से सक्षम है।

श्री अध्यक्ष----

श्री हुकुम सिंह, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री मोहन सिंह, श्री रियासत हुसैन तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुना। मैं 1952 से इस सदन का सदस्य हूं। जहां तक आपकी आपत्तियों का प्रश्न है, उनको मैंने सुना और जिन नियमों का उल्लेख किया गया है, उनको देखा। मद संख्या 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12 एवं 13 के अन्तर्गत नियमावलियां विज्ञप्तियों को सदन के पटल पर क्रमशः उत्तर प्रदेश बिक्री कर ऐक्ट 1948 की धारा 3-क(2) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम 1961 की धारा 237 (3) कम्पनीज ऐक्ट 1956 की धारा 619-ए (3) उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 12 (7) तथा उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 23 (क-1) के अन्तर्गत सदन के पटल पर जारी होने के दिनांक के पश्चात यथाशीघ्र, जैसा कि संगत अधिनियमों में प्रावधान है, सभा के पटल पर रखा जा रहा है। मुझे इसके बारे में यह निवेदन करना है कि जो परिपाटी रही है वह रखी जाती आ रही है। निगमों के वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखने की व्यवस्था है। जिन निगमों के प्रतिवेदन विलम्ब से रखे जाते है उनके बारे में तो सदन की सार्वजनिक उपक्रम समिति विचार कर सकती है और उसके बाद सदन सर्वोच्च होगा। बिलम्ब के बारे में वह समिति अपनी संस्तुति कर सकती है। जहां ऐसा होता रहा है उसके बारे में मैं सरकार से निवेदन करूंगा.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

नहीं मान्यवर, आप आदेश दें।

श्री अध्यक्ष---

शासन का यह कर्तव्य है कि जो हमारा ऐक्ट बना हुआ है और उसके अनुसार जो प्राविधान है शासन को जहां तक सम्भव हो सके, इस पर कार्यवाही करनी चाहिये और भविष्य में इसका ध्यान रखना चाहिये। मैं इसको औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाने की आज्ञा नहीं देता हूं और इसको अनुचित करार देता हूं।

मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लि० मुरादाबाद की प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वार्षिक रिपोर्टें

(पंचायती राज मंत्री का नाम पुकारे जाने पर और संसदीय कार्य मंत्री के खड़े होने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता---

मान्यवर, मेरी व्यवस्था का प्रश्न है। पंचायती राज मंत्री बैठे हैं। इन्होंने उनको बुलात बैठा दिया है।

पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री राम सजीवन सिंह)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से मुरादाबाद मंडल विकास निगम लि० मुरादाबाद की प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1977-78, 1978-79, 1979-80 को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

वाराणसी मण्डल विकास निगम लि० वाराणसी का षष्ठम वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1981-82**

पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास राज्यमंत्री (श्री राम सजीवन सिंह)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वाराणसी मंडल विकास निगम लि०, वाराणसी की षष्ठम वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण वर्ष 1981-82 को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि० का तीसरा वार्षिक लेखा जोखा 1978-79**

विकास राज्य मंत्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)---

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से गढ़वाल मंडल विकास निगम लि० का तीसरा वार्षिक लेखा-जोखा 1978-79 को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

वित्त (बिक्री कर) अनुभाग-2 की विज्ञप्तियां*

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)---

मान्यवर, मैं आज्ञा से वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की दिनांक 1 अक्टूबर, 1983 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या वि० क०-2-6074/दस-6 (2)/83-उ० प्र० अधि० 15/48 आदेश-83, दिनांक 1 अक्टूबर, 1983 एवं विज्ञप्ति संख्या वि० क०-2-6075/दस-6 (9)/83-उ० प्र० अधि० 15/48 आदेश-83, दिनांक 1 अक्टूबर, 1983 को उत्तर प्रदेश बिक्री कर ऐक्ट, 1948 की धारा 3-क की उपधारा (2) अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की दिनांक 12 अक्टूबर, 1983 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या वि० क०-2-5905/दस-6-(9)-83-उ० प्र० अधि० -15-48-आदेश-83, दिनांक 12 अक्टूबर, 1983 को उत्तर प्रदेश बिक्री कर ऐक्ट, 1948 की धारा 3-क की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापी नहीं गयी।

**छापा नहीं गया।

***छापी नहीं गयीं।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग–2 की दिनांक 1 अक्तूबर, 1983 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या वि0 क0–2–6071दस–6 (73) 76–उ0 प्र0 अधि0–15–48–आदेश–83; दिनांक 30 सितम्बर, 1983, विज्ञप्ति संख्या वि0 क0–2–6072/दस–9 (121)–82–उ0 प्र0 अधि0–15–48–आदेश–83, 30 सितम्बर, 1983 एवं विज्ञप्ति संख्या वि0 क0–6073–दस–6–(73)–76–उ0 प्र0 अधि0–15–48–आदेश–83, दिनांक 30 सितम्बर, 1983 को उ0 प्र0 बिक्री कर ऐक्ट, 1948 की धारा 3–क की उपधारा (2) अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद (सदस्यों का अनुमेलन) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1983†

पंचायती राज तथा ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री राम सजीवन सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज अनुभाग–2 की अधिसूचना सं0 6129/33–2–1983–71 जी0–82–यू0 पी0 ए0–33/1961–नियम–1963–संशोधन (3)–1982 दिनांक 28 अक्तूबर, 1983, के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश जिला परिषद (सदस्यों का अनुमेलन) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1983 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उपाय लिमिटेड, लखनऊ (उ० प्र० राज्य उपक्रम) की वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण वर्ष 1977–78‡

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उपाय लिमिटेड, लखनऊ (उ0प्र0 राज्य उपक्रम) की वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण वर्ष 1977–78 (30 जून, 1978 को समाप्त प्रथम वित्तीय वर्ष की) को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619–ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन, 1980‡

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन (1 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1980 तक की अवधि का) को स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उपलोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 12 की उपधारा (7) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (पन्द्रहवां संशोधन) नियमावली, 1983†

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री बच्चा पाठक)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सहकारिता अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0 2987/12–सी–1–83–7–(13) 78–यू0 पी0 ए0–11–66–रूल–1968–ए0 एम0 (15)–1983, दिनांक 12 सितम्बर, 1983 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (पन्द्रहवां संशोधन) नियमावली, 1983 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

सहकारी बैंक केन्द्रीयित सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1983†

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री बच्चा पाठक)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से सहकारिता अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0 3625/12 सी–1–83–7–(27)–1978, दिनांक 12 सितम्बर, 1983 के साथ प्रकाशित सहकारी बैंक केन्द्रीयित सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1983 का उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

†छापी नहीं गयी।
‡छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1983-84) का द्वितीय अनुपूरक विधेयक, 1984

संयुक्त सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, की अनुमति से मैं यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1983–84 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1984 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक 20 फरवरी, 1984 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 24 फरवरी 1984 को वापस प्राप्त हुआ था। राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 फरवरी 1984 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1984 का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1984

संयुक्त सचिव----

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक 1984 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक 20 फरवरी, 1984 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 24 फरवरी, 1984 को वापस प्राप्त हुआ था। राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 फरवरी, 1984 को प्राप्त हो गयी और वह सन 1984 का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया।

श्री योगेन्द्र सिंह, थानाध्यक्ष, बरगदवा, गोरखपुर के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

अब मद संख्या 16 में मैं निर्णय देने जा रहा हूं। इसमें मैंने मा0 सदस्यों को अपने कक्ष में बुला कर सुना है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, सदस्य विधान सभा ने दिनांक 7 दिसम्बर, 1982 को थानाध्यक्ष बरगदवा (श्री योगेन्द्र सिंह) गोरखपुर के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की लिखित सूचना दी थी। इससे पूर्व दिनांक 2 दिसम्बर, 1982 को तार भेजकर, जो मुझे 6 दिसम्बर, 1982 को प्राप्त हुआ, श्री ओझा ने उक्त थानाध्यक्ष के अनुचित कार्य के संबंध में विशेषाधिकार अवहेलना की शिकायत की थी। अपनी लिखित सूचना में मा0 सदस्य का कहना है कि 19 नवम्बर, 1982 को बरगदवा बाजार में एक सर्वदलीय सभा हुई थी जिसमें मंगलापुर गांव में एक फर्जी डकैती करने के आरोप में थानाध्यक्ष बरगदवा के विरुद्ध आगामी 28 नवम्बर को एक मीटिंग का निर्णय लिया गया था। जब श्री ओझा 28 नवम्बर, 1982 को बरदगदवा चौराहे पर पहुंचे तो उक्त थानाध्यक्ष पर्चे बांटते हुए दिखायी दिये जिसमें लिखा था कि "ओझा वापस जाओ"। उक्त सूचना के अनुसार माननीय सदस्य के सभा स्थल पर पहुंचते ही थानाध्यक्ष के इशारे पर असामाजिक तत्व अपशब्द कहते हुए स्टेज तक पहुंच गये और माइक छीन लिया, उनके तथा उनके साथियों के साथ अभद्र व्यवहार किया एवं अपशब्दों का प्रयोग किया। मा0 सदस्य के अनुसार उक्त थानाध्यक्ष ने यह भी धमकी दी कि वे मंगलापुर के मामले को विधान सभा में उठायेंगे तो उन्हें जान से मरवा दिया जायेगा। विशेषाधिकार अवहेलना की अपनी सूचना में मा0 सदस्य ने यह भी कहा है कि 23 नवम्बर, 1982 को उन्होंने एक प्रश्न मंगलापुर के संबंध में प्रश्न विभाग को दिया है जिसकी जानकारी के कारण उक्त थानाध्यक्ष मा0 सदस्य से पहले ही रुष्ट थे।

इस संबंध में मा0 मुख्य मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी की गयी। शासन के उत्तर दिनांक 31 दिसम्बर, 1983 में यह स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 28 नवम्बर, 1982 को अपराह्न में जनता पार्टी द्वारा बरगदवा बाजार में जनसभा का आयोजन किया गया तथा श्री ओझा उस

सभा के मंच पर उपस्थित थे। उक्त सभास्थल से कुछ ही दूरी पर लोकदल के कार्यकर्त्ताओं द्वारा भी एक सभा आयोजित की जा रही थी, जिसके नेता श्री राम चन्द्र पांडेय थे। शासन की सूचना के अनुसार जनता पार्टी की सभा की कार्यवाही जैसे ही आरम्भ हुई, लोकदल के कार्यकर्त्ताओं ने "जनार्दन प्रसाद ओझा वापस जाओ" के नारे लगाये किन्तु पुलिस कर्मियों की उपस्थिति के कारण कोई अप्रिय घटना नहीं घटी।

अपने उत्तर में शासन ने यह भी सूचित किया है कि थानाध्यक्ष बरदगदवा श्री योगेन्द्र सिंह का स्थानान्तरण कर दिया गया है और दो दलों की सभा एक ही स्थान पर कराये जाने के लिये दोषी मानकर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी की जा रही है।

मैंने प्रश्नगत मामले में श्री जनार्दन प्रसाद ओझा से दिनांक 21 फरवरी, 1984 को बात की। श्री ओझा का कहना है कि दिनांक 28 नवम्बर, 1982 को बरगदवा बाजार से कुछ दूर पर लोकदल के कार्यकर्त्ताओं द्वारा किसी सभा का आयोजन नहीं किया था और शासन की ओर से यह सूचना सही नहीं दी गयी है। इस प्रकार शासन की ओर से दी गयी सूचना एवं श्री ओझा के कथन में परस्पर विरोधाभास है और सही स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि इस मामले की अग्रेतर जांच की जाय।

अतः मैं इस मामले की जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन के लिये इस सदन की विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट करता हूं।

श्री सान्याल, अध्यक्ष विद्युत् परिषद् के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अहवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

दूसरा निर्णय इस प्रकार से है :—

दिनाँक 6 सितम्बर, 1983 को श्री राम कुजार भार्गव तथा श्री शम्भू नाथ सिंह, सदस्यगण, विधान सभा ने अध्यक्ष, राज्य विद्युत् परिषद् श्री सान्याल के बिरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी थी। उपरोक्त सूचना में माननीय सदस्यों का कहना था कि वे राज्य विद्युत् परिषद् परामर्शदात्री समिति के सदस्य हैं और उक्त हैसियत से वे दिनाँक 27 जुलाई, 1983 को समिति की बैठक में भाग लेने के लिए गये थे। वहाँ जाने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि समिति की बैठक स्थगित हो गयी है और आगामी बैठक दिनाँक 5 सितम्बर, 1983 को आयोजित होगी। माननीय सदस्यों का कहना है कि उन्होंने श्री सान्याल को सूचित किया कि दिनाँक 5 सितम्बर, 1983 को विधान सभा की बैठक है, अतः शासन के उद्घोषित नीति के अनुसार 5 सितम्बर, 1983 की बैठक स्थगित कर दी जाय। इस पर श्री सान्याल ने उनसे कहा कि विधायक और सदन से इस समिति का कोई सम्बन्ध नहीं है और विधायकों के लिए बैठक स्थगित नहीं हो सकती। सदन की कार्यवाही चलते रहने के कारण माननीय सदस्य बैठक में भाग नहीं ले सके और इससे विशेषाधिकार का प्रश्न उत्पन्न हुआ है।

माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सूचना की प्रति माननीय मुख्य मन्त्री को भेजकर शासन की प्रतिक्रिया ज्ञात की गयी। माननीय मुख्य मन्त्री, जो विद्युत विभाग से सम्बन्धित हैं, से उत्तर दिनाँक 30 जनवरी, 1984 को प्राप्त हुआ है उसमें यह कहा गया है कि दिनाँक 5 सितम्बर, 1983 की बैठक स्थगित करने का पत्र बैठक की समाप्ति के उपरान्त श्री सान्याल को प्राप्त हुआ और सदन के बारे में श्री सान्याल की कोई बातचीत विधान सभा के किसी माननीय सदस्य से नहीं हुई। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्य मन्त्री ने यह भी अवगत कराया है कि अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद् को सजग किया गया है कि भविष्य में ऐसी समिति की बैठक जिसमें माननीय विधायक भी सदस्य हों, सदन के सत्र के दौरान सत्र दिवस में न रखें।

[श्री अध्यक्ष]

माननीय सदस्यों ने विशेषाधिकार की अवहेलना की जो सूचना प्रस्तुत की है उसके साथ उस पत्र की प्रतिलिपि संलग्न नहीं की है जिसके द्वारा 5 सितम्बर, 1983 की बैठक को स्थगित करने का अनुरोध किया गया था जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वास्तव में बैठक के स्थगन का अनुरोध कब किया गया था।

इसके अतिरिक्त यह भी ज्ञातव्य है कि दिनाँक 13 मार्च, 1961 को महाराष्ट्र विधान सभा में इस तरह की समस्या उत्पन्न हुई थी। उक्त समस्या पर अपना निर्णय देते हुए महाराष्ट्र विधान सभा के तत्कालीन अध्यक्ष ने यह निर्णीत किया था कि यदि विधान सभा का कोई सदस्य सरकारी समितियों में स्वेच्छा से कार्य करने हेतु अपनी सहमति देता है और सदन की तथा शासकीय समितियों की बैठकें साथ-साथ आयोजित की जाती हैं तो यह नहीं कहा जा सकता कि सदस्यों के विशेषाधिकार की कोई अवहेलना हुई है या सदन में भाग लेने में कोई बाधा या अवरोध उत्पन्न किया गया है।

मैंने दिनाँक 27 फरवरी को विद्युत परिषद् के अध्यक्ष, श्री सान्याल को भी बुलाया था। उन्होंने मुझे यह आश्वासन भी दिया है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में मैं इस मत का हूं कि प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है और मैं इसे सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 1-3-84 को नियम 56 के अन्तर्गत मुझे 11 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री की हैदरगढ़ (बाराबंकी) में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित प्रदर्शन में पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किए जाने के सम्बन्ध में है। यही सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की भी है। माननीय श्री शंकर सिंह की अकालियों द्वारा संविधान का अनुच्छेद 25 जलाए जाने के सम्बन्ध में, गोरखपुर में हुई गिरफ्तारी के सम्बन्ध में है। माननीय सरदार सिंह की जनपद झांसी में डाक्टर द्वारा मिडवाइफ के साथ बलात्कार किए जाने के सम्बन्ध में है। श्री रुद्रप्रताप सिंह की प्रदेश में बालिकाओं के हाई स्कूल एवं इण्टर की परीक्षा केन्द्रों में परिवर्तन से उत्पन्न असन्तोष के सम्बन्ध में है। यही सूचना श्री कुबेर भण्डारी जी की भी है। माननीय मोहन सिंह की, लखनऊ शहर के माल एवेन्यू मुहल्ले के बंगला नं0 11 को, एक न्यायाधीश के नाम आवंटित करने के सम्बन्ध में है। यह मामला एक मकान का है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा की, गाँव कटहरी, गोरखपुर में पुलिस द्वारा लूटपाट किए जाने के सम्बन्ध में। सर्वश्री कुंवर सिंह नेगी, नरेन्द्र सिंह भण्डारी व विद्यासागर नौटियाल की, पर्वतीय क्षेत्र में रोडवेज की अनेकों बसें सेवाएं रद्द किए जाने के सम्बन्ध में।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद की, जनपद गोरखपुर की तहसील महाराजगंज से खाद्यान्न की वस्तुओं की तस्करी के सम्बन्ध में है। ये रोजाना दे देते हैं।

श्री किरानपाल सिंह की, बुलन्दशहर मुख्यालय में एक कोतवाल द्वारा आई0ए0एस0 अधिकारी को पीटने के सम्बन्ध में।

जिन माननीय सदस्यों को मैं पुकारूंगा, वे केवल दो-दो मिनट में ग्राह्यता पर अपनी बात कहेंगे।

श्री किरन पाल सिंह—

मान्यवर, 25/26 फरवरी की रात को बुलन्दशहर मुख्यालय में एक अभूतपूर्व घटना हुई। वहाँ चल रही प्रदर्शनी में चित्रा सिंह जगजीत सिंह नाईट के अवसर पर खुरजा पुलिस के कोतवाल ने एक आई0ए0एस0 अधिकारी श्री टी0डी0 गौड़ को खूब पीटा. . . .

श्री अध्यक्ष—

खुर्जा में कोई कोतवाल नहीं है ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, उर्दू में इंस्पेक्टर को कोतवाल कहते हैं। उस पंडाल में घटना के साथ मेरठ के कमिश्नर श्री गोस्वामी भी मौजूद थे। बताया जाता है कि पहले आई0ए0एस0 अधिकारी ने पुलिस इंस्पेक्टर को 2–3 लात मारी, फिर पुलिस इंसपेक्टर ने उस आई0ए0एस0 अधिकारी की जमकर पिटाई की। मण्डल कमिश्नर के सम्मुख उसकी निर्दयतापूर्वक पिटाई की। बाद को फर्स्ट-ऐड के बाद उनको घर पहुंचाया गया। इसकी बैकग्राउन्ड में बहुत बड़ा इतिहास है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। इसे आई0ए0एस0 अधिकारी का पुराना इतिहास क्या है वह आपको मालूम है। बताया जाता है कि इनके तथा पुलिस इन्सपेक्टर के बीच काफी समय से मनमुटाव एक फीएट कार की नीलामी को लेकर चला आ रहा था। गुलावटी थाने के अन्दर एक बिल्कुल नई लावारिस फीएट कार को श्री टी0डी0 गौड़ ने स्वयं नीलामी अधिकारी बनकर अपने ही रिश्तेदार के नाम मात्र 2300 रुपए में ले लिया था। उक्त कार को पुलिस इन्सपेक्टर खुर्जा 30,000 रुपए में लेना चाहते थे। इसके बाद से ही दोनों में बोलचाल तक बन्द हो गयी। श्री गौड़ इसके उपरान्त प्रदर्शनी के मुख्य कर्ताकर्ता बने जो आजकल चल रही है। इन्होंने जिले की समस्त मंडी समितियों, हाट निरीक्षकों, नगरपालिकाओं तथा टाउन एरियाज आदि से जिला प्रदर्शनी के नाम पर अपार धन बटोरा। जिस दिन यह घटना घटी, उस दिन बताया जाता है कि उक्त दोनों ही शराब के नशे में थे। उक्त घटना के बाद जनपद की प्रशासनिक व पुलिस व्यवस्था में भारी तनाव आया है और प्रशासन चौपट हो गया है। जिलाधिकारी व पुलिस कप्तान ने आपस में बोलना बन्द कर दिया है। तमाम जनता में इस घटना की थू-थू हो रही है। पुलिस व प्रशासन दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाने पर तुले हुए हैं। कानून व्यवस्था की हालत खराब हो गई है। इसलिए अगर आप इस पर चर्चा न करा सकें तो केवल वक्तव्य ही दिलवा दें ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, प्रशासनिक सारा काज ठप्प होने की बात जो कही जा रही है, यह नहीं होने दिया जायगा। इसमें जो भी जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

श्रीमान् अध्यक्ष जी, दिनाँक 26 को भारतीय जनता पार्टी बाराबंकी, हैदरगढ़ शाखा का एक प्रदर्शन आयोजित था। वह प्रदर्शन शान्तिपूर्ण ढंग से और श्रीमान् जी, अपनी माँगों को लेकर जनता पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे थे।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

यह झूठ है ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

यह झूठ है तो इसका सबूत दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन शांतिपूर्ण था और वह लोग एस0डी0एम0 को ज्ञापन देने जा रहे थे। उसमें एक भूतपूर्व विधायक सुन्दर लाल दीक्षित तथा महामन्त्री डा0 अवधेश शुक्ला, यह सारे प्रदर्शन को नियंत्रित कर रहे थे और मान्यवर, जैसे ही प्रदर्शन तहसील के पास पहुंचा पुलिस ने अचानक एक प्रकार से आक्रमण कर दिया और निर्दयतापूर्वक पिटाई किया। जिससे भूतपूर्व विधायक दीक्षित जी को बड़ी गम्भीर चोटें आयीं और डा0 अवधेश शुक्ला जी को चोटें आयीं। इसके अलावा जो सैकड़ों कार्यकर्त्ता तथा जो दूकानदार वहाँ पर थे उनको भी दूकान से खींचकर पीटा गया तथा उनका सामान सड़क पर फेंक दिया गया। उसके बाद उनको पकड़कर थाने को निर्दयतापूर्वक घसीट कर ले जाया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री]

मान्यवर, हमें जनतांत्रिक व्यवस्था में प्रदर्शन करने का अधिकार प्राप्त है लेकिन इस निकम्मी सरकार की जो सारी योजनाएं हैं जिनमें भ्रष्टाचार है जिसके कारण किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है, उस तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए हमको अधिकार है कि हम उस पर ज्ञापन जाकर दें। श्रीमन्, यह सरकार की साजिश है, जैसा कि आज एक माननीय सदस्य ने इस बात को कहा कि विरोध पक्ष के जो दल हैं उनके द्वारा आयोजित किसी प्रदर्शन को सरकार प्रशासन द्वारा कुचलना चाहती है। मैंने इसीलिए नियम 56 में यह सूचना दी है और श्रीमान् जी, अगर यह इस तरीके से समस्या का हल करना चाहते हैं, प्रदेश के अन्दर जैसा यह व्यवहार करना चाहते हैं तो इनके कांग्रेस (आई) कार्यालयों में घुसकर यह स्थिति पैदा कर दी जायगी।

मान्यवर, इसकी जाँच करवाइए। प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। समाचार पत्रों में भी यह सम्पूर्ण घटना छपी है और तथ्य प्रकाश में आए हैं। हमें जनतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करने का अधिकार है। हमें अपनी सभाएं आयोजित करने और प्रदर्शन करके शासन का ध्यान आकर्षित करने का अधिकार है। मैं श्रीमान् जी से इस पर चर्चा कराने की माँग करता हूं।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

माननीय अध्यक्ष जी. . . .

एक सदस्य--

यह किस नियम में बोल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

जिस नियम में आप बोल रहे थे उसी नियम के अन्तर्गत बोल रहे हैं।

*श्री श्यामलाल वाजपेयी--

माननीय अध्यक्ष जी, अभी एक माननीय सदस्य ने हैदरगढ़ के विषय पर एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव रखा। चूंकि वह मेरे क्षेत्र से सम्बन्धित है इसलिए मेरा यह नैतिक कर्तव्य है कि मैं जो तथ्य हैं उनको आपके संज्ञान में लाऊं। माननीय सदस्य झांसी जनपद के रहने वाले हैं। हैदर-गढ़ को दूरबीन से उन्होंने देख लिया। मेरा एक चरित्र है, मेरा चरित्र आदरणीय सदन के समक्ष रहा है, मैं अपनी कोई सफाई नहीं देना चाहता लेकिन मान्यवर, इस जनसंघी झूठ के सामने मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। मान्यवर, एक शान्तिपूर्ण प्रदर्शन जिसकी बात कही गयी, मान्यवर सभा में जनसंघी नेताओं ने भाषण दिया और विदा हो गए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपा करके बैठिए। यह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री ने दी आपने उनकी बातों को सुना। उसकी ग्राह्यता पर चर्चा हो रही है। माननीय अग्निहोत्री ने आरोप लगाए कि हैदरगढ़ का परगनाधिकारी जिसके विरुद्ध शासकीय सम्पत्ति का दुरुपयोग, पैसे लेकर पट्टे करने के आरोप उसके विरुद्ध लिखाए गये हैं।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

इसी असत्यता के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। इनके जो भूतपूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं वह खुद [***] करते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट:--[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

व्यवस्था का प्रश्न है। अगर माननीय सदस्य इस प्रकार की बातें करते हैं तो इस पर चर्चा करा दीजिए। सच्चाई सामने आ जायगी।

श्री अध्यक्ष--

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप बैठें। मैं आपकी बात समझ गया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या माननीय बाजपेयी जी ग्राह्यता पर बोल रहे हैं। ग्राह्यता की मदें नियम 57 में दी गयी हैं कि अविलम्बनीय महत्व का होना चाहिए। तत्काल घटी घटना के बारे में होना चाहिए। उसके विपरीत कोई तथ्य हों तो बता दें। उस घटना को कोट करने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ खड़े हो गये)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अभी तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। आप बुन्देलखण्ड के रहने वाले हैं और ये माननीय सदस्य बाराबंकी के रहने वाले हैं। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर आप यह कहना चाहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के सदस्य नहीं हैं, केवल सीतापुर के सदस्य हैं। बाजपेयी जी ने दलाल शब्द का प्रयोग मान्यवर, किया।

(श्री श्यामलाल बाजपेयी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय बाजपेयी जी, आप कृपया बैठिए।

(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, यह बात सही है कि माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री बुन्देलखण्ड के रहने वाले हैं और वह माननीय सदस्य बाराबंकी के रहने वाले हैं, लेकिन यह हो सकता है कि इसकी जानकारी उनको न हो।

(श्री बिहारी लाल के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए।

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप बैठिए।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

मान्यवर, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं भूतपूर्व विधायक की बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय बाजपेयी जी, आप किसी माननीय सदस्य को दलाल नहीं कह सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, मैं ग्राह्यता के बारे में कहना चाहता हूं और जो माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने कहा, उसके बारे में कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

मैं आज्ञा नहीं दूंगा, केवल ग्राह्यता के बारे में ही आप कह सकते हैं।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, जिस परगनाधिकारी की बात करते हैं, मान्यवर, उसने तस्करों को पकड़ा है। जो इनके भूतपूर्व सदस्य माननीय सुन्दर लाल दीक्षित हैं, वह तहसील की [× × ×] करते हैं। मान्यवर, परगनाधिकारी ने इसका विरोध किया। मान्यवर, एक तो कोई परगनाधिकारी काम करने के लिये तैयार नहीं होता है और अगर कोई इमानदारी से काम करने के लिए तैयार होता है, तो माननीय सुन्दर लाल दीक्षित उसके पीछे पड़ते हैं। मान्यवर, वह तस्करों का दुश्मन है, इसलिये इसे अस्वीकार करने की कृपा करें।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

क्या मैं इसी काम के लिये बैठा हुआ हूं।

राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये। व्यवस्था के नाम पर दो-दो सदस्य बोल चुके हैं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, बाजपेयी जी ने जिन शब्दों का प्रयोग कि ा है, उसके संबंध में मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

जो इस सदन का सदस्य नहीं है, उसके बारे में उन्होंने आरोप लगाया है?

श्री राजेन्द्र कुमार गु त--

जी हां। जो इस सदन का सदस्य नहीं है, भूतपूर्व माननीय सदस्य है, उनके लिए क्या दलाली शब्द का प्रयोग किया जायेगा?

श्री अध्यक्ष--

उन शब्दों को देखकर मैं कार्यवाही से हटवा दूंगा।

श्री अम्मार रिजवी--

इसके सारे तथ्य मेरे पास नहीं हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से जांच कराकर सारे तथ्य आपके सामने भेज दूंगा।

नोट: [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अति गंभीर एवं अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये अनुरोध करूंगा कि आप इस पर तत्काल चर्चा करा दें। नारायणपुर की पुनरावृति गोरखपुर में हो गई है। 23-24 तारीख को गांव कटैहरी कला, थाना ठौठीभार जिला गोरखपुर में पुलिस के दरोगा सिपाहियों और होमगार्ड के साथ गये और, गांव में 10 हजार की जेवर की लूटपाट की, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया बदकिश्मती से उस गांव में छोटे लोग, जुलाहे, हरिजन रहते हैं। उन्हीं छोटे लोगों के साथ यह दुष्कर्म किया गया। 28 तारीख को मैने स्वयं जाकर देखा, उनकी रिपोर्ट थाने में नहीं लिखा गई। इसी आदरणीय सदन में उस समय भी जब नारायणपुर का मामला हुआ था तो मैंने कार्यस्थगन के प्रस्ताव के रूप में इस मामले को उठाया था, और यह चेतावनी दी थी मोहन सिंह की सरकार को और यह कहा था कि यदि नारायणपुर कांड की जांच न कराई गई तो यह सरकार रहने वाली नहीं है, वह तो चले गये लेकिन उस सरकार की इतनी विशेषता थी कि उसने कांस्टेबिल से लेकर डी0 आई0 जी0 तक को लाइन हाजिर किया था।

माननीय अध्यक्ष जी वहां पर गरीबों को लूटा गया, रात भर जश्न मनाया गया पुलिस कर्मियों द्वारा लेकिन 4 किलोमीटर पर बैठा हुआ पुलिस का थाना और 7 किलोमीटर दूरी पर बैठा हुआ जिला प्रशासन उफ तक नहीं किया। कल रात 9 बजे तक वहां कोई नहीं गया। वहां पर आतंक पैदा हो गया है। अकिलयत के मन में दर्द है और लोगों का कहना है कि उपचुनाव में पुलिस के लोगों ने सत्तापार्टी को वोट दिलवाया था इसलिये इनके खिलाफ कुछ करने की स्थिति में सरकार नहीं है। लोग गांव छोड़कर चले गये हैं। 25 तारीख को सभा हुई लोगों का कहना है कि जब तक यह पुलिस कर्मी रहेंगे हमारी सुरक्षा की कोई गारन्टी नहीं है हम गांव नहीं जायेंगे।

दूसरी बात यह है कि पुलिस के अधिकारी सारे वर्तन, जेवर, पैसे के साथ गांव में गये और माफीनामा लेकर गये कि हम सारी चीज वापस कर दे रहे हैं आप लोग शिकायत न करें। लेकिन गांव वालों ने कहा कि हम कोई सामान नहीं लेंगे। हमको कुछ नहीं चाहिये जब तक इस मामले की मैजिस्ट्रीरियल खुली जांच नहीं हो जाती है और पुलिस कर्मी हटाये नहीं जाते हैं। जिला प्रशासन पर हमें कोई विश्वास नहीं है। इससे अधिक लोक महत्व का प्रश्न दूसरा नहीं हो सकता है। इससे तत्कालिक प्रभाव का कोई प्रश्न नहीं हो सकता है। बुलन्दशहर की सरकार चली गई श्री बनारसी दास जी की, श्री श्रीपति की सरकार चली जाय यह मेरी सद्-इच्छा है। लेकिन जो अकिलयत के साथ, महिलाओं के साथ पुलिस कर्मी इस तरह का व्यवहार करेंगे, लूट करेंगे और दूसरे कुकर्म अख्तियार करेंगे, तो इसके खिलाफ गोरखपुर की जनता सड़कों पर आ जायेगी। इसके लिये मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी मौजूद हैं, तुरन्त सारे कार्यों को रुकवाकर इस सम्बन्ध में आप चर्चा करा दें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से पुलिस कर्मी को हटवाने, मैजिस्ट्रेरियल जांच कराने के आदेश तथा थाने में मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन दिलायें।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जो तथ्य माननीय सदस्य ओझा जी ने बताये वह बहुत गम्भीर है और दुखद है। यदि ऐसा हुआ है तो जो लोग जिम्मेदार हैं उनको सजा मिलेगी, इसमें कार्यवाही होनी चाहिये। इसकी मैजिस्ट्रेरियल इन्क्वायरी करायी जायेगी। जो व्यक्ति दोषी पाये जायेंगे, चाहे वह बड़े अधिकारी हों या छोटे अधिकारी हों, इस तरह की हरकत जो करेगा, उनको सजा मिलेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, जो इन्क्वायरी के लिये ओझा जी ने कहा है उस बारे में क्या ऐक्शन लिया इसका समय निश्चित कर दें कि एक हफ्ते के अन्दर ऐक्शन लिया जाएगा। तो उसकी जानकारी सही तरीके से हो जाएगी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, एक निवेदन और है....

श्री अध्यक्ष--

आप तो बोल चुके हैं। अब क्या निवेदन कर रहे हैं ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, एक निवेदन यह है कि जो दोषी पुलिस के अधिकारी हैं उनके रहते जांच संभव नहीं हो सकेगी उनको हटाकर जांच करने के आदेश दिये जाएं।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, मुझे निर्णय का मौका तो दीजिए।

*श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, सारा प्रदेश रोडवेज की कुव्यवस्था से और निकम्मेपन से त्रस्त है। परेशान है। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों में परिवहन के लिये एक मात्र बसों पर ही निर्भर रहना पड़ता है और कोई वैकल्पिक साधन वहां नहीं है। पर्वतीय क्षेत्र में गंभीर समस्या परिवहन की हो गई है वहां लोग अत्यधिक परेशान है। मान्यवर, रेलवे हैड से रेलवे के अलावा दूसरे को परमिट नहीं दिया गया है। जो राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं और रेलवे हैंडस है वहां और पहाड़ों के अन्तराल के क्षेत्रों में सिर्फ रोडवेज की बस चलती है। राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अन्य बसों के चलने की इजाजत नहीं है। तो पहाड़ी इलाके में जाने के लिये सिर्फ रोडवेज की बस पर निर्भर रहना पड़ता है और उनकी बसों की हालत यह है कि कभी नियमित रूप से नहीं चल पाती है और आजकल तो यह हो गया है कि जो महत्वपूर्ण बस सेवायें थीं वह भी रद्द कर दी गयी है। इसकी वजह से लोगों को आवागमन में बहुत कठिनाई हो रही है और अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बहुत ही परेशान हैं वहां के लोग। मान्यवर, अब तो यह कर दिया गया है कि जो बस नयी रोडवेज की चल रही थीं वह मैदानी इलाकों में भेज दी है और पुरानी बसों को पर्वतीय क्षेत्र में भेज दिया गया है। मान्यवर, हार्न के अलावा सारी चीजें बसों की बज रही हैं। लोगों को संशय रहता है कि गन्तव्य पर पहुंच जायेंगे या नहीं। इससे लोगों में भयंकर आक्रोश व्याप्त है इसमें कई माध्यमों से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है सरकार इसमें कोई ध्यान नहीं दे रही है। यह बहुत अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप सभी बैठ जाएं। केवल एक व्यक्ति को सुनूंगा।

(शोर)

*डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, माननीय नेगी जी ने जिस बात को कहा है उस बात में गम्भीरता इसलिये और है कि जितनी बसें चल रही हैं, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सब की सब बसें अवरुद्ध हो गई हैं। पहली बात तो यह है दूसरी बात यह है कि जितनी भी पुरानी बसें हमारे यहां की है,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चलती भी है तो रास्ते में रुक जाती है। मान्यवर, कमिश्नर गढ़वाल ने ऐसा कर दिया है कि प्राइवेट बसों को जो परमिट दिये जाते हैं, तो पाँच साल की बसों को परमिट देना बन्द कर दिया है। वहाँ की व्यवस्था ऐसी हो गयी है कि न तो वहाँ के लोगों को परमिट मिल रही है और दूसरी ओर रोडवेज की बसें भी चलना बन्द हो गयी है। देहरादून से ग्लावदम तक और हरिद्वार से लेकर ऊखीमठ तक महत्वपूर्ण बसें बंद हो चुकी हैं। यातायात पूरी तरह ठप हो चुका है। पहाड़ के आदमी के पास न रेल है और न कोई जाने की व्यवस्था है, कैसे जाए? मान्यवर, आप कहते हैं कि गम्भीर विषय नहीं है। मान्यवर, वहाँ नमक नीचे से ऊपर ले जाना पड़ता है। अगर बसें नहीं जाएंगी तो काम कैसे बनेगा। वहाँ नमक दो सौ तीन सौ मील ऊपर पहुंचाने की समस्या है। इसलिये इस महत्वपूर्ण विषय को आपकी जानकारी में लाते हुए अनुरोध हैं कि इसके लिये तुरन्त व्यवस्था करने की कृपा करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

संसदीय कार्य मंत्रीजी आपने श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के मामले में मैजिस्टीरियल इन्क्वारी के बारे में कहा है, इसमें आपने समय बताया है?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, तीन हफ्ते में पूरी हो जायगी।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, यह तो ठीक हैं, लेकिन जो ऐक्शन पुलिस की मौजूदगी में होगा तो मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी का इफेक्ट क्या होगा। उनको वहां से हटा दीजिए तो तीन हफ्ते में परिणाम सामने आ जायेगा।

(श्री बिहारी लाल के खड़े होकर बोलने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय बिहारी लाल जी, आप बैठें। मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं। एक शब्द नहीं लिखा जायगा। आप बिना आज्ञा के बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

बिहारी लाल जी आप कृपया बैठें। यह विषय नियम 56 के अन्तर्गत शाम को सेशन के बाद रखा गया है। उसमें यह भी है कि क्या रूलिंग पार्टी को यह अधिकार दिया जाय या नहीं, या किस तरह से रखा जाय। इस पर निर्णय होने के बाद आप बोल लीजियेगा।

(व्यवधान)

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आपको रोडवेज के बारे में कुछ कहना है।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, यह जो यातायात के साधनों के अवरुद्ध होने की जो बात बतायी गयी, बसों के खराब होने की बात बतायी गयी, तो यह सारा मामला दिखवा लिया जायगा। कहीं प्राइवेट बसों के परमिट की जरूरत है, तो उसकी व्यवस्था की जायगी। बसों की जरूरत होगी तो बसें भेजी जायेंगी और इस चीज को सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पहाड़ों पर यातायात के साधन रहें।

*श्री मोहन सिंह---

अध्यक्ष महोदय, एक गम्भीर विषय की ओर कार्य स्थगन के माध्यम से मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं इस सदन में, क्योंकि आज पूरे प्रदेश में गतिरोध उत्पन हो गया है, न्याय-पालिका बनाम मंत्रि परिषद के बीच टकराव की स्थिति पैदा होने से इस प्रदेश के न्यायाधीशों ने अपना काम बन्द कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ इस मंत्रि-मण्डल के सदस्यों में भय और आतंक व्याप्त हो गया है। इस मंत्रि मंडल के राज्य स्तर के मंत्री राम रतन सिंह माल एवेन्यू के 11 नम्बर में रहते थे। उस बंगले को उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने इस प्रदेश के एक न्यायाधीश श्री के0 एन0 मिश्रा को आवंटित कर दिया। जब वह कब्जा लेने को गये तो माननीय श्री राम रतन सिंह तथा उनके अन्य सहयोगियों ने उनको डंडा लेकर खदेड़ दिया और न्यायाधीश महोदय बंगले से बाहर भाग आये। इस वजह से आज इस पूरे प्रदेश में न्यायाधीशों में एक आशंका पैदा हो गयी है कि इस मंत्रि परिषद् के मुख्य मंत्री इस प्रदेश के न्यायाधीशों को अपमानित करते आ रहे हैं।

मान्यवर, दूसरी तरफ आप जानते ही हैं कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के मंत्रिमंडल के अधिकाँश मंत्रियों को इन्होंने अपन मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी है। उन के विश्वासपात्र सहयोगी श्री रामरतन सिंह जी जो इस सदन में एक मूक सदस्य की तरह आकर बैठे रहते हैं, उससे यह मुख्य मंत्री नाखुश है। मंत्रिमंडल से तो उन्हें वह निकाल नहीं सकते हैं, इसलिये उन्होंने सोचा कि इन्हें बंगले से बाहर कर दिया जाय और इस प्रकार का रास्ता उन्होंने अख्तियार किया। मैं चाहता हूं कि इस पर इस आदरणीय सदन में चर्चा करायी जाय ताकि पूरे प्रदेश में जो टकराव की स्थिति उत्पन्न होने वाली है, सम्भवतः उससे हम उसे बचा सकें।

श्री अम्मार रिजवी----

मान्यवर, मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि माननीय श्री मोहन सिंह जी ने यह बात कैसे कह दी? न्यायपालिका तथा मंत्रिमंडल के टकराव की बात कही। मान्यवर, इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि फरवरी के शुरू में ही माननीय श्री राम रतन सिंह जी ने एक पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखा कि वह रायल होटल में जाना चाहते हैं, लिहाजा उन्हें एक क्वार्टर, दो कमरों वाला, आवंटित कर दिया जाय। उनका पत्र मेरे पास है। उन्होंने पत्र में लिखा था कि व्यक्तिगत कारण से वह इसे छोड़ना चाहते हैं तथा रायल होटल जाना चाहते हैं। उन्होंने अपने पत्र में यह भी लिखकर दिया था कि वह 16 मार्च तक इसे खाली कर देंगे और वहाँ से अपना सारा सामान हटा लेंगे। मान्यवर, उसके बाद राज्य सरकार का यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि यदि कोई मकान खाली हो और किसी न्यायाधीश को मकान आवंटित नहीं किया गया हो, तो वह उस खाली मकान को उसे मुहैय्या करवा दिया जाय। चूंकि वह मकान खाली था इसलिये न्यायाधीश महोदय को आवंटित कर दिया गया।

मान्यवर, न तो जबरदस्ती से श्री राम रतन सिंह जी से मकान खाली करवाया गया और न ही उसके बाद कोई दखल ही की गयी। यह जो कहा जा रहा है सारा का सारा वातावरण को दूषित करने के लिए कहा जा रहा है। माननीय श्री मोहन सिंह जी ने जो बात कही है वह सब सत्य से परे है। जो भी काम हुआ है वह सब उनकी मरजी से हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि यह कहीं पर भी कार्य स्थगन का प्रस्ताव नहीं बनता है. मैं एक मकान में रह रहा हूं और मेरी मरजी से मुझे दूसरा मकान दे दिया जाता है तो यह कैसे और कहाँ पर कार्य स्थगन का प्रस्ताव बनता है? यह कहना कि माननीय श्री श्रीपति मिश्र अपने किसी साथी से दुश्मनी रखते है, बिल्कुल सत्य से परे है।

माननीय श्री मोहन सिंह जी ऐसी बात कह कर पार्टी में दरार डालना चाहते हैं, इस संबंध में मैं उन्हें सूचित करना चाहता हूं कि वह चाहे जो कुछ करें, परन्तु वह इस कार्य में नाकामयाब हो जायेंगे। वह हमारी पार्टी में दरार नहीं डाल सकते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत मुझे जितनी सूचनायें प्राप्त हुई हैं उन सभी को मैंने अस्वीकार किया है। माननीय श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री जी के मामले को मैं मैजिस्टिरीयल इन्क्वायरी के लिये भेज दूंगा। माननीय श्री जनार्दन प्रसाद ओझा जी के मामले को भी मैजिस्टिरीयल इनक्वायरी के लिये भेज दूंगा। माननीय कुंवर सिंह नेगी जी की सूचना पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है। माननीय श्री किरनपाल सिंह जी की सूचना पर शासन ध्यान दे और फौरन ही एस0 डी0 एम0 का जहाँ तबादला हो गया है, उसे वहाँ से रवाना कर दिया जाय, वरना वहाँ और झगड़ा हो जायगा। उनके वहाँ से जाने के बाद उसकी सूचना मेरे कक्ष में आनी चाहिये और माननीय श्री किरनपाल सिंह जी की सूचना के विषय को मैं वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूं और बाकी जितनी सूचनायें नियम 56 के अन्तर्गत हैं उन्हें मैं अस्वीकार करता हूं।

•श्री रुद्र प्रताप सिंह—

मान्यवर, मैंने एक अत्यन्त गम्भीर विषय की बाबत सूचना दी थी, उसमें सुना जाय मुझे।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल बोलने के लिये खड़े हुए हैं। आप बैठें।

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

मान्यवर, यह कोई तरीका नहीं है। मान्यवर, इससे गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गयी है, जो विषय मैंने आपको दिया है, आप उस पर सुन लें। मान्यवर, उस पर शासन का ध्यान जाना आवश्यक है। अगर आप मुझे मौका नहीं देंगे, तो मैं सदन त्याग दूंगा।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, माननीय रुद्र प्रताप सिंह जी ने जो विषय दिया था नियम 56 के अन्तर्गत, मान्यवर, आपका जो निर्णय हो गया हैं, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना।

श्री अध्यक्ष—

अब नियम 56 की मद तो समाप्त हो चुकी है।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैं एक निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्यगण से निवेदन करूंगा कि मैं प्रातः 9–30 बजे अपने कार्यालय में आ जाता हूं। आने के बाद जो महत्वपूर्ण चीजें मेरे सामने आती हैं, चाहे वह नियम 301 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाएं हों, या नियम 51 के अन्तर्गत हों या नियम 56के अन्तर्गत हों, मैं एक एक माननीय सदस्य की सूचना को पढ़कर इस बात की कोशिश करता हूं कि जो अत्यन्त महत्वपूर्ण है, उनको लिया जाय। जो आप लोग पहले निर्णय ले चुके है, उसी के अनुसार कार्य हो रहा है। आज शाम को बैठ जाइये, अगर उसमें आप यह तय करते है कि सब को सुनना है, तो मुझको कोई एतराज नहीं है। लेकिन, आप ही देखें 3 बज गये है, अभी माननीय नेता विरोधी दल ही बोलने के लिये खड़े हुए हैं। माननीय रुद्र प्रताप सिंह जी से मैं कहूंगा कि वे मेरे कक्ष में आ जाय, मैं उनके मामले को देखूंगा, उनसे बात करूंगा। मैं उस पर पुनः विचार भी कर लूंगा अगर विषय अत्यन्त गम्भीर देखा गया और इसकी बाबत वे मुझे संतुष्ट कर पाये। इसके लिये आप मुझे मौका दें।

वित्तीय वर्ष 1984–85 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल के बोलने से पहले मैं निवेदन करूंगा कि जो अभी तक आय व्ययक पर सामान्य चर्चा के समय बोलने के लिये माननीय नेता विरोधी दल और माननीय नेता सदन के लिये कोई समय सीमित नहीं रहता है। लेकिन फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक संभव हो सके, आप पहले भी काफी बोल चुके हैं और पिछले साल भी बोले थे, इसलिये जितना समय कम से कम ले सकते हैं कृपा करके लें। यह आपके लिये और सबके लिये भी ठीक बात होगी। विभिन्न दलों के माननीय नेताओं और मंत्रियों के लिये 25 मिनट और दूसरे सदस्यों के लिये 10 मिनट का समय मैंने निर्धारित किया है।

श्री मोहन सिंह---

मान्यवर, मुख्य सचेतकों के लिये कितना समय है ?

श्री अध्यक्ष---

आप उसी में आ जाते हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, आपके जो निर्देश है, उसे मैं स्वीकार करता हूं और कोशिश करूंगा कि कम से कम समय सदन का लूं। मान्यवर, मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस सदन में 425 विधायक है, कम से कम एक वर्ष में एक बार प्रत्येक विधायक को एक घंटे बोलने का मौका मिलना चाहिये। इतना बड़ा प्रदेश है, इतने ज्यादा हमारे साथी विधायक मौजूद हैं, समस्यायें भी अनेक है, और जो भी महत्वपूर्ण समस्यायें होती है जनजीवन से जुड़ी समस्यायें होती है, उनको यहां रखना पड़ता है। मान्यवर, निर्णय जो आपका रहेगा, जो भी कार्य मंत्रणा में करें या कहीं भी करें, लेकिन सत्ता पक्ष से भी निवेदन करूंगा कि कम से कम ऐसा कीजिये जरूर कि 425 विधायकों में प्रत्येक को एक साल में एक घंटा बोलने का यहां मौका अवश्य मिल जाय। सदन के उपवेशनों के बाबत स्थिति यह है कि कभी दिन में एक घंटा डिस्क्शन हो जाता है, कभी डेढ़ घंटा हो जाता है। समय भी कम मिलता है। इसलिये मेरा निवेदन है और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसी तरह से इस चीज का, इस प्रक्रिया का, अनुकरण सदन में करा दें, सदन भी ज्यादा दिन चले, ताकि प्रदेश की तमाम समस्याओं को अपने भाषणों से माननीय सदस्यगण इस सदन में उजागर कर सकें, आपके संरक्षण में उसे कर सकें।

(इस समय 2 बजकर 58 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री भीखा लाल पीठासीन हुए।)

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं 1984–85 के बजट पर अब अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मान्यवर, 17 फरवरी को हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री जी ने, उसे विद्वता तो नहीं कहूंगा, उसे धूर्तता जरूर कह सकता हूं, जिस तरह से अपना बजट भाषण इस माननीय सदन के समक्ष पेश किया, वे इस प्रदेश के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, जनप्रतिनिधियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। मान्यवर, कोई भी व्यापारिक संस्थान हो या व्यापारी का बही खाता हो, वह ओपिनिंग बैलेंस, में जरूर "शो" होता है चाहे ऋणात्मक हो या धनात्मक हो लेकिन आप बजट भाषण में पायेंगे कि माननीय वित्त मंत्री जी ने इस ओपिनिंग बैलेंस को कि ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा, छिपाने का प्रयास किया है। केन्द्र से अभी आपकी योजना स्वीकृत होकर नहीं आयी है लेकिन फिर भी इस बजट में 272 करोड़ रु0 का घाटा दिखाया गया है। 213.40 करोड़ रुपया शुद्ध मांगों से प्राप्ति करने के लिये कहा गया है, 59.32 करोड़ रु0 के घाटे को आपने अनकवर्ड छोड़ा है। मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि आपने जहां पर राजस्व, पूंजी लेखों से प्राप्ति दिखायी है, वहां पर 1309.75 करोड़ रु0 ऋणों के रूप में दिया है कि कहीं से ऋण प्राप्त करेंगे। 40.43 करोड़ रुपया जो इनका उधार है, उसकी वसूली के बारे में दिखाया है कि 1350.18 करोड़ रुपया होता है। मेरा कहना यह है कि अगर यह भी 272.72 करोड़ में सम्मिलित कर दिया जाय तो घाटा 1622.90 करोड़ का है, जो अनकवर्ड है, जिसको यह कह देने से कि लोन लेंगे या वसूली करेंगे, घाटा पूरा नहीं होने वाला क्योंकि पिछली चीजें हमारे सामने हैं, भू–राजस्व की 35 करोड़ की वसूली के लिये 27 करोड़ रु0 खर्च हुआ। इस प्रदेश का जो घाटा इस बजट के माध्यम से दिखाया जा रहा है, वह कहीं ज्यादा है, वह उससे कहीं ज्यादा है जो माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में दर्शाया है एक और बिडम्बना की चीज है, आपने जो व्यय दर्शाये है उसमें 2950.86 करोड़ रु0 राजस्व व्यय है और पूंजीगत व्यय 1678.14 करोड़ रु0 है, इस पूंजीगत व्यय में भी बहुत से राजस्व व्यय सम्मिलित है,। जो रनिंग प्रोजेक्ट्स है, चाहे टेहरी हो या लखवाड़ हो, उसमें जो राजस्व व्यय है, वह भी इसी पूंजीगत व्यय में सम्मिलित है। देखना यह है कि इस प्रदेश का जो आम बजट 4229 करोड़ रु0 का इस सदन में पेश किया है, उसमें से कितना भार इस प्रदेश की जनता के लाभ के लिये, डेवलपमेंट के लिये

है और कितना स्थाई अपनी कैपिटल पूंजी बनाने के लिये इसमें रखा गया है। इसमें बजट 60 प्रतिशत हिस्सा सिर्फ सरकारी अधिकारियों के है, चाहे वह उनकी सुविधायें, उनकी कार या उनके बंगलों की मैन्टीनेन्स के लिये हो। इसमें आ जाते है हम लोग भी और राज्यपाल महोदय भी। ये सब वह खर्चे है जो कि नान प्रोडक्टिव है। बजट का 60 प्रतिशत से भी अधिक धन नान-प्रोडक्टिव मदों पर खर्च किया जा रहा है। 4629 करोड़ की योजना आप दे रहे हैं, इसमें यह तय किया है कि 1200–1300 करोड़ योजना या डेवलपमेन्ट पर खर्च होगा, बाकी नान-प्रोडक्टिव पर जायगा। नई मदें 35–36 करोड़ की है। खण्ड–3, योजनेत्तर और योजनागत के अन्दर भी वही मदें है, कहीं स्टाफ बढ़ाना है, कहीं गाड़ी खरीदनी है, कहीं भवन बनाना है। हो सकता है कि कुछ चीजें सही हों लेकिन 95 प्रतिशत चीजें ऐसी है जिनकी कोई आवश्यकता अभी नहीं है और प्रदेश, बगैर उनके भी, चल सकता है। इस पैसे को अगर आप डेवलपमेंट में लगाने का प्रयास करें तो ज्यादा उचित होगा।

मान्यवर, इस बजट भाषण में मा0 वित्तीय मंत्री जी ने जो दो बजट भाषण पढ़े। 1983–84 के बजट भाषण में इस प्रदेश की कुल आय 1979–80 में उन्होंने कही कि 4,560 करोड़ रु0 है और दूसरे बजट भाषण में जो 1979–80 का ही है और 1984–85 के बजट के रूप में प्रस्तुत किया है, उसमें कुल आय 4,368 करोड़ रु0 बतायी तो श्रीमन्, इसमें 200 करोड़ रु0 का अन्तर आ गया, यह कैसे हुआ, यह चीजें तो ऐसी है जो घट तो सकती ही नहीं है। और मान्यवर, यही नहीं सन् 1983–84 के बजट भाषण में जो वर्ष 1980–81 के लिये प्रस्तुत हुआ है, उसमें प्रदेश की जो कुल आय दर्शायी है, वह 5,651 करोड़ रु0 है और वर्तमान बजट भाषण में जो वर्ष 1984–85 के बजट भाषण में दिया है, उसमें प्रदेश की। कुल वार्षिक आय 5,687 करोड़ रु0 दर्शायी है, जिसमें इतना अन्तर आ गया तो श्रीमन्, इसे क्या कहा जाए, इन इफिशियेंसी कहा जाए या न जानकारी, या इस तरह प्रदेश की जनता को धोखा देना कहा जाए जो इस प्रकार के आंकड़े दिये जा रहे है।

वित्तीय संसाधनों के जुटाने की बात हमारे सामने आयी, जिसमें यह कहा गया कि हम गरीब जनता की गरीबी को मिटाने के लिये प्रयत्नशील है, यह बातें आप कहते है, लेकिन मैं कहता हूं कि जो ढांचा इसके जुटाने के लिये आपने बनाया है, वह किस प्रकार का है। जो आमदनी का आपका मुख्य स्रोत है, एक्साईज और आय कर आदि। इसमें केन्द्र से हर राज्य को कुछ शेयर मिलता है, लेकिन इसमें आप आज देखें कि दिन पर दिन इसमें कमी आती जा रही है और केन्द्र सरकार इस प्रकार की मुख्य आमदनी को अपनी ओर ज्यादा खींचती जा रही है और राज्य सरकार की आमदनी दिन पर दिन घटती जा रही है और दूसरी बात आय कर पर जो सरचार्ज केन्द्र सरकार से राज्य सरकारों को मिलते थे, उनमें भी कमी आती जा रही है और यही नहीं प्रदेश सरकार को जो आमदनी इक्साइज, कपड़ा, कोयला व सीमेन्ट आदि से होती है, उन पर भी केन्द्र सरकार अपना एकाधिकार करती जा रही है। इसी प्रकार मान्यवर, राष्ट्रीय आय का बटवारा भी केन्द्र सरकार से प्रदेश सरकारों के माध्यम हुआ करता था। इसमें 40 प्रतिशत केन्द्र सरकार का शेयर था और 60 प्रतिशत प्रदेश की सरकारों का, लेकिन अब 40 पर सेंट शेयर राज्य सरकारों के हो गये और 60 परसेंट केन्द्र के। पब्लिक यूनियन, 1960 में एक प्रक्रिया थी कि 60 प्रतिशत शेयर स्टेट का और 40 प्रतिशत केन्द्र का, जिसको अब बदल कर यह कर दिया गया कि 10 प्रतिशत राज्य का और 90 प्रतिशत केन्द्र का शेयर कर दिया ?

श्री धरम पाल––

1980–81 में क्या परसेटेंज था ?

श्री राजेन्द्र सिंह––

यह ठीक है, मैं इसका जवाब आपको दूंगा, अब आपने क्वेश्चन किया है ? जब हम प्रदेश में संसाधन जुटाने की बात कर रहे हैं, तब भी सत्ता पक्ष के मा0 सदस्य उसका विरोध कर रहे हैं, मैं तो यह कह रहा हूं कि आप केन्द्र सरकार से झगड़ा करें कि जो आपके आय के श्रोत है, उन पर वह एकाधिकार करता जा रहा है और इस प्रकार आपके आय के श्रोतों में जो कमी होती जा रही है, उन पर बैठक कर उनसे आपका विचार-विमर्श होना चाहिये। यहां से एक रिप्रेजे-

[श्री राजेन्द्र सिंह]

स्टेशन होना चाहिये, एक भाव व्यक्त होना चाहिये प्रदेश की सरकार की तरफ से लेकिन इस सरकार से यह हो नहीं सकता है क्योंकि यह सरकार तो कठपुतली है, यह ऐसा काम कर नहीं सकती है। एक और बात है कि कुछ केन्द्र पोषित योजनायें हैं जो कि केन्द्र प्रदेशीय सरकार को देती हैं। कुछ योजनायें केन्द्रीय सरकार प्रदेशीय सरकार को देती हैं और उनके चलाने के लिये कुछ पैसा भी देती है लेकिन 5 साल व्यतीत हो जाने के बाद केन्द्र सरकार पैसा देना बन्द कर देती है, राज्य के पास इतने संसाधन हैं नहीं और वह उनको चला नहीं पाते हैं और उन योजनाओं से जो लाभ मिलना चाहिये था, वह लाभ मिल भी नहीं पाता है कि वह बन्द हो जाता है।

इसी प्रकार से तिलहन और दलहन के पैकेटस की बात है। तिलहन और दलहन के पैकेट बाँटे जा रहे हैं आपकी प्रदेशीय सरकार ने या आपके कृषि मंत्री ने यह बात नहीं चलायी है कि हमको प्रदेश में कहाँ-कहाँ तिलहन और दलहन उगाया है। पर पैकेटस बाँटे जा रहे हैं परन्तु अभी तक केन्द्र से उसके लिये संसाधन आये नहीं हैं। प्रदेश की सरकार को किसी दूसरी योजना का फण्ड डाईवर्ट करके इस योजना को चलाना होगा और नतीजा यह होगा कि कोई दूसरी योजना जिस पर यह पैसा खर्च होता, बेकार हो जायेगी। तो यह विकेन्द्रीकरण नहीं हो रहा है तो और क्या है। योजना को चलाने का डाईरेक्शन केन्द्रीय सरकार से आ रहा है।

इसके अतिरिक्त मैं कुछ वित्तीय अनियमितताओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। 40 करोड़ रु0 आपने बोनस के रूप में दिया। आकस्मिक निधि का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, यह गलत परम्परायें डाल करके हो रहा है। यह गलत परम्परायें जो हैं, इसे चाहे हमने डाला हो या आपने पर यह हैं गलत ही, इसे बन्द किया जाना चाहिये। आप सदन के बैठने के दिनों में कमी करते जा रहे हैं। आपको सप्लीमेंट्री की आवश्यकता है तो आप सदन को बुलाइये। एक बात और कि आप सप्लीमेंट्री लेकर यह बता देते हैं कि सरकार को आगे के लिये कोई निश्चित योजना नहीं है कि इस साल प्रदेश की सरकार को क्या क्या काम करने हैं और इस तरह से आकस्मिक निधि का दुरुपयोग करके वित्तीय नियंत्रण को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं।

मैंने इस सदन में भ्रष्टाचार के अनेकों केसेज दिये हैं जो कि बहुत ही गम्भीर थे, मैं आशा करता था कि आप यहाँ सदन में उत्तर नहीं दे सकते तो अलग से उत्तर देंगे। परन्तु आपने कोई उत्तर नहीं दिया, आप भ्रष्टाचार को बढ़ाना चाहते है यह आपकी नीयत है परन्तु मेरा काम उनको उजागर करना है, वह मैं कर रहा हूं। कोई दवा है वी डी साईड, खटमल मारने के लिये व प्रदेश में 7 करोड़ रु0 की खरीदी गयी। ताज्जुब यह है कि न इसका कोई बजट में प्राविधान था और न जिलों से इसकी माँग आयी थी, न सप्लीमेंट्री बजट में इसके लिये प्राविजन किया गया था और न कन्टेनजेन्सी से उस दवा को खरीदा गया लेकिन पता नहीं किस तरीके से वह दवा खरीद ली गयी। किसी भी जिले से उसके लिये माँग नहीं थी परन्तु 7 करोड़ रु0 में भारी कमीशन मिला है, आप निश्चित रूप से इसकी जाँच करा लें कि तमाम जरूरत की चीजों को ताक पर रख कर 7 करोड़ रुपए की दवा खरीद ली जाती है जो कि न कहीं सेंक्शन है और न उसका कहीं कोटेशन है। न उसका प्राविजन है, दवा खरीद ली जाती हैं और जबरदस्ती किसानों को दी जाती है। जब वे खाद लेने जाते हैं तो कहा जाता है कि खाद के साथ दवा भी लो। मान्यवर, यह 7 करोड़ का प्रश्न है। हमारी तरफ के सदस्यों की न सही अपनी तरफ के सदस्यों की एक कमेटी बना कर भेज दें, जाँच हो जाय, मामला साफ हो जायगा।

मान्यवर, आगरा कैनाल (रिमाडलिंग) के नाम से एक पक्के काम को करने के लिये कुछ स्वीकृत हुयी थी, कुछ हजार रुपयों की, लेकिन पक्के काम में कमीशन का पैसा कुछ कम पड़ता है, एक करोड़ दस लाख रुपये का अर्थ वर्क कर डाला गया। मिट्टी का काम किया गया, कच्चा काम किया गया और यह बताया गया कि मिट्टी पास में उपलब्ध नहीं है। दूर से लानी होगी। मान्यवर, बरसात आने वाली है। जब हम इस सदन से जायेंगे तो उस समय बरसात आने वाली होगी। इस प्रकार 1 करोड़ 10 लाख रुपया आगरा कैनाल के रिमाडलिंग के नाम पर खर्च हो गया, न उसका कोटेशन लिया गया, न सैंक्शन ली गयी लेकिन काम हो गया और पेमेंट हो रहा है। तो यह दो बातें मैं कह रहा था।

तीसरी बात में बसों के किराये की घोषणा के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। बजट पेश हो रहा है और आप बसों के किराये की घोषणा बाहर कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। वित्त मंत्री जी जिस तरह से फूहड़ महिला होती है उसी तरह की कार्यवाही करते हैं। जब आदमी का ट्रांसफर होता है तो उसकी फूहड़ महिला घर के चूल्हे को तोड़ कर चली जाती है। इसी प्रकार से यह सरकार आगे आने वाली सरकारों के लिये समस्या उत्पन्न कर रही है।

श्री धरम पाल—

क्या आप यह सोच रहे हैं कि आगे आपकी सरकार बनेगी ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

आप सदन में नहीं होंगे, बाहर मिला करेंगे, कहेंगे कि पास दे दो, अन्दर आना है। मान्यवर, रोड टैक्स 5 साल का लिया जा रहा हैं और विद्युत उपभोक्ताओं से 40 रुपये प्रति हार्स पावर एक नये प्रकार का पैसा ले रहे हैं। मेरे आदमी से, 10 हार्स पावर का कनेक्शन है, 400 रुपया वसूल किया जा रहा है। वहाँ पर यह रयूमर हैं कि ओबरा जल गया हैं, उसके लिये पैसा चाहिये। मान्यवर, यह चीज क्यों हो रही हैं ? माननीय अधिष्ठाता महोदय, दो तीन बातें कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं। अगर आप चाहते हैं कि डिमोक्रेसी जैसी चीज हो, जिसे प्रजातंत्र कहते हैं, सही तरह से चले तो वित्तीय अनियमितताओं को रोकने का प्रयास करें। आप देखे 7 करोड़ और सवा करोड़ का अर्थवर्क बगैर किसी की जानकारी के अधिकारियों ने कर लिया, तो बजट आप किस लिये पेश करते है, मैं यह जानना चाहता हूं। आप इसकी जाँच करा लें। मुझे पता है कि सैंक्शन नहीं ली गयी है। अभी सिक्स्थ प्लान का मिडटर्म अप्रोजल हुआ, प्लानिंग विभाग ने किया। यह नवम्बर, 1983 में हुआ हम इस शासन की कटु आलोचना कर सकते हैं, अगर उसका दिग्दर्शन हमें मिल जाय। इसीलिये इसको वितरित नहीं किया गया है। मैंने इसको अपने प्रयास से पाया है। यह मान्यवर, यह सिक्स्थ प्लान का मिडटर्म रिव्यू है यह आवश्यक था। मैं कहता हूं कि हर माननीय सदस्य को यह मिलना चाहिये हर माननीय मंत्री को पढ़ना चाहिये यह पता लगाने के लिये कि जो छठी पंचवर्षीय योजना थी उसके अन्तिम वर्ष के समय क्या अप्रोजल था, हम कहाँ पर है, हमने क्या प्रगति की है, इस बात को वह दिखाता है। यह हमारे पास किसी तरह से आ गई है। मान्यवर, केन्द्र के अन्दर लोक सभा में इस तरह का एक प्रोविजन मिडटर्म अप्रोजल होता है और वहाँ हर माननीय सदस्य को लोक सभा में वितरित होता है। मैं चाहता हूं कि आप भी इस तरह की परम्परा डालें कि यहाँ का जो भी अप्रोजल हो और जैसे निगमों के बारे में जो स्टडी होती है और 20 सूत्री कार्यक्रम या कोई भी कार्यकलाप प्रदेश के अन्दर होते हैं उनके बारे में समीक्षा होती है उसकी प्रतियाँ निश्चित तौर पर माननीय सदस्यों को मिलनी चाहिए।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हुं। बड़ी तकलीफ होती है। एक साँख्यिकीय डायरी होती हैं जो यह दिखाती है कि प्रदेश के अन्दर क्या प्रगति हो रही है। चाहे यह सही हो या गलत हो, हम उसको एक आधार मानते है। 84–85 का बजट शुरू हो रहा हैं और सन् 82 की साँख्यकीय डायरी हमको मिली है .....(व्यवधान)। मुझे नहीं मिली है।

श्री धरम पाल—

हमें मिली है।

श्री राजेन्द्र सिंह—

माननीय सदस्य बहुत इन्टरप्शन कर रहे हैं। मैं तथ्यों पर सही कह रहा हूं। जब मैंने इसके बारे में जे0 पी0 सिंह से पूछा तो उन्होंने कहा कि यह डायरी अभी छपी नहीं है। इसी लिये कह रह हूं कि सन् 82 के बाद की डायरी अभी नहीं मिली है।

[श्री राजेन्द्र सिंह]

एक बात और कहना चाहूंगा। इस सरकार ने एक डाइरेक्टर आफ स्टेटिस्टिक्स भी बना दिया है और उसमें एक व्यक्ति को प्रमोट किया है और आपकी क्षमता यह है कि सन 82 को साँख्यिकीय डायरी अभी तक छपी नहीं है। उसके अभाव में हमारे पास कोई आँकड़े नहीं है। लोक सभा में इसकी परम्परा है कि बजट से पूर्व 48 घंटे पहले आर्थिक समीक्षा केन्द्रीय वित मंत्री देते है। वह पूरे साल की देश के अन्दर जो कारगुजारी होती है, जो प्रगति होती है मूल्य सूचकाँक के बारे में और कई चीजों के बारे में, उसमें उनका दिग्दर्शन मिलता है। हमारा निवेदन है कि जिस तरह से पहले यहाँ पर आर्थिक समीक्षा सन 82 तक छपी थी और वह हम लोगों को मिलती थी उसी तरह से मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस की व्यवस्था करायें अन्यथा हम लोगों के पास कोई सोर्स आफ इन्फारमेशन नहीं रहता है। प्रदेश के अन्दर क्या जरिया क्या डेवलपमेंट के कार्य चल रहे हैं। उनके जरिये से माननीय सदस्यों को जानकारी मिल जाती है। ये तीन चीजें --मिडटर्म अप्रेजल, समीक्षायें और साँख्यिकीय डायरी--जिनसे हमें प्रदेश की प्रगति के आँकड़े मिलते हैं। यह हमें बजट प्रस्तुत होने के 48 घंटे पहले मिल जानी चाहिये ताकि हम उस पर प्रकाश डाल सकें।

यह प्रदेश आज इस सरकार द्वारा दिवालिया किया जाचुका है। यह सरकार अस्पतालों में रोगियों को दवायें नहीं दे सकती है। टूटी सड़कों की मरम्मत नहीं कर सकती है, गाँवों में पेयजल योजना विद्युत नहीं पहुंचा सकती है। हर साल प्रदेश में सैकड़ों व्यक्ति बाढ़ में सर्दी से मर जाते हैं और यह सरकार उन्हें कफन भी नहीं दे पाती है। लेकिन इस सरकार ने एक बक्शीश इस प्रदेश के कर्मचारियों को, अर्द्ध सरकारी कर्मचारियों को और अध्यापकों को दी है --बोनस की। मान्यवर, बोनस का सिद्धान्त उत्पादकता से जुड़ा हुआ है। माननीय नेता सदन अभी पिछले दिनों लखनऊ विश्वविद्यालय में हुई एक गोष्ठी में पधारे थे और उसमें भी उन्होंने कहा था कि बोनस और प्रोत्साहन भत्ते का उत्पादन से रिश्ता है और वह बनना चाहिये। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं फिर कहूंगा, यह गरीब प्रदेश है। इसमें इस तरह का निर्णय चुनाव के पूर्व वोट के खातिर मत कीजिये। प्रदेश की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है और आप बहुत से निर्णय वोट के खातिर कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिये जब कभी मूल्य सूचकाँक में बढ़ोत्तरी होती है तो उसके लिये नियम हैं कि उसी अनुपात से उनको मंहगाई भत्ता मिलेगा। इस प्रदेश में 50 फीसदी से ज्यादा वे लोग हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं जिनको दो वक्त भोजन नहीं मिलता है। करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपाहिज हैं, अक्षम हैं वह काम नहीं कर सकते हैं उनको पेंशन उपलब्ध नहीं हो रही है। लेकिन कहा जाता है कि यह कल्याणकारी सरकार है वहाँ हम इस प्रकार का निर्णय लेते हैं।

इस प्रदेश में गरीबी भयंकर रूप से, निर्धनता भयंकर रुप से छायी हुई है। अच्छा होता जितनी की उत्सुकता इन्होंने अपने कर्मचारियों के लिये दर्शायी अगर उतनी उत्सुकता मूल्य नियंत्रित करने में लगायी होती और उन उपभोक्ताओं के लिये भी देखा होता तो अच्छा रहता। मूल्य सूचकाँक दिन पर दिन बढ़ते जा रहते है उसकी तरफ ध्यान देते तो यह समस्या काफी हद तक सुलझाई जा सकती थी। मैं यह समझता हूं कि यह जो बख्शीश दी गयी है इसने कर्मचारियों का भी भला नहीं होने वाला हैं क्योंकि अनप्रोडक्टिव यह चीज है निश्चित रूप से इससे बाजार भाव बढ़ते चले जाते हैं। सरकार को मूल्यों को नियंत्रित करना चाहिये था, तनख्वाह बढ़ा देने से, भत्ता बढ़ा देने से, बोनस दे देने से, मूल्य सूचकाँक बढ़ते चले जा रहे हैं। यह उसका समाधान नहीं है। इसका समाधान मूल्यों को नियंत्रित करना है उससे भी लोग लाभ उठा सकते हैं।

मान्यवर, बिक्री कर के बारे में भी थोड़ा कहना चाहूंगा। कई दिनों से व्यापारी आमरण अनशन पर बैठे है। यह सरकार का काम है कि उनसे बातचीत करे। लेकिन मैं दो बात कहना चाहूंगा कि एक यह कि उत्तर प्रदेश के आस पास के जो सूबे है खासकर दिल्ली में जो सेल्स टैक्स का रेट है उससे ज्यादा आपके यहाँ नहीं होना चाहिये लेकिन आपके यहाँ उनसे ज्यादा है। अभी

अखबार में निकला था उत्तर प्रदेश में हौजरी उद्योग जैसे कानपुर, सहारनपुर, बुलन्दशहर आदि में काफी हैं जिन पर इसका कुप्रभाव पड़ रहा हैं क्योंकि यहाँ सेल्सटैक्स का रेट ज्यादा है और दिल्ली आदि में कम है। आपको लालसा होगी कि ज्यादा सेल्सटैक्स लेकर ज्यादा पैसा वसूल करेंगे लेकिन यह गलत है। आपको तो उत्तर प्रदेश के अन्दर व्यापार को बढ़ाने का काम करना चाहिये। और सेल्स टैक्स का रेट अन्य प्रदेशों की तरह ही नहीं के बराबर रखना चाहिये। अगर दूसरे प्रदेशों में सेल्सटैक्स कम है तो वहाँ कम दामों पर चीजें मिल जायेंगी। इससे आपका मारकेट एफेक्टेड होगा, वहाँ से स्मगलिंग होगी लोग बाहर से सामान लेंगे।

दूसरी बात बिक्री कर वर्ष की कहना चाहता हूं। जो बिक्री कर देता है उसमें से ज्यादातर इनकम टैक्स भी देते हैं। तो जो बैलेंश शीट उनकी इनकम टैक्स के लिये हो वह बिक्रीकर इयर के लिये भी मान ली जाय। ताकि उसे दोहरा हिसाब न बनाना पड़े। दो बार बनाने से निश्चित रूप से हिसाब सहीं बनता नही है। एक साल चाहे वह पहली जनवरी पड़ती है या दीपावली पड़ती है उसी हिसाब से होना चाहिये। व्यापारी निश्चित रूप से साल में एक दिन यह देखना चाहता है कि वह कहाँ स्टैण्ड करता है। मैं मानता हूं कि व्यापारी दो तरह के बहीखाते रखते हैं लेकिन यह जानना चाहते हैं कि लाभ कितना हुआ है, इसलिये उसके स्टाक और बैलेन्स सभी आ जाते हैं। किन्तु बीच में आप माँगते हैं, और वह अपने साल का अलग रखते हैं, तो उसको दूसरा बही खाते पेश करना पड़ता है। उसमें संभावनायें हैं गलती की और उसमें खर्च भी बढ़ता है। इसलिये विचार करना चाहिये कि जो इयर इंनकम टैक्स में रखते हैं वही इयर सेल्स टैक्स के लिये रखें, यह मेरा निवेदन है।

अब मैं उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में कहना चाहता हूं कि यहाँ प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आयी है। देश और प्रदेश के आँकड़े देखें तो 1960–61 के दशक में प्रति व्यक्ति आय का अन्तर देश की आय में प्रदेश के प्रति व्यक्ति को आय 106 रुपये थी, वर्ष 1970–71 के दशक में 147 रुपये थी, 1981–82 में 198 रुपये थी और छठी पंचवर्षीय योजना 1984–85 के अन्त में, उस योजना के अन्त में यह अंतर 230 रुपये हो जायेगा। मान्यवर, राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय और उ0 प्र0 के प्रति व्यक्ति को आय में बहुत बड़ा अन्तर बढ़ता जा रहा हैं। यह राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में जो योगदान है, उत्तर प्रदेश का उसका आँकड़ा भी मैं देना चाहता हूं और वह 1960–61 के दशक में जो योगदान था वह 14.7 प्रतिशत, 1970–71 के दशक मे 12.4 प्रतिशत हुआ, 1980–81 में 11.3 प्रतिशत हो गया है, इस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आय में उत्तर प्रदेश का योगदान प्रति वर्ष गिरता और घटता जा रहा है। यह द्योतक है कि प्रति व्यक्ति आय घट रही है। राष्ट्रीय आय में हिस्सा घटता जा रहा है और इस प्रदेश का जिसकी जनसंख्या देश के अन्दर 17 फीसदी है। यह एक एलार्मिंग सिचुएशन है।

इसी तरह मान्यवर, जन्म दर घटने के बजाय बढ़ती जा रही है जो कि प्रदेश के लिये एलार्मिंग चीज है। देश और प्रदेश के आँकड़े देखें तो 1961–71 के दशक में प्रदेश में जन्म दर 2.2 प्रतिशत थी और देश में 1.8 प्रतिशत थी। 1971–1981 के दशक में उत्तर प्रदेश की जन्मदर हो गयी 2.3 प्रतिशत और देश को जन्म दर 2.2 प्रतिशत हो गयी है।

अब मान्यवर, जो आँकड़े दिये गये हैं उनसे साफ है कि यह सफल नहीं हो रहे हैं। मान्यवर, परिवार नियोजन का कार्यक्रम सफलता पर नहीं आ रहा है और उधर के माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि जो इस योजना का प्रोग्राम बनायें, पहले अपने परिवार में शुरू करें तब दुनिया को नसीहत दें।

(व्यवधान)

श्री धरमपाल––

मेरा आखिरी बच्चा 11 साल का है।

श्री राजेन्द्र सिंह---

इनको बड़ी परेशानी है और मैं उनकी परेशानी को समझ रहा हूं। (व्यवधान) इमरजेन्सी में जब वह इधर थे तो उस समय जो कहते थे उसका आज वह जब उधर हैं तो उल्टा कह रहे हैं। लेकिन सदस्य होने के नाते हमको उनके प्रति हमदर्दी होना चाहिये। (व्यवधान)

मान्यवर, ऐसा है जो गैर पढ़े लिखे लोग हैं, उनको मैं पढ़ा नहीं सकता। देखिये यह आर्थिक समीक्षा है, इसमें कोई तेज बोलने का काम नहीं है (व्यवधान) इन्हें तो आपको पढ़ना पड़ेगा।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य जब आपको मौका मिले, तब बोलियगा, अभी नहीं।

श्री राजेन्द्र सिंह---

एक सामाजिक स्तर हर व्यक्ति का होता है, उसको भी सुधारने में यह प्रदेश पीछे है।

श्री लालप्रताप सिंह---

मायग्रेट्री वर्थ्स चेन्ज कलर्स।

श्री राजेन्द्र सिंह---

साक्षरता के बारे में उत्तर प्रदेश का प्रतिशत 27.04 और पूरे भारत का प्रतिशत 36.02 है। इसमें भी महिलाओं की शिक्षा में देश और प्रदेश में बहुत बड़ा अन्तर है। इसका सोशल स्टेट्स और आउटलुक पर बहुत असर पड़ता है। प्राइमरी स्कूल हमारे यहाँ एक लाख की आबादी पर 77 है और भारत में 87। विद्यालयों की संख्या हमारे यहां प्रति एक लाख पर 840 है और देश की 1038। अब आप चिकित्सा सुविधाओं को लीजिये। एक डाक्टर पर हमारे प्रदेश का जो एवरेज है वह 6,642 व्यक्ति आते हैं और भारत में यह 4,300 आता है। तो जो सामाजिक स्तर बढ़ाने की चीजें है, उसमें भी यह प्रदेश बहुत पीछे चल रहा है। परकैपिटा प्लान आउटले और सेन्ट्रल असिस्टेंस मिलती है। इसके संबंध में आप भी कहते हैं और मैं भी कहता हूं।

हमारे यहाँ पर प्रति व्यक्ति जो प्लान में पैसा खर्च किया जाता है वह देश के मुकाबले में और अन्य प्रदेशों के मुकाबले में बहुत कम है। जो केन्द्रीय सहायता मिलती है वह भी अन्य प्रदेशों के मुकाबले में बहुत कम मिल रही है। सन् 81 की जनसंख्या इस बात को दर्शाती है। उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में 74.34 प्रतिशत व्यक्ति यहाँ खेती पर निर्भर करते थे और पूरे देश में 66.69 प्रतिशत निर्भर करते थे। अभी जो आर्थिक वित्त मंत्री, भारत सरकार, रिजर्व बैंक आफ इंडिया और योजना आयोग ने वितरित की है, उसमें उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये कृषि को प्राथमिकता देना और उसमें उत्पादन बढ़ाना नितान्त आवश्यक है और देश के सर्वांगीण विकास के लिए उद्योगों को भी साथ-साथ ले चलना आवश्यक है यानी उनको भी आगे बढ़ाना आवश्यक है।

उत्तर प्रदेश में देखने की बात है कि यहाँ पर कृषि की स्थिति क्या है। यह सबसे ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों का प्रदेश है, यहाँ गंगा और यमुना का दोआबा हैं, हाइड्रोइलेक्ट्रिक बनाने के लिये हमारे पास पहाड़ों में समुचित स्थान है और भूगर्भ में अथाह जल है, फिर भी हम आज सबसे पीछे हैं। आँकड़े इस बात को दर्शाते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कृषि का उत्पादन है, हमको यह कहकर सन्तोष नहीं कर लेना चाहिये कि उत्पादन बढ़ा है, यह तो ठीक है लेकिन इसको और भी आगे बढ़ाने की पूरी सम्भावना है और उसके लिये तमाम आवश्यक साधन भी यहाँ मौजूद हैं। यह जो आप कहते है कि हमारा उत्पादन बढ़ा और रिकार्ड उत्पादन हमने किया। इसके संबंध में केन्द्रीय वित्त मंत्री ने आपनी आर्थिक समीक्षा में स्वीकार किया है कि कृषि उत्पादन बढ़ने का कारण यह था कि खरीफ के समय में करीब सात परसेंट फर्टीलाइजर्स की कीमतें कम कर दी गई थीं। और जो पुरानी थीं उस पर 10 प्रतिशत और कम कर दिया जिसका परिणाम यह हुआ 72 लाख टन खाद का अधिक इस्तेमाल अपने प्रदेश में हुआ। हर कृषक भाई यह जानता है कि खेती में कैमिकल फर्टीलाइजर देना बहुत आवश्यक है। यह उपलब्ध हो जाय तथा और साधन भी उपलब्ध हो जायें तो निश्चय ही पैदावार अच्छी होगी।

[समय 3 बज कर 40 मिनट]

मान्यवर, हरियाणा में एक योजना बनायी है हरिद्वार से गंगा का पानी लेने की। वह अपने यहाँ के लिये गंगा से पानी लेना चाहते हैं और उसके लिये उन्होंने एक योजना बनायी है केन्द्र से उसकी स्वीकृत भी उन्होंने प्राप्त कर ली है और आप अभी तक चुप बैठे हैं। आपको खरीफ और रबी के लिये पानी की आवश्यकता है। केन्द्र के दबाव में आकर आपको पानी देना पड़ेगा। यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि मुझे भी वहाँ रहने का अवसर मिला है। आपको याद होगा कि पहले आपके यहाँ गंगा नहर की केवल दो योजनायें थीं, सिंचाई विभाग ने अब 5 नहरें बना दी है। काश्तकार को जनवरी और फरवरी के महीनों में पानी चाहिये। पहले जब दो योजनायें आपकी थीं तब तक किसान को टेल पर पानी मिल नहीं पाता था, अब आपने 5 योजनायें बनायी हैं, तो पानी कैसे आप दें पायेंगे। फिर हरियाणा की भी माँग होगी, उस पर निश्चित ही भार बढ़ेगा। राजस्थान भी पानी माँगना चाहता है उनकी भी एक योजना है गंगा से काबेरी को जोड़ने की। हमारे एक साथी ने आन्ध्र में उस योजना को मुझे दिखाया था। मैंने उनसे कहा था कि योजना तो बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसा हो जाय कि जब हमारे यहाँ सूखा पड़ जाय तो काबेरी का पानी हमारे यहाँ भी उपलब्ध हो सके, अगर एकतरफा होगा तो ठीक नहीं होगा। इसलिये अपने प्रदेश के हित की रक्षा के लिये आपको इस ओर भी सचेत हो जाना चाहिये। साथ ही बंगलादेश की भी समस्या है। वह भी पानी की माँग करेंगे। तो जब दूसरे प्रदेश आपके यहाँ का पानी लेंगे तो आपके सामने कठिनाई आयेगी, इस पर आपको विचार करना चाहिये। हम दूसरे प्रदेशों से पानी नहीं ले पाते और पानी की कमी के कारण वेस्टर्न यू0पी0 के ही किसानों को लगभग 100 करोड़ का कुल नुकसान होता है।

अब मैं कुछ और बातें आपके माध्यम से बतलाना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री का वर्ष 1983–84 का जो बजट भाषण है उसके पृष्ठ 8 पर दिसम्बर 1982 तक 2.12 लाख परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है, यह बताया गया है। यह एकीकृत ग्राम विकास योजनाओं के अन्तर्गत है। लेकिन राज्य की मिड टर्म रिव्यू पेज 51 पर बताया है कि लाभान्वित परिवारों का लक्ष्य 25.73 लाख परिवार है। इसी में वर्ष 1979–80 से लेकर 1984–85 तक कुल लाभान्वित परिवारों की संख्या 92.11 लाख बतायी है। इस प्रदेश की जन संख्या 12 करोड़ है। करीब 6 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते है। 4 के हिसाब से एक परिवार माना जाय तो सवा करोड़ परिवार होंगे। इसमें से 92 लाख को आपने लाभान्वित कर दिया है। 83–84 के आँकड़े नहीं हैं। तो करीब 1 करोड़ परिवारों को आपने लाभान्वित कर दिया, बड़ी अच्छी बात हैं। लेकिन मान्यवर, इसी बजट भाषण (1983–84) में कहा गया है कि प्रतिवर्ष 6 सौ परिवार फी ब्लाक लाभान्वित किये गये हैं। तो इस प्रकार से 5 लाख परिवार के आँकड़े आते हैं। तो अगर इसी प्रकार से आप लाभान्वित करते रहे तो 25 वर्ष चाहिये। 25 वर्षों में जितने परिवारों को आप लाभान्वित करेंगे तो उतने फिर पैदा हो जायंगे तो इस पर आपको विचार करना चाहिये। जो आप धन दे रहें है और जो योजना आप चला रहे हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है, बिचौलिये ज्यादा खा रहे हैं। जिस व्यक्ति के लिये योजना चलायी गयी उसको आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ नहीं कर पाये है, यह मेरा निवेदन है।

मान्यवर, इसी तरह से फर्टीलाइजर की बात आती है। उत्तर प्रदेश में प्रति हैक्टयर फर्टीलाइजर का जो कंजम्पशन है वह सबसे कम है। यही कारण है कि हमारा उत्पादन भी दो, तीन सूबों को छोड़कर सबसे कम होता चला जा रहा है। छठी पंचवर्षीय योजना मिडटर्म एप्रेजल में उत्तर प्रदेश के बारे में कहा गया है, जितनी योजनाओं को आप कहते है कि कामयाब हैं वह काम याब नहीं हैं आँकड़े इस बात को दिखाते है। इसी में पेज 34 पर रीजनल इम्बेलेंसेज के बारे में है। एग्रीकल्चरल रिसर्च एण्ड एजूकेशन के अन्तर्गत रीअनल इम्बैलेंसे को दूर करने की बात कही गयी है। इसमें कहा गया है कि——

"ए रिव्यू आफ दि वर्किंग आफ दिस प्रोजेक्ट हैज शोन दैट सम आफ दि स्टेट्स लाइक राजस्थान उत्तर प्रदेश आर बिहाइन्ड शिड्यूल"

[श्री राजेन्द्र सिंह]

तो आप भी मानते हैं कि कृषि का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन इस पर रिसर्च पर जो योजनायें मिली हैं उसके टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और बहुत पीछे हैं। इसी प्रकार से फूड प्रोडक्शन के बारे में है। उन्होंने कहा है कि फूड प्रोडक्शन में जो खास तौर से चावल है, उसका उत्पादन उन जगहों पर ज्यादा हो रहा है जो गेहूं उत्पादन की ग्रेजरी कहे जाते हैं, वेस्टर्न यू0 पी0, पंजाब और हरियाणा में चावल का उत्पादन ज्यादा हो रहा है। इस लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सभी जानते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भयंकर गरीबी है। यह भी निश्चित हो चुका है कि इस गरीबी का निदान हो सकता है अगर वहाँ पर कृषि का उत्पादन बढ़ाया जाय और वहाँ उद्योग लगाये जायं।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो परम्परागत धान की खेती करते रहे हैं तो वहाँ प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। उसमें क्यों नहीं सक्षम हो पा रहे हैं। जिन चीजों की आवश्यकता है उनकी पूर्ति करनी चाहिये ताकि उत्पादन बढ़े और यह जो इम्बैलेंसेज का प्रश्न है वह दूर हो। मान्यवर, इसी तरह से छठी पंचवर्षीय योजना मिड टर्म एप्रेजल में सिंचाई के संबंध में कहा गया है। मान्यवर, यह प्रदेश का जो रिव्यू है इसमें आँकड़े दिये गये हैं। कितना धन आवंटित किया गया और कितना खर्च कर दिया गया है इसके आँकड़े हैं लेकिन जहाँ पर फिजिकल टारगेट की बात आयी है वहाँ पर इसमें कालम के कालम खाली छोड़ दिये गये हैं। आप पेज 47 तथा 48 पर देखेंगें तो पायेंगें कि कालम के कालम खाली हैं। ऐसा क्यों हो रहा है?

मान्यवर, मैं आँकड़ा देना चाहता हूं। हरिजन बस्तियों में जो इलेक्ट्रीफिकेशन करना था, उसका टारगेट, 2,700 गाँवों में करना था। जून, 82 तक केवल 85 गाँवों का कर पायें हैं। जून के बाद 6–7 महीनों में कितना कर लिया है यह आप बतायेंगे। इसी प्रकार से इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट की बात है। मान्यवर, इंग्लिश में है। इनके ब्यूरोक्रेटिक इंग्लिश जानते हैं, हिन्दी उनके लिये शर्म की बाता है। मान्यवर, इन्टीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट के अन्तर्गत 5.31 फेमलीज को बेनीफिट करने का लक्ष्य था, इसके अगेंस्ट इन्होंने 0.17 लाख को बेनीफिट दिया। श्रीमन्, इसी तरह से एन0 आर0 इ0 पी0 में 624.00 का लक्ष्य था जबकि इन्होंने एचीवमेंट केवल 31.08 किया। इसी तरह से मान्यवर, एलोपैथिक अस्पताल 34 बनाने थे, एक भी नहीं बना। आयुर्वेदिक 25 बनाने थे, एक नहीं बना और होम्योपैथिक 51 बनाने थे, एक भी नहीं बना। मान्यवर, इसी तरह से रूरल सप्लाई 4,500 गाँवों को पहुंचाना था, इसके विरुद्ध केवल 268 गाँवों को पहुंचा सके। यह प्रगति आपकी है। श्रीमन्, इस सरकार को यह ब्यूरोक्रेसी भ्रम में रखे हुए है प्रदेश को डुबाने के लिये, इस नौकरशाही को इसका कोई दुःखदर्द हमसे जुड़ा हुआ नहीं है। यह आँकड़े आपके स्वयं के है। मैं चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री इसको थोड़ा सा समझ लें। इसके पेज 36 पर दिया हुआ है––

"दि स्टेट विद इट्स प्रजेन्ट ली पर कैपिटा इनकम एण्ड रेकरिंग ड्राट्स एण्ड फ्लड्स, इज अन एबल टू प्रोवाइड दि रिक्वाएर्ड इनवेस्टमेन्ट्स आउट आफ इट्स ओन रिसोर्सेज"

मान्यवर, एक और है पेज 37 पर––

"इन रिगार्ड टू पावर जनरेशन एण्ड इण्डस्ट्रीयल प्रोडक्शन शार्टफाल्स आर लाइकली टु टेक प्लेस अनटिल मोर इनवेस्टमेन्ट्स आर मेड ड्यूरिंग 1983–84 इन दीज सेक्टर्स, सिमिलरली, नेशनल गोल्स आफ मिनिमम नीड्स प्रोग्राम विल आलसो नाट बी अचीव्ड अनटिल इनवेस्टमेन्ट्स इन दीज प्रोग्राम्स आर स्टैण्ड अप सब्सस्टेन्शियल"

आगे है––

"पावर सिचुएशन इन दिस स्टेट इज ब्लीक"

श्री अधिष्ठाता––

हिन्दी में अनुवाद कर दीजिए?

श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, विद्युत का जो उत्पादन है वह बहुत भयानक है और अधूरे में लिया हुआ है श्रीमान् दूसरा है—

"इट इज इस्टिमेटेड दैट फार एचिविंग नेशनल गोल्स आफ वी0पी0 इन इम्पारटेन्ट सेक्टर्स एन एडिशनल एमाउन्ट आफ एटलिस्ट रु0 350 करोर्स विल बी रिक्वायर्ड ओवर एण्ड एबव दि एप्रूव्ड आउटलेज"

जो मिनिमम प्रोग्राम आपको करना था, जो टारगेट छठी पंचवर्षीय योजना में आपने पूरा करने के लिये रखा था, उनको पूरा करने के लिये हमको 350 करोड़ और चाहिए, तब पूर होंगे। मान्यवर, ये कुछ चीजे हैं, जिनको मैंने आपके माध्यम से रखा। जो इकोनामिक स्थिति है, इस प्रदेश की, वह कहाँ स्टैण्ड कर रही है। मैं चाहूंगा कि अगर सम्भव हो सके बजट पर बहस तो बहुत दिनों तक चलेगी ही, कम से कम हर साथी को यह किताब उपलब्ध हो जानी चाहिये। मान्यवर, बजट की जो आर्थिक समीक्षा केन्द्र के मा0 वित्त0 मंत्री ने पेश की है, उसको देखने का मुझको मौका मिला, उसमें यह है कि उत्पादन बढ़ा है और यह स्वीकार किया जाता है कि उत्पादन बढ़ा है। मान्यवर, हमने उर्वरकों की कीमतों को 7.5 प्रतिशत कम किया और पुराने स्टाक पर 10 प्रतिशत की और कटौती की, जिसके कारण 72 लाख उर्वरक का प्रयोग किया गया, इसलिये उत्पादन बढ़ा है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि औद्योगिक क्षेत्र में 82–83 के बीच उत्पादन गिरा है। क्यों गिरा है इसके लिये उन्होंने स्वीकार किया कि 82–83 में भयंकर सूखा था। यह बात बहुत साफ हो जाती है, सीधे तो नहीं कहा लेकिन यह बात मानी कि जब कभी देश या प्रदेश में सूखा पड़ता है उसका असर कृषि पर पड़ता है लेकिन उसका सीधा असर औद्योगिक उत्पादन की माँगों पर पड़ता है यह स्वीकार किया है। बिजली के क्षेत्र में कमी हुई यह भी कहा गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि कृषि में उत्पादन बढ़ा।

मैं कीमतों के बारे में कहना चाहूंगा। योजना आयोग ने एक सर्वे किया है नवम्बर 82 से नवम्बर, 83 के मध्य। इसके अनुसार जो भाव बढ़े हैं उनके बारे में मैं कहना चाहूंगा। चावल का मूल्य 14 प्रतिशत, गुड़ 44.5 प्रतिशत, गेहूं 15.8 प्रतिशत, दाल का मूल्य 38.2 प्रतिशत, तिलहन 35 प्रतिशत, चाय 27.1 प्रतिशत, नारियल तेल 34 प्रतिशत, सरसों का तेल 26 प्रतिशत बढ़ा है। जो प्रोटीन चावल और तेल से मिलता था वह भी उसकी आवश्यकता की वस्तुयें नहीं रहीं, वह भी विलासिता की वस्तु हो गई ऐसा कहना पड़ रहा है। यह चीजें भी गरीब की पहुंच से बहुत दूर हो गईं। जो उद्योगों में लगे हुये मजदूर थे उनकी कंज्यूमर प्राईस इंडैक्स था वह 12.40 प्रतिशत बढ़ा है, कृषि में जो हैं उनका 13.6 प्रतिशत बढ़ा है, खाद्यान्न के मामले में।

जनवरी, 80 से जनवरी, 84 तक जब से दिल्ली में और यहाँ जबसे इनकी सरकार पधारी है 80 से लेकर 84 तक थोक प्राईस 40.6 प्रतिशत बढ़ी है और कंज्यूमर प्राईस 51.21 प्रतिशत बढ़ी है। यह आँकड़े भारत सरकार के योजना आयोग के हैं। मेरे अपने बनाये हुये नहीं है। फिजिकल टारगेट केवल 62 प्रतिशत पूरा हुआ। जो धन आवंटित किया गया था उसका उपयोग तो पूरा कर लिया गया लेकिन लक्ष्य 62 प्रतिशत ही पूरा किया जा सका। फरवरी के दूसरे सप्ताह में वित्त मंत्री केन्द्र सरकार ने कुछ संस्थाओं से बातचीत किया और जब बजट आता है तो करते हैं वह चिन्तित थे, उन्होंने अपनी समीक्षा में इस बात को दिया था कि जो कीमतें बढ़ी हैं वह बहुत ही चिन्ता का विषय आगे आने वाले वर्षों के लिये है। वह चिन्तित हैं कि कैसे इसको कन्ट्रोल किया जाय। जो योजना आयोग ने मूल्य सूचकांक फरवरी के दूसरे हप्ते में रिलीज किया उसके अनुसार कीमतें बढ़ी हैं, घटी नहीं। लेकिन मान्यवर, इस प्रदेश की प्रधान मंत्री गोहाटी फरवरी में गई थी उन्होंने गोहाटी में प्रेस काँफ्रेस में कहा कि देश में चीजों की कीमतें घटी हैं। सरकार ने कड़े कदम उठाये हैं जिसके कारण कीमतें घटी हैं। जिन लोगों ने पढ़ा ताज्जुब हुआ, वित्त मंत्री को भी होना चाहिये। लेकिन वह प्रधान मंत्री हैं उनको निश्चित तौर से अधिक जानकारी होनी चाहिये, वित्त मंत्री और योजना मंत्री की अपेक्षा।

श्री अधिष्ठाता—

एक मिनट के लिये आप बैठ जायं। माननीय संसदीय कार्यमंत्री माननीय सदस्य डेस्क पर सिर रखकर सो रहे हैं। उनको कह दें कि सोना हो तो लाबी में चले जायं। यह अशोभनीय बात है।

श्री राजेन्द्र सिंह—

उनकी बात जरूर कोई तथ्य होगी। उन्होंने कहा कि 82–83 में सूखे की वजह से चीजों की माँग घट गई थी। उत्पादन की वस्तुयें बढ़ी हुई थीं मान्यवर, उनकी कीमत कम करने के लिये आयात शुल्क और उत्पादन शुल्क में कमी की वह चीजें मान्यवर थी, फ्रिज, एयर कन्डीशनर, टी0 वी0, कलर टी0 वी0 आदि इसमें टी0 वी0 की कीमतें कम की गई हैं.....

सदन की समितियों के लिये चुनाव कार्यक्रम की सूचना

श्री अधिष्ठाता—

एक आवश्यक सूचना सदन को देनी है कि वित्तीय वर्ष 1984–85 के लिए सदन की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति तथा मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों के निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि तथा समय आज 1 मार्च, 1984 को अपराह्न 4-00 बजे तक का समय नियत था इस सम्बन्ध में मुख्य सचेतक काँग्रेस (आई0) तथा मुख्य सचेतक राष्ट्रीय लोक तांत्रिक मोर्चा के अनुरोध पर उक्त समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में नाम निर्देशन हेतु नाम निर्देशन 22 मार्च, 1984 को अपराह्न 4-00 बजे तक का समय नियत किया गया है। शेष कार्यक्रम की सूचना बाद में दी जायगी।

वित्तीय वर्ष 1984–85 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, सार्वजनिक उपक्रमों के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है लेकिन कुछ चीजें मैं कहना चाहूंगा, मान्यवर, इस प्रदेश में 1973 में 11 कम्पनियां थीं सन् 1975 में 39 हुई अब 97 हैं हैं। इनकी 106 सब्सिडी कम्पनीज भी हैं। जैसा कहा गया कि वर्तमान स्थिति यह है श्रीमान् 226 देखे इनके ऊपर नहीं हुआ यह मान्यवर, इसी वर्ष के नहीं है कई–कई वर्षों के हैं कुछ कम्पनियों के आठ आठ वर्षों के नहीं आए। कुछ कम्पनियां ऐसी हैं तो तीन–तीन साल से उनके नहीं आए। मैंने सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो को लिखा कि सदन में मुझे बोलना है।

मान्यवर, वह समीक्षा करते हैं समीक्षा मेरे पास आ गयी यह खुशी की बात है लेकिन जिस तरह से आनी चाहिये थी उस तरह से नहीं आई। वह समीक्षा करते हैं जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था कि मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि निगमों पर हमारा करीब 34.89 अरब रुपया लगा हुआ है तो प्रदेश की इतनी सम्पत्ति लगी हुई है हम सभी की आकांक्षा होती है कि उनका क्या कार्यकलाप हो रहा है वह हम जाने। वह हम सब जानना चाहते हैं हर तिमाही वह सर्वे करते हैं। समीक्षा करते हैं लेकिन वह समीक्षा कभी तीन साल से पहले इस सदन में नहीं आ पाती। समीक्षा की साइक्लोस्टाइल कापियाँ रद्दी में बिक रही हैं। लेकिन वह माननीय सदस्यों को, या इस प्रदेश की विधान सभा की लाइब्रेरी में नहीं भेजी गयीं।

वहाँ जो अधिकारी आते हैं सिर्फ रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये आते हैं वह लखनऊ में ही रहना चाहते हैं प्रदेश में जब कोई अच्छी जगह होती है तो वह पऊंआ लगा लेते हैं तो इस तरह से साल छः महीने में अच्छी जगह मिल गयी। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी के उच्च अधिकारी हैं वह शासन के खर्चे पर विदेशों में ट्रेनिंग लेकर आये हैं। छः छः महीने की ट्रेनिंग ले कर आये हैं। ट्रेनिंग लेने जाते हैं तो निगम को लाभ होगा यह कहकर जाते हैं। कहते हैं इससे निगम का काम सुचारु रूप से चलेगा। जब लौटकर आते हैं तो उनकी दूसरी जगह अच्छी पोस्टिंग हो जाती है। इस पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है।

पब्लिक एक्सचेकर के माध्यम से उच्च अधिकारी विदेशों में ट्रेनिंग ले लें, तो निगमों का व्यापार बढ़ाने के लिये इनको निगमों में ही रहना चाहिये। कम से कम 10 साल वहीं रहना चाहिये। इनसे च्वायस माँग ली जाय। अगर ये च्वायस देने के लिये तैयार नहीं है तो फिर व्यापार के एक्सपर्ट स लेंने में क्या परेशानी है। इस प्रदेश के अन्दर टाटा, बिड़ला, गोयनका का नाम लिया जा सकता है, जिन्होंने बड़ी-बड़ी पूंजी व्यापार में लगाई है और उनकी व्यापारिक संस्थायें चल रही है। क्या प्रदेश सरकार में अपनी इन छोटी-छोटी संस्थाओं के चलाने की क्षमता नहीं है? नीयत ठीक नहीं है। यह सरकार नीयत ठीक कर ले तो इनमें सुधार हो सकता है।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि इसमें 82–83 में, जैसा कि मैंने कहा कि इन निगमों में पूंजी लगी है, सबसिडियरी 34.8 प्रतिशत है। वर्ष 1982–83 में इसकी हानि, आपके पास आँकड़े नहीं हैं, मेरे पास लेटेस्ट आँकड़े हैं, 1982–83 में कुल 84.89 करोड़ की हानि हुई है। अभी तक आठ करोड़, पन्द्रह करोड़, पच्चीस करोड़ होता था, लेकिन 82–83 में यह 84.89 पहुंच गयी है। यहीं नहीं मान्यवर, जैसे-जैसे पूंजी बढ़ती चली जा रही हैं, वर्ष 1980–81 में पूंजी थी 30.30 अरब के करीब थी तो नुकसान था 77.11 करोड़। सन् 82–83 में पूंजी हो गयी 34.89 अरब तो नुकसान भी उन्होंने उसी अनुपात में बढ़ा दिया 84.89 करोड़। यह भयंकर स्थिति हो रही है। इसमें बहुत से निगम हैं, 17 निगम हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्। इसका कोई इंतजाम होना चाहिये।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, यह आपके प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा निगम है। इसके बारे में भी बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। यह लगातार तीन साल से हानि दे रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश चीनी निगम, उत्तर प्रदेश जल गिगम, एग्रो, हार्टिको, चलचित्र निगम, टूरिट्स्ट कार्पोरेशन, आगरा मण्डलीय विकास निगम, गोरखपुर मण्डलीय विकास निगम, गढ़वाल मण्डलीय विकास निगम, बुन्देलखंड विकास निगम, तराई विकास निगम, अनुसूचित जाति विकास निगम, पशुधन विकास निगम। ये अनेक निगम तीन साल से लगातार नुकसान दे रहे हैं। इसमें केवल सीमेंट कारपोरेशन ने लास्ट ईयर फायदा दिया था। लेकिन पिछले चार साल से वह भी नुकसान पर था। पाँच ऐसे निगम हैं, जिन्होंने सन् 1982–83 में हानि दी है। यू0 पी0 इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास निगम, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स, उत्तर प्रदेश भूमि विकास निगम और उत्तर प्रदेश मण्डलीय विकास निगम।

मान्यवर, इनमें हानि होती चली जा रही है और हम इनको आँखें बंद किये देखते चले जा रहे हैं। पब्लिक इन्टरप्राइजेज ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को भेजी थी, जब उन्होंने देखा कि सरकार कुछ नहीं सुनती। भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, कन्ट्रोलर हैं, उन्होंने जब देखा कि यह इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं तो उन्होंने महामहिम राज्यपाल को रिपीर्ट भेजी और हम सभी जानकारी रखते हैं कि महामहिम तो महामहिम हैं उन्होंने भी कहीं उसे तकिये के नीचे रख दिया है और उसे भूल गये हैं। सप्तम वित्त आयोग, आर0 बी0 आई0 और योजना आयोग ने इनसे यह कहा था कि आप अपने संसाधनों को थोड़ा बढ़ाये। उन्होंने यह भी कहा था कि आप इन निगमों से 1983–84 तक पाँच प्रतिशत लाभ अर्जित करेंगे। लाभ तो दूर हानि 2.4 प्रतिशत की दर से हो रही है। जो सघन पूंजी विनियोग था यह भी चला जा रहा है।

आपके जो विकास प्राधिकरण हैं, जिनके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री भी विधायकों को भवन दिलवाने की बात कह रहे हैं। आज प्रदेश में 13 विकास प्राधिकरण है। इनका न तो कोई लेखा-जोखा है और न ही इनकी कोई बैलन्शशीट बनती है। इसकी डीलिंग पब्लिक से हो रही है क्योंकि यह उन्हें मकान बनवाकर देता है, दुकान बनवा कर देता है तथा भूखण्डों को तैयार कर उन्हें देता है। परन्तु मकानों पर जो सामग्री इनके द्वारा लगाई जाती है वह

[श्री राजेन्द्र सिंह---]

कंट्रोल रेट पर होती है, किन्तु देते समय जब यह उसका वैल्युएशन करते है तो मारकेट रेट से करते हैं। ऐसा करके कितना बड़ा मुनाफा ले रहे हैं। इसके बावजूद भी इस प्रदेश की सरकार को यह मालूम नहीं है कि इनका लेखा जोखा कहाँ है तथा इनकी बैलेन्सशीट कहाँ है।

श्रीमन्, एक चीज मैं और अच्छी तरह से कहना चाहता हूं। मेरी सूचना है कि एक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति विकास निगम है उसने प्रदेश के हरिजनों के भले के लिए 2228 नलकूप बनाने थे और वह लगाना भी दिखलाया गया है। मुख्य सचिव ने इसका अनुसरण भी किया। मुझे सूचना है कि उन 2228 नलकूपों में से एक भी नलकूप नहीं लगाया गया है। मैं चाहूंगा कि आप इस एलारमिंग चीज को देखें कि जो नलकूप हरिजनों की भलाई के लिये लगने थे या इस अनुसूचित विकास निगम द्वारा लगाये जाने थे वह लगाये गये है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वे सारे के सारे नलकूप कागजों में ही लिखे रह गये हों। इसे भी आप देखने का प्रयास करें।

श्रीमन्, इसमें काफी कुछ कह दिया गया है कि कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत ऐक्शन होना चाहिए, हुआ नहीं। हुआ क्यों नहीं। आपने एक नियम बनाया कि 2400 रु0 से कम वेतन पाने वाले अधिकारी हवाई जहाज से यात्रा नहीं कर सकेंगे। पहले आपके बहुत से अधिकारी हवाई जहाज से जाते थे। लेकिन आपसे भी ज्यादा होशियार वे है क्योंकि वे व्यक्ति किसी न किसी कारपोरेशन के एम0 डी0 या चेयरमैन है वे उसकी हैसियत से जहाजों में जाते हैं, क्योंकि उन्हें परम्परा को कायम रखना है। यह भी आपको देखना पड़ेगा। मैं सब यह इसलिये कह रहा था कि किस प्रकार आज खाने पीने के अड्डे बनाये गये हैं।

श्रीमन्, मैं कुछ चीजों का हामी हूं। दो तरह के व्यापार होते हैं। एक व्यापार वह होता है जिससे हम लाभ अर्जित करते हैं। ज्यादातर निगम इस समय लाभ आर्जित करने वाले ही हैं। वैसे श्रीमन्, चाणक्य ने कहा है कि जो सरकार बनिये का धन्धा करने लगेगी उसका नाश अवश्यम्भावी है। तो मेरे कहने का मतलब यह था कि जो निगम प्रोफिट अर्निंग वाली है, उनके लिए हमें उसी प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये, जो एक व्यापारी संस्थान में होता है। कभी कभी यह भी होता है कि कुछ संस्थान ऐसे होते है जो पब्लिक यूटीलिटी के लिए होते हैं अर्थात् जनता के लाभ के लिए होते हैं। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। मेरी बात को सभी माननीय साथी जानते होंगे, शायद आप लोगों को याद भी होगा। मैंने पहले भी कहा था कि अलीगढ़ में एक डेरी फार्म था किसी प्राइवेट आदमी का वह अंग्रेज था कोई। उसके यहाँ की पिगरी और मक्खन बहुत ही मशहूर थी। वह इस देश में ही नहीं विदेश में भी मशहूर थी। मान्यवर, जब उसका सरकार ने अधिग्रहण कर लिया, तो वहाँ जानवर भी समाप्त हो गये और वह डियरी भी लगभग समाप्त हो गयी। पिछले दिनों हमारे माननीय पशुधन विकास मंत्री जी वहाँ गये थे, उन्होंने उसकी स्थिति को देखा था कि वहाँ क्या हालत हो रही है। थी तो यूटिलिटी की चीज पब्लिक यूटिलिटी की चीज थी, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि पब्लिक यूटिलिटी की चीजें निजी क्षेत्र में दुखदायी होती है या लाभ नहीं होता है या जनता को सुविधा नहीं होती है। यह मैंने आपके समक्ष एक मिसाल पेश की। एक और मिसाल दूंगा। आगरा जनपद के बहुत से विधायक यहाँ पर मौजूद हैं।

मान्यवर, आगरा में एक एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी थी, मान्यवर, जब तक वह कम्पनी रही, शायद एक मिनट भी विद्युत नहीं गयी होगी आगरा से, लेकिन जब से उसका राष्ट्रीयकरण हो गया, जब से सरकार के नियंत्रण में आ गयी, सारा मामला साफ हो गया है। सब खत्म हो गया है। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि आपको बहुत सख्ती से देखना होगा। आप कोई टाइम बाउंड प्रोग्राम दें कि इतनी अवधि में यदि मुनाफा अर्जित नहीं किया जाता है, तो हम उनको आक्शन कर देंगे या हम उनको समाप्त कर देंगे या किसी तरह से और कोई दूसरी व्यवस्था करेंगे। यह आपको करना होगा। इसके अन्दर प्रदेश की बहुत बड़ी पूंजी लगी हुई है,

उसको किसी तरह से बाई-पास नहीं कर सकते यह मेरा थोड़ा निवेदन है। इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं फिर आपके माध्यम से मान्यवर, चाहूंगा कि प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है, वह अच्छी नहीं है, इसकी जिम्मेदारी स्वीकारनी होगी। यह हम इसलिये कहते है कि आप सत्ता में हैं, इसलिये आपसे कहते हैं। मेरे कहने के मुताबिक आप अपने ही सदस्यों द्वारा फिजिकल टार-गेट्स की जानकारी नहीं करना चाहते हैं।

मेरी भी भावना है कि इस प्रदेश की तरक्की हो, गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों का जीवन यापन ऊंचा हो, लेकिन जब बार बार इस मंच से, हमारी तरफ से, या बार बार उधर के साथी कहेंगे तो इस बात को देखना पड़ेगा कि यह जो चीजें चल रही है, भ्रष्टाचार की बाबत कहा जाता है, यह बहुत बड़े समाज में चल रहा है, इसको आप समाप्त करने में सक्षम नहीं हो रहे हैं लेकिन कम से कम नियंत्रण करने का प्रयास कीजिये। जो धन, जो योजना, जिस बात के लिये रखी गयी है, उसे देखें कि उसका लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब तक आप इस पर ध्यान नहीं देंगे, गहराई से ऐक्शन नहीं लेंगे, तब तक यह प्रदेश बहुत पिछड़ता चला जायेगा। एक और बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। मान्यवर, जो योजनायें बनती है, तब तक उनका लाभ समस्त तक नहीं पहुंचेगा , जब तक उन योजनाओं का प्रारूप यह नहीं होगा कि गाँव में रहने वाले तक उसका लाभ पहुंचे, गरीब तक लाभ पहुंचे। गरीब से खासतौर से गाँव में रहने वाले लोगों से तात्पर्य है। जब तक इस तरह से प्रारूप नहीं बना पायेंगे तब तक यह योजनाएं कितनी बनती चलें, स्थिति ज्यों की त्यों रहेगी।

अब तो मान्यवर, इन योजनाओं से लोगों का जी भरने लग गया है। यहाँ पर माननीय सदस्य, सभी सदस्य, शायद उपाध्यक्ष, भारत सरकार योजना आयोग का नाम जानते हों, अब तो शायद ही वह जानते हों कि प्रधान मंत्री उसकी अध्यक्ष हैं, कितने उसके मेम्बर हैं। वह इतनी यूटिलिटी खो चुका है, पहली योजना से लेकर आज तक, उस योजना आयोग ने, चाहे वह भारत सरकार का हो, या उत्तर प्रदेश सरकार का हो, जो आंकड़े दिये, जो ग्रोथ बतायी है, वह कभी भी फुलफिल नहीं हुई, वह हमेशा शार्ट रही। इसलिये गलत आँकड़ेबाजी से काम नहीं चलेगा, आपको वास्तविकता के साथ प्रदेश में काम करना होगा, तभी प्रदेश का भला हो सकता है।

इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया।

*श्री राज कुमार राय—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे 1984–85 के सामान्य बजट चर्चा पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, फरवरी के अन्तिम सप्ताह में माननीय वित्त मंत्री ने जो उत्तर प्रदेश के विकास के लिये बजट प्रस्तुत किया है, उसको देखने से, उस पर गौर करने से एक बात साफ हो जाती है कि उनकी नीयत, उनकी सरकार की नीयत, इस प्रदेश के उन सारे, उन तमाम शोषित पीड़ित गरीबों के उत्थान की है। यह एक ऐसा बजट हैं, जिससे प्रदेश का सर्वांगीण और सर्वोतोन्मुखी विकास हो और जो आज गरीबी की रेखा से नीचे हैं, जो कराह रहे हैं, उनको अपने विकास का अवसर मिल सके। इसलिये माननीय वित्त मंत्री ने जहाँ एक तरफ यह कोशिश की है कि प्रदेश के लोगों को अच्छी तरह से शिक्षित करें वहीं इस बात का भी पूरा पूरा प्रयास किया है कि इस गरीब प्रदेश के अन्दर सारे हरिजनों, गिरिजनों के विकास के लिये ज्यादा अवसर मुहैया कर सकें।

मैं अभी माननीय नेता, विरोधी दल की बातें बहुत गौर से सुन रहा था।

(व्यवधान)

श्री कुबेर भण्डारी—

आप उस समय सो रहे थे।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राज कुमार राय—

जी नहीं, आपको गलतफहमी है।

आपने इस बजट को जिसमें सारी बातों का एक साथ समावेश हैं, धूर्ततापूर्ण बजट बताया है। इसके पहले भी बजट आये हैं, माननीय नेता, विरोधी दल भी जब यहाँ ट्रेजरी बेंचेज में बैठते थे, जब आपकी सरकार थी, तो आपने भी बजट रखे है क्या कोई ऐसी विशेष बात इस बजट में हैं, जिस को आप धूर्ततापूर्ण कह सकते हैं? मैंने समझने की कोशिश की है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि शायद "धूर्तता" का अर्थ ही माननीय नेता,विरोधी दल नहीं समझ पा रहे हैं। इस बजट में सिचाई पर, उद्योग पर, शिक्षा पर, हरिजन समाज कल्याण पर, इन सारी चीजों पर नजर रखी गयी है और सब के उत्थान के लिये कुछ न कुछ किया गया है। जहाँ यह सब किया गया है वहीं कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनके विषय में मैं निवेदन करना चाहता हूं।

पूर्वांचल बहुत गरीब है, जनसंख्या का दबाव काफी है। वहाँ के रहने वाले लोग इस देश के दूसरे महानगरों में और विदेशों में जाकर बहुत से ऐसे काम करते हैं। अगर उनकी गरीबी कम होती तो निश्चित रूप से वे वहाँ न जाते और भिखमंगों की जिन्दगी न जीते।

मैं निवेदन करूंगा कि मा0 वित्त मंत्री से और शासन से कि पूर्वांचल में उद्योग धंधों के लिये सोचें। आजमगढ़, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, गोण्डा, बहराइच, इनमें उद्योग धन्धों का प्रचार प्रसार कम हुआ है। कुछ जगहों पर तो कुछ हुआ भी है लेकिन बलिया, गाजीपुर और आजमगढ़ में तो स्थिति शून्य है। आजमगढ़ को शिवरामन कमेटी ने ऐसे देखा, न मालूम क्या नजर आया कि उन्होंने भी आजमगढ़ में उद्योग धन्धों की सिफारिश नहीं की। उद्योग धन्धों के नाम पर वहाँ कुछ नहीं है।

इसलिये निवेदन करूंगा कि जहाँ उद्योग धन्धों के प्रचार और प्रसार की बात हो, बजट में कुछ समावेश हो, वहीं पिछले सालों में जो निर्णय लिये गये थे, उनके क्रियान्वयन पर भी जोर दिला दें। घाघरा नदी दोहरीघाट से होकर गुजरती है। पिछले सालों में दोहरीघाट में थर्मल पावर स्टेशन प्लान्ट की योजना थी, दोहरीघाट और ऊंचाहार एक साथ। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि दोहरीघाट की इतनी मौजू स्थिति और सारे संसाधनों के होते हुए, जमीन की उपलब्धता होते हुए भी आज दोहरीघाट में थर्मल पावर का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। मैं तो समझता हूं कि सारे कामों को छोड़कर और सारी बातों को नजर अंदाज करते हुए दोहरीघाट पावर स्टेशन व ऊंचाहार पावर स्टेशन की ओर अपना ध्यान आकर्षित कर ले, ऐसा होने से गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, आजमगढ़ और बलिया के किसानों का उत्थान हो सकता है और वहाँ के जो लोग दूसरे प्रदेशों के कोन कोन में रोजगार के लिये भटक रहे हैं, उनकी सारी समस्याएं इससे दूर हो सकेंगी इसलिये मैं शासन से अनुरोध करूंगा मान्यवर, आपके माध्यम से कि दोहरीघाट योजना को शीघ्र ही प्राथमिकता के आधार पर लें और उसका क्रियान्वयन करा दें। और मान्यवर, कृषि के उत्थान के लिये भी हमारी सरकार ने सब कुछ किया और बजट में उसका समावेश भी कर दिया है, लेकिन मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार से यह कहना चाहूंगा कि जो छूट आपने कृषि और फर्टिलाइजर पर दी है इस संबंध में यदि आप प्रदेश के अन्दर कहीं पर सर्वेक्षण करा लें कि उस छूट से किसानों को कोई फायदा नहीं पहुंचा है, वह इसलिये कि उस का केमिकल बहुत ही डिफेक्टिव है। 10 परसेंट की लालच में जब किसान से उसे लिया, लेकिन उसका कोई लाभ उनको खेती में नहीं मिला।

इस लिये मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जहाँ मैं एक कृषि प्रधान प्रदेश और देश का निवासी हूं वहीं पर इस सरकार की सारी नीतियाँ भी इस बात पर आधारित है, जिसके कारण देश में कृषि उत्पादन बढ़ा है और आगे बढ़ भी रहा हैं, लेकिन फर्टिलाइजर के मामले में मैं शासन से अनुरोध करूंगा कि इस ओर बहुत सतर्क रहने की आज आवश्यकता है क्योंकि आज इसमें बहुत एडल्ट्रेशन हो रहा है, अगर इसे मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर चेक अप नहीं करेंगे तो प्रदेश की जनता जिस तरह आज इस ओर धोखा खा रही है, आगे भी यही सिलसिला चलता रहेगा, इसलिए जिस स्टेज पर यह बनती है वहाँ पर देखा जाए और दूसरे इसमें छूट ज्यादा से ज्यादा देने पर सरकार विचार करे।

साथ ही मैं यह कहूंगा कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत हमारी सरकार ने फैसला किया और माननीय वित्त मंत्री ने भी सिंचाई के लिये आज अच्छा खासा बजट दिया है साथ ही मैं यह निवेदन करूंगा कि पुरानी सिंचाई का क्रियान्वयन जिस ढंग से चल रहा है, इसी ढंग से यदि होता रहा तो वह प्रगति नहीं हो पायेगी जो अपेक्षित है क्योंकि बहुत सी जगहों पर जहाँ नहरों की लाईनिंग का काम होना था, वह नहीं हो पा रहा है।

कई वर्ष हो गये है, वैसे कृषि का उत्पादन तो बढ़ा है, अनाज की आज उपज तो हमारे प्रदेश में काफी बढ़ी है और देश और प्रदेश इस ओर आत्म निर्भर भी हुआ है, यह भी बहुत बड़ी खुशी की बात है, लेकिन मैं आपके माध्यम से इतना जरूर बताना चाहूंगा कि आज नहरों में सीपेज 10 फीसदी से अधिक हो रहा है, और जिन नहरों पर लाईनिंग का कार्य नहीं कराया गया है, जिससे वह नहरें आज बर्बाद हो रही है, इसलिये मैं शासन से अनुरोध करूंगा कि आज प्रदेश में जो जल भराव जल जमाव व सीपेज आदि की समस्याएं आम हैं इन समस्याओं के निराकरण के लिये कोई शीघ्र ही आदेश करें ताकि इस प्रकार की समस्याओं से प्रदेश की जनता को छुटकारा मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस विषय पर बोलने का अवसर दिया।

श्री कुबेर भण्डारी––

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस खोखले बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया है। यह सरकार जब बजट पेश करती है तो घाटे का ही बजट दिखलाती है। मान्यवर, आज 36 साल हो गये आजादी के बाद सरकार को बजट पेश करते लेकिन लगता है कि हम लोग केवल बजट पास करके अधिकारियों को दे देते हैं और वे खर्चते और कमाते रहते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं होता है।

मान्यवर, आज जो बजट का हिस्सा जिलों में जा रहा है वह केवल अधिकारियों की जेबों में जा रहा है। हमारे माननीय सदस्यगण उधर बैठे बैठे टीका टिप्पणी कर रहे है, वह खुद यहाँ पर रोते रहते है, पता नहीं भगवान उनको कब सुबुद्धि देगा, कब अकल आयेगी।

(इस समय 4 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मान्यवर, हमारे जिले में अंग्रेजों के समय की चीनी मिल लगी हुई है। आजादी के 37 साल हो गये है परन्तु हमारे जिले में एक भी उद्योग–धन्धा नहीं लगा है। एक सत्तारूढ़ दल के विधायक भी हमारे जिले के है, वह बता सकते है कि हमारे जिले में एक भी उद्योग-धन्धा नहीं लगाया गया है। जो बजट यहाँ पास होता है उसका पैसा कहाँ चला जाता है, यह कुछ पता नहीं।

अभी पूर्वांचल के पिछड़ेपन के बारे में राय साहेब कह रहे थे। मैं भी यही कहता हूं कि पूर्वांचल के जिलों का घनत्व इतना ज्यादा है कि लोग वहाँ से विदेश को जा रहे हैं लेकिन विदेश जाने की अनुमति भी हम उनको नहीं दे पा रहे हैं। पासपोर्ट आफिस में आप चले जाइये तो इतनी भीड़ है, तो यह हमारा दुर्भाग्य नहीं है तो और क्या है? हमारे यहाँ खाने पीने को है नहीं इसलिये वे अपना देश छोड़ कर बाहर के लिये भाग रहे हैं। यहाँ सरकार बजट पास करके मंत्रियों को चुनाव जिताने के लिये पैसा खर्च कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जो पैसा कर के रुप में दे रही है वह खुलेआम रायबरेली और सुल्तानपुर जिलों में खर्च हो रहा है राजीव गाँधी को चुनाव में जीतने के लिये। इसी तरह से इन्दिरागाँधी को जिताने के लिये पैसा खर्च किया जाता है। इस तरह की इस सरकार की नीति रही है जैसे उत्तर प्रदेश की जनता बस रायबरेली और अमेठी में ही रहती हैं और जगह पर जैसे कोई रहता ही नहीं है, वहाँ की जनता जिन्दा रहे या भाड़ में जाय इनसे कोई मतलब नहीं है।

देवरिया जिले में जल भराव और सीपेज की समस्या बराबर बनी रहती है। जब वहां सिंचाई के लिये नहर छोड़ी जाती है तो जमीन खुदी होती है उसमें पानी भर जाता है। यहां इस सीपेज का मामला कई बार आया परन्तु कुछ नहीं हुआ। यहां पर सीतापुर के सीपेज का भी मामला आया लेकिन वहां पर मिट्टी डालने के लिये सरकार के पास पैसा नहीं है। वहां के लोग

]श्री कुवेर भण्डारी]

मिट्टी डाले पर कोई लाभ नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि ग्रामीण योजना के अन्तर्गत जो लोग नहर पर काम किये हैं उनको आज तक मजदूरी नहीं मिल पायी है, उन्हें कम से कम मजदूरी मिल जानी चाहिये। बजट का पैसा कहां चला जा रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझता हू कि यह पैसा केवल अधिकारियों की जेबों में भरता जा रहा है। यदि इस प्रक्रिया पर रोक न लगायी गयी तो जैसे कोई विकास आज तक न हुआ है और न होने वाला है। सरकार की स्थिति यह है कि विकेन्द्रीयकरण का वह हल्ला करती है जिलों में एक स्वरोजगार योजना दी जा रही है, यह केवल छात्रों को परेशान करने के अलावा और कुछ नहीं है। इसके जरिये छात्रों को परेशान किया जा रहा है इसलिये यह स्वरोजगार योजना निकाली गयी है। बैंकों से जो रुपया दिया जाता है वह उस समय तक उन्हें नहीं मिल पाता है जब तक कि वे कमीशन नहीं पाते हैं। भारी कमीशन देने के बाद उनको पैसा मिल पाता है जिसमें कि आदमी परेशान होकर रह जाता है। एक तो गरीबो दूसरे आदमी किराया भाड़ा खर्च करके देवरिया जिले में जाता है और एक दो महीना सारी प्रक्रिया में घूम फिर कर अपने घर का पैसा खर्च कर रहा है 10 रुपया सैकड़ा कमीशन न दिया, तो उसे कोई धन्धा मिलता नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप देवरिया और गोरखपुर में विकास करना चाहते है तो बजट का कुछ हिस्सा यहां के लिये दिया जाय। एक जिले में दूसरे जिलों का हिस्सा लेकर विकास करना ठीक नहीं है। इससे अलगाव की मन्शा प्रतीत होती है, जो धन पूर्वांचल के विकास के लिये मांगा गया है, उसको दिया जाय। अगर इनका विकास नहीं किया जायेगा तो अलगाव की मांग होने लगेगी। आप देख रहे हैं, पंजाब में क्या हो रहा है, अगर आप इसी तरह से करेंगे तो यहां पर वही चीज उत्पन्न हो जायेगी।

मान्यवर, बजट के किसी भी हिस्से का उपयोग पूर्वांचल के विकास के लिये बिल्कुल नहीं हो पाया है। पूर्वांचल के लोग बेरोजगारी के शिकार होते चले जा रहे हैं। पहले यहां के बेरोजगार लोग पंजाब चले जाते थे, लेकिन जब से वहां पर गड़बड़ स्थिति उत्पन्न हो गयी है, उनका वहां पर जाना भी बन्द हो गया है। अगर वह कलकता और बम्बई जाय, तो वहां पर उनको रहने का स्थान नहीं है, सड़कों पर रात गुजारते हैं। अगर विदेश जाना चाहे तो उसके लिये उनको अनुमति नहीं मिलती है। ऐसी दशा में देश को बेरोजगारी और गरीबी से बचाये, और कोई ठोस कदम उसको दूर करने के लिये उठाये कोई बहाना न बताये, बहाना नहीं चलेगा।

आप देखे कि आज कितनी मंहगाई बढ़ रही है, वह दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है, जनता इसको देख रही है। आप कहते हैं कि कर नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन मंहगाई कितनी बढ़ रही है जनता की रीढ़ मंहगाई से टूटी जा रही है। बेरोजगारों में आग की ज्वाला बढ़ रही है, मान्यवर, उधर के लोग स्वाहा होंगे ही और हम लोगों को भी स्वाहा करेंगे। बेरोजगारी और गरीबी की ज्वाला से बचने के लिये जिस प्रकार से आप रायबरेली और अमेठी में उद्योग धन्धे खोल रहे है, उसी प्रकार के उद्योग धन्धे पूर्वांचल में खोले। अगर नहीं खोलेगे तो लोग बेरोजगार होते जायेगे।

मान्यवर, हिन्दुस्तान में जन शक्ति है, नदियां है, पहाड़ हैं, जंगल है और खनिज है, लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं पा रहा है। जो देश हमसे पीछे है, वह तरक्की करके चन्द्र लोक में जा रहे है, और हम लोगों ने पाताल में भी जाने की कोशिश नहीं की है। इस तरह का बजट पेश करने से जनता आपके भुलावे मे आने वाली नहीं है।

मान्यवर, उद्योग धन्धों के लिये जो बजट ब्लाकों में जा रहा है उसको उस क्षेत्र के विधायक देखे। ऐसी व्यवस्था आप करें जिससे लोगों को सही माने में रुपया मिल सके। आप देखे कि जो राष्ट्रीय मार्ग कुशीनगर से बिहार जाता है, वह बहुत ही खराब हो गया है, गड्ढे हो गये है, लेकिन उसकी मरम्मत नहीं होती है। आप ठोस आधार तैयार करें और ठीक बजट पेश करें जिससे कि सभी स्थानों की तरक्की हो। मान्यवर, आजमगढ़ में ऊसर है, उसकी सिचाई के लिये कई नहर खोदी गयी है, लेकिन उनसे ऊपर को सिचाई नहीं हो पाती है और अभी ऊसर समाप्त नहीं हुआ है। दूसरी ओर उनमें सीपेज की समस्या बन गयी है। पडरौना में बाढ़ से तबाही आ जाती है। नारायनी नदी में बांध बन रहा है, उसमें लाखों करोड़ों रुपया बरबाद किया जा रहा है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री ध्रुव प्रसाद राय—

मान्यवर, 1984–85 का यह बजट घाटे का दिखाया गया है। पिछले वर्ष भी बजट में घाटा था। इस बार 272.72 करोड़ रुपये का एक्चुअल घाटा दिखाया गया है। और यह दिखाया गया है कि लोक लेखा रिसीप्ट से 213.40 करोड़ रुपया लाना है और इस प्रकार से एक्चुअल घाटा 59.32 करोड़ दिखाया गया है। पिछले वर्ष 34.66 करोड़ रुपये का नेट घाटा बताया गया था। प्रश्न यह है कि यह घाटे का बजट पिछले तीन वित्तीय वर्षों से चला आ रहा है। इसका हम पर क्या असर पड़ रहा है, इसे हमको देखना होगा। अध्यक्ष जी, यह घाटे का बजट इन्फलेशन लाता है, मुद्री-स्फीति बढ़ाता है और उससे मंहगाई बढ़ती है। यह सबस बड़ा डिफेक्ट है। क्योंकि हम तो यह बता रहे है कि हम ने कोई नये कर नहीं लगाये है परन्तु कर लगाना ही पड़ेगा, एक न एक रूप दिखाना पड़ेगा। जब कर लगेगा तो मंहगाई पर उसका असर पड़ेगा। 66 इशेन्सिशयल कामोडिटीज जो हमारे पास है उसमें से 49 कामोडिटीज ऐसी हैं जिसके दाम डेढ़ गुणा बढ़ जाते है। हर साल प्राइस 8.2 प्रतिशत बढ़ जाते है। सन् 82–83 में मंहगाई 287.8 प्वाइन्ट पर थी जो इस समय बढ़कर 318.8 पर आ गई है। इन्फलेशन जो 82–83 में 2.4 प्रतिशत था वह इस साल 10.6 प्रतिशत हो गई है।

इस प्रकार यह घाटे का बजट हमको नुकसान पहुंचा रहा है। मंहगाई जो है वह इन्फलेशन के कारण है। हमारी जो वितरण प्रणाली है उसका असर भी इस पर पड़ता है और वह आज कौलप्स के नजदीक पहुंच गई है। गांवों में लोगों को जो सस्ते गल्ले का दाम मिलना चाहिये उस हिसाब से वितरण नहीं हो पा रहा है।

अतः मेरा विचार है कि घाटे के बजट को खत्म करना चाहिये और उसे ऐसा रूप देना चाहिये जिससे हम प्रगतिशील आर्थिक विकास करके गरीबी को दूर करने के लायक बजट को पेश कर सकें। हमारा बजट प्रोडक्टिव टाइप का होना चाहिये और ग्रोथ रेट बढ़नी चाहिये जो कि आज मुश्किल से 4.7 पर रोकी गई है। हमें ऐसा महसूस हुआ कि माननीय नेता विरोधी दल आज कुछ पढ़ लिख कर आये हैं। उन्होंने बताया कि कुल 1300 करोड़ रुपया प्रोडक्टिव ग्रोथ में लगा रखा है। यह सही है कि 1392 करोड़ रुपया प्रोडक्टिव साइड में लगा रखा है। कुल बजट 4629 करोड़ रुपये का है इसलिये यह अन्त बहुत बड़ा है। इसका असर हमारे विकास पर पड़ा है।

हमारी 85 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। वहां खेती ही उनका मूल साधन है। उनके लिये दो चीजों की परम आवश्यकता है—पानी। यानी, सिंचाई और दूसरे फर्टिलाइजर। जहां तक सिंचाई की व्यवस्था का सवाल है हमारी 50 प्रतिशत खेती असिंचित है। आज नहरों की हालत क्या है। पिछले वर्ष नहरों में जमाव हो गया था, सिल्टिंग हो गई थी, उसको साफ नहीं किया जा सका क्योंकि अर्थ की कमी थी। जो नई नहरें खुदनी थी, वह भी नहीं खुदी। 3/3 साल लग गयें, वह काम नहीं हो सका। पुल और पुलिया नहीं बन पाये। इसका क्या कारण है। यह हमारे डेंफिसिट बजट का कारण है। मंहगाई बढ़नें का कारण पब्लिक सेक्टर है।

पब्लिक सेक्टर में आज 20 हजार करोड़ रुपया लगा हुआ है जिसकी आमदनी दो हजार करोड़ रुपया प्रति साल होनी चाहिए। परन्तु पता नहीं क्या बात है। पब्लिक सेक्टर कभी भी यह आमदनी नहीं दे पाता है। इसने 1982–83 में 600 करोड़ रुपये की आमदनी दिखाई थी और आज 88 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है। कोयले के दाम हम लोगों ने बढ़ाये, पेट्रोल का दाम बढ़ाया। यह बेंसिक चीजें है। प्राइस कंट्रोल का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिये जिससे डफिसिट बजट न हो। कोयले का दाम 25 प्रतिशत बढ़ाये परन्तु ऐक्चुअल वह 69–70 प्रतिशत बढ़ा। पब्लिक सेक्टर में कमोडीटीज के दाम बढ़ते है तो उसका क्या असर पड़ता है। उससे क्या हम गरीबों को कोई लाभ पहंचा रहे है और उसका असर गरीबी दूर करने के लिये हो रहा है? नहीं। जो दाम बढ़ रहे हैं वह गरीब के लिये बढ़ रहे हैं। इस तरह का बजट नहीं होना चाहियें। मेरा अनुरोध है कि आगे जो बजट लाया जाय वह ऐसा होना चाहिये जो सर्वांगीण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ध्रुव प्रसाद राय---]

विकास कर सके। मैं ऐसा नहीं है कि विपरीत बोल रहा हूं जो फीगर्स है वह बोल रहा हूं। कठिनाई हम लोगो को भी है और आपको भी है। अगर हम अपनी योजनाओं को पूरा नहीं कर सके अपने कार्यकलापों को पूरा नहीं कर सके तो हमें भी लोगों के सामने जाना है उसको बताना है कि क्यों योजनायें पूरी नहीं हो पायी। निर्धारित समय पर योजना पूरी होनी चाहिये परन्तु ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत सी जगहों पर धन व्यय हो जाता है लेकिन काम पूरा नहीं हो पाता है। इसलिये ऐसे कार्यकलाप ऐसा नियंत्रण, ऐसा विकास होना चाहिये जिससे योजना पूरी हो सके और गरीबी दूर हो सके ताकि समाज आगे बढ़ सके, जिससे यह राष्ट्र आगे बढ़ सके, हमारे पूर्वांचल की गरीबी दूर हो सके।

हमारे पूर्वांचल में अनेक कठिनाईयाँ हैं, जहाँ पर स्क्वायर मीटर आबादी अधिक है। वहाँ खेती के अलावा कोई और साधन नहीं हैं, गन्ना ही एक ऐसा है जिससे लोगों को पैसा मिलता है लेकिन उसमें भी कई सालों से बकाया पड़ा हुआ है। सरकार के प्रयास से थोड़ा पैसा मिला है लेकिन उसमें काफी बिलम्ब हुआ है। अभी हमारे यहाँ 14 गाँव ऐसे हैं जिनका गन्ना बिहार जाता है उनको 1981 का पेमेंट अभी तक नहीं हो सका है। तो ऐसी परिस्थितियों से हम गुजर रहे है। इस तरफ ध्यान जाना चाहिये ताकि हम आगे बढ़ सकें। योजनाओं के समुचित निर्धारण में भी नियंत्रण होना चाहिये। जो जिलों की योजनाओं में पैसा जा रहा है इसमें कोई दो राय नहीं है कि अधिकारी लोग अपने आप बैठ कर योजनाओं में खर्च कर देते है। कभी हम लोग भी वहाँ पर बैठते हैं लेकिन हम लोगों की भावनाओं को समुचित रूप से परिणत नहीं करते हैं। ऐसा प्रयास करना चाहिये कि जहाँ विकास कार्य की जरूरत ज्यादा हो, जहाँ प्रगति शील विकास की ज्यादा आवश्यकता हो वहाँ धन लगाया जाय।

हमारे यहाँ आई0 आर0 डी0 और स्पेशल कम्पोनेंट की स्कीमें ब्लाक लेवल पर चल रही है। गरीबों के लिये बैंकों से ऋण की व्यवस्था है लेकिन वह 20 परसेंट बिना लिये ऋण वितरण नहीं करते हैं। जो गरीब के लिये योजना चलाई जा रही है, गिरिजन और हरिजन के लिये चलाई जा रही है उसका लाभ उन तक नहीं पहुंच रहा है।

20 सूत्री कार्यक्रम जो हमारा मूल कार्यक्रम है जिसे हम गरीबों और दलितों के उत्थान के लिये चला रहे है वह भी समुचित रुप से लागू नहीं हो पा रही है। हमारे सामने समस्यायें हैं, कमियाँ है लेकिन उनका समाधान यह बजट है। बजट यह बताता है कि हम क्या किये हैं, क्या कर रहें हैं और आगे क्या करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आप देखें पूर्वांचल जैसा हमारे सहयोगी ने कहा वहाँ पर कोई इन्डस्ट्री नहीं है, वहाँ पर बड़े उद्योग नहीं के बराबर है। गन्ना उद्योग . कोई बड़ा उद्योग नहीं है। वहाँ पर दो सौ, पाँच सौ, छः सौ करोड़ का कोई उद्योग होना चाहिये जिससे हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को काम मिल सके। हमारे क्षेत्र में कम से कम 5 हजार से ऊपर पढ़े लिखे लोग बेकार है। वह काम न पाने से समाज में बोझ बनते चले जा रहे है। तो इसका निवारण कैसे होगा। वह तब होगा जब हम उनकी मदद करेंगे और योजनाओं को पूरी तरह से लागू करेंगे। हम लोगों को ऐसा कदम उठाना चाहिये जिससे उनका उत्थान हो, बजट ऐसा होना चाहिये जिससे वह आगे बढ़ सकें।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री ध्रुव प्रसाद राय---

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं और आपने जो समय दिया उसके लिए आपका आभारी हूं।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

अध्यक्ष महोदय, आज वित्तीय वर्ष 1984--85 पर चर्चा हो रही है और माननीय नेता विरोधी दल ने जो बातें इसके संबंध में सदन में रखी है सरकार उससे सहमत है तो यह सरकार बड़ा अच्छा काम कर सकती है। लेकिन यह सरकार अभी हमारे पूर्व, कांग्रेस आई के, प्रवक्ता

बोल रहे थे, कुछ टोका टोकी इस नाते कर रहे थे, कि वह सही आँकड़े और अच्छी बातें कह रहे थे लेकिन वहाँ की परम्परा यह है कि चाहे जो कुछ सरकार योजना बनाये, उसका गलत रूप क्यों न हो, उनका समर्थन करना इनका काम हो गया है। मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में जो योजनायें चल रही है उनका सही रूप धरती पर नहीं आ रहा है। योजनाओं का 50 प्रतिशत रुपया अधिकारियों की जेबों में जा रहा है। मान्यवर, आज कल देखा जाय तो हरिजनों के नाम पर आई0 आर0 डी0 स्कीम में या स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत जो सुविधाओं की बात है उसमें छूट का रुपया हरिजनों को मिलने वाला नहीं है क्योंकि उसका अधिकाँश रुपया बिचौलियों द्वारा अधिकारियों के पास पहुंचाया जा रहा है। इस तरह से अभी नेता विरोधी दल ने कहा था कि गरीबों की गरीबी से ऊपर उठाने की बात सरकार करती है और जो गरीबी की रेखा से नीचे है, यदि उन्हीं को ऊपर उठाया जाय तो 25-30 साल और लगेंगे और फिर जो आगे फौज खड़ी होगी उनके लिये क्या योजनायें होंगी।

(श्री सीताराम निषाद के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सीताराम निषाद जी नियम है कि जब कोई माननीय सदस्य सदन में आये तो वह झुक कर आये और बैठ जाय। खासतौर से मंत्रि परिषद के लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो दूसरे लोग क्या नियमों का पालन करेंगें? आगे से मैं यहाँ खड़ा कर दूंगा, इसलिये नियमों का पालन करें।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, जो योजनाओं के अन्तर्गत धन मिल रहा है, लाभ तो पहुंच नहीं रहा है लेकिन कर्ज के भार से गरीब और दबते जा रहे हैं। इस तरह से सरकार गरीबों के नाम पर चाहती है कि हमको 25-30 साल का अवसर और दिया जाये तो गरीबी को दूर कर पायेंगे जब बीच में इनकी सरकार गयी और ढाई साल बाद फिर इनकी सरकार आ गयी और अब कहती है कि जनता सरकार ने पूरे देश की व्यवस्था को खराब कर दिया। इसलिये मान्यवर, इनकी ऐसी योजनायें गड़-बड़ हैं कि उनसे सामान्य और गरीब लोगों को कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है।

मान्यवर, हरिजनों के संबंध में एक योजना है जो हरिजन कार्यालयों से चलाई जा रही है कि कोई हरिजन यदि भूमिहीन है तो उसको 5 हजार रुपये खेत खरीदने के लिये दिया जायेगा लेकिन वही रुपया हरिजन वित्त निगम में काफी है। जो हरिजन विभाग द्वारा एक छपे फार्म पर जिलाधिकारी उस खेत को खरीदने के लिये भूमि अध्याप्त के लिये कार्यवाही करेगा वह करते करते पूरा समय बीत जाता है और साल के अन्त में मिलने वाली सुविधा और खेत नहीं मिल पाती है। इस तरह से देखा जाय तो बारबार ऐसा रुपया पुनः सरकार को सरेन्डर कर दिया जाता है।

इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस सरकार को अपने धन को जो देती है उसका सही रूप से प्रयोग होना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ हरिजनों को मिलने वाली सुविधायें, छात्रवृत्ति आदि में कहार जो पिछड़ी जाति के है वह अपने को गुड़ या गोंड़ लिखकर नौकरियों, छात्रवृत्ति और अन्य सुविधायें लेते जा रहे हैं। यह गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, आजमगढ़ बलिया और जौनपुर आदि में हो रहा हैं। कहार अपने बच्चों को प्राइमरी कक्षाओं में गुड़ या गौड़ लिखवाकर प्रवेश लेते जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इसकी जाँच करायी जाय। आगे कभी भी यदि इसकी जानकारी होगी या सर्वे होगा तो यह देखा जाएगा कि स्कूल के दाखिले के समय उसकी जन्मतिथि या जाति क्या है। आज हरिजनों के समक्ष यह प्रमुख समस्या है, कहार जाति के जो है, आगे बढ़कर उनके नाम पर प्रमोशन ले रहे हैं, वजीफा और छात्रवृत्तियों का उनको अनुचित लाभ मिल रहा है। सरकार इस विषय में जागरुक होकर जाँच करवा दें।

[श्री किरंगी प्रसाद विशारद]

अभी प्रदेश में ईंट भट्ठे वालों की हड़ताल चली। मैं स्पष्ट रूप से जानता हूं कि जहाँ भी पी0 डब्लू0 डी0 या सिंचाई विभाग के सीलिंग का काम कराया, तो उसने खराब ईंटें लगवाकर काफी कमीशन कमाया है। इस कारण से वह पुल और सड़कें इतनी कमजोर है कि वह बहुत कम समय में ध्वस्त हो जायेंगी। तो सरकार ऐसे कामों की भी जाँच करावे, जिससे कि गरीब जनता के खून पसीने की कमाई का सदुपयोग हो सके।

इसके साथ साथ यह देखा जाता है, सरकार यह कहती है कि हम कृषि की प्रगति के लिये प्रयत्न शील और चिन्तनशील है। फर्टीलाइजर पर मूल्य कम करके वह कहती है कि हमने किसानों का हित किया है, लेकिन खादों और कीटनाशक दवाओं के बारे में आज का रिकार्ड देखा जाए, तो किसान ने इस साल बहुत सा केमिकल खाद का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसका बुरा असर खेती पर पड़ता है। चूंकि इस साल समय समय पर बारिश अच्छी हुई हैं, इसके कारण कृषि का उत्पादन अच्छा हुआ है, लेकिन सरकार के सामने यह चीज नहीं आती है कि खेती की उन्नति के लिये कृषकों को पानी और अच्छे बीज उपलब्ध होने चाहिये। उसे पर्याप्त पानी और अच्छे बीज नहीं उपलब्ध होंगे तो खेती अच्छी नहीं हो सकती है।

रोडवेज जो प्रदेश में हमारे आवागमन का प्रमुख साधन हैं, बसें जो पहाड़ों के दुर्गम स्थानों पर और प्रदेश में एक कोने से दूसरे कोने तक जाती हैं, उसके लिए अधिक बसें खरीदने के लिये पहले सरकार ने कहा था कि हमें बसें नई खरीदनी हैं, इसलिये हम किराये भाड़े में वृद्धि कर रहे हैं। इस बात को लेकर लोकदल ने पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था और जेल भरो आन्दोलन चलाया था। किन्तु हमारी माँग को इस समय इस सरकार ने नहीं माना और उसने किराया वृद्धि की। जन अहितकारी कदम को वापस नहीं लिया। पर जब चूंकि साल भर के अन्दर ही पालियामेंट के चुनाव होने वाले हैं, इसलिये प्रदेश को यह सुनाया जा रहा है कि अब हम बढ़े हुए किराये भाड़े में कमी करते जा रहे है। इस सरकार का एकदम इरादा यह है कि जनता को एक दम लुभावना नारा दे दो। इसीलिये प्रदेश का भला नहीं हो रहा हैं। यह सरकार जनहित विरोधी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डाक्टर बृजकिशोर मिश्र--

माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद, इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैंने काफी अर्से से नेता विरोधी दल की बातों को सुना और भी तमाम माननीय सदस्यों की बातों को सुना और यह पाया कि उन्होंने गहराई से विचार करके अपनी बातों को यहाँ रखा। सवाल इस बात का नहीं है कि हम सत्तापक्ष के है या विरोध पक्ष के, सवाल केवल इस बात का है कि इस प्रदेश का संचालन किस माध्यम से किया जाए, जिससे हम गरीबों को राहत पहुंचा सकें, कमजोर को सबल बना सकें और निर्धन को धनवान बना सकें। ऐसा हमारा बजट होना चाहिये। मान्यवर, मेरी एक बात यह समझ में नहीं आती कि इस बजट में कौन सी ऐसी चीज है जिसका विरोध किया जाय। हर अच्छी चीज का भी विरोध करना माननीय नेता, विरोधी दल, अपना धर्म समझने लगे हैं.....

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया अपना भाषण अगले दिन जारी रखियेगा।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 के अन्तर्गत 6 सूचनायें आज मुझे प्राप्त हुई हैं और उनमें से एक भी ऐसी नहीं है जो स्वीकार की जा सके। मैंने सभी को अस्वीकार कर दिया है।

प्रदेश के युवा छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री रणजीत सिंह जूदेव)—

प्राप्त सूचनानुसार दिनाँक 10 जनवरी, 1984 को उत्तर प्रदेश छात्र युवा संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में विभिन्न जनपदों से छात्र तथा विभिन्न राजनैतिक पार्टियों एवं श्रमिक संगठनों के कार्यकर्त्ता बेगम हजरत महल पार्क में एकत्रित हुये। चूंकि लखनऊ नगर में धारा 144 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत जुलूस आदि निकालने के संबंध में निषेधाज्ञा लागू थी, अतः अतिरिक्त जिलाधिकारी नगर द्वारा प्रदर्शनकारियों को कैसरबाग, लालबाग तथा हजरतगंज होते हुये जी0 पी0 ओ0 पार्क जाने तथा वहाँ पर केवल सभा के आयोजन की अनुमति दी गई थी। प्रदर्शनकारियों का जुलूस, जिसके आगे आगे भारतीय जनता पार्टी के श्री रविदास मेहरोत्रा तथा उनके समर्थक आदि चल रहे थे, लगभग 1 बजे दिन में जी0 पी0 ओ0 पार्क के पास पहुंचा। परन्तु वह लोग पार्क के अन्दर सभास्थल पर न जाकर विभिन्न प्रकार के उत्तेजनात्मक नारे "छात्र एकता जिन्दाबाद", "विधान सभा व मुख्य मंत्री निवास पर हल्ला बोल" आदि नारे लगाते हुये विधान सभा व मुख्य मंत्री निवास की ओर बढ़ने लगे। प्रदर्शनकारी वहाँ पर तैनात पुलिस के साथ धक्का-मुक्की करते हुये पुलिस का घेरा तोड़ने का प्रयास करने लगे। यही नहीं उन्होंने जलूस के साथ आयी घुड़सवार पुलिस के साथ भी दुर्व्यवहार किया, जिससे घोड़े बिगड़े और एक घुड़सवार गिर पड़ा। दो घोड़ों को चोटें आई।

मौके पर मौजूद अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने बुझाने का भरसक प्रयास किया और बार बार चेतावनी दी, परन्तु वे नहीं माने और धक्का-मुक्की करते हुये आगे बढ़ने लगे। इसी बीच प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव भी प्रारम्भ कर दिया जिससे अनेक पुलिस जन घायल हो गये। प्रदर्शनकारियों के उग्र व्यवहार से ऐसा लग रहा था कि वे यहाँ पर स्थित पट्रोल पम्प, अस्पताल तथा दुकानों आदि को भी क्षति पहुंचा सकते हैं। स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने हेतु पुलिस द्वारा साधारण एवं आवश्यक बल प्रयोग (माइल्ड केन चार्ज) किया गया तथा स्थिति को नियंत्रण में लाया गया।

कुल 12 प्रदर्शनकारियों को मौके पर धारा 151/107/116 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना हजरतगंज पर अपराध संख्या 33/84 धारा 147/336/332/188 भा0 दं0 वि0 का अभियोग दिनाँक 10 जनवरी, 1984 को पंजीकृत कराया गया, जिसकी विवेचना प्रचलित है।

उक्त घटना के फलस्वरूप 28 पुलिस कर्मचारी घायल हुये। नगर मजिस्ट्रेट के ड्राइवर को भी चोटें आई तथा उनकी जीप को भी क्षति पहुंचायी गयी। प्राप्त सूचनानुसार कुल 26 प्रदर्शनकारियों को चोटें आना प्रकाश में आया है।

दिनाँक 11 जनवरी, 1984 को लखनऊ विश्वविद्यालय में लगभग 12-45 बजे दिन में छात्र उत्तेजनात्मक भाषण दे रहे थे जिससे शान्ति भंग होने की पूर्ण संभावना हो गई और काफी संख्या में छात्र आदि एकत्रित होने लगे। शान्ति भंग की सम्भावना को देखते हुये उपस्थित पुलिस जन तथा विश्वविद्यालय के सहायक प्राक्टरगण आदि ने उत्तेजनात्मक भाषण देने वाले छात्रों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, परन्तु उन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

अतः धारा 107/116/151 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत श्री सत्येन्द्र कुमार पांडेय सहित छः व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा नियमानुसार मजिस्ट्रेट के आदेश प्राप्त करके उन्हें जिला कारागार भेजा गया। दिनाँक 11 जनवरी, 1984 को लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों पर कोई लाठी चार्ज अथवा किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया गया, अतः उनके घायल होने का प्रश्न नहीं उठता। मेडिकल आफिसर जिला जेल की आख्या से यह ज्ञात हुआ है कि जेल में भर्ती होते समय श्री सत्येन्द्र पांडेय के शरीर पर कोई चोट नहीं थी। श्री सत्येन्द्र पांडेय ने अपने

[श्री रणजीत सिंह जूदेव]
पेट में दर्द होना बताया था, अतः दिनाँक 14 जनवरी, 1984 को उन्हें जिला कारागार से बलराम-पुर अस्पताल चेक हेतु भेजा गया। चिकित्सा परीक्षण से उनकी स्वास्थ्य स्थिति सामान्य पाई गयी। श्री सत्येन्द्र पाँडेय दिनाँक 10 फरवरी, 1984 को अस्पताल से डिस्चार्ज किये गये। गिरफ्तार किये गये उपर्युक्त सभी 6 व्यक्ति रिहा किये जा चुके हैं।

लखनऊ विश्वविद्यालय में उप कुलपति के अनुरोध पर ही पुलिस एवं पी० ए० सी० की नियुक्ति शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु की गयी है।

*श्री मोहन सिंह--

माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से माननीय मंत्री जी ने असत्य का एक पुलिन्दा इस सदन के सामने प्रस्तुत कर दिया है। यह बहुत अफसोस की बात है कि केवल नारों और प्रदर्शन के ऊपर यह सरकार निरीह नौजवानों को लाठियों से पिटवाती है। आप इस वक्तव्य के दो अंशों को पढ़ें तो मान्यवर, आप देखेंगे कि इसमें लिखा है, माननीय मंत्री जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि संभावना इस बात की थी कि वहाँ पेट्रोल पंप को क्षति पहुंच सकती थी। मात्र इतने पर ही बल प्रयोग कर दिया गया। मान्यवर, केवल दो नारों का जिक्र किया गया है "छात्र एकता जिन्दा-बाद, तो इससे कौन सी उत्तेजना पैदा हो गयी। माननीय मंत्री जी आप भी विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। मात्र इतने से बलवा हो जाय तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी असहाय स्थिति किसी सरकार के लिये और कुछ नहीं हो सकती। मैं दो बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि मान्यवर, आप नियमों के ऊपर काफी जोर दे रहे हैं और मंत्री जी को काफी फट-कार लगायी है। मैं आपका अनुशासित छात्र होने के नाते अवज्ञा नहीं करूंगा।

(श्री श्याम सूरत उपाध्याय के खड़े होकर आने पर।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, नियमों का ध्यान रखें। आगे से मैं आपको खड़ा कर दूंगा।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, सभी मंत्रियों की यही गति है। अगर कुछ प्रशिक्षण प्राप्त किया होता तो ज्ञान होता।

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

मान्यवर, मैं प्रतिवाद करती हूं कि यह बिल्कुल तथ्य से परे है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

दीदी यह तो आपकी तारीफ कर रहे हैं।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मैं मास्टरनी हूं, कहिये तो मैं आप सबकी क्लास लगा सकती हूं।

श्री मोहन सिंह--

आपके शिक्षा मंत्री रहते हुए बच्चों को एक सुटकनी नहीं मारी गयी लेकिन अब उनको लाठियों से पीटा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न करें।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, सत्येन्द्र कुमार पाँडेय जिनके बारे में माननीय मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है, लखनऊ से प्रकाशित होने वाले "दैनिक जागरण" और दिल्ली से प्रकाशित होने वाले "टाइम्स आफ इंडिया" दोनों में स्पष्ट चित्र प्रकाशित हुए हैं, उनकी गरदन पकड़ कर पुलिस वाले लाठियों से पीट रहे हैं, उसका चित्र प्रकाशित हुआ है। सत्येन्द्र पाँडेय, जिनको जिला जेल में 10-11 जनवरी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को भेजा गया और फिर किन परिस्थितियों में 14 तारीख को उन्हें बलरामपुर अस्पताल में स्थानांतरित किया गया और बलरामपुर अस्पताल से 10 फरवरी को डिस्चार्ज किया गया। 14 जनवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच में जो अस्पताल में वह भर्ती रहे तो उनके कौन सी चोटें थी और कौन सी बीमारी थी। मुझे जानकारी है कि जिला जेल में उनकी दवा नहीं की गयी और छानबीन नहीं की गयी। जब उनकी हालत खराब हुई तो बलरामपुर अस्पताल में स्थानान्तरित किया गया। माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि बलरामपुर अस्पताल में डाक्टर ने क्या उनके मुआयने में केवल पेट दर्द लिखा या उनके शरीर पर लाठियों की चोटों के निशान तथा हड्डियों आदि के बारे में कोई आख्या दी है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव

श्रीमन्, यह जो पूछ रहे हैं, इनके बारे में, वह पहले जेल में थे, जिला कारागार में थे, वहाँ पर उनको कोई चोट नहीं लगी, उन्होंने अपने पेट में दर्द बताया और लगातार पेट में दर्द बताया तो उनको बलरामपुर हास्पिटल भेजा गया। जब वह बलरामपुर हास्पिटल में गये, उनकी कोई बीमारी पकड़ में नहीं आयी, तो वहाँ पर एक कमेटी बनाई, जिसमें 4 डाक्टर थे। उनके बारे में डाक्टर ने रिपोर्ट दिया, कहिये तो पढ़ दूं। इनके साथ और एक सज्जन थे मिस्टर मल्होत्रा।

वी हैव एक्जामीन्ड दि स्टूडेन्ट्स एडमीटेड इन स्पेशल वार्ड 17 एण्ड 24 (न्यू) फार देयर कम्पलेन्ट्स मि0 सत्येन्द्र पाण्डेय इन 17 एण्ड मि0 रविदास मेहरोत्रा इन वार्ड 24 बोथ आफ देम कम्प्लेन्ट्स आफ पेन विच इज सुपरफिशियल (मियालग्रा)

1—रविदास मल्होत्रा ही इज नाट एवरेस्टेड एक्सरे स्पूल इज नारमल नो मियोव्रालजिकल साइन्स आर फाउन्ड ही कम्लेन्ट्स आफ (आर) सिडस. .....रिपोर्ट आफ आई सर्जन शोज नार्मल फाइन्डिग्स।

सत्येन्द्र पाँडेय ही इज अण्डर एमस्टनल कम्प्लेस आफ पेन इन एबडामन एण्ड चेस्ट पेन इज ओनलि ड्यू टू मिलग्रा आलि दि इनवेस्टिगेशन्स इनक्लूडिंग एक्सरे एण्ड क्लिनिकल साइन्स आर नारमल वि आर आफ ओपिनियन दैट मि0 रविदास मलहोत्रा कैन टेक–डोमियलीयरी ट्रीटमेन्ट एण्ड मि0 पाण्डेय केन बि गिबन ट्रीटमेन्ट एट जेल हास्पिटल।

श्री अध्यक्ष—

आप उसकी हिन्दी कीजिए पहले।

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

श्रीमन्, जब पेट में दर्द हुआ, तो ऐसी कोई मशीन तो थी नहीं जो बता सके, तो इनको बलरामपुर हास्पिटल भेजा गया, तो इन्होंने कम्पलेन्ट किया कि हमारी छाती में दर्द है और एबडामिन में दर्द है। डाक्टर ने माइलेसिया का दर्द बताया, कोई चोट नहीं बताया, जाँच हुई, लेकिन इनके ऊपर ऐसे कोई निशान नहीं पाये गये, जिनसे यह पता चल सके कि इनको कोई चोट पहुंची हो।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, घटना से संबंधित। क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इस सारे संघर्ष में घोड़ सवार घोड़े से गिर गया और चोट आ गयी, उस घोड़ सवार का नाम क्या है और उसके क्या चोटें आयीं ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

श्रीमन्, घोड़े का सवार तो गिरा, उसको चोटें आई और घुड़े को भी चोट आई।

श्री अध्यक्ष—

क्या झांसी का तो नहीं था वह ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव---
झांसी का नहीं था ।

श्री अध्यक्ष---
आप कहिए, सूचना की आवश्यकता है ।

श्री रणजीत सिंह जूदेव---
मान्यवर, एफ0 आई0 आर0 बहुत लम्बी है, कहिये तो पढ़ दूं ।

श्री हुकुम सिंह---
मैं, 11 जनवरी, 1984 की जो घटना बताई है, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । आपने कहा है कि 11 जनवरी, 84 को 12-45 पर उत्तेजनात्मक भाषण दे रहे थे, जिससे शाँति भंग होने की सम्भावना हो गयी, इसलिये उनको धारा 107, 116 151 में बन्द कर दिया गया। क्या माननीय मंत्री जी, जब वह उत्तेजनात्मक भाषद दे रहे थे, तो क्या कोई आदमी उस उत्तेजनात्मक भाषण में झगड़ा कर रहा था, जो झगड़ा रोकने का प्रयास कर रहे थे ? श्रीमन, झगड़े की स्थिति तो तब होगी, जब कोई उसका विरोध करेगा । तो केवल भाषण देने मात्र से 107/116/151 लगाने का क्या औचित्य है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव---
श्रीमन्, जब भाषण हो रहा था, तो कुछ लोग तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहे थे और मा0 मुख्य मंत्री के घर की ओर जाने की कोशिश कर रहे थे ।

श्री हुकुम सिंह---
मान्यवर, मैं 11 तारीख की घटना के बारे में पूछ रहा हूं, जो विश्वविद्यालय में तथाकथित उत्तेजनात्मक भाषण वहां पर हो रहा था ? 116, 107 और 151 में छात्र बन्दी किये गये । क्या जो उत्तेजनात्मक भाषण वह दे रहे थे उसमें कोई रोक लगा रहा था, कोई ग्रुप लड़ाई कर रहा था । शाँति भंग का अन्देशा कैसे हो गया ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव---
असलियत में ऐसा हुआ कि उसी दिन के0 के0 सी0 के छात्रों ने एक बस जलाई थी और वही जुलूस विश्वविद्यालय चला गया । विश्वविद्यालय के प्राक्टर को भय लगा और उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---
मंत्री जी के उत्तर से यह बात स्पष्ट हो रही है कि सब मामला फर्जी लगाया गया है। अगर उत्तेजना की बात मान भी ली जाय तो उत्तेजना पैदा कैसे हुई यह साफ नहीं हुआ । इस बात को ध्यान में रखते हुए जो उनके पेट में दर्द था, उनकी दवा की गयी। जिन छात्रों को पकड़ा गया और यह पाया गया कि सब मामला फर्जी है। इस बात का आश्वासन देंगे कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पुलिस ने जानबूझकर उनको दबाने और रौदने के लिए यह कार्यवाही की थी जो मुकदमे है उनको वापस लेंगे ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव---
जो जुलूस निकला था उसमें कई लोग भाग गये हैं उनकी तलाश जारी है ; इंक्वायरी चल रही है, तो यह मुनासिब नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---
मैं फिर आपकी अनुज्ञा से अपना प्रश्न दोहराना चाहता हूं । जो लड़के भाग गये है वह प्रक्रिया जारी रखे । एक साधारण सा सवाल है जब यह बात करीब करीब सिद्ध हो गई कि मामले फर्जी है तो फिर उन मुकदमों को वापस न लेने का क्या कारण है ? और मुकदमा वापस लेने का आश्वासन देने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मैंने कहा कि मामला फर्जी नहीं है। इसलिये वापस लेने का सवाल नहीं है।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

मैं यह जानना चाहूंगा कि जिस वक्त सत्येन्द्र पाँडेय अस्पताल में गये और डाक्टरों ने यह कहा कि पेट का दर्द है, कोई चोट की बात नहीं है। डाक्टरों ने यह कहा कि कोई तकलीफ नहीं है, दवा दिया और पेट का दर्द ठीक हो गया फिर डाक्टरों की मर्जी के खिलाफ कितने दिन तक सत्येन्द्र पाँडेय अस्पताल में पड़े रहे ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

डाक्टरों ने राय दिया। पेट में दर्द रहा। वह वहां लेटे थे।

श्री मोहन सिंह--

जो आदमी सरकार की कसटडी में था उसके लिये यह साबित करना चाहते हैं कि वह अपने मन से था। मंत्री जी जब छात्र थे तो राजनीति में नहीं थे यह राजा था मैं राजनीति में था मुझे घर से पकड़ा गया और कहा यह गया कि जमुना का ब्रिज उखाड़ रहे थे। पुलिस ने बल प्रयोग किया, उनको चोटें आयी और अस्पताल में रहे। मंत्री जी इस समय सार्वजनिक जीवन में है, क्या इस बात का आश्वासन देंगे यह सब बात खत्म हो गई, सत्येन्द्र पाँडेय जेल से रिहा हो गया। फर्जी मुकदमे चल रहे हैं। क्या मंत्री जी सद्भावना का वातावरण कायम करने के लिये और विश्व-विद्यालय में पढ़ाई ठीक से चल सके। क्योंकि माननीय मंत्री जी के संज्ञान में होगा कि 27 तारीख को लखनऊ बन्द का आवाहन था तो पूरे प्रदेश में एक शान्तिमय वातावरण एवं विश्वविद्यालय में शान्ति पूर्ण वातावरण कायम हो सके इसके लिये सरकार क्या उन झूठे मुकदमों को वापस लेने की कृपा करेगी ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, शान्ति व्यवस्था कायम करने का पूरा प्रयास किया जाएगा और इसमें माननीय सदस्य का भी सहयोग चाहेंगे।

डाक्टर बृजकिशोर मिश्र--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री मेहरोत्रा का राजनीतिक जीवन क्या है वह अपराधी है या नहीं ?

(शोरगुल)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इससे क्या मतलब है ?

श्री अध्यक्ष--

आप सभी बैठें, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, इन पर विभिन्न प्रकार के 11 मुकदमे चल रहे हैं, ज्यादातर मारपीट के मुकदमे चल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने जो बात कही है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हम सब 11 बार जेल जा चुके हैं। जनता की समस्याओं को उजागर करने के लिये जेल गये हैं। सरकार की नीयत साफ दिखाई दे रही है। शान्ति पूर्ण प्रदर्शन को रोकने के लिये अधिनायतन्त्र और बल का प्रयोग किया जाता है। जो वातावरण अशान्त है वह शान्त हो इसके लिए सरकार कोई कदम नहीं उठाना चाहती है। अर्थात् यह उनके मुकदमे को वापस लेना नहीं चाहती है। इसलिये मैं अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का परित्याग करता हूं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग करके चले गये।)

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमान माननीय मंत्री जी क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि मुकदमा संख्या 33/83 धारा 147/336/332/188 भा0 दं0 वि0 के तहत जो एफ0 आई0 आर0 दर्ज हुई है उसे पढ़कर सुना दीजिए ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

श्रीमन्, शुरू से पढ़े या 336 जैसा जुर्म लगा हुआ है।

श्री रियासत हुसैन--

आप एफ0 आई0 आर0 पढ़ दें।

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

आज दिनाँक 10-1-84 को उत्तर प्रदेश छात्र युवा संयुक्त मोर्चा द्वारा एक जुलूस विभिन्न जनपदों से बेगम हजरत महल पार्क लखनऊ में एकत्रित हुआ तथा 12-00 बजे दिन को लखनऊ के विभिन्न स्थानों से स्वीकृत मार्ग के अनुसार जी0 पी0 ओ0 पर मीटिंग के लिए चला। छात्रों के अलावा उस जुलूस में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के कुछ कार्यकर्त्ता भी सम्मिलित थे। यह जुलूस समुचित पुलिस व्यवस्था के साथ करीब दो ढाई हजार की तादाद में करीब एक बजे दिन में जी0 पी0 ओ0 के पास आया। इस जुलूस को जी0 पी0 ओ0 पर एक सभा के रूप में परिवर्तित होने की अनुमति दे दी गयी, किन्तु जुलूस के आगे श्री रविदास मेहरोत्रा नेतृत्व कर रहे थे। श्री रविदास मेहरोत्रा भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्त्ताओं तथा छात्रों को विधान सभा व मुख्य मंत्री के निवास पर जाने के लिये प्रेरित कर नारेबाजी करते हुए विधान सभा व मुख्य मंत्री निवास की ओर बढ़े.....

श्री अध्यक्ष--

आप क्या पढ़ रहे हैं ? आप पहले से ही प्वाइन्ट के रूप में बना कर लाया करें।

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, 26 लोगों के खिलाफ है....

श्री अध्यक्ष--

भविष्य में आप इस बात का ध्यान रखें। इससे आपको ही दिक्कत होती है।

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

खेदजनक नारे लगा रहे थे और धारा 144 तोड़ रहे थे। रविदास मेहरोत्रा बराबर नारे लगाते व पत्थर फेंकते रहे। स्थिति अत्यन्त गंभीर हो गयी। एक ए0 डी0 एम0 (सिटी महोदय के आदेशानुसार साधारण बल प्रयोग तितर बितर करने के लिये किया गया जिससे कुछ प्रदर्शनकारी घायल हो गये व इधर उधर पथराव करते हुए भागे। तभी करीब डेढ़ बजे दिन को श्री इनाम सिंह यादव पुत्र श्री बलवन्त, ग्राम नोनारी, थाना बेला, जिला इटावा हाल पता 107, रायल होटल, लखनऊ के साथ सुरेश पाल सिंह पुत्र श्री यदुनाथ सिंह, निवासी नेपेयर रोड कालोनी, ठाकुरगंज, थाना चौक, लखनऊ:....

अध्यक्ष--

यह रिपोर्ट है, पूरी एफ0 आई0 आर0 नहीं है।

श्री रणजीत सिंह जूदेव---

मान्यवर, एफ0 आई0 आर0 है।

डाक्टर बृजकिशोर मिश्र---

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या रविदास मेहरोत्रा विद्यार्थी हैं या नहीं ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

जी नहीं।

श्री रियासत हुसैन—

माननीय गृहमंत्री जी के पास जवाव नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। शासन को पूरी तैयारी के साथ आना चाहिये था। पूरा रिकार्ड ही नहीं है। कुछ चीजों का उत्तर शासन नहीं दे पा रहा है, इसीलिये बिना वजह टाइम खराब करना है। इसलिये जनता पार्टी इस सदन का त्याग करती ह।

(श्री रियासत हुसैन अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं। कल प्रात: 11·00 बजे फिर बैठेंगें।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 29 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
1 मार्च, 1984

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1451 पर)

कमेटी ने कानपुर नगर विकास परियोजना के अन्तर्गत ड्रेनेज कम्पोनेन्ट में आवंटित कार्यों का निरीक्षण दिनांक 9-2-83 को अपराह्न में सांय 3 बजे से 6 बजे तक किया। अधिशासी अभियन्ता, श्री दर्शन सिंह ने निम्न आवंटित कार्यों का उक्त कम्पोनेंट में होना बतलाया—

क्र0सं0	विवरण	ठेकेदार का नाम
1	कोपरगंज (खलवा) में एस0 डब्लू0 ड्रेन सीवर का कार्य	सर्वश्री राम सहाय
2	बांस मंडी में एस0 डब्लू0 ड्रेन सीवर का कार्य	सर्वश्री कपूर एंड कम्पनी
3	लाटूश रोड पर एस0 डब्लू0 ड्रेन सीवर का कार्य	सर्वश्री पवन कांस्ट्रेक्शन कं0

निरीक्षण के समय प्रस्तरवार कार्यों की भौतिक स्थिति निम्नवत् पायी गई—

1—कोपरगंज (खलवा) में एस0 डब्लू0 ड्रेन सीवर का कार्य—

इस कार्य में बांस मंडी चौराहे (रेलवे लाइन) के दक्षिणी ओर से टेक्सटाइल मिल की ओर लाइन डालने का कार्य किया गया है, स्थिति निम्नवत् है —

(क) डाली जा चुकी लाइन	144.30 मीटर
(ख) मेनहोल निर्माण	6 नं0 (तीन मेनहोल) पर अभी स्लेब नहीं पड़ी है
(ग) डाली गई लाइन के अतिरिक्त स्थल पर मौजूद आर0 सी0 सी0 पाइप 300 एम0 एम0 व्यास	23 नं0 अर्थात् 57.50 मीटर

2—बांस मंडी में एस0 डब्लू0 ड्रेन सीवर का कार्य

इस कार्य हेतु बांसमण्डी चौराहे से चाचा नेहरू अस्पताल के पश्चिमी कोने तक तथा बांस मण्डी चौराहे से लाटूश रोड के किनारे बरफखाना रोड जंकशन अर्थात् इकबाल लाइब्रेरी को जाने वाली सड़क तक निरीक्षण किया गया तथा स्थिति निम्न पाई गई—

(क) 1200 एम0 एम0 व्यास की डाली जा चुकी लाइन (लाटूश रोड पर)	80.60 मीटर
(ख) 1000 एम0 एम0 व्यास की डाली जा चुकी लाइन (बांस मंडी चौराहे से चाचा नेहरू अस्पताल की ओर)	85.80 मीटर
(ग) मेनहोल निर्माण	(4×4)=8 नं0 (जिसमें तीन मेन स्लेब रहित अपूर्ण है)
(घ) बांस मडी चौराहे से चाचा नेहरू अस्पताल के पश्चिमी कोने तक मौजूद आर0 सी0 सी0 पाइपों की स्थिति	(अ) 800 एम0 एम0 व्यास 32 नं0 या 80 मीटर (ब) 1000 एम0 एम0 व्यास 9 नं0 या 22.50 मी0

3—लाटूश रोड पर एस0 डब्लू0 ड्रेन सीवर का कार्य—

(क) 1200 एम0 एम0 व्यास की डाली जा चुकी लाइन।	75.32 मी0 यह अन्तरिम दो मेनहोल के निर्माण के आधार पर है जिन्हें अधिक मिट्टी पड़े होने के कारण देखा नहीं जा सका। निवासियों तथा लेवर द्वारा इसकी पुष्टि की गई है।

(ख) मेनहोल मेनिर्माण	3 नं0 (उपर्युक्त वर्णित अन्तरिम मेंनहोल सहित)।	
(ग) आर0 सी0 सी0 पाइपों की मौजूदगी की स्थल पर स्थिति	(अ) 1000 एम0 एम0 21 नं0 व्यास या (52.50 मीटर)। (ब) 1200 एम0 एम0 31 नं0 व्यास या (77.50 मीटर)	लाटूश रोड पर बरफखाना चौराहे से गुरुद्वारा रोड जंकशन तक यह पाइप पड़े पाये गये।

उपरोक्त कार्यों के निरीक्षण के समय कोई भी ठेकेदार अथवा उसका अधिकृत–प्रतिनिधि स्थल पर मौजूद नहीं मिला। अतएव स्थल अनुसार लाटूश रोड, बांस मंडी रोड तथा कूपरगंज रोड हेतु दर्शाये स्थलों तक उपरोक्तानुसार स्थिति ही प्रमाणित किया जाना संभव हो सका।

आदेशों के अनुपालन में आख्या प्रस्तुत ।

(ह0) गिरीश तिवारी
पी0 ए0 (टी0)
10–2–83

(ह0) दर्शन सिंह
अधि0 अभियन्ता
10–2

(ह0) श्यामजी श्रीवास्तव
अधि0 अभियन्ता
10–2–83

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 89 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1479 पर)

अवर अभियन्ता (सिविल) के पदों हेतु आयोग द्वारा संस्तुति अभ्यर्थियों की सूची–1

1—सर्वश्री बिशन कुमार
2—बाल गोविन्द शुक्ल
3—सुरेश कुमार आत्मज श्री अमर नाथ
4—राम जी प्रसाद
5—देवानन्द नौटियाल
6—सोमनाथ बनर्जी
7—पुरुषोत्तम दास
8—भूपेन्द्र प्रकाश अग्रवाल
9—मुकुल मोहन
10—विनोद कुमार श्रीवास्तव
11—इमरान उद्दीन सिद्दीकी
12—हुरमत अली
13—राम जी सिंह आत्मज श्री गंगा दयाल
14—रवि प्रताप सिंह
15—पाँचू
16—संतोष कुमार श्रीवास्तव आत्मज श्री जंग बहादुर श्रीवास्तव
17—श्याम शंकर
18—सुलेख चन्द्र
19—मोहर सिंह शिशोदिया
20—राम प्रसाद मौर्य
21—देवेन्द्र बहादुर माथुर
22—ओम प्रकाश निगम
23—सर्वेश कुमार शुक्ल
24—अक्षयवर नाथ ओझा
25—अशोक कुमार कपूर
26—मुमताज अहमद
27—नवल किशोर अग्रवाल
28—राजकुमार वाघवानी
29—रघुबीर सिंह
30—प्रभात कुमार मिश्र
31—वीरेन्द्र कुमार
32—सैयद वसी हैदर
33—इमरान अहमद
34—जगदीश प्रसाद शुक्ल
35—संतोष कुमार जैन
36—रामाश्रय चौधरी
37—परमानन्द वर्मा
38—मुसाफिर सिंह यादव
39—शिव शंकर चौबे
40—महावीर सिंह आत्मज श्री ज्वाला सिंह
41—बिशन प्रसाद

42—सर्वश्री मुन्ना लाल
43—बलदेव प्रसाद मिश्र
44—सुबोध चौधरी
45—नवीन कुमार जैन
46—आशा नन्दन सिंह
47—श्री दत्त झा
48—शिव नन्द सिंह
49—कृष्ण लाल गुप्ता
50—कृष्ण धनी
51—नन्द लाल
52—सुरेन्द्र सिंह आत्मज श्री नवल सिंह
53—जय प्रकाश
54—राम औतार
55—राम आसरे आत्मज श्री लोवर
56—हरी शंकर श्रीवास्तव
57—ध्यान प्रकाश शर्मा
58—सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित)
59—हरि ओम गुप्ता
60—सत्यनारायण अग्रवाल
61—बृज लाल जैन
62—अनिल कुमार कंसल
63—शिव कुमार वर्मा
64—सुदेश कुमार गायल
65—ललित कुमार सेठी
66—भृगुनाथ यादव
67—महेन्द्र नाथ मिश्र
68—राजेन्द्र सिंह यादव
69—कन्हैया लाल आत्मज श्री ननकऊ प्रसाद
70—श्री दिवाकर मणि त्रिपाठी
71—ओमकार नाथ
72—शिशुपाल सिंह
73—अशोक कुमार वर्मा
74—प्रेमचन्द्र (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित)
75—हरिहरनाथ त्रिपाठी (स्व0 संग्राम सेनानी के आश्रित)
76—ओम प्रकाश मिश्र
77—विजय शंकर जौहरी
78—मुहम्मद जियाउद्दीन
79—सुरेश कुमार
80—ईश्वर दयाल तांगल
81—अशोक कुमार आत्मज श्री मातादीन जी
82—देवेन्द्र कुमार त्यागी
83—सत्येन्द्र कुमार
84—मुहम्मद इरफान
85—मुहम्मद इलियास खां
86—करुणेन्द्र प्रताप सिंह,

विधान सभा

87—सर्वश्री केशव देव
88—सुरेश चन्द्र आत्मज राम सनेही लाल
89—राम चरन (अनुसूचित जाति)
90—प्रेम बाबू तिवारी
91—काँती स्वरूप (पाल)
92—राजेन्द्र पाल सिंह
93—मदन मोहन सिनहा
94—टुकी राम शर्मा
95—ज्ञान प्रकाश मिश्र
96—अशोक कुमार श्रीवास्तव आत्मज श्री जय नारायन प्रसाद
97—लालता प्रसाद
98—प्रेम चन्द्र गुप्ता
99—राम केवल प्रसाद (अनुसूचित जाति)
100—शैलेन्द्र कुमार गर्ग
101—सुरेन्द्र वीर शर्मा
102—प्रेम प्रकाश
103—शैल जीत
104—रामाश्रय यादव
105—प्रेम कुमार
106—यशोदानन्दन मिश्र
107—सतीश कुमार गुप्ता
108—चन्द्र दत्त शर्मा
109—गुलाब शंकर राय
110—पृथ्वी राज गंगवार
111—कल्पनाथ सिंह यादव
112—सतीश चन्द्र वर्मा
113—रंजीत शाह
114—चरन सिंह सेंगर
115—देवनाथ यादव
116—हरिशचन्द्र
117—अशोक कुमार आत्मज श्री सरयू प्रसाद श्रीवास्तव
118—कविलाल शर्मा
119—ओम प्रकाश दूबे
120—सुरेन्द्र प्रताप लाल
121—मुन्नू राम (अनुसूचित जाति)
122—सन्तोषी लाल रमन (अनुसूचित जाति)
123—विनोद कुमार अग्रवाल
124—कौशल किशोर गुप्ता
125—प्रीतम सिंह पाल
126—शिव सागर
127—मदन लाल गुप्ता
128—मोती राम मौर्य

अवर अभियन्ताओं (सिविल) पदों हेतु आयोग द्वारा संस्तुत अभ्यर्थियों की सूची–2

1—सर्वश्री प्रेमसागर वर्मा
2—कमल कान्त सूरी

3—ललित किशोर मेहरोत्रा
4—कल्प नाथ वर्मा
5—प्रेम कुमार मलिक
6—बनवारी लाल शर्मा
7—भोपाल सिंह
8—राधेलाल शर्मा
9—हरि ओम
10—धनकुमार जैन
11—सैयद यूसुफ हुसैन रिजवी
12—दिनेश कुमार मेहरोत्रा
13—सारनाथ पाण्डेय
14—दिनेश कुमार
15—विपिन कुमार गुप्ता
16—कैलाश नाथ सिंह
17—धर्मवीर सिंह
18—ललित प्रसाद सिंह यादव
19—नन्द लाल राय
20—सत्य प्रकाश गुप्ता

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 147 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1496 पर)

रिक्शा स्टैण्डों की सूची

1—अमीनाबाद झंडे वाला पार्क
2—हजरतगंज कोतवाली के सामने
3—हलवासिया मार्केट के पास
4—स्टेडियम के पास
5—नरही से बरही के पास
6—चिड़ियाघर के पास
7—विशम्भर दयाल रोड पर सहकारिता भवन के पास
8—निशात सिनेमा के पास
9—कैपिटल सिनेमा के सामने
10—जी0पी0ओ0 के सामने (महात्मा गांधी मार्ग पर)
11—चारबाग रेलवे स्टेशन
12—बलरामपुर चिकित्सालय के पास
13—तांगा स्टैंड डालीगंज
14—फैजाबाद रोड डा0 खन्ना क्लीनिक के सामने
15—गोकरननाथ रोड तिकोना पार्क
16—कैलाश हास्टल
17—आई0टी0 कालेज
18—स्वामी विवेकानन्द अस्पताल के सामने
19—चान्दगंज पुलिस चौकी
20—आई0टी0आई0, अलीगंज
21—पुराना अलीगंज मन्दिर
22—पुरनियां क्रासिंग
23—अलीगंज मार्केट
24—चाँदगंज गार्डेन
25—सीतापुर रेलवे क्रासिंग
26—खदरा चुंगी चौकी
27—शंकर नगर चौराहा निरालानगर
28—होटल महानगर
29—मन्दिर मार्ग सिविल डिस्पेंसरी
30—गोल मार्केट, महानगर
31—रेलवे स्टेशन, महानगर
32—हीवेट पालिटेक्नीक, महानगर
33—सब्जी मार्केट, महानगर
34—पी0ए0सी0 रहीमनगर (रानी लक्ष्मी बाई मेमोरियल स्कूल)
35—महानगर माउन्ट कार्मेल स्कूल के पास
36—बादशाह नगर
37—निशातगंज क्रासिंग
38—फातिमा अस्पताल
39—इण्डर तल्ला क्रासिंग, बड़ा चांदगंज
40—पेपर मिल (प्रेम मार्केट के पास)
41—सलेज फार्म रोड, अशोक मार्ग
42—वालमीकी नगर, पेपर मिल
43—नवाब गंजनपर रोड (आर्य कन्या पाठशाला के पास)

44—काला कांकर चौराहा (केदार नाथ रोड)
45—खुनखुन जी रोड, चौक कोठी के सामने
46—कमला नेहरू मार्ग, चौक कोतवाली के सामने
47—कोनश्वर चौराहा न0म0पा0 चुंगी के पास
48—तुलसीदास मार्ग, मेडिकल कालेज क्रासिंग लाटरी सेंटर के पास
49—तुलसीदास मार्ग गोल्डन टी सेंटर के सामन
50—तुलसीदास मार्ग खाला बाजार थाने के सामने
51—लाला माधव चौराहा, पुराना हैदरगंज
52—टड़ियागंज चौराहा
53—नक्खास चौराहा
54—खाला बाजार चौराहा
55—अब्दुल अजीजरोड (अकबरी गेट) एक मीनारी मस्जिद के सामने
56—बड़ा इमामबाड़ा के पास
57—हरदोई रोड, ठाकुरगंज चौराहा
58—हरदोई रोड, तहसीनगंज चौराहा
59—हरदोई रोड, लाल कालोनी मस्जिद के पास
60—हरदोई रोड, हुसैनाबाद गट नं0 1 छोटा इमामबाड़ा
61—हरदोई रोड हुसैनाबाद गेट नं0 2 छोटा इमामबाड़ा
62—गऊघाट पम्पिग स्टशन रोड मुसाहबगंज नाका कोटबाग चुंगी के पास
63—गऊघाट पम्पिग स्टेशन रोड नगरिया पार्क के पास क्रासिंग पर
64—अब्दुल अजीज रोड बस स्टशन के पास
65—लाल माधो चौराहा (तुलसीदास मार्ग)
66—बुलाकी अड्डा (तुलसीदास मार्ग)
67—काटन मिल के पास (तुलसीदास मार्ग पर)
68—तुलसीदास मार्ग एवं मिल रोड के मोड़ पर
69—सुभाष मार्ग पर (पुलिस चौकी आगामीर के निकट)
70—मवैया चौराहा (कानपुर रोड पर)
71—नाका हिंडोला चौराहा
72—मोती नगर चौराहा
73—टेढ़ी पुलिया (कानपुर रोड पर)
74—आलमबाग टम्पो स्टैंड की बगल में (कानपुर रोड)
75—कृष्णानगर थाने के पास (कानपुर रोड)
76—आलमबाग रेलवे क्रासिंग के निकट
77—सआदतगंज मुख्य चौराहा
78—दरगाह हजरत अब्बास रोड पर दरगाह के सामने
79—काजमैन में करबला के निकट।

पी0 एस0 यू0 पी0—एल0—449 विधान सभा (785)—1984—813।